सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग

एन सी
एस सी एण्ड एस टी

पांचवी रिपोर्ट
1998-99
खंड - I

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES

सत्यमेव जयते

दिलीप सिंह भूरिया
अध्यक्ष
DILEEP SINGH BHURIA
CHIARMAN

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
5th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN.
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Tel.: Off.: 4632298, 4620435
Res.: 3715460

26 फरवरी, 2001

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अब तक चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनका संबंध 1997-98 तक की अवधि से था। पहले की तरह, इस रिपोर्ट में भी आयोग ने भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना की कार्य नीतियों, संविधान और विभिन्न अन्य कानूनों के अंतर्गत इन जातियों के लिए जिन सुरक्षापायों की व्यवस्था की गई है और जो सुरक्षा प्रदान की गई है उनके कार्यान्वयन का और सेवाओं में तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सरकारी नीति से उन्हें हुए लाभों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, इन समुदायों को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता और उनकी आर्थिक स्थिति पर गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के प्रभाव का जायज़ा लेने की भी कोशिश की गई है।

हाल के वर्षों में, सरकार ने अपने कार्यक्रमों को केवल कल्याण-उन्मुख क्रियाकलापों तक सीमित रखने की बजाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए अपनी कार्यनीति में बदलाव लाने का प्रयत्न किया है। संविधान के 73वें संशोधन के जरिए, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1997 में, कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया था। 1999 में, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को भी पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है और अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी घनिष्ठ भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं और विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस रिपोर्ट में इन उपायों के इस प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है कि ये समुदाय अपनी सामाजिक असमर्थताओं पर काबू पाने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने में कहां तक सफल हो पाए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों और संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत उनके लिए उपबन्धित अन्य उपायों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन से हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दों को निपटाने

में गम्भीरता और निष्ठा का अभाव है। विभिन्न कानूनी और नीतिगत उपायों को इन जातियों के खिलाफ समाज में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रहों को कम करने में किसी खास हद तक सफलता नहीं मिली है। केवल सरकारी कार्यक्रमों से, जिनका संबंध मुख्यतः आर्थिक विकास से होता है, इन समुदायों की सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने और उन्हें समाज के अन्य समुदायों की तरह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के योग्य बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन समुदायों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें बेहतर अवसर मुहैया करने के लिए समाज, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों को पहले से अधिक मात्रा में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के मौजूदा कार्यकरण और कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि अनुसूचित जनजातियों की बेहतर सुरक्षा और उनके लिए अधिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। जनता की मांगों के अनुसार और अधिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए राज्यपालों की एक समिति गठित करने के रूप में जो पहल की गई है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। हम सच्चे मन से आशा करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के उपाय करने के राष्ट्र को मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

सादर सहित

(दिलीप सिंह भूरिया)

श्री के.आर.नारायण

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां युगों-युगों से सामाजिक असमर्थताओं और आर्थिक असुविधाओं से उत्पीड़ित रही हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की नीति के जरिए उन्हें शासन में उनका न्यायोचित हिस्सा देकर, शोषण के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करके और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने के लिए ज्यादा और विशिष्ट वित्तीय आबंटन करके उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के योग्य बनाने के लिए संविधान में विशेष उपबंध करना जरूरी समझा था। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के जरिए विकास में उनका सुनीतिसंगत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यनीतियां अपनाई गई थीं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक सेवाओं और आर्थिक विकास के अवसरों के संबंध में वे अन्य समुदायों की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अस्पृश्यता की प्रथा अभी भी व्यापक रूप से फैली हुई है, हालांकि इसकी उग्रता कम हो गई है। अपने अधिकारों के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता और अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए उनकी बढ़ती हुई इच्छा शक्ति के कारण अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच जातिगत झगड़ों में वृद्धि हो रही है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन झगड़ों के कारण अक्सर नुक्सान उठाना पड़ता है।

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों का आबंटन कम से कम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किए जाने और उनके आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना आयोग द्वारा विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना तैयार किए जाने के बारे में विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन यह देख कर दुख होता है कि इन कार्यनीतियों को शुरू करने के दो दशकों के बाद भी, केन्द्रीय मंत्रालयों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। राज्य सरकारें, निस्सन्देह, एस.सी.पी. और टी.एस.पी. तैयार करती हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ कर, आबंटन निर्धारित अनुपात से अक्सर कम होते हैं और आबंटित की गई इन अपर्याप्त राशियों का उपयोग भी आम तौर पर अन्य प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है। इस व्यपवर्तन को कम करने के लिए महाराष्ट्र के माडल को अपनाने के लिए बार-बार किए गए अनुरोध को भी सीमित सफलता ही प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा का स्तर अन्य समुदायों की तुलना में बहुत नीचा बना हुआ है। 1991 में देश की पुरूषों और महिलाओं की 64 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की साक्षरता दरों की तुलना में, अनुसूचित जातियों की तदनुरूपी दरें 50 और 24 और अनुसूचित जनजातियों

के मामले में क्रमशः 41 और 18 थीं। इन समुदायों के लिए उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का स्तर सचमुच बहुत घटिया है। उनका साक्षरता का निम्न स्तर और शिक्षा की घटिया किस्म, आरक्षण की प्रणाली के बावजूद, सेवाओं में और विशेष रूप से सेवाओं के उच्च स्तरों पर उनका प्रतिनिधत्व कम होने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। 1-1-1998 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समूह क और ख की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, 15 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात की तुलना में, क्रमशः 10.38 प्रतिशत और 11.73 प्रतिशत था। सेवाओं के सभी समूहों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और भी खराब है। 1-1-98 को समूह क में उनका प्रतिनिधित्व 3.21 प्रतिशत और समूह ख में 2.68 प्रतिशत था, जबकि उनके लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में उनका प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत से कम और उच्च न्यायपालिका में नगण्य है। इन समुदायों के साक्षरता के स्तर के नीचा होने और शिक्षा की घटिया किस्म शिक्षा के अलावा, आरक्षण की नीति का कोई सांविधिक आधार न होना भी, सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के कम होने का एक अतिरिक्त कारण है, क्योंकि कार्यकारी अनुदेशों के उल्लंघन पर अक्सर कोई दंड नहीं मिलता।

गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की विशेष कार्यनीतियों के बावजूद, इनकी गरीबी कम नहीं हो रही। वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के 50.07 प्रतिशत परिवार और अनुसूचित जातियों के 49.04 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे, जबकि अन्य समुदायों के 32.96 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे। वर्ष 1987-88 में सभी गरीब परिवारों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 14.62 प्रतिशत था, जो मामूली सा कम होकर 1993-94 में 14.4 प्रतिशत हो गया। लेकिन अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों का अनुपात इसी अवधि में 24.72 प्रतिशत से बढ़ कर 28.24 प्रतिशत हो गया। भूमि सुधारों के विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित होने की बजाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग वास्तव में अपनी अत्यल्प जोत की भूमियों पर से अपना नियंत्रण खो रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के काश्तकारों की प्रतिशतता, जो 1961 में क्रमशः 37.76 और 68.18 थी, कम हो कर 1991 में क्रमशः 25.44 और 54.50 रह गई।

हालांकि पी.सी.आर अधिनियम और एस.सी और एस.टी. (पी.ओ.ए.) अधिनियम के तहत पंजीयित मामलों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कारण इन समुदायों के प्रति अत्याचार की घटनाओं में वास्तविक कमी होने की बजाय, पी.ओ.ए. अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की अनिच्छा प्रतीत होती है। इन अधिनियमों में अत्याचारों को कम करने और अपराधियों से जवाब तलब करने के विस्तृत तंत्र का उपबन्ध किया गया है। लेकिन यह देखा गया है कि मामलों को दर्ज करने में आनाकानी करने के अलावा, मामलों की तफतीश करने में देर की

जाती है, अपराधियों के साथ सांठ-गांठ होती है, गवाहों और गवाही को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में न्याय प्रदान करने की समूची प्रणाली पर एक नई नजर डाली जाए, ताकि अस्पृश्यता के निवारण और इन समुदायों के शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए संवैधानिक और नीतिगत ढांचे और संस्थात्मक तंत्र की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन उनके कार्यान्वयन के तरीके में सुधार लाने की बहुत गुंजाइश है। हालांकि विभिन्न स्तरों पर योजना बनाने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने का उपबन्ध है, लेकिन वह इतना कारगर प्रतीत नहीं होता। अतः, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को और उन व्यक्तियों को, जिन्हें उनके विकास की जिम्मेदारी गई है, उपयुक्त प्रशिक्षण देने और स्थिति अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, ताकि योजना बनाने और नीति निर्माण करने में उनकी भागीदारिता को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके। विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारना और इसके अलावा यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उनके विकास के लिए नियत की जाने वाली धनराशियों में वृद्धि की जाए, ताकि वे समाज के अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें।

(श्री दिलीप सिंह भूरिया)
अध्यक्ष

(कामेश्वर पासवान)
उपाध्यक्ष

(वेन. लामा लोबज़ाग)
सदस्य

(हरिन्दर सिंह खालसा)
सदस्य

(छोत्रे माझी)
सदस्य

(श्रीमती वीना नय्यर)
सदस्य

(सी. चेल्लप्पन)
सदस्य

कार्यकारी सारांश

अध्याय-1 ➢ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का परिचय-भारत के संविधान के अंतर्गत उसकी स्थापना और उसे सौंपे गए कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

अध्याय-2 ➢ उन विभिन्न मुद्दों की रूपरेखा, जिन पर रिपोर्ट में चर्चा की गई है।

अध्याय-3 ➢ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षापायों के संबंध में संविधान के विभिन्न उपबन्ध ; सुरक्षात्मक और शोषण-विरोधी विधान ; और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विधिक उपबन्ध।

अध्याय-4 ➢ संविधान के 73 वें संशोधन के जरिए विकेन्द्रीकृत शासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के जरिए क्षेत्रों तक इसके विस्तार और पंचायती राज के तीन स्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों, और इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के पूरे प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

➢ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और स्थिति अनुकूलन पाठ्यक्रमों के जरिए क्षमता-निर्माण की आवश्यकता है।

➢ पारम्परिक आधिपत्य वाले समूहों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

अध्याय-5 ➢ अनु.जा/अनु.जनजाति की बस्तयों में पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, आवास, सड़कों जैसी न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने की जरूरत है।

➢ अनु.जा./अनु.जनजाति की अधिसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में पोषाहार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

➢ स्कूलों में अध्यापकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में डाक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

➢ इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए व्यय का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।

अध्याय-6 ➢ अनुमान है कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कुल परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, और समाज के गरीब तबके में भी वे सबसे अधिक गरीब हिस्सा हैं, जिसका पता इस बात से लगता है कि अन्य वर्गों के गरीब लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति व्यय नीचा है। केन्द्र के हिस्से में कमी किए जाने, केन्द्रीय सरकार द्वारा किस्तें रिलीज करने में विलम्ब और पूरी धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण, अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विभिन्न स्कीमों के जरिए मजदूरी रोजगार प्रदान करने के प्रयास धीमें पड़ गए हैं। इन स्कीमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित कवरेज के बारे में मार्ग-निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें और केंद्रीय मंत्रालय, दोनों एस.सी.पी/टी.एस.पी. के अंतर्गत कम धनराशियां नियत कर रहे हैं, और इसके अलावा इन धनराशियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है। एस.सी.पी और टी.एस.पी के अंतर्गत परिव्यय को बढ़ाने, मानीटरिंग के तंत्र को सुदृढ़ बनाने और नियत की राशियों का पूरा उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-7

- केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंचा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 31-1-97, 2-7-97, 22-7-97, 13-8-97 और 2-8-97 को जो कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे, उनका आरक्षण की नीति को उलटने वाला प्रभाव पड़ा। संसद द्वारा एक ऐसा अधिनियम पारित किए जाने की जरूरत है, जिसमें शिक्षा संस्थाओं और सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
- अनु0 जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचत जनजाति के संघों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- झूठे जाति प्रमाण पत्रों की समस्या निरन्तर गंभीर रूप धारणा करती जा रही है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अधिक सतर्कता बरते जाने और नियोजनों द्वारा इस समस्या पर काबू पाए जाने की जरूरत है।

अध्याय-8

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का वांछित प्रभाव नहीं पड़ सका है। आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में पी.ओ.ए. अधिनियम के कार्यान्वयन और मध्य प्रदेश में विशेष न्यायालयों के कार्यचालन के बारे में में किए गए दो अध्ययनों से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है। इसका हल यह है कि पुलिस प्रशासन और जन साधारण में इन सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी पैदा की जाए और दंडात्मक और सुरक्षात्मक उपायों का और उत्पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की कड़ाई से मानीटरिंग की जाए।

अध्याय-9

- अधितर राज्यों में जनजातीय उप योजना की कार्य नीति और उसका कार्यान्वयन अपर्याप्त और सांकेतिक मात्र है। इसलिए जनजातियों के विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय विकास की एक व्यापक नीति तैयार करने की जरूरत है।
- जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक कार्मिक नीति तैयार करने की जरूरत है,

ताकि प्रोत्साहन की एक उपयुक्त प्रणाली के जरिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने को प्रोत्साहन दिया जा सके, जो निष्ठावान और मेहनती हों और जिन्हें जनजातीय लोगों के हितों के साथ सहानुभूति हो।

- कार्मिक नीति इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निचले स्तर के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, जैसे अध्यापकों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, वन और पुलिस कर्मचारियों को स्थानीय जनजातीय समुदायों में से ही लिया जाए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए मानदंडों में ढील दी जाए।

- भूमि संबंधी कानूनों को गम्भीरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, जनजातियों को भूमि के अन्य संक्रमण से बचाया जा सके।

- वनों संबंधी कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि वनों में जनजातियों के वैध और पारम्परिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।

- आबकारी संबंधी नीति (एक्साइज़ पालिसी) को कारगर ढंग से अमल में लाने और जनजातियों की एल्कोहोलयुक्त पेयों के अतिशय प्रयोग की आदत छुड़ाने के उपाय शुरू किए जाने की जरूरत है।

अध्याय-10

- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाने और संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यचालन में सुधार करने की सिफारिशें की गई हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यपालिका द्वारा इनको अमल में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि एक समतापूर्ण समाज का निर्माण करने के हमारे संविधान के सपने को मूर्त्त रूप दिया जा सके।

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	परिचय	1-2
II	रिपोर्ट से संबंधित दृष्टिकोण	3-12
III	सांविधानिक सुरक्षण	13-19
IV	पंचायती राज और विकेन्द्रित शासन	20-68
V	न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था और उन तक पहुँच	69-109
VI	गरीबी उपशमन, रोजगार और आय सृजन	110-150
VII	सेवा संबंधी सुरक्षण	151-174
VIII	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और उन पर हुए अत्याचार	175-231
IX	जनजातीय विकास के मुख्य मुद्दे	232-258
X	मुख्य सिफारिशों का सारांश	259-273

अध्याय-I

परिचय

संविधान निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों का प्रावधान करने की आवश्यकता को पूरी तरह से महसूस किया गया था । कमजोरों के इन दो सर्वाधिक कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सेवा स्तिथितियों को उन्नत करने के लिए विशेष उपबंध किए गए तथा इन सुरक्षणों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। केवल सुरक्षणों का उपबंध करना तथा दिशा निर्देश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु किए गए उपबंधों का कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करेगा तथा इन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

1.2 विशेष अधिकारी का कार्यालय, जिसे बाद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया, नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ 18.11.1950 से प्रभाव में आया। उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वहन करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए। 1965 तक, संविधान के अधीन अथवा सरकार के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए, विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा चुके थे।

1.3 1967 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण उनसे वापस ले लिया गया तथा 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को पांच आंचलिक कार्यालयों में पुनः समूहबद्ध करने के बाद उन्हें समाज कल्याण विभाग के अधीन महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के रूप में नए सृजित किए गए संगठन के नियंत्रण में रखा गया।

1.4 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों का निरीक्षण करने के लिए 1977 में सरकार ने अनुच्छेद 338 के उपबंधों में संशोधन करने का प्रयास किया ताकि एक बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना की जा सके। अपने प्रयास में असफल रहते हुए, सरकार ने, गृह मंत्रालय के दिनांक 21-7-78 के संकल्प संख्या 13013/9/77(एससीटी(1) द्वारा एक बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया। श्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में पहला बहु सदस्यीय आयोग जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना गया, दिनांक 1-12-78 से प्रभाव में आया। यह आयोग 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में पुनर्नामित किया गया तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार निकाय बनाया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पहले क्षेत्रीय कार्यालयों को महानिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण से हटा कर बहु सदस्यीय आयोग के नियंत्रण में रखा गया।

1.5 1990 में सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबंधों में संशोधन करने का एक नया प्रयास किया गया ताकि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित निकाय को विस्तृत कर्त्तव्यों

और उत्तरदायित्वों के साथ प्रभावी बनाया जाए। 1990 में अनुच्छेद 338 के उपबंधों को, संविधान (पैसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990, द्वारा संशोधित किया गया। संशोधित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय तथा पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को समाप्त करते हुए प्रथम संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन दिनांक 12-3-92 को किया गया।

1.6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय ने, अपने 42 वर्षों के अस्तित्व के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हितों में उत्थान और सेवाओं में आरक्षण के लिए लगभग 5200 सिफारिशों सहित 30 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

1.7 बहु सदस्यीय आयोग (पहले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग) ने अपने 14 वर्षों के अस्तित्व के दौरान, लगभग 1100 सिफारिशों सहित आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उसने "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों के कारण और उपाय" नामक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है।

1.8 वर्तमान रिपोर्ट संवैधानिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की पांचवीं रिपोर्ट है, जिसमें संवैधानिक उपबंधों, पंचायत राज, न्यूनतम आवश्यकताएं एवं गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आय सृजन, सेवा सुरक्षण, जनजातीय विकास के मुख्य मुद्दे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि पर अपराध और अत्याचार आदि के अध्याय शामिल हैं। मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, रिपोर्ट के संबंधित अध्याय, में की गई है।

अध्याय II

रिपोर्ट से संबंधित दृष्टिकोण

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के अलावा इन समुदायों में, जो सदियों से अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, के त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। ऐसी विकास नीति ही प्रभावी होगी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज का प्रत्येक घटक समाज के इन वर्गों को अधिकार प्रदान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दान/आर्थिक सहायता के मौजूदा बल की बजाय उनमें सृजनात्मकता, योग्यता, क्षमता तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिए उनका समस्याओं का अन्वेषण करता है। विकास के इस दृष्टिकोण में उनको लाभकारी रोज़गार देकर तथा मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुँच करने के लिए निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी अपेक्षित है। आयोग, अपनी पाँचवीं रिपोर्ट में,अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विकेन्द्रीकृत शासन, नियोजन तथा विकास में भागीदारी, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुँच तथा रोज़गार के अवसर मुहैया कराने के मसलों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके संवैधानिक सुरक्षणों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के पर ध्यान केन्द्रित करेगा। ये मुद्दे और चिंता के विषय, जो आयोग के समक्ष उसकी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों की टिप्पणियों से, विभिन्न संस्थाओं के साथ की गई चर्चाओं से तथा विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन, से सामने आए हैं, उनकी ओर निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से तथा सवेदना एवं वचनबद्धता के भाव से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस "बैकड्रॉप" के लिए रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में अपनाए गए दृष्टिकोण, लक्ष्यों तथा कार्य प्रणाली का संक्षिप्त सार दिया गया है।

पंचायती राज तथा विकेन्द्रीकृत शासन

2.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 50 वर्षों के नियोजन और विकास के पूरे लाभ प्राप्त न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण विशेषकर विकेन्द्रीकृत स्तर पर नियोजन तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी अपर्याप्त भागीदारी रही है। संविधान के 73 वें संशोधन के अनुच्छेद 243 घ द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं सहित इन वर्गो के लिए देश में पंचायती राज तंत्र के सभी स्तरों पर सदस्य और अध्यक्ष हेतु सीटें आरक्षित की गई हैं। समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों को अधिकार प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे विकेन्द्रीकृत शासन में निर्णय निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। अधिकतर राज्यों में पंचायतों के चुनाव 1995-96 में हुए थे। इन चुनावों में, पूरे देश की पंचायतों के तीनों स्तरों पर लगभग 34 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य तथा अध्यक्ष बने। निर्वाचित कुल प्रतिनिधियों में से लगभग 7.50 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिनमें से लगभग 2.5 लाख इन वर्गों की महिलाएं हैं।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 243 छ में विचार किया गया है कि राज्य की विधानसभा, पंचायतों को ऐसी शाक्तियां तथा प्राधिकार सौंप सकती हैं जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसे नियमों में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियां और दायित्व दिये जाने के लिए उपबंध निहित होंगे बशर्ते कि वे निम्नलिखित से संबंधित हों-

i. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना।

ii. 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों सहित उन्हें सौंपे गए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन करना। 11 वीं अनुसूची में कृषि से लेकर सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर 29 विषयों की सूची दी गई है। 11 वीं अनुसूची **(अनुबंध-2.I)**से यह देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सभी मूलभूत आवश्यकताएं पंचायतों के क्षेत्र में आती हैं। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है।

2.3 इसके अलावा, (73वां संशोधन) अधिनियम के उपबंध, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अनुसार पाँचवें अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित भी कर दिए गए हैं। विस्तार अधिनियम के साथ ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों को उनके पारम्परिक मूल्यों, अधिकारों, संसाधनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है।

2.4 तथापि, भारत में धर्मतंत्रीय जाति प्रथा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित आर्थिक असमानता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पंचायतों में प्रभावी रूप से कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। पंचायतों में उनकी अब तक की भागीदारी से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस अध्याय में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि क्या वंचित वर्गों ने पंचायतों के कार्य संचालन में कुछ प्रभाव डालना शुरू कर दिया है अथवा पारम्परिक ताकतें उनकी सकारात्मक भागीदारी में अभी भी बाधा डाल रही हैं । इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि समाज के असुविधा में रहने वाले तथा वंचित वर्ग अपनी शिकायतों को रखने तथा उनके निवारण और सामाजिक न्याय के लिए पंचायतों को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में किस सीमा तक पाते हैं। रिपोर्ट में ये जांच की जाएगी कि उनको अधिकार देने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं और पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें क्या उपाय कर रही हैं। इसके अलावा, इस विषय का भी विश्लेषण किया जाएगा कि किस सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं सहित ये वर्ग अपनी और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने में समर्थ महसूस कर रहे है।

न्यूनतम आवश्यकताओं का उपबंध तथा उन तक पहुँच

2.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में योग्यताएं, क्षमताएं तथा विश्वास, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य,सुविधाएं, स्वच्छ पीने का पानी, आवास, पक्की सड़कें बनवाकर तथा बेहतर सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता उपलब्ध करवाकर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा बनाये रखी जा सकती हैं।

2.6 इन सुविधाओं तक पहुँच होने से इन वर्गों के संघटन के लिए मुख्यधारा में आधार बनेगा। यहाँ यह स्मरण किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने 1960-61 में

अपनी रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी कि जनजातीय विकास खण्डों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संप्रेषण पर बल दिया जाना चाहिए। यदि सभी जनजातीय विकास खण्डों में लक्ष्यों को पूरा किया जाता और आवश्यक सुरक्षात्मक विधानों का कार्यान्वयन प्रभावी होता तो इस प्रकार पाँचवीं अनुसूची के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता था और इसे आसानी से रद्द किया जा सकता था (अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट, खंड I 1960-61)। किन्तु वास्तविकता यह है कि इतना समय गुज़रने के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक विकास में असमानता, कम होने की अपेक्षा बढ़ी है।

2.7 साक्षरता के महत्व पर बल देते हुए जीन ड्रेंज तथा अमर्त्य सेन ने टिप्पणी की, कि साक्षरता तथा प्रांरभिक शिक्षा के निम्न स्तरों के कारण स्थानीय भागीदारी राजनीति में उन्नति काफ़ी धीमी पड़ गई है। साक्षरता, लोगों को शासन तंत्र के कार्यों को समझने में, सरकारी नौकरशाही से व्यवहार करने,में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और नई समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने में तथा अन्य योग्यताएं प्राप्त करने में, स्पष्ट रूप से सहायता देती है जो स्थानीय राजनीति में प्रभावी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है (ड्रेंज़ एंड सेन, 1995 पृष्ठ 106)।

2.8 जुलाई, 1996 में नई दिल्ली में हुए राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए शताब्दी के अंत तक निम्नलिखित मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं: (i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (ii) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं (iii) प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण (iv) मध्याह्न भोजन स्कीम का विस्तार (v) सभी निराश्रय गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता (vi) सभी गाँवों और बस्तियों का जुड़ा होना और (vii) गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना।

2.9 इस अध्याय में, यह जांच की जाएगी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अभी तक ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं किस सीमा तक प्रदान की गई है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि इन मूलभूत सेवाओं को प्रभावी बनाने तथा उन्हें प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकारी प्रयासों सहित तीव्र सामाजिक कार्रवाई आवश्यक है। न्यूनतम आवश्यकताओं के मामलों की जांच करते समय आयोग की कार्यविधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आबंटन, खर्च एवं वास्तविक उपलब्धियों के स्तर पर आलोचनात्मक जाँच की जाएगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ये सेवाएं मुहैया करने में उन्होंने कोई विशेष उपाय किए हैं।

2.10 चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों की जनसंख्या में वृद्धि उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँचने में तथा इन वर्गों के समग्र विकास के लिए बाधा है, अतः उनकी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए जाने पर भी इस अध्याय में विचार किया जाएगा।

रोज़गार तथा आय अर्जन

2.11 विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रोज़गार तथा आय अर्जन प्रांरभ से ही नियोजन का मुख्य आधार रहे हैं। किन्तु, तृतीय पंचवर्षीय योजना तक, बल विकासोन्मुख दृष्टिकोण पर दिया जाता था, यह समझते हुए कि विकास का लाभ जनता तक पहुँचेगा और जिसके द्वारा ग़रीबी दूर होगी । वास्तव में, जैसा समझा गया था, विकास का लाभ लोगों तक नही पहुँच पाया। यहाँ तक कि हरित क्रांति में

भी अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग़रीबी दूर करने के दृष्टिकोण को बदला गया। ग़रीबों को और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। चूंकि, ग़रीबी एक ऐसी चीज़ है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे दूर करने के लिए लम्बे के कई कार्यक्रम चलाए गए। इस अध्याय में यह जानने के लिए गहराई से जाँच की जाएगी कि रोज़गार तथा आय अर्जन की स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ग़रीबी कम करने में किस हद तक सफलता मिली है।

2.12 रोज़गार अवसरों की समस्या गंभीर होती जा रही है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में रोज़गार की मूल्य सापेक्षता (इलास्टिसिटी) गिर रही है। उदाहरण के लिए, अनुबंध -2.II से यह देखा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में रोज़गार की मूल्य-सापेक्षता 1972-73 से लेकर 1977-78 के दौरान 0.59 से घटकर 1993-94 के दौरान 0.40 रह गई है। क्षेत्रवार आँकड़े दिखाते है कि निर्माण एवं वित्त, अचल सम्पत्ति, बीमा तथा व्यापार सेवाओं को छोड़कर रोज़गार की मूल्य-सापेक्षता सभी क्षेत्रों में कम हुई है । यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद अनुपातों में रोज़गार की मूल्य सापेक्षता 1983-84 से 1993-94 के दशक की तुलना में निम्न स्तर पर अनुमानित की गई है। यद्यपि, यह प्रवृत्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रोज़गार स्थिति को आवश्यक रूप से नहीं बताती है, किन्तु यह निश्चित रूप से आने वाले वर्षो में रोज़गार की भयंकर स्थिति का संकेत देती है। इसका विशेषकर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कृषि अर्थव्यवस्था से भिन्न के ऐसे क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराए जाएं जहां सकल घरेलू उत्पाद में रोज़गार की मूल्य-सापेक्षता अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, क्योंकि अब कृषि में रोज़गार की अधिक क्षमता नही रह गई है, जहां अधिकतर अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियां वर्तमान में लगी हुई हैं।

2.13 अनुसूचित जातियों और जनजातियों में रोज़गार और आय अर्जन के लिए जुलाई, 1991 में स्वीकार की गई नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए भी देखा जा सकता है जिसका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । योजना आयोग के विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाई गई विधि के आधार पर तैयार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के अनुमानों का प्रयोग करते हुए श्री एस.पी.गुप्ता ने अनुमान लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी अनुपात 1970-71 और 1990-91 के बीच 57 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत तथा 1992 में 41.71 प्रतिशत तक बढ़ गया। (गुप्ता 1995 पृष्ठ 1296)

2.14 यद्यपि, यह अध्ययन बताता है कि नई आर्थिक नीति के शुरू होने के बाद से ग़रीबी में वृद्धि हुई है, किन्तु, यह अध्ययन ग़रीबों में एक प्रमुख उप-वर्ग के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर पड़े इसके प्रभाव के बारे में नहीं बताता है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अध्ययन " काउंटिंग द पूअर " में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी ग़रीब परिवारों में से, अनुसूचित जनजातियों के परिवार जो 1987-88 में 14.6 प्रतिशत थे, उनकी संख्या में 1993-94 में 14.4 प्रतिशत का नगण्य अंतर आया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के परिवार जो 1987-88 में 24.72 प्रतिशत थे उनकी संख्या में 1993-94 में 28.24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबकि अन्य परिवार 1987-88 (60.65 प्रतिशत) की तुलना में 1993-94 (56.74 प्रतिशत) में ग़रीब परिवारों का अनुपात कम रहा। ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति है वही शहरी क्षेत्र की भी है। यह कहा जा सकता

है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देश भर में अन्य वर्गों के परिवारों की तुलना में अनुसूचित जाति के परिवारों की स्थिति दयनीय रही (दुबे, तथा गंगोपाध्याय 1998, पृष्ठ-48)। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाएगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर नई आर्थिक नीति के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के सुझाव दिए जाएंगे।

2.15 अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। वर्तमान तथा उभरती हुई स्थिति में, जहां सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है ऐसे में शिक्षित बेरोज़गारों के लिए एक ही विकल्प नज़र आता है और वह यह कि इन्हें विभिन्न व्यापारों और वाणिज्य में कुशल बनाया जाए जिससे की वे अर्थव्यवस्था के गौण एवं तृतीयक क्षेत्रों में काम कर सकें। इससे उन्हें लाभकर और दीर्घकालीन काम ही नहीं मिलेगा अपितु उन्हें विकास की मुख्यधारा में भी शामिल किया जा सकेगा। रिपोर्ट में इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उनके कौशलों को बढ़ाकर और उन्हे मौजूदा तकनीकी जानकारी तथा अनुभव का उपयोग करने के लिए तकनीकी सहायता देकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है।

2.16 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए दीर्घकालीन रोज़गार और बढ़ती हुई आय को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आधारभूत ढाँचे, छोटे उद्यमों, कुटीर तथा लघु उद्योगों पर लाभप्रद रूप से प्रभाव डालते हुए उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रसार अनिवार्य है। आयोग का दृढ़ विश्वास है कि पूरे देश में और विशेषकर जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करके प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया जाना चाहिए तथा अंतरण किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य पूरे देश की 500 से अधिक ज़िला पंचायतों तथा 5000 से अधिक विकास खंड़ो के नेटवर्क द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा, ये केन्द्र " ट्रायसेम " तथा "दवाकरा" समूहों द्वारा उत्पादित मौजूदा उत्पादों से संबंधित मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियों का दर्जा बढ़ाने में भी मदद कर सकते है। इन केन्द्रों तथा लाभभोगियों के बीच ऐसे परस्पर संपर्क से उनकी आय बढ़ेगी, उत्पादन स्तरों में वृद्धि होगी और अंततः उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा । इस अध्याय में, रोज़गार आश्वासन स्कीम से संबंधित मामले जिन पर 21 जून 1999 को हुई आयोग की बैठक में चर्चा की गई पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग़रीबी उन्मूलन की समस्या पर भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना जैसी हाल ही में पुनर्गठित रोज़गार एवं आय अर्जन की स्कीमों के प्रकाश में विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

2.17 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भू अधिकार प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के ऑपरेशन बरगा जैसे सफल उपायों की पुनरावृत्ति और प्रसार अनिवार्य है। इससे उनकी आय में ही वृद्धि नहीं होगी बल्कि समाज में उनका स्तर भी बढ़ेगा जो उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए अनिवार्य है।

सेवा सुरक्षण

2.18 18.3.99 को सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने पर लोकसभा में हुए वाद-विवाद में भाग लेते समय डॉ0 सुब्रामण्यम स्वामी ने यह बात उठाई कि " आरक्षण, अनुसूचित जातियों को ऊँची जातियों द्वारा दी

जाने वाली, कोई क्षतिपूर्ति या रियायत नहीं है। आरक्षण, 1932 में डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ महात्मा गाँधी जैसे महान व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए सामाजिक कांट्रेक्ट का एक हिस्सा है जब उन्होंने स्वैच्छिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय की ओर से पृथक इलेक्ट्रोरेट को छोड़ दिया था, जिसे ब्रिटिश सरकार देश को विभाजित करने की दृष्टि से दुर्भावना लाना चाहती थी । त्याग के इस महान कार्य के परिणामस्वरूप पुनः समझौता प्रभाव में आया और वहां से आरक्षण शुरू हुआ। इस प्रकार, आरक्षण कोई ऐसी चीज़ नही हैं जो हम उन्हें दे रहे हैं। यह एक सामाजिक कांट्रेक्ट का हिस्सा है और हमें उस कांट्रेक्ट का सम्मान करना चाहिए। इस कांट्रेक्ट को सम्मान देने के कारण ही आज हमारा देश इस तरह एक संगठित देश है" (लोकसभा वाद विवाद मुद्रित पृष्ठ 9877-78)। देश के शासन तथा प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समान भागीदारी के अवसर देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क), 335 तथा 320(4) के अंतर्गत संविधान में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए सेवा में आरक्षण का उपबंध किया गया। किन्तु, स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष के बाद भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) तथा अन्य राज्य सरकारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर तक नही पहुँच पाया है।

2.19 1997 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए 5 आदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध अनेक सुविधाओं को कम करके आरक्षण नीति के महत्व को और कम किया गया है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मस्तिष्क आंदोलित हुए,जिन्होंने इन कार्यालय ज्ञापनों के विरूद्ध कई सार्वजनिक सभाएं आयोजित कीं। 18.4.99 को लोकसभा में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ जब अपनी पार्टी और जाति को ध्यान में न रखते हुए अधिकतर संसद सदस्यों ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की। संसद सदस्यों में जो सर्वसम्मति हुई वह यह थी कि इस समस्या का स्थायी समाधान आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में रखने में है।

2.20 समस्या की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने आरक्षण के मामले पर एक विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की है। अतः, आयोग इस वर्ष संदर्भ अवधि के दौरान आयोग द्वारा हाथ में लिए गए महत्वपूर्ण सेवा संबंधी मामले तथा उन मुद्दों पर ध्यान देगा जिन पर आरक्षण कोटा भरने के लिए विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों का ध्यान दिलवाया जाना अभी अपेक्षित है।

अत्याचार

2.21 यह पाया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जहां उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, वहीं उन पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है। यह स्वाभाविक है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने रोज़मर्रा की जिन्दगी में अपने आपको दृढतापूर्वक लाना शुरू कर दिया है जबकि अन्य समुदाय अपना दमन जारी रखना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा उत्पन्न हो रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करने वालो के साथ सख्ती से निपटने के लिए विभिन्न क़ानूनी उपबंध बनाए गए हैं।

2.22 इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की समस्या से निपटने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की प्रभावशीलता और पुलिस तथा प्रशासन की भूमिका की जाँच करने का प्रस्ताव किया है। आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला जाएगा और उत्तर प्रदेश में पी.ओ.ए. अधिनियम के

कार्यान्वयन और मध्य प्रदेश में विशेष न्यायालयों के कार्यकरण पर वाद अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों के जांच परिणाम भी इस अध्यान का भाग बनेंगे। बिहार और देश के अन्य भागों में हुए सामूहिक अत्याचारों को रोकने के लिए नीतियों की सिफ़ारिश करने हेतु ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

जनजातीय विकास के मुद्दे

2.23 आर्थिक उदारीकरण आने से कुछ राज्य सरकारें भूमि की उच्चतम सीमाओं में छूट देने पर विचार कर रही हैं जिससे कि व्यावसायिक कृषि करने के लिए निजी क्षेत्र आगे आ सकें। उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य ने बागवानी की भूमि की उच्चतम सीमा में छूट दी है और पश्चिम बंगाल राज्य मछली पालन तालाबों के संबंध में छूट देने पर विचार कर रही है (भारत सरकार एम/ओ.आर.ए.एंड ई पृष्ठ- 30)। जनजातीय दृष्टिकोण से यह ख़तरनाक स्थिति है क्योंकि इसका तात्पर्य यह होगा कि जनजातियां अपने सामुदायिक संसाधन खो देंगी और इससे उनकी पहले से खराब आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाएगी क्योंकि भूमिहीनों के लिए कृषि से भिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय में यह जाँच की जाएगी कि जनजातियों को रोज़गार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

2.24 इसके अतिरिक्त, बाज़ार विकास नीति को देखते हुए अनुसूचित जनजातियों में छोटे और मझौले किसानों को पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाने, जिससे कि वे जीवन निर्वाह के स्तर से ऊपर उठ सकें, के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी,ऋण, विपणन, भंडारण तथा परिवहन आवश्यकताओं के लिए आधारभूत ढ़ाँचे तथा संगठनात्मक सहायता विचार किया जाएगा ।

2.25 जनजातियों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बागवानी, रेशम के कोड़ों का पालन तथा मछली पालन नए क्षेत्र हैं। यहाँ, इसकी जांच की जाएगी कि जनजातियों के लिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

2.26 जनजातियों में ग़रीबी को दूर करने की मौजूदा नीति में ऐसे संस्थागत मामलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रामीण भारत में ग़रीबी उन्मूलन एवं क्षेत्र विकास पर संचालन दल ने भी यह अनुभव किया कि "........... कुछ मौजूदा नीतियां/नियम ग़रीबों के प्रतिकूल थे और इसलिए ये विकास प्रक्रिया के सिद्धांत के प्रतिकूल बैठते हैं। विद्यमान नीतियां, जो गरीबों के हितों से टकराती हैं, की समीक्षा के लिए एक ठोस मामला था"। (योजना आयोग, 1997 मु0 पृष्ठ 22-23)। इस प्रयोजन के लिए, डा0 एन. सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित उपदल ने ऐसे कुछ नियमों और नीतियों का पता लगाया जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। यह जानने के लिए प्रयास किया जाएगा कि अभिज्ञात नियम और नीतियां किस सीमा तक ग़रीबों के हित में रही हैं।

2.27 पाँचवें अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम के उपबंधों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसकी जाँच की जानी आवश्यक है कि क्या ग्रामसभा अथवा पंचायतों को दी गई शक्तियां एवं कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं । क्योंकि उड़ीसा में सीएसडी (सामाजिक विकास परिषद) द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि राज्य सरकार ने ग्राम सभा की मंजूरी के बिना रायगढ़ जिले में ऐलुमिना परियोजना के लिए जनजातीय भूमि ली है (सी.एस.डी. 1999)। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में "पायनीअर" में छपी रिपोर्ट से पता चला है कि सरकार ने बागवानी ज़िले के पाटी खंड में विश्व बैंक परियोजना के लिए जनजातीय भूमि हथियाई है। इस

प्रकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर, इसकी जाँच की जाएगी कि विस्तार अधिनियम के उपबंध किस सीमा तक जनजातियों के हितों की सुरक्षा में उपयोग किए गए हैं।

2.28 चूंकि जनजातियों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नही मिल पाता है इसलिए उनके सहकारिताओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विपणन नेटवर्क बनाया जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल बस्तर ज़िले में इमली के विपणन का उदाहरण इस संबंध में उल्लेखनीय है जहां सहकारी समितियों के माध्यम से जनजातियों ने पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में लगभग चार गुणा अधिक मूल्य प्राप्त किया है। आयोग, सभी वन उत्पादों जैसे महुआ, चिरौंजी, कोसा, शहद, तेंदु पत्ते तथा साल के बीजों के लिए पूरे देश में ऐसी सहकारिताओं के नेटवर्क की सिफ़ारिश करता है जिससे कि जनजातियों को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार मुहैया कराने के लिए मूल्य वर्धन गतिविधियां भी शुरू की जाएं।

संक्षिप्त विवरण

2.29 यद्यपि, नियोजन और विकास के 50 वर्षों से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुँचाया गया है, किन्तु यह लाभ जितना आवश्यक था उससे काफ़ी कम पहुँचाया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्यों के मध्य असमानता बनी हुई है। यह समस्या आगे और बढ़ी है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच असमानता बढ़ रही है। इस प्रकार, अन्य जातियों(अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न जातियां) के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच कड़ा विरोध है और विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों के बीच भी कड़ा विरोध है कि देश के शासन और प्रशासन में उनको सही हिस्सा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में, उनके लिए रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के अलावा उनमें सृजनात्मकता, योग्यता, क्षमता और विश्वास बढ़ाने के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तक उनकी पहुँच अनिवार्य है। इसलिए, आयोग सार्वजनिक कार्रवाई तथा भागीदारी लोकतंत्र के माध्यम से इन मुद्दों से निपटने पर बल देता है।

अनुबंध 2.I

ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243-छ)

1. कृषि विस्तार सहित कृषि।
2. भूमि सुधार, भू-सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि की चकबन्दी तथा मृदा संरक्षण।
3. लघु सिचांई, जल प्रबंध तथा जल संभर विकास।
4. पशु-पालन, डेरी एवं मुर्गी पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी।
7. लघु वन उत्पाद।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
10. ग्रमीण आवास।
11 पेयजल।
12 ईधन एवं चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फ़ैरी, जलमार्ग तथा सम्पर्क के अन्य माध्यम।
14. विधुत वितरण सहित ग्रामों में विधुतीकरण
15. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16. ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा।
18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक गतिविधियां।
22. बाज़ार एवं मेले।
23. अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डिस्पेंसरियों सहित स्वास्थ्य एवं सफ़ाई व्यवस्था।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. विक्लांग तथा मंदबुद्धि के कल्याण सहित समाज कल्याण
27. कमज़ोर वर्गो, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव।

सकल घरेलू उत्पाद में रोजगार की लोच (इलास्टिसिटि)

क्रम सं0	क्षेत्र	1972-73 से 1977-78 तक	1977-78 से 1983 तक	1983 से 1987-88 तक	1987-88 से 1993-94 तक	1983-84 से 1993-94 तक	1997 से 2000 तक
1.	कृषि*	0.75	0.45	0.45	0.53	0.50	0.50
2.	खनन एवं खुदाई	0.94	0.80	1.00	0.39	0.67	060
3.	विनिर्माण	1.00	0.67	0.29	0.42	0.33	0.25
4.	विधुत	1.00	0.73	0.73	0.33	0.50	0.50
5.	निर्माण	0.33	1.00	1.00	0.00	1.00	0.60
6.	थोक एवं खुदरा व्यापार	1.00	0.78	0.63	0.59	0.60	0.55
7.	परिवहन, भंडारण एवं संप्रेषण	0.74	1.00	0.25	0.68	0.47	0.55
8.	वित्त अचल सम्पत्ति, बीमा एवं बिज़नेस	0.00	1.00	0.11	1.00	0.90	0.53
9.	सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	0.73	0.83	0.27	0.92	0.59	0.50
	सभी क्षेत्र	0.59	0.53	0.38	0.43	0.40	0.38

* 1980-81 की कीमतों के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद की 3 वर्ष की चल औसत के आधार पर

स्रोतः- नवीं पंचवर्षीय योजना, खंड़-I, भारत सरकार योजना आयोग।

अध्याय III

सांविधानिक सुरक्षण

भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दी गई है । राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अंतर्गत, अनुच्छेद - 46 में, यह व्यवस्था की गई है कि " राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा " । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में उपेक्षित, कमजोर व असुरक्षित वर्गों का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सेवा संबंधी सुरक्षणों तथा चुनींदा संरक्षणात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके ।

सामाजिक सुरक्षण

3.2 **अनुच्छेद 17** के अनुसार " अस्पृश्यता " का अंत हो गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है । " अस्पृश्यता " से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । इस अनुच्छेद से संबंधित दो महत्वपूर्ण कानून हैं अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 ।

3.3 **अनुच्छेद 23** मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध् का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु, चूंकि अधिकतर बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होते है, अतः इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है । इस अनुच्छेद अनुसरण में बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 बनाया गया है और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी है । परन्तु पिछले 23 वर्षों से इस अधिनियम को लागू किये जाने के बावजूद बंधुआ मजदूरी अभी तक विद्यमान है और इसकी रोकथाम करने व तत्संबंधी पुनर्वास कार्य को अधिक कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है ।

3.4 **अनुच्छेद 24** में यह व्यवस्था की गई है कि 14 (चौदह) वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा । बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून है । यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नहीं, तथापि काफी बड़ा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का है । यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था होने तथा इस संबंध में प्रचार किये जाने के बावजूद काँच चूड़ी उद्योग, कालीन बुनाई और बीड़ी उद्योग आदि में बाल श्रमिक कार्यरत हैं । इन बच्चों की दयनीय स्थिति ओर इन कानूनों के उल्लंघन की जानकारी के लिए जन संचार माध्यमों अर्थात प्रेस व टेलीविजन द्वारा भी व्यापक कवरेज दी जाती है । दुर्भाग्यवश बाल विरोधी प्रथा अभी तक जारी है और इस कुप्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए

स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है । केंद्र तथा राज्य सरकार के श्रम विभागों के भाग पर एक ही समय में विधिक प्रावधानों तथा सतर्कता का कड़ा कार्यान्वयन नितान्त आश्यक है ।

3.5 **अनुच्छेद 25 (2), (ख)** में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाए, हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी । हिंदू शब्द में सिक्ख, जैन व बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं । यह उपबंध सुसंगत है क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मन्दिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि यह सामाजिक कुप्रथा धीरे - धीरे समाप्त हो रही है परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी-कभी छपती रहती हैं और उन्हें इस आयोग के ध्यान में भी लाया गया है । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिंदुओं के मंदिरों तथा हिंदू धार्मिक संस्थानों में बिना रोक टोक के प्रवेश देने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं ।

आर्थिक सुरक्षण

3.6 पांचवीं अनुसूची में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान हैं । 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं ये राज्य इस प्रकार हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान । इन राज्यों के राज्यपालों के विशेष उत्तरदायित्व हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं । इन राज्यों के राज्यपालों के पास किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए, विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियम, रेग्युलेशन बनाने की शक्ति है ।

i. ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या आपस में ही भूमि के अंतरण का प्रतिषेध अथवा निबंधित करना,

ii. ऐसे क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भूमि के आबंटन को विनियमन करना,

iii. ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन करना,

3.7 इन आठ राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, सांविधिक जनजाति सलाहकार परिषदें हैं ।

3.8 **अनुच्छेद 244** के खंड (1) के अनुसार पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनूसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिए लागू होंगे ।

3.9 **अनुच्छेद 275 (1)** में प्रावधान है कि राज्य " किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के

प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए "।

3.10 इस अनुच्छेद में छठी अनुसूची में शामिल किए गए राज्यों को भारत की संचित निधि में से ऐसे विशेष अनुदान दिए जाने के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है । छठी अनुसूची में असम (उत्तरी कछार पर्वतीय जिला तथा कार्बी अंगलोग जिला), मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वशासी पर्वतीय जिला) राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं । इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें तथा स्वशासी प्रादेशिक (रीजनल) परिषदें हैं । इन क्षेत्रों में स्वप्रबंध की पुरानी परम्परा है । ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम अथवा नगर प्रशासन जिसमें ग्राम और शहर की पुलिस और जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सहित ग्राम और शहरी प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह एवं विवाह- विच्छेद तथा सामाजिक रीति - रिवाज पर कानून बनाने की भी शक्तियां प्राप्त हैं ।

3.11 अनुच्छेद 339 - अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण -

(1) राष्ट्रपति,किसी भी समय तथा इस संविधान के प्रभाव में आने से 10 वर्ष की आवधि समाप्त होने पर, राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए; आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं,

आदेश में आयोग के गठन, शक्तियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है तथा ऐसे प्रासंगिक अथवा गौण प्रावधनों को शामिल किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक अथवा वांछनीय समझते हैं,

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति, एक राज्य को निदेश देते हुए दी जाएगी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट योजनाओं को तैयार करने तथा निष्पादन करने के लिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनिवार्य हो,

शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षण

3.12 **अनुच्छेद 15 (4)** राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है । यह उपबंध संविघान में, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए । इस उपबंध ने राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जिनमें तकनीकी, इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में स्थान आरक्षित करने के अधिकार दिए । इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 16 (4) में " पिछड़े वर्ग " शब्दों का प्रयोग व्यापक जेनेरिक रूप में किया गया है तथा इसमें पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जातियां और घुमन्तू/ अर्ध घुमन्तू (खानाबदोश) जातियां या समुदाय आदि शामिल हैं ।

3.13 **अनुच्छेद 29 (1)** में यह प्रावधान है कि " भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष/भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा" । इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से अधिकांश की विशेष भाषाएं हैं तथा कुछ समुदाय जैसे संथालों की अपनी अलग लिपि भी है जिसे ओलचिकी कहते हैं। परन्तु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए क्योंकि ऐसा करने से वे अलग - अलग हो जाएंगे । उन्हें राज्य की भाषा के साथ - साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ उनके संघटन को मदद दी जा सके ।

3.14 **अनुच्छेद 350 (क)** में भी प्रावधान है " राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं " । अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है । जनजातीय समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा स्वीकार्यता में सुधार के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि, जहां तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी भाषा में दी जाए तथा इस प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम एव प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए परम अग्रता आधार पर उपाय शुरू किए जाएं ।

राजनीतिक सुरक्षण

3.15 **अनुच्छेद 164 (1)** में यह प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है ।

3.16 **अनुच्छेद 330** में लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, इस अनुच्छेद के अनुसरण मे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, 545 में से 106 स्थान आरक्षित हैं । 11वीं, 12वीं तथा 13वीं लोक सभा में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के क्रमशः 123, 117 तथा 118 संसद सदस्य थे, जिससे यह पता चलता है कि इन समुदायों के उम्मीदवार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अतिरिक्त लोक सभा की अनारक्षित सीटों के लिए भी निर्वाचित हुए । यह सामाजिक परिवर्तन का अच्छा संकेत है ।

3.17 **अनुच्छेद 332** में, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

3.18 **अनुच्छेद 334** में, यह व्यवस्था है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा एंग्लोइंडियन लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) संविधान में प्रत्येक दस वर्ष बाद संशोधन करके इस प्रावधान को आगे बढ़ाया जाता है । इस समय यह प्रावधन वर्ष 2000 में समाप्त होगा। आयोग सिफारिश करता है कि इस रिपोर्ट के अन्य भागों में चर्चा किए गए अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनियमित विकास को ध्यान में रखते

हुए लोकसभा तथा राज्य विधन सभाओं में आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान वर्ष 2010 तक बढ़ाया जाए।

3.19 संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के साथ प्रभाव में आए अनुच्छेद 243 - घ के अंतर्गत पंचायतों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित ये स्थान, प्रत्येक स्तर पर किसी पंचायत में भिन्न - भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी - बारी से आबंटित किए जाएंगे ।

3.20 पंचायतं (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) बना दिए जाने से, पंचायत से संबंधित संविधान के भाग IX के उपबंध इन अपवादों व आशोधनों के अध्यधीन कि किसी राज्य का विधान मंडल निम्नलिखित किसी भी मुद्दे से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू कर दिए हैं । ये मुद्दे इस प्रकार हैं -

> प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक आचरण, तथा सामुदायिक सेवाओं का पारम्परिक प्रबंध/आचरण ।

3.21 **अनुच्छेद 243 न** संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगरपालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

3.22 **अनुच्छेद 371 क** में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

3.23 **अनुच्छेद 371** ख में असम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

3.24 **अनुच्छेद 371 ग** में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

3.25 **अनुच्छेद 371 च** में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

3.26 **अनुच्छेद 371 छ** में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

3.27 **अनुच्छेद 371** ज में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

सेवा संबंधी सुरक्षण

3.28 **अनुच्छेद 16 (4)** में राज्य को उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका राज्य की राय में, उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

3.29 **अनुच्छेद 16 (4) क** - उच्चतम नयायालय ने इंदिरा साहनी मामले में दिनांक 16-11-1992 के अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी नहीं रखा जा सकता है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की वर्तमान नीति को 5 वर्ष अर्थात 15-11-1997 तक जारी रखने की अनुमति दी है। तथापि, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखना आवश्यक समझा क्योंकि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया था। तदनुसार, संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया जिसमें सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई और इसमें निम्नलिखित खंड 4 क को अन्तः स्थापित किया गया।

> " इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबंध करने से निवारित नहीं करेगीं "।

3.30 संशोधन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षा की गई थी कि चूंकि विशेष रूप से समूह 'क' और 'ख' श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समूह 'क' निम्नतम स्तर से ऊपर के, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति पर रोक लगाई गई है, पदों की सभी श्रेणियों तथा सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इस मुद्दे पर विचार - विमर्श करने के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी टिप्पिणयां प्रेषित करते हुए इस बात से अवगत कराया कि समूह 'क' सहित अन्य सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/18/95 - स्थापना (आरक्षण) भाग-II में ऐसे किसी उपबंध को शामिल नहीं किया गया और केवल आरक्षण की विद्यमान नीति को ही जारी रखा गया। इस संबंध में यह पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा इस संशोधन को उसके सही प्रयोजन से कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह आदेश आयोग के परामर्श की अवहेलना करते हुए जारी किया गया और इस संबंध में राष्ट्रपति को अलग से एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। **आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रोन्नति में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-97 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों तक दिया जाना चाहिए। समाज के अत्यधिक दलित वर्ग को उसका हिस्सा दिलवाने तथा कार्य का अवसर प्रदान करने तथा प्रबन्धन में योगदान देना सुनिश्चित करने के लिए आयोग अपनी सिफारिश को दोहराता है।**

3.31 **अनुच्छेद 335** में प्रावधान है - " संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा "।

3.32 **अनुच्छेद 338**- जैसा कि संविधान के संशोधित- अनुच्छेद 338 (अध्याय-1 का अनुबंध-1 देखें) में प्रावधान किया गया है कि आयोग के कार्यों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना, उनका अनुवीक्षण (मानिटरिंग) और मूल्यांकन

करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना तथा योजना प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है। संघ और राज्य सरकारों को उन सभी मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करते हैं। संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार किसी भी मामले का अन्वेषण या शिकायत की जाँच-पड़ताल करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां, होंगी, अर्थात -

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को " समन" करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ii) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना।

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना।

(v) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(vi) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

3.33 आयोग द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण और उनके कल्याण तथा उत्थान के उपायों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है । संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अंतर्गत गठित आयोग द्वारा विशेष रिपोर्ट के अतिरिक्त चार रिपोर्टें अब तक प्रस्तुत की जा चुकी हैं । आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में से प्रथम, द्वितीय तथा विशेष रिपोर्ट देरी से जुलाई, 1998 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इन रिपोर्टों को देरी से प्रस्तुत करने का कारण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य सरकारों से सूचना के एकत्रीकरण तथा अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब बताया गया है । विद्यमान उपबंधों के अनुसार प्रत्येक रिपोर्ट को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सहित सदन में प्रस्तुत करना होता है, जिसके फलस्वरूप ये रिपोर्टें संसद-सदस्यों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उपलब्ध नहीं हो सकी और इन रिपोर्टों में वर्णित महत्वपूर्ण सुझावों/ सिफारिशों की जानकारी सभी संबंधित व्यक्तियों को नहीं मिल पाई और रिपोर्टें निष्फल सिद्ध हुई । **इसलिए आयोग अपनी चौथी रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दोहराता है कि आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाए और अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट इसके प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाए । अनुच्छेद 338 के खंडों में समुचित संशोधन करते हुए यह कार्रवाई की जाए ।**

3.34 हालांकि आयोग को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं जिनमें न केवल अनुसूचित जाति यों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य ही शामिल हैं, अपितु योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन सभी मुख्य नीतिगत मामलों में चपरामर्श देना भी शामिल है जिनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है, किन्तु इसे जो शक्तियां दी गई हैं, वे इन मुद्दों पर कारगर ढ्ग से कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । ये सुझाव स्वरूप में अनुशंसात्मक है और बाध्यकारी नहीं हैं । आयोग महसूस करता है कि इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अंतर्गत आयोग को और कारगर शक्तियां प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है ।

अध्याय IV

पंचायती राज और विकेन्द्रित शासन

प्रस्तावना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 वर्ष के नियोजन और विकास से पर्याप्त लाभ न मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि विकेन्द्रित संस्थाओं के माध्यम से उनके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उसके प्रतिपादन में उन्हें शामिल न किया जाना था । राज्यों में भी, जहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कानूनी प्रावधान विद्यमान थे, वे पंचायतों में किसी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके । इसका कारण अनेक राज्यों में पंचायत के चुनाव नियमित रूप से न होना था । बिहार एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जहाँ पंचायत के चुनाव बहुत पहले अर्थात 1978 में हुए थे। परन्तु 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था (पी आर एस) के सभी तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 243-ण के अनुसार हर पाँच वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं।

4.2 बाद में 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुसार 5वें अनुसूचित क्षेत्रों तक भी बढाया गया। यह अधिनियम ग्राम सभा व पंचायतों को न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने में बल्कि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसुचित जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है।

4.3 ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा के निरन्तर प्रचलन और अत्यधिक आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए जन प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए पंचायतों में प्रभावी रूप से कार्य करना चुनौतीपूर्ण है। यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि क्या वंचित समुदाय, पंचायतों के कार्य में कुछ प्रभाव लाने का प्रयास कर रहे हैं या परंपरागत शक्तियों का निरन्तर प्रबल होना जारी है। यह ध्यान देने के लिए भी सुझाव दिया जाता है कि उपेक्षित वर्गों ने अपनी शिकायतें रखने के लिए पंचायतों को किस सीमा तक सफल पाया है। उन्हें वास्तव में अधिकार देने में क्या बाधाएं हैं। ऐसे विश्लेषणों के आधार पर अध्याय के अंतिम भाग में सिफारिशें की गई हैं कि केन्द्र और राज्य को क्या कदम उठाने चाहिएं जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग पंचायतों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें ताकि राजनैतिक आरक्षण को अधिक सार्थक बनाया जा सके।

73वां संशोधन अधिनियम व्यवस्था से पूर्व पंचायती राज

4.4 संविधान सभा में, पंचायती राज के विषय पर सक्रिय बहस हुई थी तथा अनेक सदस्यों ने ग्रामों और ग्राम पंचायतों को संविधान में उचित स्थान देने के महत्व पर बल दिया था। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद-31-क जोड़ा गया जो बताता है " राज्य, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए, कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य

करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक होंगी " । इस अनुच्छेद को बाद में पुनः संख्यांकित करके अनुच्छेद 40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धान्तों का भाग बना। तथापि, पंचायतों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक विधान तत्काल नहीं बनाया गया।

4.5 स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साधन के रूप में पंचायतों की स्थापना के बजाय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरम्भ की गई जिसका उद्देश्य देश का चौतरफा विकास करना था। परन्तु ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास में जन सहभागिता का आह्वान नहीं कर सके। इन कार्यक्रमों की ओर ग्रामवासियों का उदासीन रूख और ऐसी उदासीनता के कारण जानने और उपाय सुझाने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर, 1957 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने भारत में पंचायत राज की नींव रखी। उनके अपने शब्दों में "जब तक हम प्रतिनिधि को नहीं ढूँढते या लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थानों की खोज या स्थापना नहीं कर लेते जो समुदाय की आवश्यकता और इच्छा के अनुसार स्थानीय उद्देश्यों पर व्यय होने वाली राशि को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्थानीय हित, पर्यवेक्षण और सुरक्षा उन्हें समुचित अधिकार तथा समुचित वित्त सौंपे तब तक हम विकास के क्षेत्र में रूचि और स्थानीय नेतृत्व का आह्वान नहीं कर सकते" । अतः समिति ने पूरे राष्ट्र में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। अधिकतर राज्यों ने श्री बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैटर्न के आधार पर पंचायत राज अधिनियम को अपनाया। पंचायत के गठन तथा इन निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व पर समिति ने सिफारिश की है कि " पंचायत का गठन पूर्णतया निर्वाचित आधार पर होना चाहिए, जिसमें दो महिला सदस्य और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एक एक सदस्य के सहयोजित करने का प्रावधान होना चाहिए। किसी अन्य विशेष समूह को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए" 1959 तक सभी राज्यों ने पंचायत अधिनियम पारित किए और 1960 के मध्य तक देश के सभी भागों में पंचायतों का गठन किया गया था। अब तक 217 300 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है जिसमें 579000 बसे हुए 96 प्रतिशत गाँवों को और ग्रामीण जनसंख्या के 92 प्रतिशत को शामिल किया गया है। औसतन एक पंचायत ने दो या तीन गाँवों में करीब 2400 की जनसंख्या को शामिल किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह था और पहली बार लोगों ने महसूस किया कि उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में उन्हें बोलने का अधिकार होगा। (मैथ्यूज 1994)

4.6 परन्तु, पंचायत राज के लिए इच्छा और सहयोग अधिक समय तक नहीं रहा। पंचायत के लिए उदासीनता नजर आने लगी। खण्ड विकास के लिए धन प्राप्ति में कमी आने लगी। अनेक राज्यों में इन निकायों के लिए चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए। कुछ राज्यों में समानान्तर संस्थाओं की स्थापना से पंचायत को किनारे कर दिया गया। पंचायती राज संस्था के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई वहां जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की। समिति ने लघु किसान विकास एजेंसी (एस एफ डीए) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) और गहन जनजातीय विकास परियोजना (आई टी डी पी) की स्थापना जैसे अनेक कारणों की पहचान की जो पंचायत की घटती लोकप्रियता के लिए जिम्मेवार हैं। जिला परिषद के समानान्तर एक अलग निकाय का गठन राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश की मार्फत (मंत्री की अध्यक्षता में) किया गया। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाफ को पंचायतों में स्थानांतरित किया गया और पंचायतों के लिए बनाए गए संसाधनों को स्थानान्तरित नहीं किया गया। संक्षेप में समिति ने टिप्पणी की कि पंचायत राज संस्थान की समिति ("अशोक मेहता रिपोर्ट" नाम से प्रचलित) ने अगस्त 1978 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पंचायत की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए कहा कि पंचायत राज की कहानी को आरोहन का स्तर

1959-64 गतिहिनता का स्तर 1965-69 और पतन का स्तर 1969-77 रहा। निम्न स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ करने के लिए उच्च स्तर पर राजनीतिक विशिष्ट वर्ग का उदासीन व्यवहार ही इस मामले की कठिनाई है। इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण यह था कि कुछ राज्यों में पंचायत राज के प्रति विधायकों का जोश कम हुआ क्योंकि उन्हें उभरते पंचायत राज नेतृत्व से अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी स्थिति को खतरा था। अंतिम विश्लेषण में इन सबने पंचायत राज संस्थानों के लिए राजनैतिक सहयोग और उनमें कार्य करने की प्रशासनिक क्षमता को कम किया।

4.7 अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) का पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने तथा लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों को विकास एजेन्सी से उठाकर राजनैतिक संस्था बनाने के लिए संविधान में संशोधन के लिए समिति ने ड्राफ्ट बिंल भी तैयार किया। विकेन्द्रित शासन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समिति ने विशेष रूप से निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

i. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सही हिस्सा देने के उद्देश्य से सभी पंचायती राज संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

ii. 666 तालुका/ब्लाक में जहाँ 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 329 तालुक/ब्लाक में जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है आरक्षण के सिद्धान्त को निर्वाचित कार्यालयों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

iii. आरक्षण प्रणाली को सामाजिक न्याय समिति के गठन से बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसका केवल अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।

iv. कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सहायता देने के उद्देश्य से एक विधायकों की समिति का गठन किया जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अधिकतर प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति/जनजाति के विधायकों का होना चाहिए, जो इन समुदायों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कार्य की समीक्षा करेगी। यह समिति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित सामाजिक लेखा परीक्षा विधि के लिए भी जिम्मेवार होगी।

4.8 1980 के मध्य में केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (एल एम सिघवी समिति के नाम से प्रचलित) पर संकल्पना पत्र (कान्सेप्ट पेपर) तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसने जून, 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने भी यह सिफारिश की कि संविधान में नये अध्याय को शामिल करके पंचायत राज संस्थाओं की संवैधानिक रूप से पहचान, सुरक्षा और संरक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय स्वशासन और विशेषकर पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से सरकार का तीसरा स्तर (थर्ड टीयर) घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि, समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष उल्लेख नहीं किया है परनतु समाज को इस बात के लिए तैयार करने के लिए समिति ने उल्लेख किया है "पंचायती राज के परिचालन गति का उद्देश्य समुदाय और समाज को तैयार करना, जाति, धर्म, लिंग के बंधनों से ऊपर उठ जाना और धन की असमानता को दूर करना और

सामाजिक असमर्थता और असुविधा को समाप्त करना होना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं को राष्ट्रीय लोकाचार " ईथोस " की एक रूपता, धर्म निरपेक्षता और समाजीकरण का माध्यम होने चाहिए " ।

संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 - मुख्य विशेषताएं

4.9 यह इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध था कि संघ सरकार ने पंचायती राज प्रणाली के लिए एक संवैधानिक आधार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परामर्शों तथा तरीके निकालने की प्रक्रिया शुरु की। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ।

4.10 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकत किया जा सकता है।

आदेशात्मक उपबन्ध

i. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों।

ii. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में गाँव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली की स्थापना।

iii. पंचायत में सभी स्तरों पर सम्बन्धित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये लोग शामिल होंगें।

iv. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा

v. पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा।

vi. सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। (ब्यौरा 73वां संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-घ में **अनुबन्ध 4.I** पर देखा जा सकता है)।

vii. सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से कम नहीं होगा (ब्यौरा 73वां संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 घ में **अनुबन्ध 4.I** पर देखा जा सकता है)।

viii. सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। यदि कोई पंचायत इस समयावधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो छः माह की समयावधि के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि छः माह से कम रह गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा।

ix. अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के अन्दर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात। उप धारा (खख) भी संविधान के अनुछेद 280 में जोड़ी गई थी। इस उप धारा के अनुसार केन्द्रीय

वित्त आयोग, राज्य सरकार के वित्त् आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा।

x. पंचायतों के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन।

xi. यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

स्वविवेकी उपबंध

चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित समर्थक प्रावधान दिए गए हैं :-

i ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य

ii मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता ।

iii मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता।

iv ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम।

v पंचायती राज प्रणाली (पी आर एस) की विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्गो के पक्ष में सीटों का आरक्षण।

vi पंचायतों को निहित शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए स्व-शासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य हैं और निम्नलिखित के सदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान करना।

(क) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना।

(ख) संविधान की 11वी अनुसूची में अन्तर्निहित 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उनको सौंपना **(देखें अनुबन्ध 4.I)**

vii पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व कर के आबंटन को उगाहने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को प्राधिकृत करना । प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेवारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए कर, शुल्क, पथकर का

आबंटन करना। राज्य के संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना।

viii राज्य वित्त आयोग का गठन।

4.11 उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि 73वाँ संशोधन अधिनियम राज्य के लिए विस्तृत ढांचों की व्यवस्था करता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 243 छ में दिए गए प्रावधान अनुसार पंचायतें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें । पंचायत प्रणाली की एक समान तीन स्तरीय संरचना, प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओ आदि के लिए आरक्षण राज्यों के भाग पर अनिवार्य प्रावधान हैं परन्तु शक्तियों, अधिकार, वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

73वां संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं

ग्राम सभा का गठन

4.12 1963 मे पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। परन्तू सभी राज्यों द्वारा अपने पंचायत विधानों में इस उपबंध को शामिल नहीं किया गया था। 73वां संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाएं। अतः इस संबध में केन्द्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाए जा सके।

नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना

4.13 पश्चिम बंगाल जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य राज्यों द्वारा पंचायतों के नियमित चुनाव नही करवाए जा रहे थे। उदाहरण के लिए बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव क्रमशः 1978, 1979 और 1980 में हुए थे। तमिलनाडु में 10 वर्ष के अंतराल के बाद पंचायत के चुनाव 1996 में हुए थे। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज सस्थाओं के लिए नियमित और सामयिक चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वें संशोधन में यह व्यवस्था भी है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव छः माह के अंदर कराए जाने आवश्यक हैं।

कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण करना

4.14 अध्ययन प्रकट करते हैं कि पंचायतों पर ग्रामीण समाज के शक्तिशाली समुदाय जैसे जमींदार और साहूकारों का अधिकार था। इन स्थानीय लोकतांत्रिक तथा 'स्वशासी' संस्थाओं में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति की सहभागिता की गुंजाइश नही थी। 1978 में दंतवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायत राज संस्थाएं दरबान के रूप काम करती हैं और ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकतीं है। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है ताकि विकेन्द्रीकृत शासन, नियोजन तथा विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

महिलाओं के लिए आरक्षण

4.15 कमजोर वर्गों की भांति महिलाओं को भी स्थानीय शासन में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। 73वां संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों

स्थानों पर महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित) एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाएं।

पर्याप्त वित्तीय संसाधन

4.16 पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है । केवल विकास संबंधी कार्यो को ही लें, वे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का भी उपयुक्त प्रकार से रख-रखाव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। ग्रामीण विकास संबंधी प्रशासनिक प्रबंध समिति (सीएआरआरडी) के अनुसार " पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वसूल किए जाने वाला कर और अन्य आय (अनुदान सहित) सभी राज्यों के कर एवं राजस्व का 4 प्रतिशत और सभी राज्य कर और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का 3 प्रतिशत है "। यद्यपि ये टिप्पणियां 1981-82 से संबंधित हैं, परन्तु वास्तविक स्थिति आज भी इससे अलग नही है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य चुनाव आयोग

4.17 अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निदेशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य राज्य चुनाव आयोग के गठन की भी व्यवस्था की गई है।

जिला योजना समिति का गठन

4.18 संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में यह व्यवस्था है कि पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय, यह, स्थानिक योजना, भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतो, संरचनात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखेगी। इस प्रकार इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। संशोधन से पहले लगभग सभी राज्यो में, योजना समितियाँ गठित की गई थीं परन्तु वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एकीकृत कर रही थीं और उन्हें कार्यान्वित कर रही थीं।

4.19 इस प्रकार पंचायतों के समय पर चुनाव होने से स्थानीय शासन प्रणाली, कमजोर वर्गों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बनाए रखेगी जिससे इन निकायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके, राज्य वित्त आयोग उन्हें वित्तीय संसाधन सौंपेगा और जिला योजना समिति जिले की समेकित योजना तैयार करेगी । यदि इन उपबंधों को निष्ठा तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए तो यह देश में पी आर एस को नया जीवन दे सकते हैं।

संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन

अनुरूपता विधान

4.20 राज्य विधान सभा के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने पंचायत अधिनियमों को केन्द्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के एक वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर ले। 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था । यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए लागू नहीं था, क्योंकि ये राज्य छठी अनुसूची के क्षेत्रों का भाग है। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य

को विशेष हैसियत प्रदान करता है और संशोधन अधिनियम के उपबन्ध इस राज्य पर भी लागू नहीं होते हैं। संघ शासित प्रदेशों में से, यह दिल्ली पर लागू नहीं है क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

4.21 सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 24 अप्रैल, 1993 से प्रारम्भ एक वर्ष के निर्धारित समय के भीतर केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप अपने विधान पारित कर लिए थे । यह पंचायती राज प्रणाली के इतिहास में मील का पत्थर है, क्योंकि इसने पूरे देश में स्थानीय लोकतंत्र का समान पैटर्न स्थापित करता है। परन्तु, दूसरी ओर अधिकांश अनुरूपता विधान जल्दी में किसी गंभीर विचार विमर्श के बिना पारित कर दिए गए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश मे पंचायत अधिनियम इतनी जल्दी में पारित किया गया कि विपक्ष को इस पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति भी नहीं दी गई। सरकार ने विपक्ष को यह तर्क देकर शांत कर दिया कि यदि अधिनियम को 23 अप्रैल तक पारित नहीं किया गया तो एक संवैधानिक शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। **अनुबंध 4.II** में राज्यवार अनुरूपी विधान पारित करने की तारीख का विवरण दर्शाता है। इससे यह देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने पंचायती राज अधिनियम को केवल निर्धारित तिथि से तुरन्त पहले ही पारित किया।

4.22 संविधान की ग्यारहवी अनुसूची मे ऐसे 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को सौपे जा सकते हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

i. उत्पादन संबंधी गतिविधियां-कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ईंधन और चारा तथा सिंचाई सहित लघु उद्योग ;

ii. भू-विकास कार्यक्रमः भू-सुधार मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन तथा जल संभार विकास, परती भूमि विकास, सामाजिक वन विद्या और चारागाह ;

iii. कमजोर वर्गो के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन तथा संबधित कार्यक्रम ;

iv. नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना- पेयजल, ग्रामीण विद्युतिकरण, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण, सडकें, पुल, पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य ;

v. शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ -प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय ;

vi. समाज कल्याण - महिलाओं और बाल विकास का कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों की देख-रेख ;

vii. सामुदायिक परिसंपत्तियों और सार्वजानिक वितरण प्रणाली का रख-रखाव ;

viii. ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन करना और नियन्त्रण करना।

केन्द्रीय विधान के अनुवर्तन के रूप में राज्यों द्वारा किए गए विधायी उपाय

4.23 सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने जहाँ यह अधिनियम लागू होता है, 73वें संवैधानिक संशोधन के उपबंधों के अनुसार अपने मौजूदा विधानों में संशोधन कर लिया है या नए विधान बना लिए हैं। राज्यों ने राज्य चुनाव आयोगों और वित्त आयोगों का भी गठन कर लिया है । विभिन्न राज्यों मे नए

पंचायती राज की संरचना सामान्यतः संशोधन के उपबंधों के अनुरूप है। यद्यपि संगठनात्मक ढांचा पूरे देश में एक समान है फिर भी वर्षो में विकसित हुए प्रशासनिक प्रबधों में कुछ विभिन्नताएं हैं।

4.24 पंचायती राज प्रणाली की उपयुक्तता के मूल्यांकन का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि विभिन्न राज्यों ने अपने नए विधान बनाते समय या विद्यमान विधानों को बदलते समय संविधान के उपबंधों का वास्तव मे कितना पालन किया है। विभिन्न राज्यों के नए पंचायती राज अधिनियमों को देखने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि सभी राज्यों ने संगठनात्मक संरचना, कार्यपालक तंत्र और राज्य वित्त निगम तथा राज्य चुनाव आयोगों के गठन में संवैधानिक उपबंधों का पालन किया है । इस प्रकार, नए पंचायती राज ने निरंतरता, स्थिरता और शक्ति प्रदान की है । इसके अतिरिक्त, पंचायतों को, स्थानीय क्षेत्रों के नियोजन और विकास के लिए कई प्रकार के कार्य और दायित्व सौंपे गए हैं । राज्यों ने संविधान के अनुरूप, अपने पंचायती राज में आवश्यक उपबंध बनाएं हैं। व्यवहार में, योजना आयोग द्वारा गठित विकेन्द्रित योजना एवं पंचायती राज संबंधी कार्यदल (1997-2002) की रिपोर्ट में पाया गया है कि विधायी उपबंध निष्क्रिय रहे हैं । उदाहरण के लिए, यद्यपि पंचायती राज निकायों को, बहुत से राज्यों में काफी कार्य सौंपे गए हैं, परन्तु उन्हें इन कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां या स्टाफ सहायता के अनुसार तत्संबंधी स्वायतता नहीं दी गई है।

पी.आर.आईज. को कार्यों का हस्तांतरण

4.25 पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत, राज्य सरकारों को, पी.आर.आईज. को कोई कार्य सौंपने या वापस लेने के अधिकार सौंप दिए गए हैं। परन्तु, विभिन्न पंचायती राज अधिनियम, इन निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के क्षेत्राधिकार ओर क्षेत्र के संबंध में अलग-अलग हैं ।

12 राज्यों में पी.आर.आईज का मूल्यांकन

4.26 विकेन्द्रित योजना और पंचायती राज संबंधी कार्यदल (1997-2002) ने, देश में नई पंचायती राज प्रणाली प्रारम्भ होने के बाद 12 चुने गए राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों के वास्तविक हस्तांतरण का मूल्यांकन किया है । इन राज्यों की स्थिति के बारे में संक्षेप में चर्चा यह जानने के लिए की गई है कि किस हद तक पंचायतों को वास्तव में कार्यात्मक, वित्तीय तथा उनके कार्यकरण में स्वायतता प्रदान की गई है ।

आंध्र प्रदेश

4.27 1994 में आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अधिनियमन और 1995 में तीन स्तरीय चुनावों के पूरा होने के बाद भी, पी.आर.आईज. को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिकारों व कार्यों को अभी तक अंतरित नहीं किया गया है। इन संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन और कर्मचारी सहायता भी प्रदान नहीं की गई है।

गुजरात

4.28 पंचायती राज निकायों का विधिवत गठन किया गया है और उन्हें व्यापक शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं । इस संबंध में पहली उपलब्धियों को, और अधिक समेकित किया गया है । गुजरात राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप पी.आर.आईज. को माध्यमिक शिक्षा और सहकारिता को छोड़कर, अन्य विकासात्मक कार्यों का काफी हद तक अंतरण हुआ है । इसके अतिरिक्त, राजपत्रित

रैंक वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों का भी पी.आर.आईज. में हस्तांतरण किया गया है । निधियों के संबंध में, सांविधि अनुदानों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, पी आर आईज को सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए, अनुदान भी उपलब्ध करवा रही है । पंचायतों द्वारा तैयार की गई जिला स्तरीय स्कीमों के लिए, बीस प्रतिशत आबंटन दिया जाता है। ग्रामीण स्तर पर, वित्तीय संसाधन बनाने के लिए, राज्य के कुछ भागों में भी, स्कीमें बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ गाँवों के धनी व्यक्तियों ने, गोकुल ग्राम कार्यक्रम को काफी धन दिया है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों का समग्र विकास करना है ।

हरियाणा

4.29 जबकि पंचायती राज निकायों का गठन दिसम्बर, 1994 में हो गया था, परन्तु उन्हें शक्तियों, कार्यों और संसाधनों को प्रदान करने के संबंध में, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई अभी की जानी बाकी है । जबकि चुने गए निकायों को 16 कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं, परन्तु उनसे संबंधित शक्तियां, कार्य, कर्मचारियों और संसाधनों के अंतरण के बारे में अभी कोई तरीका निकाला जाना है। यह अत्यधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यद्यपि सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख रखाव और लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे कार्यों को पी0आर0आईज0 को सौंप दिया गया है, परन्तु योजना एवं विकास उत्तरदायित्तवों के लिए प्राधिकार तथा इससे संबधित निधियाँ, और कार्मिक इन निकायों को हस्तांतरित नहीं किया गए हैं। सामान्यतः, उपलब्ध करवाए गए कार्य और दायित्व पर्यवेक्षी और अनुवीषण प्रकृति के हैं ।

हिमाचल प्रदेश

4.30 राज्य सरकार ने, पी.आर.आईज. को आबंटित किए गए विषयों से संबंधित कार्यक्रम बनाने के लिए और उनके कार्यान्वयन के लिए, पी आर आई के प्रत्येक स्तर के विशिष्ट दायित्व अधिसूचित कर दिए हैं, परन्तु वास्तव में कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है ।

कर्नाटक

4.31 कर्नाटक पंचायत प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर शक्तियों और कार्यो को विशिष्ट रूप से प्रदान किया गया है। तीनों स्तर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिनियम में ही बताया गया है। चूंकि तालुका पंचायतों को वित्तीय रूप से तथा प्रशासनिक रूप से दोनों ही तरीकों से मजबूत बना दिया गया है, इसलिए यह विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन की आदर्श इकाई है। तीनों स्तरों पर उपर्युक्त कर्मचारी भी दिए गए हैं ।

केरल

4.32 राज्य में पी.आर.आई के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट कार्य सौंप दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायतें, प्राथामिक पाठशालाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, कृषि भवनों और आँगनबाड़ियों व ग्रामीण सड़कों और आई.आर डी.पी.-आई.ए.वाई. आदि के लिए लाभार्थियों के चयन के हेतु जिम्मेवार हैं। ब्लाक पंचायतें, आई.वाई तथा लाभोनोमुखी एस. सी. पी./टी.एस.पी स्कीमों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष डी आर डी ए का अध्यक्ष है । संस्थाओं से स्थांतरित किए गए सभी कर्मचारियों को संबंधित पंचायत के अधीन रखा गया है । पी आर आईज के लिए, आबद्ध अनुदानों सहित, अलग से बजट बनाया गया है।

मध्य प्रदेश

4.33 संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम व्यवस्था की गई है कि उसके उपबंध पांचवीं तथा छठी अनुसूचियों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तथापि, मध्य प्रदेश

सरकार ने एम.पी. पंचायती राज अधिनियम, 1993 के माध्यम से दिनांक 25-1-94 से पूरे राज्य पर उपबंधों को लागू किया। राज्य सरकार ने 45 जिलों, 459 जनपदों तथा 30,922 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चुनाव भी किए। पंचायत चुनावों को करते समय, अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, उनकी जनसंख्या प्रतिशतता के अनुपात में, आरक्षित किए गए थे। तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत राज्य में एक जिले के लिए पंचायत, एक ब्लाक के लिए पंचायत तथा एक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत गठित की गई है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत एक ग्राम सभा, ग्राम की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को शामिल करते हुए, भी गठित की गई है।

4.34 श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायती राज के उपबंधों के विस्तार के ढंग सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के उपबंधों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक ढांचा तथा अनूसूचित क्षेत्रों की अनोखी विशेषताएं अक्षुब्ध तथा अखंड बनी रहें। राज्य में नई स्थापित तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आईटीडीपी के रूप में उसकी इकाई के साथ जनजातीय उपयोजना की नीति मंदी पड़ गई है। नई प्रणाली में आई.टी.डी.पी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है तथा यह स्पष्ट नहीं है कि ये परियोजनाएं कैसे कार्य करेंगी और इन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय लोगों के लिए अनुसचित क्षेत्रों/ जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए योजना कैसे तैयार करेंगी। एक आईटीडीपी के अंतर्गत एक से अधिक जनपद पंचायत हैं। अतः, परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी के लिए परियोजना स्तर पर योजना तैयार करना और कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण करना कठि होगा।

4.35 एम.पी. पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने तथा उसके लागू होने के बाद से तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के कार्यकरण का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कुछ कार्यशालाएं तथा अध्ययन किए गए थे। इन कार्यशालाओं तथा अध्ययनों के निष्कर्षों और राज्य के विभिन्न भागों में आयोग के वास्तविक क्षेत्रीय दौरों के आधार पर आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :-

(i) **परिभाषा द्वारा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों की प्रबलता रखते हैं और पंचायती राज निकायों में उन्हें स्थाई समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य बनाए जाने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। इस अपेक्षा को विधान में सुसाध्य बनाया जाना चाहिए। अन्यथा, विकास का मानकीकृत पैकेज इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए जारी रहेगा तथा पैकेज में स्कीमें हो सकती हैं, जिन्हें जनजाति के लोग न समझ सकते हैं और न ही उनके लिए अधिक उपयोगी हैं। यह स्थिति अनेक तरीकों के हस्तांतरण पैदा करेगी । दूसरी तरफ, पंचायती राज निकायों में अनुसूचित क्षेत्रों में पर्याप्त जनजातीय प्रतिनिधित्व नीति में अपेक्षित परिवर्तन और स्थानीय परिवर्तन विकास का संतोष उत्पन्न कर सकता है तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में लोगों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।**

(ii) **पीआरआईज में बहु स्तरीय योजना की प्रक्रिया को गति प्रदान की जानी चाहिए।**

(iii) **विद्यमान भू-राजस्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं।**

(iv) **चूंकि सरकारी विभागों, में ग्रामीण तथा जनजातीय विकास से संबंधित योजनाएं पंचायतों को अंतरित कर दी हैं, इसलिए इन योजनाओं के पर्यवेक्षण, अधीक्षण**

तथा नियंत्रण के लिए स्पष्ट उपबंध होने चाहिएं।

(v) **स्थानीय लोगों की कारगर भागीदारी की कमी के लिए समस्त अधिकारों का प्रयोग नौकरशाही द्वारा करना जारी है। संघर्ष मंत्रियों द्वारा गंभीर बनाया जाता है जो नौकरशाहों को अपनी मौज और रूचियों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करते हैं।**

(vi) **समस्या का मूल कारण यह है कि 11वीं अनुसूची निकाय के तीन स्तरों के कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं करती हैं।**

(vii) **राज्य में स्वशासन की प्रक्रिया के बारे में पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अभी असंतोषजनक है और इसे अग्रता दी जानी चाहिए।**

(viii) **अनेक महिला प्रतिनिधियों ने बताया है कि पंचायतों को दी गई शक्ति वास्तविक नहीं है तथा उनका, नौकरशाहों की दया पर बना रहना जारी है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को शक्ति हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं।**

महाराष्ट्र

4.36 ऐतिहासिक कारणों से, महाराष्ट्र में जिला परिषद काफी शक्तिशाली रही है, जिसके सुस्पष्ट कार्य और दायित्व हैं और जिन्हें करने के लिए उसके पास पर्याप्त कमर्चारी हैं । जिला परिषद अपनी निधियों से स्कीमें शुरू कर सकती हैं और सरकार द्वारा कर्मचारियों और निधियों के साथ अंतरित की गई स्कीमों को कार्यान्वित कर सकती है। यह भी प्रावधान है कि सरकार, सरकारी स्कीमों को चलाने के लिए, जिला परिषद के कर्मचारियों की मांग कर ले। तकनीकी नियंत्रण, राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । निधियां अर्थोपाय के रूप में अग्रिम तौर पर दी जाती हैं और बाद में उन्हें समायोजित किया जाता है। जिला परिषद के लिए अलग से लेखा कोड है । जिला परिषद में सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, जो अपने अधीन आने वाले नौ विभागों का समन्वय करता है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी डी.आर.डी.ए का भी अध्यक्ष होता है । पंचायत समिति के स्वतन्त्र कार्य और दायित्व हैं । परन्तु, ग्राम पंचायतें अपेक्षाकृत कम विकसित हैं और उन्हें अब मजबूत बनाया जा रहा है। करों, शुल्कों, फीसों आदि से ग्राम पंचायत द्वारा अर्जित राजस्व की पांच प्रतिशत राशि से एक समग्र नीधि का सृजन करना एक नवीन लक्षण है, जिसमें यह भी सुविधाएं हैं कि ग्राम पंचायतें, स्कीम लागत के 50 प्रतिशत तक समग्र नीधि से ऋण ले सकती हैं, जो पांच वर्षों में देय होगी ।

पंजाब

4.37 पंजाब में, पंचायती राज निकायों को शक्तियां और कार्यों को सौंपे जाने का कार्य, अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है । यद्यपि पी.आर.आईज. को शक्तियां और कार्य सौंपे जाने संबंधी आदेश नए अधिनियम के प्रारम्भ होते ही जारी हो गए थे, परन्तु अभी इन्होंने कार्य शुरू नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप्र, चुने गए निकाय विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं । पंचायती राज निकायों के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपर उपायुक्त के स्तर के, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का सृजन किया गया है।

राजस्थान

4.38 नए अधिनियम द्वारा पी.आर.आईज.को बहुत से कार्यों को सौंपे जाने के बावजूद, अभी तक उन्हें आवश्यक प्रशासनिक समर्थन उपलब्ध नहीं करवाया गया है । जिला परिषदें, पहले के थोड़े से

कर्मचारियों के साथ ही कार्य कर रही हैं । पंचायत समिति स्तर पर, बी.डी.ओ. के अधीन आने वाले कर्मचारी, अपनी अलग पहचान रखते हैं । अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को उनके मूल विभागों से पंचायत समिति के लिए अभी स्थानान्तरित किया जाना है। ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को, विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अभी सीमित तरीके से ही विकसित किया गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला योजना समिति (डी.पी.सी) को अभी गठित किया जाना है। नए अधिनियम में, पी.आर.आई. को विभिन्न स्तरों द्वारा किए जाने वाले कार्य दिए गए हैं। परन्तु, जो कार्य ये निकाय वास्तव में कर रहे हैं, वे उन्हें दिए विषयों से बहुत कम हैं। वास्तव में वे जो कार्य पहले से कर रहे थे, उनमें बहुत कम अन्तर आया है ।

उत्तर प्रदेश

4.39 जिला परिषदों की विकास संबंधी कार्यों में कोई खास भूमिका नहीं है । जिले में विभिन्न विभागों के प्रधान, स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। यद्यपि, मुख्य विकास अधिकारी (सी.डी.ओ.), जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है परन्तु, जिले के विकास संबंधी कार्यों पर उसका पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। फिर भी वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। जिला मजिस्ट्रेट (क) जिला योजना समिति (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) का अध्यक्ष होता है।

पश्चिम बंगाल

4.40 पश्चिम बंगाल में पी आर आईज द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट स्कीमों के लिए कुछ निधियाँ रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अबद्ध निधियां भी दी जाती हैं। जिला योजना परिषदें, जिनके अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिले की विभिन्न विकास योजनाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के परिव्यय के आधार पर योजना के साथ रखते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष डी आर डी ए का भी अध्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि विभिन्न जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी जिला परिषद की भिन्न-भिन्न स्थाई समिति के भाग होते हैं। पीआरआईज के विभिन्न स्तरों में एक प्रकार का पदानुक्रम विद्यमान है जिसमें ऊपर का स्तर नीचे के स्तर के कार्यों को देखता है और समन्वित करता है। अलग से लेखा परीक्षा मशीनरी द्वारा पीआरआई का नियमित सहमत लेखा परीक्षा करवाना पश्चिम बंगला प्रणाली का एक विशेष लक्षण है। जिला परिषदों की संस्था भी अनोखी है जिसका अध्यक्ष जिला परिषद में विपक्ष का नेता होता है, जिसके कार्य वही होते हैं जो संसद की लोक लेखा समिति के होते हैं।

4.41 ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण आवास के राज्य सचिवों का सम्मेलन नई दिल्ली में 3-4 जून, 1999 को हुआ था। इस बैठक में, विभिन्न राज्यों द्वारा पीआरआई संस्थाओं को शक्तियों और हस्तांतरण की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था जो निम्न प्रकार से है:-

4.42 अन्य बातों के साथ साथ अनुच्छेद 243 (जी), ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से संबंधित अधिकारों और कार्यों के हस्तांतरण पर विचार करता है। राज्य सरकारों को 29 विभागों को उनके कार्यों और सरकारी कर्मचारियों सहित पंचायतों के नियंत्रणाधीन करना अपेक्षित है। तदनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त एवं अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण सहित 22 विभागों को अंतरित कर दिया है। केरल सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा विभागों को पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है। लगभग 40590 कर्मचारियों और चल एवं अचल संपत्तियों को भी पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है। इस प्रकार स्थानांतरित किए गए कर्मचारी पंचायतों के नियंत्रण में होंगे, परन्तु, कर्मचारियों को वेतन केरल सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, अभी हाल में कुछ कार्य किए

हैं, जिसके पूर्ण विवरण अभी प्राप्त किए जाने हैं। परन्तु, अधिकांश, अन्य राज्यों ने ग्राम स्तर के कार्मिकों तक को पंचायतों के नियंत्रण में स्थानांतरित नहीं किया है।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था

4.43 संविधान के अनुच्छेद 243-एच के अनुसार, राज्य विधानसभाओं को निम्नलिखित पर विधि बनाने के अधिकार दिए गए हैः-

i. पंचायतों को उगाही करने, कुछ करों, शुल्कों, पथकरों और फीस को निर्धारित करने और उन्हें एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत करना,

ii. राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए कुछ करों शुल्कों और पथकरों को पंचायत को सौंपना

iii. राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करना : और

iv. पंचायतों के लिए ऐसी निधियों के संग्रह की व्यवस्था करना जिनमें उनके द्वारा प्राप्त किया गया या पंचायत की ओर से समस्त धन को जमा किया जा सके और उनमें से ऐसे धन को निकाला भी जा सके।

v. संविधान के अनुच्छेद 243(आई) में अनुच्छेद (243 एच) में बड़े मुद्दों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के संबध में राज्यपाल को सिफारिशें करने और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए व्यवस्था है।

4.44 24 जूलाई, 1998 को हुई ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के लिए तैयार किए गए नोट के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत की। असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है। गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव ने राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त कर ली है जिन पर संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अभी कार्रवाई करनी है। नवीनतम सूचना के अनुसार उड़ीसा और गोवा के राज्य वित्त आयोगों ने भी इन राज्यों की सरकारों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं।

पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

4.45 संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पी आर एस के सभी स्तरों में अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों एवं अध्यक्षों के रूप में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परिणामस्वरूप इन वर्गो के बहुत से व्यक्ति पी आर एस के विभिन्न स्तरों पर सदस्य चुन लिए गए हैं। **अनुबंध 4.III** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्यवार और स्तरवार प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। उससे यह देखा जा सकता है कि पूरे देश में 343792 (अनुसूचित जाति) के और 240178(अनुसूचित जनजाति) के व्यक्ति ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रूप में चुने गए।

मध्यवर्ती पर 18867 (अनुसूचित जाति) और 8442 (अनुसूचित जनजाति) के व्यक्ति सदस्यों के रूप में चुने गए और 1904 (अनुसूचित जाति) और 1247 (अनुसूचित जनजाति) के व्यक्ति जिला पंचायतों में सदस्यों के रूप में चुने गए।

4.46 यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा इन वर्गो के अध्यक्षों की कुल संख्या के आँकडे उपलब्ध न होने के कारण उनके प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक विश्लेषण नही किया जा सका। परन्तु संविधान के 73वें संशोधन के लागू होने के परिणामस्वरूप 2 अगस्त 1997 को पंचायती राज पर हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के कार्य विषय सूची के अनुसार पूरे देश में पी आर एस के सभी तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में लगभग 34 लाख व्यक्तियों को चुना गया। यह मानते हुए कि इन व्यक्तियों में से 22-1/2% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनज़ाति के हैं, उनकी संख्या 7लाख से अधिक है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों में एक तिहाई महिलाएँ इन वर्गों की हैं।

पंचायत के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

4.47 73वें संशोधन के लागू होने से पी आर आईज में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में लगभग 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि आए। इनमें से अधिकांश नए व्यक्ति थे जो विशेष कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे और महिलाएं थीं जो उनके लिए सीटों के आरक्षण को प्रावधान किए जाने का प्रत्यक्ष परिणाम था। संविधान ने पंचायतों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने, निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों को विकासात्मक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी, जिसके लिए उन्हें उपयुक्त जानकारी और प्रशिक्षण की आवश्कता है। पंचायती राज प्रणाली की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर होगी कि यह प्रणाली किस हद तक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाती है । चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए कार्यों को कारगर ढंग से करना इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें इसके लिए सक्षम तथा योग्य बनाने के लिए कितने प्रयास किए गए हैं।

4.48 नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को (क) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और (ख)इन योजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय भूमिका अदा करनी है। तदनुसार, चुने गए प्रतिनिधियों को, पहले वे जो करते रहे हैं, उसके मुकाबले और अधिक सक्रिय एवं सरंचनात्मक भूमिका अदा करनी है। वे ऐसा कर सकें, इसलिए चुने गए नेताओं को ग्रामीण विकास गतिविधियों के प्रबंधन में पर्याप्त जानकारी और कौशल उपलब्ध करवाना होगा। इसी विचार से, पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए स्थानीय स्तर के नेताओं के लिए प्रशिक्षण एवं जानकारी के समयबद्ध कार्यक्रमों पर पूर्वापेक्षा विचार किया गया है।

4.49 9वीं योजना (1997 2002) के लिए विकेन्द्रित योजना और पंचायती राज संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के समग्र विकास एवं संवर्द्धन के लिए नीति में प्रशिक्षण को प्रमुख स्थान दिया गया है और पिछले वर्षो में राष्ट्रीय स्तर से ब्लाक और ग्रामीण स्तरों तक प्रशिक्षण संस्थाओं का नेटवर्क स्थापित किया गया है। प्रारम्भ में, इन संस्थाओं ने, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए कर्मचारियों के कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परन्तु पी आर आईज के क्रमिक पतन के साथ इनका महत्व और योगदान भी समय के साथ कम होता चला गया। पंचायती राज कार्मिकों के मानव संसाधन विकास के संबंध में उपयुक्त नीति के न होने से और उनके संभावित उपयोग के संबध में स्पष्ट निर्देश न होने और निधियों की कमी के कारण लगभग सभी राज्यों में इन

संस्थाओं की दुर्दशा हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गईं जिनमें बहुत कम कर्मचारी या राज्य के गैर शैक्षणिक विभागीय संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी रह गए थे। बाद में इन संस्थाओं ने अपनी गतिविधियों को बिना किसी प्रभाव के न्यूनतम किया।

4.50 **मौजूदा** संस्थागत संरचना में राष्ट्रीय **ग्रामीण** विकास संस्थान, हैदराबाद है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में **शीर्षस्थ** संस्था है और इसके अतिरिक्त **ग्रामीण** विकास की 23 राज्य संस्थाएं हैं। निम्न स्तरों पर 110 ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य **प्रशिक्षण** संस्थाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े हुए ग्रामीण स्तर के पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

4.51 **अनुबंध 4.IV** में चुने गए प्रतिनिधियों की कुल संख्या, प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए ऐसे कुल अधिकारियों की संख्या तथा उनकी संख्या जिन्हें 1997 तक प्रशिक्षित किया गया, राज्यवार दर्शाता है। इस अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि हरियाणा तथा राजस्थान में में चुने गए प्रतिनिधियों में से क्रमशः (84.96 प्रतिशत) तथा (48.78 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था। उत्तर प्रदेश में चुने गए प्रतिनिधियों में से सबसे कम (1.03 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था। गोवा जैसे कुछ राज्यों में किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

4.52 परन्तु, इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि प्रशिक्षित किए गए प्रतिनिधियों में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से थे। यह ध्यान में रखते हुए कि पंचायती राज प्रणाली के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और इन वर्गो की महिलाओं को सामने लाने की अत्यधिक आश्यकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए।

पंचायती राज के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राजनैतिक अधिकारः एक मूल्यांकन

4.53 अधिकांश राज्यों में पंचायतों के लिए चुनाव 1995 या 1996 में हुए थे। इन चुनावों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग जिनमें इन वर्गो की महिलाएं भी शामिल थीं, सदस्यों एवं अध्यक्षों के रूप में चुने गए। अभी तक कोई ऐसे आँकड़े या जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके या यह पता लगाया जा सके कि चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। परन्तु जो कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में अपना कार्य करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ राज्यों के नीचे दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है

मध्य प्रदेश

4.54 मध्य प्रदेश में, समाज विज्ञान संस्थान ने किया " पंचायत के कार्य और दलितों के लिए इसका क्या अर्थ है" एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि द्रोपदी बाई जो सर्वोता ग्राम पंचायत की सदस्य थी, उसे 9 नवम्बर 1995 को राजगढ़ जिले के सरीजा ब्लाक विकास अधिकारी के सामने नंगा किया गया था। करकी गाँव के उपसरपंच सरमन अहीवार को यातना दी गई थी। रायसेन जिले के बारबथपुर गाँव के पंचायत के सदस्य श्री मुना लाल को पीटा गया।

4.55 अभी हाल में श्री पी सांईनाथ ने "दि हिन्दू दिनांक 21 जून 1998 में " मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के फटर और पिपरा ग्राम पंचायतों के दो दलित सरपंचों के बारे में लिखा है। एक मामले में श्रीमती गुंडियाबाई अहीरवार जो पिपराग्राम पंचायत की सरपंच थी, उसे ऊँची जाति के उपसरपंच और अन्य व्यक्तियों द्वारा 15 अगस्त 1998 को राष्ट्रीय झंडा नही फहराने दिया गया। ये दोनों दलित सरपंच अपने गाँवों का विकास करना चाहते थे। परन्तु, उस क्षेत्र के सामन्ती नेताओं ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। शायद सांईनाथ की रिपोर्ट के कारण ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्च्ति करने के निदेश दिए कि 1999 के स्वतंत्रता दिवस पर गुंडियाबाई ही जिला मुख्यालय पर झंडा फहरायेंगीं।

4.56 दूसरी तरफ केसबाई सरपंच के उदाहरण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि इस दलित सरपंच ने अपने गाँव के अपराधिक तत्वों के विरूद्ध युद्ध छेड़ा। उसे न केवल गाँवों का समर्थन मिला बल्कि जिले के अधिकारियों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ **(फ्री प्रेस इन्दौर दिनांक 14.10.94)।**

उत्तर प्रदेश

4.57 कुछ मामलों में, महिलाओं के लिए आरक्षण मजाक बन गया है। एक गाँव में, जहाँ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का पद, अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था, वहाँ की ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने, जो ब्राह्मण था, एक अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लिया और उसे अध्यक्ष निर्वाचित करवा लिया (रेमा देवी, 1996)।

4.58 उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की निर्मला देवी 32, वर्षीय जिला परिषद की सदस्य है। राज्य में वे पिछले जिला परिषद के चुनावों में अधिकतम मतों के साथ विजयी हुई थीं। परन्तु वे समाज के ऊँचे वर्ग के लिए अछूत ही है, क्योंकि वह दलित परिवार में पैदा हुई है। वे विद्वेष के साथ बताती है " यह विजय सचमुच की विजय तब होती जब मेरे समर्थकों और सहयोगियों ने वह मिठाई स्वीकार की होती जो मैंने उन्हें अपने चुनाव जीतने पर दी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं दलित हूँ। इसी से मुझे आभास हुआ कि इतने वर्षों से राजनैतिक तौर पर सक्रिय रहने के बावजूद मुझ पर अभी भी 'अछूत' का ठप्पा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, मेरी सहायता लेते हैं, मुझे वोट देते है और फिर भी मुझे अछूत मानते हैं। (पंचायती राज अपडेट, जनवरी 1999)

राजस्थान

4.59 अभी हाल में, अजमेर अंचल महिला जन अधिकार समिति अजमेर, उत्पीड़न विरोधी महिला जन अधिकार समिति, लोक, भीलवाड़ा, दलित आदायन, संगठन अजमेर ने राजस्थान के नौ दलित सरपंचों के मामलों का अध्ययन किया। इन मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि दलित महिलाओं का उनकी जाति के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है और उन्हें बेइज्जत किया जाता है। उनमें से कुछ के विरूद्ध ग्राम पंचायत में थोथे आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। यह भी पाया गया कि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए राजनैतिक आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय नौकरशाही और ग्राम के संभ्रात वर्ग (उच्च जाति)ने मिलकर कार्य किया। परन्तु इन महिलाओं ने हिम्मत के साथ संघर्ष किया और अपने गाँवों में कुछ संरचनात्मक कार्य भी करवाया। उनके साथ चाहे जितना भी अत्याचार और भेदभाव हो, फिर भी उनमें से कुछ, अगली बार सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की।

4.60 समाज विज्ञान संस्थान ने एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया कि ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव से सर्वाधिक पीड़ित दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों की महिला सरपंच हैं। अधिकांश मामलों में महिला अध्यक्षों के विरूद्ध आरोप, जातिगत दुर्भावनाओं पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, राजनैतिक और आर्थिक रूप से मजबूत जाति के कुछ वर्ग, जिन्हें अन्य पिछड़ी जातियों/दलित महिलाओं के लिए पंचायतों का नियंत्रण छोड़ना पड़ा, ने अपने हितों को बचाने के लिए राजनैतिक शक्ति को वापस पाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम को अपनाया। उनके लिए दो तिहाई बहुमत की अपेक्षित संख्या प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। (पंचायती राज अपडेट मार्च 1998)।

हरियाणा

4.61 हरियाणा के 12 ब्लॉकों से 20 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के चुने गए प्रतिनिधियों के सुशीला कौशिक के अध्ययन से पता चलता है, कि यद्यपि इनमें से अधिकांश निरक्षर और निर्धन थे, उन्हें पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जाने के बाद, पंचायतों के संबंध में काफी जानकारी मिली है। ये महिलाएं, यद्यपि अपने और सामान्य श्रेणी के सदस्यों के बीच सामाजिक दूरी को महसूस करती है, परन्तु पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत, अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त करने के बाद, और अधिक खुलकर बात करना सीख रही हैं।

तमिलनाडु

4.62 30 जून, 1997 को ऊँची जाति के व्यक्तियों ने, मदुरई जिले के मेलूर तालुक के मेलावाल्वु ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 6 दलित व्यक्तियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकाण्ड का कारण यह था कि ऊँची जाति के लोग यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि दलित ऐसे स्थानों पर आएं, जहाँ परम्परागत रूप से ऊँची जाति का कब्जा रहा है।

4.63 ऐसे मामले अध्ययन और रिपोर्ट, यद्यपि बहुत कम हैं और केवल कुछ राज्यों के संबंध में हैं, उनसे पता चलता है कि पी आर आईज में उनके पास जो पद हैं उनके कारण न तो उन्हें कोई आदर मिला है और न ही मौजूदा पंचायती राज प्रणाली में दलितों को मनुष्य के रूप में कोई इज्जत दी गई है। चुने गए प्रतिनिधि यदि 'निम्न जाति' के हैं, तो उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वे अधिकारी, जिन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों की उनके काम में सहायता करनी होती हैं, वे या तो स्थानीय स्तर पर सत्ता की राजनीति के शिकार हो जाते हैं या संबंधित ग्राम में दिखाई ही नहीं देते हैं। इस वंचन के बावजूद, पंचायतों का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने कमजोर वर्गों को, पी आर आई द्वारा गठित की गई विकेन्द्रित शासन संस्था के माध्यम से पूरी सामाजिक प्रणाली के साथ संपर्क करने का अवसर प्रदान किया है। यद्यपि ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें,अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्षति पहुंचाने वाली ताकतें जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई हैं, उन्होंने दलितों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया है जिसमें वे अपनी शिकायतों को कह सकें और विकेन्द्रित शासन की समाजिक-राजनैतिक समस्याओं का सामना कर सकें।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंध

4.64 संविधान का अनुच्छेद 243 एम, अनुच्छेद 244 खण्ड (1) और (2) में संदर्भित जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों पर 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंधों के विस्तार को रोकता है। परन्तु अनुच्छेद 243 एम 4 (बी) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए विधि बनाए। इन न्यायिक निर्णय को ध्यान

में रखते हुए कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए 73वें संशोधन अधिनियम का स्वतः विस्तार असंवैधानिक है तथा जनजातीय नेताओं द्वारा की गई मांगों के कारण, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, संविधान के भाग IX के उपबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। 73वें संशोधन के उपबधों के अधीन, अनुसूचित क्षेत्रों को किस प्रकार लाया जा सकता है, यह सिफारिश करने के उद्देश्य से श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, 10 जून,1994 को, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 17 जनवरी,1995 को अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

(i) अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का उद्देश्य जनजातियों के शोषण का विरोध करना और इसे रोकना और जनजातीय समुदायों की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति को बढ़ाना होना चाहिए।

(ii) पंचायतों को छठी अनुसूची में जिला परिषदों के पैटर्न पर अधिकार होने चाहिएं। इसमें भूमि के प्रयोग, वनों के प्रबंधन, जल संसाधनों के प्रयोग,संपत्ति का उत्तराधिकार, सहकारिता और सामाजिक रिवाजों, धन उधार देने के विनयम और नियंत्रण और उत्पाद नीति पर विधान बनाने का अधिकार सम्मिलित है।

(iii) ग्राम सभा को जनजातियों के अधिकारों के सुरक्षण के लिए जिम्मेवार प्राकृतिक संसाधनों पर परम्परागत अधिकारों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें विकास के छोटे मोटे काम भी करने चाहिएं और नशीली वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग को भी विनयमित करना चाहिए।

(iv) अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को ग्राम सभा की सहमति से अधिग्रहण किया जाना चाहिए और ऐसा उन परिवारों के लिए वैकल्पिक जीविका की व्यवस्था करने के बाद करना चाहिए, जो अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हो जाएंगे।

(v) जनजातीय भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए और भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ही किया जाना चाहिए, चाहे अंतरण कर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो या नहीं।

(vi) ग्रामीण पंचायतें और मध्यम पंचायतें, जिला परिषदों द्वारा दिए गए अनुदेशों के अंतर्गत, विकास योजनाएं तैयार करेंगी और ग्रामीण विकास के लिए स्कीमों को निष्पादन करेंगी।

(vii) पुलिस, उत्पाद, वन जैसे विभागों के पदाधिकारियों की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को जिला परिषदों के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

(viii) परम्परागत जनजातीय निकायों को कार्य जारी रखने के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। जनजातीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

(ix) जब ग्राम सभाएं शिकायतों के लिए संकल्प लेती हैं तो केवल ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले मामलों के बारे में इसका संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए। इन क्षेत्रों में तैनात व्यावसायिक विधि अधिकारियों को जनजातीय परम्परागत कानूनों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(x) जनजातीय योजना और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अन्य निधियों का नियंत्रण पंचायतों को सौंपा जाए ।

(xi) पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन निकायों के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने चाहिएं ।

(xii) स्वशासन के प्रयोजन से अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों को छठी अनुसूची की तरह जिला परिषद के शक्तियाँ मिलनी चाहिए। जब कभी अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत को विशेष परिस्थितियों में भंग किया जाना हो तो इन पंचायतों केवल उस राज्य के राज्यपाल के आदेश से ही भंग किया जा सकता है ।

4.65 उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समिति का मुख्य जोर इस बात पर था कि रूढ़िजन्य विधियों, सामाजिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन के अनुरूप स्थानीय स्तर पर सहभागी लोकतंत्र की स्थापना की जाए ।

4.66 समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, संविधान में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 19 दिसम्बर, 1996 को पारित हुआ । इसके पश्चात 24 दिसम्बर, 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह उसी दिन से संविधान का हिस्सा बन गया । इस अधिनियम (" जिसे बाद में विस्तार अधिनियम " कहा जाएगा) के अनुसार 73वें संशोधन अधिनियम का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (2) में वर्णित क्षेत्रों तक कर दिया गया । इस अधिनियम के अनुसार, राज्य विधानमंडलों द्वारा संबंधित राज्य के पंचायत अधिनियमों के विद्यमान उपबंधों को एक वर्ष के भीतर अर्थात 24 दिसम्बर, 1997 तक संशोधित किया जाना है ।

अधिनियम की विशेष विशेषताएं

4.67 यह अधिनियम **अनुबंध 4.V** आठ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करता है और इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करने, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके परंपरागत अधिकारों का परिरक्षण और संरक्षण करने में समर्थ बनाना है । विस्तार अधिनियम की विशेष विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

(i) पाँचवें अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों से संबंधित कोई भी विधान इसमें निवास करने वालों की रूढ़िजन्य विधियों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पंरपरागत प्रबंधन पद्धति के अनुरूप होगा ।

(ii) ग्राम सभा को निम्नलिखित शाक्तियाँ प्राप्त हैं-

(क) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व ।

(ख) विकास योजनाओं का अनुमोदन ।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ।

(घ) भूमि अधिग्रहण के संबंध में उससे सलाह लिया जाना

(ड़) छोटे-छोटे जल स्रोतों का प्रबंधन ।

(च) गौण खनिजों पर नियंत्रण

(छ) मादक पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित/निषिद्ध करना ।

(ज) भूमि के अन्य संक्रामण को रोकना और अनुसूचित जनजाति व व्यक्तियों के विधि विरूद्ध अन्य संक्रामित भूमि को वापस दिलाना ।

(झ) ग्राम बाज़ारों का प्रबंध !

(ञ) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखना ।

(ट) सभी सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखना ।

(ठ) ग्राम पंचायतों के सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजनाअ और कार्यक्रमों के लिए उपयोग की गई निधियों के संबंध में "उपयोग प्रमाण पत्र" प्रदान करना ।

(iii) पंचायत राज प्रणाली के सभी चरणों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल संख्या के आधे से कम नही होगा । अन्य समुदायों के लिए आरक्षण संविधान के भाग 9 में वर्णित इन समुदायों के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में होगा ।

(iv) पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों पर अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा ।

(v) यदि मध्यवर्ती या जिला स्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो राज्य सरकार ऐसे प्रतिनिधित्व न रखने वाली पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य मनोनीत करेगी किन्तु ऐसे मनोनीत सदस्यों की संख्या पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नही होनी चाहिए ।

(vi) पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शक्ति और प्राधिकार सौंपते समय राज्य विधान मंडलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्चतर स्तर की पंचायतें किसी निम्न स्तर की पंचायत या ग्राम सभा की शक्ति और प्राधिकार अपने हाथ में न लें ।

(vii) जिला स्तर पर पंचायतों में व्यवस्था की रूप रेखा तैयार करते समय राज्य का विधान मंडल संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित ढांचे का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। **(अधिनियम की प्रति अनुबंध 4.V पर संलग्न हैं)।**

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंधो का कार्यान्वयन

4.68 इस अधिनियम के 24.12.96 से प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर राज्य के समनुरूपी विधानों को संशोधित किया जाना था । बिहार को छोड़कर विस्तार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान पारित कर दिए हैं । इन 8 राज्यों में विस्तार अधिनियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन पर आए परिवर्तन से संबंधित विषयों पर कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन विषय पर समुचित प्रकाशित सामग्री भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर विस्तृत मूल्यांकन किया जा सके । इसके अतिरिक्त निम्नतम स्तर पर लघु वन उत्पाद

आदि से संबंधित अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को व्यावहारिक रूप देने के संबंध में अभी भी शंकाएं हैं। परंतु उपलब्ध जानकारी से विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित बातें सामने आती हैं : -

(i) विस्तार अधिनियम के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों का परामर्श लिया जाएगा।" किंतु काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट की टीम द्वारा 11से18 जनवरी, 1999 को किए गए रायगुडा और भुवनेश्वर के दौरे की रिपोर्ट से यह पता चला कि उड़ीसा राज्य सरकार ने रायगुडा जिले में एल्यूमिना परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति लेना तो दूर उसका परामर्श लिए बिना ही जनजातीय क्षेत्र की भूमि का अर्जन कर लिया।

नौकरशाह, सामान्य लोगों की आवश्यकताओं और वास्तविकता का मूल्यांकन किस सीमा तक करते हैं इसका पता हमें इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर बस्तर के कलेक्टर श्री जे.पी.व्यास की टिप्पणी से चलता है "लोगों को निकट भविष्य में होने वाले उनके विस्थापन के बारे में पूर्व सूचना देने की कोई परंपरा नहीं रही है। यदि लोगों से सलाह ली जाती तो वे इंकार कर सकते थे ।उस स्थिति में सरकार क्या करती? उन्होने तर्क दिया कि लोग अनभिज्ञ होते हैं और परियोजना के स्थान के बारे में विशेषज्ञों द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात आगे कुछ कहना व्यर्थ होता ...गतिशीलता प्रगति का परिचायक है, उन्होंने कहा....जहाँ तक विस्थापितों को कारखाने में भागीदारी की माँग का प्रश्न है। यह एक अनुचित मांग है और उनकी संस्कृति से पूर्णतः भिन्न है। इससे अधिकार जमाने की प्रवृत्ति पैदा होगी क्योंकि जनजातीय लोग बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं।"(सव्यसाची, 1998)

(ii) अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्यो की तुलना के लिए पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और बिहार राज्यों को मिलाकर झारखण्ड क्षेत्र में सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया और इसके नेटवर्क सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से निम्नलिखित तथ्य का पता चलता है -

"हाल में गठित ग्राम सभाओं में युवा और शिक्षित, जनजाति के व्यक्तियों ने नेतृत्व संभाला है और इन ग्राम सभाओं में कुल मिलाकर अधिक आयु के लोग बाहर हो गए हैं। ग्राम सभा का गठन आम सहमति से किया गया और सभी ग्रामवासियों ने पाठलगढ़ी (ग्राम सभा की शक्तियों से शिलान्यास करने) में भाग लिया और अपना सहयोग दिया । विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए ब्लाक स्तर पर दबाव समूहों के रूप में भी ग्राम सभाएं कार्य कर रही हैं । बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहा है और बैठकों के कार्यवृत्त ग्राम में भी रखे जाते हैं परन्तु विस्तार अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति के संबंध में संदिग्धता की स्थिति लगती है क्योंकि इस अधिनियम में भिन्न-भिन्न स्थानों पर "ग्राम सभाओं" और "पंचायतों" दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है जिसके द्वारा राज्य विधान मंडलों को स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं मिलता ।"

विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन की समस्याएं

4.69 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की 24 जुलाई, 1998 को आयोजित बैठक के लिए तैयार की गई टिप्पणी में केन्द्र और राज्य दोनों की कुछ विधियों में निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की गई:-

(क) लघु वन उत्पाद की परिभाषा भारतीय वन अधिनियम, 1927 में इमारती लकड़ी क परिभाषा में बांस और बेंत को भी शमिल किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय न इमारती लकड़ी को लघु वन उत्पाद की परिभाषा से बाहर रखा है। जबकि ऐसा करत समय उन्होंने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में दी गई इमारती लकड़ी की उस परिभाषा को स्वीकार किया जिसमें इमारती लकड़ी में वृक्ष ही नहीं वरन बांस औ बेंत को भी शामिल किया गया है। अधिकांश राज्यों में जनजातीय लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए बांस और बेंत पर परंपरागत रूप से निर्भर रहते हैं। हालांकि, पिछल कई वर्षों से वन निगमों और वन विभागों ने जनजातीय लोगो को बांस और बेंत स लाभ उठाने से रोका है, जबकि इसी अवधि के दौरान इन्हें अत्यधिक रियायती कीमत पर निजी उद्योगों को दिया गया है। कई मामलों में राज्य वन विभागों की इस नीति के कारण जनजातीय लोग दुःसाहसी बनने के लिए प्रेरित हुए हैं। ऐसा अनुभव किय गया है कि 1927 के केन्द्रीय अधिनियम में दी गई इमारती लकड़ी की परिभाषा न त वैज्ञानिक है और न ही न्यायसंगत है। यह औपनिवेशिक परिभाषा है, और विस्ता अधिनियम के उपबंधों की भावना के प्रतिकूल है।

(ख) ग्राम सभाओं को लघु वन उत्पाद का स्वामित्व सौंपे जाने के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संसद के आशय की व्याख्या किए जाने से भी कई मुद्दे सामने आए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रस्तावों में संसद के आशय की व्याख्या व्यक्तियों को स्वामित्व प्रदान न करके राज्य वन निगमों/संघों के अवशिष्ट लाभ ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराए जाने के रूप में की गई है। इस प्रकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार राज्य वन निगम/संघ लघु वन उत्पादों का व्यापार करते रहेंगे और यदि कोई अधिशेष रहता है तो वह अधिशेष ग्राम सभाओं को दिया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के वन उत्पाद व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के लागू रहने से विस्तार अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता है जिसके अंतर्गत लघु वन उत्पाद पर नियंत्रण का अधिकार ग्राम सभाओं को सौपा गया है।

4.70 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय इन मुद्दों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पहले से ही उठा चुका है। इस विषय पर सलाह लेने के लिए मामले को विधि मंत्रालय में भी भेजा गया है। विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपनाई गई लघु वन उत्पाद संबंधी परिभाषा बाध्यकारी नहीं है। विधि मंत्रालय ने बताया है कि किसी कानून के उपबंधों को कार्यान्वित बनाने के लिए उस कानून में दी गई परिभाषा दूसरे कानून के उपबंधो को कायान्वित करने के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय उसकी सीमा से बाहर जाना, और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 को छोड़कर किसी अन्य अधिनियमों की परिभाषाओं को लागू करना खतरनाक है। विधि मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927, लघु वन उत्पाद को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। इस विधि के अंतर्गत "वन उत्पाद" की परिभाषा में मुख्य दो घटक, अर्थात इमारती लकड़ी तथा इमारती लकड़ी को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तार

अधिनियम में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 में " वन उत्पाद" की दी गई परिभाषा उक्त अधिनियम में लागू होगी।

4.71 जहाँ तक "स्वामित्व" की व्याख्या का प्रश्न है, विधि मंत्रालय की स्पष्ट राय है कि कोई भी मंत्रालय विस्तार अधिनियम में पंचायतों को सौंपे गए स्वामित्व के अभिप्राय को सीमाबद्ध अथवा सीमित नहीं कर सकता है।

4.72 ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सचिवों के 3-4 जून,1999 को हुए सम्मेलन में विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी निम्नलिखित मुख्य मुद्दों की पहचान की गईः-

(i) क्या राज्य सूची में आने वाली सभी विधियों को विस्तार अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित कर लिया गया है ?

(ii) विस्तार अधिनियम अतिरिक्त विधि नहीं है, परंतु यह इस विषय पर सभी विद्यमान विधियों के बदले में है। क्या इससे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया गया है?

(iii) क्या संशोधित राज्य विधियाँ केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप हैं ?

(iv) इस विधान को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाई की है?

(v) क्या अनुसूची 5 क्षेत्र में आने वाले लोगों को विधान में परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जा चुका है?

(vi) क्या प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जानकारी दी गई है?

4.73 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न अधिनियमों को तत्काल ही संशोधित करना आवश्यक हो गया है जिनसे विस्तार अधिनियम प्रभावित होता है । विभिन्न अधिनियमों और विधियों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय लोग अपने पारंपरिक मूल्यों, संसाधनों, और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सकें ।

सिफारिशें

4.74 संविधान के 73वें संशोधन और पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों पर इस के विस्तार को विकेन्द्रित शासन, नियोजन और विकास में विभाजित किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और इन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के निष्पादन और अनुवीक्षण में भागीदार बना दिया है। किन्तु पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी अधिक प्रभावी और निश्चयात्मक बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :-

(i) संविधान का अनुच्छेद 243 छ राज्य के विधान मंडलों को विधि द्वारा, पंचायत को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है, जो उन्हें स्वायत्त शासन क संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों

और ऐसी विधि में निम्नलिखित के संबंध में पंचायतों को उपर्युक्त स्तर प शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध सम्मिलित हों, अर्थात (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना । (ख ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित ऐसी योजनाओं और स्कीमों क कार्यान्वयन करना जो उन्हें सौंपा जाए। विकेन्द्रीकरण की समूची स्कीम का कें बिंदु यही है । यद्यपि " स्वायत्तशासन की संस्था " शब्दों का प्रयोग अधिनियम म नहीं किया गया है, फिर भी इसका अर्थ स्पष्ट है । केवल वे संस्थाएं जो तीन आधारभूत शर्तों को पूरा करती हैं अर्थात (क) संस्थागत सत्ता अर्थात जनता व प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं (ख) संस्थागत क्षमता अर्थात संस्था क स्वतंत्र रूप से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और (ग) वित्तीय व्यवहार्यता अर्थात . अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने क पर्याप्त शक्ति है, वे ही " स्वायत्तशासी संस्थाएं " कहलाने के योग्य होती है। इस प्रयोजन से, जिस कार्य को किसी विशेष स्तर पर किया जा सकता हो उस केवल उसी स्तर पर ही किया जाना चाहिए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हु विभिन्न स्तर के कार्यों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकत है। अतः पंचायत के लिए कार्यो की एक पृथक सूची बनाए जाने क आवश्यकता है जिसे स्थानीय सूची का नाम दिया जा सकता है । सौंपे ग कार्यो को कारगर ढंग से निभाने के लिए पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिव स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, विकास कार्यक्रमों की योजन बनाने, उनके कार्यान्वयन के लिए उनके पास पर्याप्त वितीय संसाधन औ अपेक्षित कार्मिक होने चाहिएं।

(ii) **ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करती है। यह, ग्राम पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने में भाग लेने और उनके कार्यान्वयन में मॉनिटरिंग करने का अवसर प्रदान करती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि ग्राम सभा को वास्तव में सौंपी गई शक्तियां अपर्याप्त एवं सीमान्त होने के कारण ग्राम सभा की बैठको में लोग उत्साह से भाग नही ले रहे हैं। यदि ग्रामवासियों की दृष्टि में ग्राम सभा की बैठकों को उपयोगी बनाना हो तो यह आवश्यक होगा कि ग्राम सभा की खुली बैठकों में लाभों की स्वीकृत और संवितरित करने और पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करने और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार दिए जाएं । ग्राम सभा की बैठकें ऐसे समय पर आयोजित की जाएं जब महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग घर के कार्यो में अथवा मजदूरी पर व्यस्त न हों।**

(iii) **जैसा कि पहले बताया जा चुका है महिलाओं (लगभग 2.5 लाख) सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 7 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि इन वर्गों के हैं। अतः यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को पंचायत के कार्यो के प्रबंधन के लिए अपेक्षित ज्ञान और निपुणता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यक्रमों और विषयों के कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को भी सुग्राहीकरण और पुर्वाभिमुखीकरण की आवश्यकता है । केन्द्र में नोडल**

मंत्रालय के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं जिनमें अ0 जा0 और अ0 ज0 जा0 को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण भी शामिल हों । इस संबंध में राष्ट्रीय, राज्य और जिला व उपजिला स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उच्च जाति के अत्याचारों से अपनी सुरक्षा के प्रति संवैधानिक सुरक्षणों, विशेष रूप से पी0 ओ0 ए0 अधिनियम, 1989 आर पी0 सी0 आर0 अधिनियम 1955 के बारे में भी जानकारी दी जानी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए विभिन्न-माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसेः- (क) स्व-अध्ययन के लिए आकर्षक रूप में छापी गई मुद्रित सामग्री तैयार करना, (ख) श्रृव्य और दृश्य कार्यक्रमों को तैयार करना, (ग) आपसी विचार-विमर्श के कार्यक्रमों को तैयार करना।

(iv) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम,1996 के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों के विकास और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तार अधिनियम को प्रभावित करने वाले वन संरक्षण अधिनियम, राज्य आबकारी अधिनियम, गौण खनिज अधिनियम, साहूकार अधिनियम आदि जैसे केन्द्र और राज्य के कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

(v) महिलाओं (राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर) सहित अ0जा0, अ0ज0जा0 की संख्या, उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पंचायती राज संस्था के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उनके निष्पादन से संबंधित व्यापक "डाटा बेस" विकसित करना होगा । इस "डाटा बेस" के आधार पर विकेन्द्रित शासन में उनके राजनैतिक आरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक नीति विकसित की जाए ।

(vi) प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण कैम्पों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि को संचालित करके अ0जा0 और अ0ज0जा0 के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, और अ0जा0 और अ0ज0जा0 के संगठनों को आगे आना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उदारतापूर्वक अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

अनुबंध 4.I

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन)अधिनियम, 1992

(20 अप्रैल, 1993)

भारत के संविधान का और संशोधन करने करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के भाग 8 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- — नए भाग 9 का अंतःस्थापन।

भाग 9
पंचायत

243 इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - — परिभाषाएं।

(क) "जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;

(ख) "ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है ;

(ग) "मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) "पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है ;

(ङ) "पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;

(छ) "ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

243 क ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं। ग्राम सभा।

243 ख (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।

243 ग (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा । पंचायतों की संरचना।

परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

(2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो:

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा ; -

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों का, जहां वे, -

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में ;

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे, वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा।

(5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाए, किया जाएगा ; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

243 घ (1) प्रत्येक पंचायत में- स्थानों का आरक्षण।

(क) अनुसूचित जातियों ; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:

परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:

परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगीः

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

243 ङ (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटि नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं । पंचायतों की अवधि, आदि।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन;-

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व ;

(ख) उसके विघटन की तारीख छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा।

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटित पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए

विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

243 च (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,- सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

243 छ संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात,- पंचायतों की प्राधिकार शक्तियां, और उत्तरदायित्व।

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।

243 ज किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा- पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उसकी निधियां।

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उदगृहीत, संगृहीत् और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंयायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा ;

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा ; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

243 झ (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और, तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो- वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।

क (i) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को ;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी ;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में ;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अहर्ताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

243ञ किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेख रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में, उपबंध कर सकेगा। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।

243 ट (1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले भी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपालन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से ओर जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को

हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

243 ठ इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

243 ङ (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होगा

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात्

(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य ;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।

(3) इस भाग की-

(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है ;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है ;

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

243 ढ़ **विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।**

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायत से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा;

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के

प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

243 ण इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

(क) अनुच्छेद 243 ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- अनुच्छेद 280 का संशोधन।

(ख) " राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ।

4. संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्- ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

ग्यारहवीं अनुसूची
(अनुच्छेद 243 छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल-विकास
26. समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियो. का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

अनुबंध 4.II

नए अनुरूपता अधिनियमों की तारीखों का राज्यवार विवरण

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	नए अधिनियम की तारीख
आंध्र प्रदेश	21-04.94
अरूणाचल प्रदेश	18-04-94
असम	02-04-94
बिहार	23-04-94
गोआ	09-07-94
गुजरात	26-08-93
हरियाणा	22-04-94
हिमाचल प्रदेश	23-04-94
जम्मू काश्मीर	राज्य पर संविधान का 9वाँ भाग लागू नहीं है
कर्नाटक	30-04-93
केरल	23-04-94
मध्य प्रदेश्	25-01-94
महाराद्र	22-04-94
मणिपुर	23-04-94
मेधालय	राज्य पर संविधान का 9वाँ भाग लागू नहीं है
मिजोरम	
नगालैंड	
उड़ीसा	1-11-93 (ZP) & 1993 (GP & PS)
पंजाब	21-04-94
राजस्थान	23-04-94
सिक्किम	11-10-93
तमिलनाडु	24-04-94
त्रिपुरा	07-11-93
उत्तर प्रदेश	22-04-94
पश्चिम बंगाल	22-04-94
अंडमान एंड निकोबार	23-04-94
चंडीगढ़	23-04-94
दादरा एंड नगर हवेली	23-04-94
दिल्ली	संविधान का 9वाँ भाग लागू किया जा रहा है
दमन एंड दीव	23-04-94
लक्षदीप	23-04-94
पांडीचेरी	19-04-94

स्रोतः पंचायती राज विकास रिपोर्ट 1995, सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 1996

अनुबंध- 4.III

पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित अ0जा0/अ0ज0जा0 के सदस्यों की संख्या

31 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार

क्र0 सं0	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	जी0पी0 सदस्य			पी0ए0 सदस्य			जैड पी सदस्य			अनु0 जा0/अनु00ज0 जा0 जनसंख्या %	
		अनु0 जा0	अनु0 ज0जा0	योग	अनु0 जा0	अ0ज0 जा0	योग	अनु0 जा0	अनु0 जन0 जा0	योग	अ0 जा0	अ0 ज0जा0
1.	आंध्र प्रदेश	38674	15304	53978	789	803	1592	128	66	194	15.93	6.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	5733	5733	-	1205	1205	-	77	77	0.47	63.66
3.	असम	चुनाव देय है									7.4	12.83
4.	बिहार	चुनाव देय है									14.56	7.66
5.	गोआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	7.66
6.	गुजरात	4739	9550	14289	279	561	840	57	114	171	7.41	14.92
7.	हरियाणा	11793	-	11793	519	-	519	64	0	64	19.75	-
8.	हिमाचल	3824	672	4496	289	74	354	46	14	60	25.34	4.22

	प्रदेश											
9.	जम्मू काश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-
10.	कर्नाटक	17918	7575	25993	601	169	770	165	47	212	16.38	4.22
11.	केरल	1256	136	1392	179	17	196	30	4	34	9.92	1.1
12.	मध्य प्रदेश्	64997	132638	197635	1345	2780	4125	143	267	410	14.54	23.37
13.	महाराट्र	40766	35150	75916	409	453	862	206	232	438	11.1	9.27
14.	मणिपुर	35	44	79	-	-	-	1	2	3	2.02	34.41
15.	मेघालय	73वाँ संविधान संशोधन लागू नहीं है								0.4	0.51	85.53
16.	मिजोरम										0.1	94.75
17.	नगालैंड									-	-	87.9
18.	उड़ीसा	7394	11823	9217	478	809	1287	85	131	216	16.2	22.21
19.	पंजाब	-	-	-	338	-	338	84	-	84	28.31	-
20.	राजस्थान	17902	15616	33518	943	804	1747	177	154	331	17.29	12.44
21.	सिक्किम	40	298	338	-	-	-	6	40	46	5.93	22.36
22.	तमिलनाडु	18886	686	19572	1358	41	1399	137	3	140	19.18	1.03
23.	त्रिपुरा	1237	704	1941	48	26	74	15	7	22	16.36	30.95
24.	उत्तर प्रदेश	101939	867	102806	9126	135	9261	389	7	396	21.04	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	13644	3319	16963	2354	582	2936	200	50	250	23.62	5.6
26.	अंडमान एंड निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.54

27	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.51	-
28	दादर एंढ नगर हवेली	3	103	106	-	-	-	-	11	11	1.97	78.99
29.	दमन एंड दीव	1	17	18	-	-	-	1	3	4	3.83	11.54
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.05	-
31	लक्षदीप	-	79	79	-	-	-	-	22	22	-	93.15
32.	पांडीचेरी										16.25	-
	कुल	343792	240178	583980	18867	8442	27309	1904	1247	3151	India 16.73	7.95

स्त्रोतः पंचायती राज को आधुनिक बनाना, सामाजिक विज्ञान संस्थान, अगस्त, 1998

अनुबंध 4.IV

पंचायत के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

क्र0सं0	राज्य का नाम	निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल सं0	प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं0	कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिशतता	कर्मचारियों की कुल सं0	प्रशिक्षित कर्मचारियों की सं0	कुल कर्मचारियों में से प्रशिक्षित कर्मचारियों की प्रतिशतता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध प्रदेश	222645	42.101	18.91	13060	1046	8.00	
2.	असम	30372	-	-	6404	NA	-	
3.	बिहार	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-	
4.	गोवा	1411	Nil		Nil	Nil	Nil	सरकार ने गोवा विश्वविधालय के सहयोग से सभी निर्वाचित सदस्यों को गहन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है
5.	गुजरात	141312	7702	5.45	13710		Nil	प्रशिक्षण दिया गया, सं0 नहीं दी हैं
6.	हिमांचल प्रदेश्	26022	5759	22.13	Not	1127	Nil	प्रशिक्षण की प्रगति संरचना तथा वित्त का अभाव डाल रहा है राज्य सरकार ने इस

								सबंध में केन्द्र सरकार से सहायता देने के लिए अनुरोध किया है
7.	जम्मू एंड काश्मीर							पंचायत के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण् चुनाव के बाद मगाया जाएगा
8.	कर्नाटक	84886	25540	30.08				शेष के लिए प्रशिक्षण केन्द्र से सहायता प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा
9.	केरल	14248	3305	23.20				कर्मचारियों के त्यौरे तभी दिए गए है
10.	मध्य प्रदेश	4,84,394	45,000	9.29	37097	17488	47.14	
11.	महाराष्ट्र	317460	45,000	14.18	NA	NA		निर्वाचित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण् के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से 119.75 लाख रूपये की सहायता मांगी है
12.	मणिपुर	1783	78	4.37	Nil	Nil	-	-
13.	उड़ीसा	42452	Nil	-	Nil	Nil	-	राज्य ने कार्रवाई योजना तैयार कर ली है
14.	पंजाब	93280	3933	4.21	Nil	Nil	-	अभी चल रहा है
15	राजस्थान	119687	58393	48.78	8968	4064	45.32	अभी चल रहा है

16	सिक्किम							प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं नियमित रूप से आतरूप है
17	तमिलनाडु	Nil	13352	-	Nil	Nil	-	प्रशिक्षण चल रहा है
18	त्रिपुरा	5687	488	8.58	566	470	83.04	प्रशिक्षण चल रहा है
19	उत्तर प्रदेश	857757	8806	1.03	141060	715	0.50	प्रशिक्षण के एक व्यापक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है
20	पश्चिम बंगाल	157964	76028	48.13	Nil	2915	36.52	
21	हरियाणा	63049	53571	84.96	Nil	Nil	-	9वीं योजना के लिए कार्यवाई योजना तैयार नहीं की गई
22.	अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड	810	162	20.0	115	42	36.52	सरपंच, उपसरपंच को प्रशिक्षण् अगस्त, 1997 में दिया जाएगा
23.	चड़ीगढ़	126	Nil	-	11	Nil	-	9वीं योजनओं में प्रशिक्षण हेतू प्रावधान कर लिया गया है
24.	पांडिचेरी	Nil	Nil	-	100	All Supeervisory level functionaries have been trained.	-	पंचायत के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण चुनाव के बाद दिया जाएगा

स्रोतः पंचायतीराज पर राज्यवार सूचना, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, अगस्त, 1997

टिप्पणीः स्तम्भ 5 एवं 8 में प्रतिशतताएँ निकाल ली गई है।

अनुबंध 4.V

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)

(24 दिसम्बर, 1996)

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्लिखित रूप में यह अधिनियमत हो:-

संक्षिप्त नाम 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 है।

परिभाषा। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "अनुसूचित क्षेत्रों" में ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट है।

संविधान के भाग 9 का विस्तार 3. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है।

संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण। 4. संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी से असंगत हो, अर्थात्-

(क) पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा;

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पुरवों या पुनवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समूदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो;

(ग) प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है;

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परंपरओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों ओर विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण ओर परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी;

(ङ) प्रत्येक ग्राम सभा,—

(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी;

(2) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारीयो के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से , खंड़ (ङ) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे;

(छ) अनुसूचित क्षेत्रों में की प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है;

परंतु अनुसूचित जनजारतियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा:

परंतु यह ओर कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे;

(ज) राजय सरकार ऐसी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत है कोई प्रतिनिधित्व नहीं है नामनिर्देशित कर सकेगी:

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में, निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वास करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या

पंचायतों से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना ओर उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा;

(ट) समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफ़ारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा;

(ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पचायतों की पूर्व सिफ़ारिशों को निलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां ओर प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से,-

(i) मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभेग को विनियमित या निर्बन्धित करने को शक्ति प्रदान की जाए;

(ii) गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिविरूद्ध तथा अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(iv) ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vi) सभी सामाजिक सैक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातिय उपयोंजनाए हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में काय्र करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर की पंचायतें, स्तर पर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की या ग्रामसभा की शक्तियां ओर प्राधिकार अपने हाथ में न लें;

(ण) राजय विधान-मंडल, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकलपना करते समय संविधान को छठी अनुसूचित के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा।

विद्यमान विधाय और पंचायत का बना रहना।

5. इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों संहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों ओर उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्रापत होती है, एक वर्ष समाप्व नहीं हो जाता है, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा;

परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूव्र विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राजय के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय को संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

अध्याय -V

न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था और उन तक पहुंच

मानव संसाधन विकास किसी राष्ट्र के विकास की योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मानव संसाधनों के विकास की एक महत्वपूर्ण पूर्व-शर्त यह है कि बुनियादी नागरिक सेवाएं समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हों। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से मिलकर बनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाने में भारत का रिकार्ड अत्यधिक खराब बना हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाधीनता के 50 वर्षों के बाद भी भारतीय समाज के बड़े भाग को पेय जल अथवा अपर्याप्त खाद्यान्न जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखना जारी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विभिन्न मानव विकास रिपोर्टों में विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं की कमी के लिखित प्रमाण दिए गए हैं। राष्ट्रों के क्रम में मानव विकास सूचकांक पर भारत की स्थिति विश्व में बहुत खराब है। लेकिन इस प्रकार का अभाव समाज के गरीब वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में एक मुख्य बाधा रही है।

5.2 इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि देश के नागरिकों की, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बुनियादी जरूरतों, जैसे प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, पेय जल, आवास, सड़कों, सफ़ाई आदि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता के सभी वर्गों को बुनियादी नागरिक सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था । प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के आठ संघटक थे, अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार और पोषाहार बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार करके प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण सफाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इसमें शामिल कर लिया गया। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का अभाव अधिक सुस्पष्ट था, इसलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया।

5.3 इस कार्यक्रम से कार्यान्वयन में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, इस कार्यक्रम को जुलाई, 1996 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नया रूप दिया गया और इसका नाम बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कर दिया गया तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं को समयबद्ध तरीके से मुहैया करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने का संकल्प किया गया। सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि यदि वर्ष 2000 तक निम्नलिखित सात बुनियादी सेवाओं का विस्तार समूचे देश भर में करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए समयबद्ध कार्य-योजनाएं तैयार की जाएंगी, तो यह अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से संवृद्धि और देश के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने के हित में होगा। अतः, ये बुनियादी आवश्यकताएं, नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्र विकास योजना का, मुख्य भाग बनीं। विशेष रूप से ध्यान देने के लिए पहचान की गई सात बुनियादी सेवाएं निम्नलिखित हैं.-

i. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **सुरक्षित पेयजल** की व्यवस्था की 100 प्रतिशत व्याप्ति (कवरेज);

ii. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा** सुविधाओं की 100 प्रतिशत व्याप्ति;

iii. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण अर्थात सबके लिए **प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था;**

iv. सभी निराश्रित गरीब परिवारों को **सार्वजनिक आवास** सहायता की व्यवस्था,

v. प्राथमिक स्कूलों में **मध्याहन भोजन देने के कार्यक्रम** को सभी ग्रामीण खंडों, शहरी गन्दी बस्तियों और समाज के सुविधाहीन वर्गों के लिए लागू करना;

vi. सड़कों से न जुड़े हुए सभी गांवों और बस्तियों को **जोड़ने** की व्यवस्था;

vii. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को दोषरहित सरल और कारगर बनाना, जिसमें अधिक ध्यान ग़रीबों की ओर केन्द्रित हो।

5.4 इसके बाद के पैराग्राफों में हम अपने समाज के गरीब वर्गों को ये बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हुई प्रगति का जायज़ा लेंगे।

पेय जल

5.5 अनुसूचित जातियों के लोगों को जल के सार्वजनिक स्रोतों का उपयोग करने से वंचित रखना, अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और कई स्थानों पर अभी भी बना हुआ है। भारत सरकार इस समस्या पर काबू पाने के लिए देश में आयोजन की प्रक्रिया के शुरू होने के समय से ही निरन्तर प्रयत्न करती रही है। लेकिन, चूंकि इस दिशा में जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है, इसलिए पेय जल की व्यवस्था करने को बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था, ताकि इसे प्राथमिकता प्राप्त हो। इसके अलावा, ग्रामीण जलपूर्ति की समस्या से समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए 1986 में राष्ट्रीय पेय जल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था।

5.6 ग्रामीण जलपूर्ति के मौजूदा मानदंड हैं: प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर पेय जल (एल. पी.सी.डी.) और प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट अथवा हैंड-पम्प। जल पूर्ति का स्रोत मैदानों में 1.6 किलोमीटर के क्षितिज फासले के अन्दर और पहाड़ों में 100 मीटर की ऊंचाई तक होना चाहिए। मरूस्थल विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में पशुओं के लिए 30 एल.पी.सी.डी. अतिरिक्त जल की सिफारिश की गई है। शहरी जल पूर्ति के मानदंड ये हैं : जल-मल निकास (सीवरेज) प्रणाली के साथ 125 एल.पी.सी.डी. जल पूर्ति, सीवरेज प्रणाली के बिना 70 एल.पी.सी.डी. और छोटे कस्बों में 40 एल.पी.सी.डी.।

5.7 भारत सरकार पेय जल मुहैया करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सहायता देती है। इस कार्यक्रम के मार्ग निर्देशों में यह उपबन्ध है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह जरूरी है कि वे अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति की स्कीमें हाथ में लेने के लिए कुल परिव्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के लिए और 10 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग निर्धारित करें। धनराशियों का उपयोग दूसरे क्षेत्रों के लिए किए जाने की अनुमति नहीं है। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के मार्ग निर्देशों के अनुसार, पेय जल के प्रथम स्रोत की व्यवस्था अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में की जानी चाहिए और स्कीमों के कार्यान्वयन के समय

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें जल पूर्ति की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकें। इस प्रोग्राम में अलग से राशि निर्धारित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। मार्च 1990 में केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में 11000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों को शामिल करने के लिए 19.80 करोड़ रूपए की विशेष सहायता जारी की। डा0 अम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत सरकार ने, 1991-92 के दौरान 56.70 करोड़ रूपए, 1992-93 के दौरान 2.234 करोड़ रूपए तथा 1993-94 के दौरान 0.75 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता, 24 राज्यों को सुरक्षित पेय जल सुविधाओं सहित 30000 अनु0जा0/अनु0ज0जा0 बस्तियों को शामिल करने के लिए, जारी की।

5.8 नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में यह कहा गया है कि 1.4.97 की स्थिति के अनुसार 61,724 बस्तियों में पेयजल के सुरिक्षत स्रोत नहीं थे, 3.78 लाख बस्तियां ऐसी थीं जिन्हें आंशिक रूप से कवर किया गया था, और 1.5 लाख बस्तियों में जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं थी, जैसे अतिरिक्त फ्लूराइड, लवणता और संखिया (असैनिक)। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में कुल 14.31 लाख बस्तियों में से 56,269 बस्तियों में 1-4-1998 की स्थिति के अनुसार जल का कोई स्रोत नहीं था। इस संबंध में हम यह भी देख सकते हैं कि देश में अब तक कुल कितनी जनसंख्या को सुरक्षित पेय जल की सुविधाएं मुहैया की गई है। राजीव गांधी पेय जल मिशन ने बताया है कि 1991-94 के दौरान ग्रामीण बस्तियों में जल पूर्ति की सुविधाओं की स्थिति के बारे में जो सर्वेक्षण किया गया था, उससे यह पता चला था कि, 1991 की जनगणना के संदर्भ में 73.06 प्रतिशत ग्रामीण जनता को 1-4-1994 तक कवर किया जा चुका था और 1-4-1998 को कवरेज 92.56 प्रतिशत था। 1-4-98 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की कवरेज क्रमशः 89.46 प्रतिशत और 94.71 प्रतिशत थी। 1.4.94 की स्थिति के अनुसार, बस्तियों के सर्वेक्षण के अधिमान्य परिणामों के आधार पर 1-4-98 को जितनी जनसंख्या कवर की जा चुकी थी उसका अद्यतन राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध 5.I** में दिया गया है।

5.9 राजस्थान, गुजरात और बिहार जैसे कुछ राज्यों और अन्य सूखा-प्रवर क्षेत्रों में जल की विशेष रूप से अधिक कमी है। लेकिन, **अनुबन्ध 5.I** में दी गई जानकारी से पता चलता है कि राजस्थान की 82 प्रतिशत जनसंख्या, गुजरात की 95 प्रतिशत जनसंख्या और बिहार की 102.26 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 1997-98 के अंत तक सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी थी। जाहिर है कि इन राज्यों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने में जो सफलता मिली है, उसकी अतिरंजित तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि अक्सर हाथ पम्प उपयुक्त अनुरक्षण के अभाव में काम नहीं कर रहे होते अथवा बहुत से मामलों में जल पूर्ति के स्रोत जैसे कुएं/हाथ पम्प सूख जाते हैं लेकिन अभिलेखों में यही दिखाया जाता रहता है कि इन बस्तियों/लोगों के लिए सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी है। इसलिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक नया सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, **अनुबन्ध 5.I** में यह दिखाया गया है कि पंजाब के मामले में केवल 67 प्रतिशत लोगों (और अनुसूचित जातियों के 63 प्रतिशत लोगों) के लिए सुरक्षित पेय जल की सुविधाएं मुहैया की गई हैं और केरल में जितनी जनसंख्या को सुरक्षित पेय जल मुहैया किया गया है, उनका अनुपात बहुत कम अर्थात 48 प्रतिशत है और अनुसूचित जातियों के लगभग 50 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लगभग 43 प्रतिशत लोगों को कवर किया गया है। स्पष्टतः पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने पेयजल की व्यवस्था करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

5.10 आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय दौरों से, आयोग का विचार है कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां जल स्तर बहुत नीचे नही है, पेय जल की समस्या के लिए हाथ पम्प एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। चूंकि हाथ पम्प लगाने के लिए अपेक्षित निधियां बड़ी नहीं हैं, ऐसी निधियां, विधायकों, संसद सदस्यों के चुनाव क्षेत्र विकास निधियों से तथा जिला कलेक्टरों/ उपायुक्तों के पास उपलब्ध सामान्य विकास योजना निधियों में से दी जा सकती हैं। उसी प्रकार गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों को भी कुछ सहायता अनुदान देकर उन्हें, हाथ पम्पों को लगाने तथा उनके रख-रखाव में, उनका योगदान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यम तथा बड़े आकार की परियोजनाओं के लाभ गरीब अनु0जा0/अनु0 ज0जा0 के लोगों तक नहीं पहुचते हैं। इसके अतिरिक्त, हाथ-पम्पों का रख-रखाव अपेक्षाकृत आसान है, जिसे समुदाय द्वारा स्वयं हाथ में लिया जा सकता है। जल दूषण को, निस्यन्दन (फिलट्रेशन) और क्लोरीन की गोलियां डालकर, कम किया जा सकता है। नियमित परीक्षण, जांच तथा निवारक उपायों द्वारा पेय जल की सुरक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पी.एच.सीज तथा सी.एच.सी को भी शामिल किया जा सकता है।

5.11 किसी बस्ती में पेयजल के सांझे स्रोत की व्यवस्था करने मात्र से ही, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव का एक प्रमुख रूप यह है कि उन्हें सुरक्षित पेयजल के इन स्रोतों का उपयोग नहीं करने दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हाल के एक प्रदर्शन में दलित महिलाओं ने अपनी व्यथा का उल्लेख इस प्रकार किया था -

> "सबसे गंभीर समस्या (जिसका सामना अनुसूचित जातियों की महिलाओं को करना पड़ता है) पेयजल की नितांत और सापेक्ष कमी! सांझे जल स्रोतों के स्थान पर दलित महिलाओं को अपमान सहना पड़ता है और उन्हें जल लेने से भी वंचित किया जाता है क्योंकि उँची जातियों के लोग जल प्राप्त करना अपना विशेषाधिकार मानते हैं। संसाधनों तक पहुंच में असमानता के कारण, संबंधों में और भी विषमता आ जाती है। इस असमानता के परिणामस्वरूप, दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्रोत से जल लेने की अनुमति के बदले उँची जातियों की नहिलाओं के लिए कई अन्य शारीरिक श्रमसाध्य काम करने पड़ते हैं। जल लेने के इस दिन-प्रतिदिन के काम के दौरान उन्हें कई प्रकार के ताने और बोलियां सुननी पड़ती है। बहुत सी वक्ताओं ने बताया कि उन्हें पानी के लिए किस प्रकार भीख मांगनी पड़ती है और जब उन्हें पानी लेने की अनुमति दी जाती है तो उसके बाद उन्हें हाथ पम्प को मांजकर साफ करना पड़ता है । (इकनामिक एण्ड पोलीटिकल वीकली - 6 फरवरी, 1999)

5.12 आयोग महसूस करता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सभी प्रकार से उत्पीड़न और शोषण रोकने की तत्काल आवश्यकता है। पेय जल तक उनकी उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा भाईचारा समूहों की आवश्यकता है। पंचायतों को नई शक्तियों, निधियों के संसाधनों, स्वायतता तथा आरक्षण आदि से सुदृढ़ बनाया गया है। उन्हें अनु0जा0 तथा अनु0 जनजाति के लिए मानव आदर सुनिश्चित करने के लिए, अधिक उपयोगी भूमिका अदा करनी चाहिए। सभी प्रकार के अपमान, डांट-डपट, बेदखली आदि से निवारण के लिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनु0 जा0 और अनु0 ज0जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संगत उपबंधों का उपयोग किया जाना चाहिए।

5.13 इसलिए सामाजिक न्याय की कोई ऐसी योजना अथवा कार्यक्रम जो समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेयजल की समुचित पूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकता, अपर्याप्त और अधूरा बना रहेगा।

शिक्षा

5.14 शिक्षा संबंधी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना शामिल है। लेकिन, स्कूली शिक्षा से संबंधित बहुत से अन्य मुद्दे भी अनु0जा0 तथा अनु0ज0जा0 के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं जिसमें प्रौढ शिक्षा, सतत शिक्षा एवं दूरवर्ती शिक्षा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके कार्रवाई कार्यक्रम, 1992 में इस संवैधानिक निदेश का निरूपण स्पष्ट रूप से और जोरदार शब्दों में किया गया है। इस नीति में 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है और नौंवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तीन मुख्य प्राचलों-सार्वभौम पहुंच, सार्वभौम प्रतिधारण और सार्वभौम उपलब्धि के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास के शिक्षा विभाग की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट से इन लक्ष्यों को उदधृत करना उपयुक्त होगा।

सार्वभौम पहुंच

(i) प्राथमिक कक्षाओं में सभी बच्चों का, जिनमे कन्याएं, असमर्थ बच्चे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बच्चे शामिल हैं, नामांकन और उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।

(ii) स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों, काम करने वाले बच्चों और उन लड़कियों के लिए जो औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकती, गैर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था।

(iii) बाल्यावस्था में देखभाल और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था।

सार्वभौम प्रतिधारण

(i) I से IV तक कक्षाओं और VI से VIII तक की कक्षाओं के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की मौजूदा दरों, जो कि क्रमशः 36.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत हैं, को घटा कर क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत करना।

सार्वभौम उपलब्धि

(i) शिक्षा के न्यूनतम स्तरों का सभी प्राथमिक स्कूलों तक विस्तार और इस धारणा को उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लागू करना।

(ii) स्कूलों के बुनियादी ढांचे, अध्यापकों की शिक्षा और अध्यापन-शिक्षा सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार।

(iii) प्रारंभिक शिक्षा के चरण में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (फ्रेमवर्क) का संवर्धन और विस्तार, जिसमें पर्याप्त लचीलेपन वाले एक सांझे भाग की परिकल्पना की गई है, जिसे पर्यावरण और शिक्षा पाने वालों की जरूरतों और हितों के साथ जोड़ा जा सके।

5.15 शिक्षा विभाग ने यह भी सूचित किया है कि सरकार ने सिद्धांत रूप से, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तदनुसार, राज्य सभा में 28 जुलाई, 1997 को संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 पेश किया गया था। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

(i) सरकारी धन से संचालित राज्य-संस्थाओं द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

(ii) संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 1997 के लागू होने के बाद एक वर्ष के अंदर सक्षम विधान मंडल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रवर्तन के लिए कानून बनाएगा।

(iii) माता-पिता अथवा संरक्षक का यह बुनियादी कर्त्तव्य है कि वह 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।

5.16 शिक्षा नीति के स्थूल उद्देश्यों का उल्लेख करने के बाद, अब हम यह देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहुंच, प्रतिधारण और उपलब्धि की स्थिति क्या है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन (एनरोलमेंट), स्कूली शिक्षा तक बच्चों की पहुंच का एक महत्वपूर्ण निर्देशक है।

5.17 निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1995-96 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य जनसंख्या के संबंध में सकल नामांकन अनुपात की जानकारी दी गई है।

सकल नामांकन अनुपात

	कक्षा (I-V)	कक्षा (VI-VIII)
अनुसूचित जाति	111.91	61.33
अनुसूचित जनजाति	113.03	50.04
सामान्य	104.3	67.6

5.18 उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन का अनुपात लगभग उतना ही है, जितना कि सामान्य जनसंख्या का (लेकिन अनु0जनजाति के मामले में बच्चों की बड़ी संख्या, प्राथमिक स्तर पर अपना नामांकन नहीं कराती है)। लेकिन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन के बारे में अखिल भारतीय औसत क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्नताओं को प्रदर्शित नहीं करती है। उदाहरण के लिए बिहार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणियों के बच्चों के नामांकन का अनुपात बहुत कम् अर्थात क्रमशः 78.8, 77.4 और 75.1 प्रतिशत है। राजस्थान के मामले में सामान्य श्रेणी के बच्चों के नामांकन का अनुपात 103.4 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के मामले में काफी कम अर्थात् क्रमशः 85.5 और 86.4 प्रतिशत है। 1995-96 में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक में अनु.जा./अनु.ज.जा. और सामान्य श्रेणियों के विद्यार्थियों के नामांकन के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। इस अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मामले में, स्कूली शिक्षा के मामले में प्राथमिक स्तर पर भी अनुसूचित जनजातियों के केवल 77.18 प्रतिशत बच्चे अपना नामांकन करा सके हैं, जबकि सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जातियों के 100 प्रतिशत बच्चे अपना नामांकन करा सके हैं। बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच आसानी से सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करना अत्यावश्यक

है। बच्चों तथा माता-पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याओं का काफी सीमा तक समाधान आवासीय स्कूलों से किया जा सकता है।

5.19 लेकिन नामांकन के इन उच्च अनुपातों का बिल्कुल सहज ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया ने राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्ष 1998 में अध्ययन करने के बाद यह पाया कि सकल नामांकन अनुपातों से नामांकन के बारे में अतिशय अतिरंजित तस्वीर प्रस्तुत होती है। नामांकन के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर भेजे गए आंकड़े इस रूप में एक बाधा है कि इनके कारण स्कूली शिक्षा तक बच्चों की पहुंच के बारे में सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात, जो प्राथमिक स्तर पर अपना नामांकन कराते हैं, माध्यमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 6 से 8 तक भी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की समस्या पर इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है।

5.20. हम यह भी देख सकते हैं कि देश् में कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल विद्यमान हैं। इस संबंध में जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों सहित बस्तियां

श्रेणी	बस्ती का आकार					
बस्तियों की संख्या	5000 से अधिक	2000-5000	1000-2000	500-1000	500 से कम	कुल
सभी बस्तियां	7119	52928	125046	213059	662460	1060612
अनु.जा. की बस्तियां	231	2712	9287	21752	86535	120517
अनु.ज.जा. की बस्तियां	152	1672	8026	26383	158500	194733
बस्तियों के अंदर स्कूल						
प्राथमिक	6853 (96.26)	49524 (93.57)	110430 (88.31)	158391 (74.34)	202853 (30.62)	528051 (49.79)
उच्च प्राथमिक	6089 (85.53)	34244 (64.70)	47130 (37.69)	33312 (15.63)	26365 (3.98)	147140 (13.87)
अनु.जा. की बस्तियां के अंदर स्कूल						
प्राथमिक	213 (92.20)	2481 (91.48)	7758 (83.54)	14462 (66.48)	19715 (22.78)	44629 (37.03)
उच्च प्राथमिक	155 (67.10)	1262 (46.53)	2234 (24.05)	2064 (9.49)	2129 (2.46)	7849 6.51
अनु.ज.जा. की बस्तियों के अंदर स्कूल						
प्राथमिक	148 (97.37)	1578 (94.38)	7402 (92.22)	22616 (85.72)	57765 (36.44)	89509 (45.96)
उच्च प्राथमिक	121 (79.60)	1152 (68.90)	3460 (43.11)	4969 (18.83)	5591 (3.53)	15293 (7.85)

स्रोतः छठा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

5.21 तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जहां तक बस्तियों के अंदर स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता का संबंध है, वे बस्तियों, जहां पर अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, अभी भी अपेक्षाकृत रूप से असुविधाओं की स्थिति में हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों की अवस्थिति के मामले में असुविधा की यह स्थिति और भी अधिक उजागर होती है। अनुसूचित जातियों की बस्तियों में स्थित प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या 44629 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में इनकी संख्या 80509 है। प्रतिशतता के रूप में जबकि कुल 49 प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक स्कूल हैं लेकिन अनुसूचित जातियों की केवल 37 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की 46 प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक स्कूल है। उच्च प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों की तुलना कुल बस्तियों के साथ करने पर पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की 6.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की 7.9 प्रतिशत बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, जबकि इसकी तुलना में कुल बस्तियों में 14 प्रतिशत में ऐसे स्कूल हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में जारी रहने वाला इस प्रकार का सापेक्ष भेदभाव अन्य सभी प्रकार के भेदभाव और अभावों का आधार बनता है। सभी अनु0 जाति/अनु0 ज0जा0 की बस्तियों में उच्च प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रथम उपाय के रूप में इसे सामान्य जनसंख्या स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र है जिस पर अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। अतिरिक्त निवेश के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार से जेलों, सुरक्षा बलों तथा पुलिस बलों आदि पर व्यय को कम किया जा सकता है। शिक्षा की उपेक्षा के परिणामस्वरूप, निर्धनता से उत्पन्न हुई अशान्ति, हिंसा और समाज के विभिन्न वर्गों में अन्यायों को रोकने के लिए इन मदों पर व्यय बढ़ सकता है।

5.22 इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि शिक्षा तक पहुंच का अभाव केवल भौतिक दूरी अथवा अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए स्कूलों के उपलब्ध न होने तक ही सीमित नहीं है। गांव में स्कूल की स्थापना होने के बाद भी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता है। प्रोब (पी.आर.ओ.बी.ई.) के दल के जो निष्कर्ष हैं, उनसे कई तथ्य प्रकट होते हैं-

> "पहले, जिस बात पर विचार किए जाने की जरूरत है, वह सिर्फ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि उन विभिन्न बाधाओं को ध्यान में लेने के बाद वह सामाजिक दूरी है, जो पढ़ने लिए इच्छुक किसी बच्चे को स्थानीय स्कूल तक पहुंचने से रोकती है। उदाहरणार्थ, कुछ क्षेत्रों में, गांव अलग-अलग आबादियों में बंटे होते हैं और एक आबादी के बच्चे जातिगत तनावों के कारण, किसी अन्य आबादी में स्थित स्कूल में जाने में हिचकिचाते हैं अथवा जा नहीं सकते। ग्रामीण भारत में ऐसी केवल आधी आबादियों में प्राथमिक स्कूल है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी आबादियों का अनुपात बहुत कम अर्थात् लगभग 30 प्रतिशत है। लड़कियों के मामले में, आने-जाने की स्वतंत्रता पर लगी पाबन्दियों के कारण सामाजिक दूरी की समस्या और बढ़ जाती है।"

5.23 आयोग ने 1999 की अवधि के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पांडिचेरी जैसे अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया तथा अन्य बातों के साथ-साथ मैट्रिक से पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में सुविधाओं की समीक्षा की । उसने पाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनेक राज्यों में छात्रावास अपर्याप्त थे तथा जहां कहीं वे विद्यमान थे उनमें से अधिकांश में निवासियों के लिए उचित सुविधाओं की कमी थी। आयोग ने पाया है कि:

(i) बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार खराब है । कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन तक कुछ भी देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(ii) भवनों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है। कुछ भवनों की पुताई नहीं हुई थी तथा कुछ अन्यों में इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स चालू हालत में नहीं थीं। कुछ भवनों में मल व्यवस्था रुद्ध पाई गई थी।

(iii) भोजन, वर्दी तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रति विद्यार्थी स्वीकृत राशि अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्तियां समय पर वितरित नहीं की जा रही थीं । सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए समस्त छात्रवृत्तियां, शिक्षा वृत्तियां, इंटर्नशिपस, भत्ते आदि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाई जानी चाहिएं।

5.24 इन टिप्पणियों के आधार पर आयोग सिफारिश करता है कि बढ़ रही कीमतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों को पूर्व मैट्रिक तथा मैट्रिकोत्तर दोनों स्तरों पर भोजन, वर्दी तथा दैनिक आवश्यकताओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि हेतु कदम उठाने चाहिएं। राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सही समय पर वितरित की जाती है। आयोग आगे सिफारिश करता है कि बिजली, जल, सफाई, उचित बिस्तर तथा अच्छा भोजन आदि जैसी उचित सुविधाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास के निवासियों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करने के योग्य बन सकें और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों को, लकड़ी और ईंधन के स्थान पर, एलपीजी कनैक्शनस की भी व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिएं।

5.25 जहां तक अन्य बच्चों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रतिधारण का संबंध है, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर के बारे में जानकारी, अनुसूचित जातियों के मामले में **अनुबन्ध5.III** में और अनुसूचित जनजातियों के मामले में **अनुबन्ध 5.IV** में दी गई है। इन अनुबन्धों से इस तथ्य का पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में, प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की इस उँची दर पर, स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए।

5.26 इस संबंध में, पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया ने उन पूर्वाग्रहों का जिक्र किया है, जिसका सामना अनुसूचित जातियों के बच्चों को स्कूलों में करना पड़ता है। " कक्षा में सामाज़िक पूर्वाग्रह का एक सामान्य उदाहरण है, दलित बच्चों के प्रति उच्च जातियों के अध्यापकों का अपमानजनक रवैया। यह कई रूप धारण कर सकता है, जैसे दलित बच्चों को यह कहना कि वे मूर्ख है, उन्हें यह अहसास दिलाना कि वे घटिया है, उनसे नौकरों के काम कराना और उन्हें उदार शारीरिक दंड देना। उँची जातियों के विद्यार्थियों द्वारा दलित बच्चों को तंग किया जाना एक आम बात है। वर्ग आधारित भेदभाव का स्वरूप भी ऐसा ही होता है। एक अन्वेषक ने देखा कि एक

स्कूल में सम्पन्न परिवारों के बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई, जबकि गरीब बच्चों को पिछले वर्षों में इस्तेमाल की हुई पुरानी पाठ्य पुस्तकें दी गई। कक्षाओं में बच्चों के आपसी संबंधों को प्रभावित करने के अलावा, सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव माता-पिता और अध्यापकों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित होने के मार्ग में भी रूकावट पैदा करते हैं।"

5.27 यह समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, यह देख कर चिंता होती है कि 'आधुनिक' परिवेश में भी जातिगत पूर्वाग्रह समाप्त नहीं होते। हाल के एक अध्ययन से इस बात का पता चला है कि ख़ास दिल्ली के अंदर जातिगत भेदभाव की घटनाएं घटित होती आ रही है, जहां कुछ अध्यापक सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चों को प्रवेश देने की आलोचना करते हैं। जैसा कि एक अध्यापक ने बड़े कड़े शब्दों में यह कहा कि - "अनुसूचित जातियों के बच्चों को पढ़ा के क्या फायदा है, उनको बैंड बाजा सिखा दो......बस उतना ही ठीक है।

***इस प्रकार के प्रत्यक्ष भेदभाव के शिकार होने के अलावा, असुविधा प्राप्त बच्चों को इस बात का भी नुकसान होता है कि अपना अधिक जोर उँची कक्षाओं (प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 4 और 5) पर और उन बच्चों पर लगाते हैं, जिन्हें वे अधिक योग्य समझते हैं। उनके ये कृपा पात्र विद्यार्थी आमतौर पर ऐसे परिवारों के होते हैं, जो घर में पढ़ाई के वातावरण की व्यवस्था बढ़िया तरीके से कर सकते हैं।

5.28 कक्षा के भीतर भेदभाव तथा परिवार की कम आय भी, अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के विद्यार्थी को, स्कूल के प्रारंभिक चरण में, बीच में ही पढ़ाइ छोड़ने के लिए विवश करती है। गरीब परिवारों में एक बच्चे द्वारा पढ़ाई जारी रखने की लागत के अवसर को प्रायः मजदूरी की हानि के अनुसार ही आंका जाता है जो फिरोजाबाद में चूड़ी कारखाना अथवा शिवाकासी में पटाखों का निर्माण करने वाले कारखाने में एक बाल श्रम के रूप में कमा सकता था। अन्य स्थानों पर उसकी योग्यता सहायता के अनुसार मूल्यांकित की जा सकती है जो वह अपने परिवार के पारम्परिक व्यवसाय में अथवा एक होटल में अथवा किसी घर में एक मजदूर के रूप में दे सकता है। मध्याहन भोजन योजनाएं, जो स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अतिरिक्त भोजन की पूर्ति करती हैं, बीच में ही शिक्षा छोड़ने की दर को कम करती हैं। अधिक स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में लाने के लिए, मध्याह्न भोजन योजनाओं में अतिरिक्त निवेश महत्वपूर्ण हैं। स्कीम को जारी रखने के परिणामस्वरूप लड़कों तथा लड़कियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है

5.29 मौसमी प्रवासी मजदूरों अथवा निर्माण स्थलों पर मजदूरों के बच्चों को उनके माता-पिता का प्रायः स्थानान्तरण होने के कारण, बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ट्रांजिट छात्रावास एवं स्कूल, माता-पिता के स्थानान्तरण होने के कारण, बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाइ छोड़ने की समस्या का समाधान करते हैं। आयोग ने पाया है कि आंध्र प्रदेश आवासी स्कूल समिति ने, अनु0 जा0 तथा अनु0जनजाति के बच्चें को शिक्षा देने के लिए, असाधारण कार्य किया है। अन्य राज्यों को भी ए.पी.आवासीय समिति के अनुभव का अनुसरण करना चाहिए।

5.30 1961 की जनगणना और उसके बाद पुरुषों, महिलाओं की साक्षरता की प्रवृत्तियों और कुल जनसंख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के समूचे स्तर की जानकारी **अनुबन्ध 5.v** में दी गई है, जिसका सारांश नीचे दिया गया हैः-

1961 से 1991 तक की साक्षरता की प्रवृत्तियां

वर्ष	कुल जनसंख्या		अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां			
	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1961	34.44	12.95	24.02	16.96	3.29	10.27	13.83	3.16	8.54
1971	39.45	18.72	29.46	22.36	6.44	14.67	17.63	4.85	11.39
1981	46.90	29.85	43.67	31.12	10.93	21.38	24.52	8.05	16.35
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.60

5.31 तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साक्षारता स्तरों में 1961 से नियमित वृद्धि हुई है। अनु0 जा0/अनु0ज0जाति जनसंख्या के पुरुष तथा महिला दोनों के साक्षरता स्तर में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि दर्शाई गई है।

5.32 तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनु0जा0/अनु0जनजाति की साक्षरता दर की वृद्धि के बावजूद, अनु0जा0/अनु0जनजाति तथा कुल जनसंख्या की साक्षरता दर में अन्तर अधिक कम नहीं हुआ है। वास्तव में महिला के मामले में साक्षरता दर का अन्तर, कुल जनसंख्या तथा दोनों अनु0जा0/अनु0जनजाति परिवारों में, बढ़ गया है। अनु0जा0/अनु0ज0जा0 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में अन्तर निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में अंतर

वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1961	17.48	9.66	13.75	20.61	09.79	15.48
1971	17.09	12.28	14.79	21.82	13.87	18.07
1981	14.38	18.90	22.29	20.98	21.80	27.32
1991	14.22	15.53	14.80	23.48	21.10	22.61

उपर्युक्त तालिका में दिए गए साक्षरता दर के झुकावों से यह देखा जा सकता है कि 1961 में महिला साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 12.95 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति की महिला के मामले में साक्षरता दर 3.29 प्रतिशत थी । इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा कुल जनसंख्या के बीच साक्षरता दर में 9.66 प्रतिशत का अंतर था। तालिका 3 में साक्षरता में अंतर, उसी प्रकार से पुरुष, महिला तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के लिए, 1961 से 1991 की अवधि के दौरान निकाला गया है। इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के मामले में साक्षरता में अंतर 1961 में 9.66 प्रतिशत था जो 1981 में बढ़ कर 19.9 प्रतिशत तथा 1991 में 15.53 प्रतिशत तक बना हुआ है। तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिला के मामले में साक्षरता दर में अंतर 1961 में 9.79 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 21.10

प्रतिशत हो गया है। उसी प्रकार 1961 से 1991 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष साक्षरता का अंतर भी बढ़ा है।

5.33 महिलाओं की साक्षरता की जो स्थिति है, वह विशेष रूप से भारी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता की दर अभी भी 10 प्रतिशत से कम है। भारतीय समाज के अति प्राचीन रीति और रिवाज होने के कारण लड़कियों तथा महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में सामान्यतः प्रेरित नहीं किया जाता है। ये बढ़त परम्परागत व्यवहार ज्ञानोदेय रोकते हैं तथा परिवारों की आय कम करते हैं। लड़कियों तथा महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए शिक्षा तथा रोजगार में लड़कियों तथा महिलाओं हेतु जागरुकता कार्यक्रम, अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामाजिक सुधार निर्णायक हैं। तीव्र आर्थिक सुनिश्चित्त करने के लिए महिलाओं हेतु छात्रावास, ट्रांजिस्ट आवास, अधिकार तथा आरक्षण आदि अत्यन्त आवश्यक है। साक्षरता को बढ़ावा देने के अभियानों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ी-लिखी मां, सुरक्षित मातृत्व और बच्चों की देखभाल के उन तरीकों को, जो परम्परागत तरीकों से भिन्न हों, बेहतर समझ सकती है। इस संदर्भ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है। समाज में इन दो वर्गों की साक्षरता दरें सबसे खराब हैं। साक्षरता अभियान चलाने वाले अभिकरण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं तक पहुंचने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

5.34 बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थिति का अध्ययन करने के बाद, (प्रोब) ने यह विचार व्यक्त किया है कि स्वयं स्कूल प्रणाली जनता के विभिन्न वर्गों के साथ एक समान व्यवहार नहीं करती। शोषित वर्गों के लिए भेदभाव विभिन्न प्रकार से जातीय है। इन रूपों को स्पष्ट करते हुए प्रोब के अध्ययन में यह बात कही गई है, " पहले बहु मार्ग प्रणाली " विकसित की गई है, जिसके द्वारा लोगों के विभिन्न वर्गों को स्कूलिंग के विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसका एक पहलू है, सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों के बीच का बुनियादी भेद। गैर-सरकारी स्कूलों का प्रबंध बेहतर होता है, वे अधिक महंगे होते है और वे सुविधा प्राप्त परिवारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। कुछ गांवों में (उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में कोटा शिव प्रताप सिंह) में एक विशेष प्रकार का सामाजिक भेदभाव विकसित हुआ है, जिसके द्वारा अधिकतर दलित बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जबकि उच्च जातियों के अधिकतर बच्चे गैरसरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस बहु-मार्गी पद्धति (मल्टीपल ट्रैक पेटर्न) का एक अन्य पहलू है औपचारिक और अनौपचारिक स्कूल सुविधाओं में अंतर। उत्तरोक्त, जिसमें कम लागत वाले विभिन्न प्रकार के स्कूलिंग प्रबंध शामिल है, अधिकतर सुविधाहीन क्षेत्रों में संकेन्द्रित होती हैं। यद्यपि ये सुविधाएं इन क्षेत्रों में औपचारिक स्कूलों की बहुमूल्य पूरक बन सकती हैं (जैसे बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को कुछ शिक्षा प्रदान की जा सकती है), लेकिन वे अक्सर वास्तविक स्कूलों के दूसरे दर्जे के प्रतिस्थापन का रूप ले लेते हैं।

5.35 दूसरे, सरकारी स्कूल प्रणाली के अंदर भी, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में अंतर होता है। किसी सरकारी स्कूल का बुनियादी ढांचा (अर्थात् अध्यापकों की संख्या, इमारत की किस्म, अध्यापन के सहायक उपकरणों की किस्म) असुविधा प्राप्त गांवों की तुलना में सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों में कहीं बेहतर होता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में पक्की इमारतों वाले स्कूलों का अनुपात इन्दौर में (जो एक सम्पन्न जिला है) 88 प्रतिशत है, जबकि बस्तर में (जो

एक जनजातीय जिला है)दो प्रतिशत है। दिल्ली में भी, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता (क्वालिटी)में थोड़े-थोड़े फासले पर बहुत फर्क होता है, जो पास-पड़ोस की सामाजिक संरचना पर निर्भर होता है।

5.36 तीसरे, एक ही स्कूल के अंदर भी, भिन्न-भिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ अलग-अलग किस्म का व्यवहार होता है। इसमें भेदभाव के कुछ स्पष्ट रूप शामिल हैं जो इतिहास से संबंधित माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कुछ ऐसे स्कूल देखें हैं, जहां दलित बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बैठना पड़ता है (जैसे मिर्जापुर में दुबरकलां गांव में), अथवा जहां कुछ जातियों के बच्चे बैंचों पर बैठते हैं, जबकि अन्य बच्चे फर्श पर बैठते हैं। हमने ऐसे गांव भी देखे हैं जहां बिल्कुल आस-पास स्थित दो सरकारी स्कूलों का उपयोग भिन्न-भिन्न जातियों द्वारा किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के प्रकट भेदभाव के इन मामलों की तुलना में कक्षाओं में सूक्ष्म रूप से किया जाने वाला असमान व्यवहार कहीं अधिक व्यापक है।

5.37 सरकार स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की हाजिरी में सुधार करने के लिए बहुत से प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

i. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर वजीफे देने की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम।

ii. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां देने की केंद्र प्रायोजित स्कीम।

iii. अति निम्न साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिणिक विकास कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम।

iv. अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित स्कीम।

v. अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित स्कीम।

vi. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक।

vii. अनुसूचित जन जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल।

viii. अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल।

ix. जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल।

x. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों (पाकेटों) में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए शैक्षणिक काम्पलेक्स।

xi. अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए रिहायशी स्कूल, जहां वे उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सकें।

5.38 इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के स्तर में और स्कूलों में इन जातियों के बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण में स्पष्ट सुधार हुआ है। तथापि, यद्यपि अनु0जा0/अनु0 जनजाति की शिक्षा में सुधारों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, फिर भी परिणाम इस प्रयोजन के लिए किए गए निवेशों के अनुरूप नहीं है। अनेक योजनाओं के व्यावहारिक कार्य पूर्ण रूप से दयनीय तथा असंतोषजनक हैं। भ्रष्टाचार से भी अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के जीवन को लालफीता तथा नौकरशाही की उदासीनता अत्यधिक दुखद बनाती है। पर्यवेक्षण, समीक्षा तथा अतवर्तन में कमी आ रही है। इन कार्यक्रमों के संचालन में सुधार के लिए प्रक्रियाओं को विद्यार्थी निकायों की सलाह से सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनु0 जाति/अनु0जनजाति की छात्राओं के कल्याण के लिए बालिका हेतु कस्तूरबा गांधी स्कीम के लिए बजट में व्यवस्था कर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि कुछ वर्षों से इस योजना के लिए बजट प्रावधान करने पर भी यह स्कीम अभी आगे नहीं बढ़ पाई। मंत्रालय को इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

5.39 इन प्रोत्साहन कार्यक्रमों की भांति राज्य सरकारें अपने खुद के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं, जिनमें से कुछ समाज के सभी वर्गों के लिए हैं। आयोग को राज्यों के दौरों के समय यह सूचित किया गया कि कुछ राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए उनका पता लगा रही है। आयोग ऐसे प्रोत्साहनों की सराहना करता है और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की नई स्कीमें तैयार करें। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने " डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना " नामक एक ऐसी स्कीम को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष अनुसूचित जाति के 1000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, चाहे उनके माता-पिता की आय कितनी भी हो। प्रोब की टीम द्वारा अपने क्षेत्रीय दौरों के समय यह पाया गया कि पुस्तक बैंक जैसे प्रोत्साहनों के मामले में, कई बार अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने पाया कि शोषित वर्गों के विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकें दी जाती थीं, जबकि उच्च जाति के विद्यार्थियों को नई पुस्तकें दी जाती थीं। तथापि, उनका विशेषकर तकनीकी तथा विज्ञान पाठ्यक्रमों में पिछडना अभी भी जारी है।

5.40 जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि अनु0जाति तथ अनु0जनजाति की शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का विशिष्टीकरण है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारें, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा की प्राइवेट तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने पर विचार कर सकती हैं तथा सरकारी संस्थाओं में समान वर्गों के विद्यार्थियों को दिए जा रहे सामान्य वजीफों के अतिरिक्त, ऐसी संस्थाओं में उनकी पूरी फीस के लिए आर्थिक सहायता दे सकती है।

5.41 **अनुबन्ध 5.vi** से यह देखा जा सकता है कि कक्षा xi और xii में विज्ञान, तकनीकी और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधत्व कम है। इस संबंध में हम स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक, मिडिल तथ माध्यमिक स्तर पर अनु0जा0 तथा अनु0 जनजाति के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व निम्न तालिका में दिया गया है:-

स्कूलों में अध्यापकों की स्थिति

		सभी जातियां	अनुसूचित जातियां	अनु.जन.जातियां
(i)	**प्राथमिक**			
	ग्रामीण	1275218	1592488 (12.49%)	114933 (9.01%)
	शहरी	348161	24592 (7.06%)	9213 (2.65%)
	जोड़	1623379	183840 (11.32%)	124146 (7.65%)
(ii)	**उच्च प्राथमिक**			
	ग्रामीण	790271	78063 (9.88%)	61921 (7.84%)
	शहरी	33946	23151 (6.82%)	10805 (3.18%)
	जोड़	1129747	101214 (8.96%)	72726 (6.44%)
(iii)	**माध्यमिक**			
	ग्रामीण	532328	38073 (7.15%)	21794 (4.09%)
	शहरी	297077	15535 (5.23%)	7839 (2.64%)
	जोड़	829405	53608 (6.46%)	29633 (3.57%)
(iv)	**उच्चतर माध्यमिक**			
	ग्रामीण	247584	18802 (7.59%)	8013 (3.24%)
	शहरी	367440	19726 (5.37%)	6552 (1.78%)
	जोड़	615024	38531 (6.26%)	14565 (2.37%)
(v)	कुल			
	ग्रामीण	2845401	294186 (10.34%)	206661 (7.26%)
	शहरी	1352154	83007 (6.14%)	34409 (2.54%)
	जोड़	4197555	377193 (8.99%)	241070 (5.74%)

स्त्रोत: छठा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण

टिप्पणी: कोठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दिखाते हैं।

5.42 इस तालिका से पता चलता है कि कुल अध्यापकों में अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या 8.99 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की संख्या केवल 5.74 प्रतिशत है। इस तालिका से इस तथ्य का भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

दोनों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व शहरी क्षेत्रों में कम है और उच्च कक्षाओं में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में उच्च कक्षाओं में विशेष रूप से कम है।

स्वास्थ्य देखभाल

5.43. स्वास्थ्य देखभाल के मानंदडों में 3000 से 5000 तक की जनसंख्या के लिए, क्षेत्र के स्वरूप और स्थान के आधार पर एक उप-केन्द्र 20000-30000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रति चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था है। दूर-दराज के क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, पहाड़ों और दूरस्थ गांवों का ध्यान रखते हुए जहां पर अधिकतर जनजातीय आबादियां संकेन्द्रित हैं, जनसंख्या के कवरेज के मानदंडों में ढील देकर सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5000 की जनसंख्या के लिए एक उप केन्द्र की तुलना में पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में प्रति 20,000 व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रति 3000 की जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 15 प्रतिशत उपन्केन्द्र अनुसूचित जातियों की बस्तियों अथवा ऐसे गांवों में खोलें, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने वार्षिक लक्ष्यों का 7.5 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि उन जनजातीय आबादियों और अनुसूचित जातियों की बस्तियों के लिए जो मौजूदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाले केंन्द्रो से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों, उप-केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए और ढील दें। इन मानदंडों के आधार पर, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया गया है और नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) ड्राफ्ट दस्तावेज में यह कहा गया है कि इन मानदंडों के अनुसार 1991 की जनसंख्या के लिए 1,34,108 उप-केन्द्रो 22,349 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 5,587 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। इसकी तुलना में 30.6.96 की स्थिति के अनुसार 1,32,730 उपन्केन्द्र, 21,854 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2424 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 20972 उपकेंद्र, 3336 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 470 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, देश के जनजातीय क्षेत्रों में 1,122 ऐलोपैथिक औषधालय, 120 ऐलोपैथिक अस्पताल, 78 ऐलोपेथिक चल क्लिनिक, 1,106 आयुर्वेदिक औषधालय , 24 आयुर्वेदिक अस्पताल, 251 होम्योपेथिक औषधालय , 28 होम्योपेथिक अस्पताल, 42 यूनानी औषधालय और 7 सिद्ध औषधालय काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की अपेक्षित संख्या का हिसाब भी लगाया है, जो क्रमशः 25488, 3985 और 846 है। इस प्रकार, जून, 1998 तक जनजातीय क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में से 82.7 प्रतिशत उप-केंद्र, 83.7 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 55.5 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

5.44 इसी प्रकार, 16845 उप-केंद्र, 5987 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 373 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनुसूचित जातियों की उन बस्तियों/गांवों में स्थापित किए गए हैं, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। इसके अलावा देश के अनुसूचित जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में 980 ऐलोपेथिक औषधालय, 1042 आयुर्वेदिक औषधालय, 480 होम्योपेथिक औषधालय, 68 यूनानी/सिद्ध औषधालय काम कर रहे हैं।

5.45 ऊपर दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में, जिसमें जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जातियों की बस्तियां भी शामिल हैं, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का एक विशाल जाल (नेटवर्क) है।

5.46 लेकिन इन उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यसंचालन से पता चलता है कि अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई डाक्टर अथवा औषधियां नहीं हैं। परिणामतः इनमें से बहुत सी संस्थाओं का अस्तित्व केवल कागजों में है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थिति यही है। आयोग की एक प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1997 में सूचित किया था कि 279 जनजातीय विकास खंडों में डाक्टर उपलब्ध नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित उपकेंद्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 971 पद और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के 907 पद खाली पड़े हुए थे, क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित योग्यताओं वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। आयोग के अध्यक्ष के जगदलपुर मध्य प्रदेश के दौरे के समय यह सूचित किया गया था कि उस जिले में डाक्टरों के 122 पद खाली पड़े थे।

5.47 दूर-दराज के इलाकों में, दवाईयों का अभाव एक अन्य प्रमुख समस्या है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-केंद्र, जहां चिकित्सा और पैरा-चिकित्सा कर्मचारी वास्तव में तैनात हैं, कारगर ढंग से काम करने में असमर्थ हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों में तैनात डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस किया जाना एक अन्य समस्या है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट से पता चलता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में जाने वाले गरीब रोगियों को अपने इलाज के लिए डाक्टरों को फीस देनी पड़ती है। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों की दवाईयों के स्टाक का उपयोग इन स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए किया जाता है। ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली की असफलता के परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से क्षेत्रों में नीमहकीम और नकली डाक्टरों की भरमार हो गई है। इस संबंध में आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टर और पैरा-मेडिकल कर्मचारी तैनात करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए, जिनमें रिहायशी मकान आदि जैसे बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना और अतिरिक्त भत्तों के रूप में प्रोत्साहन देना शामिल है। इसके साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल संस्थाओं के कार्यसंचालन पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत है।

5.48. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बीमारी का मंहगा उपचार प्राप्त करने में गरीब लोगों को सहायता देने के लिए एक नई योजना की पहल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सिफारिश पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष की स्थापना की है। इस कोष का मुख्य प्रयोजन, समाज के अति संवेदनशील वर्गों को वित्तीय सहायता देना है जिसमें अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की जनसंख्या शामिल है, जिन्हें बड़ी बीमारी की स्थिति में महंगा उपचार लेने के योग्य बनाया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें इस कोष के अंतर्गत सहायता देने पर विचार करने के लिए उनके आवेदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेज सकती हैं। आवश्यक वित्तीय सहायता देने के अलग-अलग मामलों पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विचार किया जाएगा, जहां ऐसे कोष स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे सभी मामलों में, जहां अपेक्षित सहायता की राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक हो, आवेदन राष्ट्रीय रोग सहायता कोष की प्रबंध समिति के पास उसके विचारार्थ भेजे जा सकते हैं। कोष में अंशदान को प्रोत्साहन देने के लिए, कोष में दिए जाने वाले अंशदान आय-कर से मुक्त हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, जहां ऐसे

कोष स्थापित किए गए हैं, और अब तक जारी किए गए सहायता अनुदानों का व्योरा नीचे दिया गया है-

1996-97

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि
1.	कर्नाटक	5 करोड़ रुपए
2.	मध्य प्रदेश	5 ,, ,,
3.	त्रिपुरा	5 ,, ,,
4.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	50 लाख रुपए

1997-98

1.	आंध्र प्रदेश	5 करोड़ रुपए
2.	तमिलनाडु	5 ,, ,,
3.	हिमाचल प्रदेश	25 लाख रुपए
4.	जम्मू और कश्मीर	20 लाख रुपए
5.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दूसरी किस्त)	25 लाख रुपए

1998-99

1.	पश्चिम बंगाल	50 लाख रुपए
2.	महाराष्ट्र	2 करोड़ रुपए

5.49 शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भली-भांति आयोजित और संगठित नहीं है। इसलिए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि शहरी क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभल सेवाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह इस बात को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि गांवों के लोग बहुत बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों में आकर बस गए हैं।

आवास

5.50 1991 की जनगणना के अनुसार, ऐसे 3.41 मिलियन ग्रामीण परिवार हैं जो आश्रयहीन हैं। इसके अलावा, लगभग 10.31 मिलियन परिवार अप्रयोज्य कच्चे मकानों में रहते हैं। इसलिए कुल लगभग 18.72 मिलियन आवासों की कमी है। इस कमी में गरीब और गैर-गरीब दोनों प्रकार के परिवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि आश्रयहीन व्यक्तियों में औसत रूप से प्रति वर्ष 0.89 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हो जाने से 1991-2002 के बीच 10.75 मिलियन और मकानों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वर्ष 2002 तक लगभग 24.5 मिलियन मकानों का निर्माण करना जरूरी होगा। अनुमान है कि केंद्र और राज्यों की विभिन्न आवास स्कीमों के अंतर्गत 6.8 मिलियम मकानों का निर्माण पहले ही हो चुका होगा। इस प्रकार, मकानों की कुल कमी लगभग 17.67 मिलियन होगी। इसमें से 10.3 मिलियन मकानों के उन्नयन की आवश्यकता होगी और 7.36 मिलियन नए मकान बनाने होंगे।

5.51 भारत सरकार, गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को रिहायशी इकाई मुफ्त प्रदान करने के लिए 1985-86 से इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन कर रही है। यह 100 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी लागत का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच 80 : 20 में

किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित धनराशि का वितरण जिलों के बीच, जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुमत प्रति-मकान निर्माण सहायता की राशि मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपए और पहाड़ी एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22,000 रुपए हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभभोगियों का निर्धारण संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा पात्र परिवारों की सूची में से किया जाता है। पंचायत समितियों का अनुमोदन जरूरी नहीं होता है। इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिनकी स्थापना देश के प्रत्येक जिले में विशेष रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए की गई है, अथवा जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर, खंड विकास तंत्र को ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाभभोगियों का चुनाव करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की है। स्वच्छ शौचालयों और कम ईंधन की लागत वाले चूल्हों का निर्माण, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का अभिन्न अंग है। 1997-98 में इंदिरा आवास योजना के वित्तीय और भौतिक कार्य-निष्पादन की जानकारी **अनुबन्ध 5.VII** और **अनुबन्ध 5.VIII** में दी गई है। **अनुबन्ध 5.VIII** से यह देखा जा सकता है कि मकानों के निर्माण के संबंध में लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं और 7.18 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 4.62 लाख मकान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों के लिए निर्धारित किए गए थे, जो कुल मकानों के 64 प्रतिशत के बराबर है। कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय का उपयोग अनुबन्ध में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्ष्यद्वीप में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग लगभग 50 प्रतिशत अथवा उससे भी कम हुआ। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा राज्यों में भी संसाधनों का उपयोग संतोषजनक नहीं रहा (अर्थात 80 प्रतिशत से कम)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी से पता चलता है कि अन्य राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम का बेहतर मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है।

5.52 भारत सरकार ने उन लोगों के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए, जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, इंदिरा आवास योजना की एक उप-स्कीम के रूप में ऋण-व-सब्सिडी की एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस मामले में लाभ केवल उन परिवारों तक सीमित होंगे, जिनकी आमदनी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के आय-स्तर से दुगुनी तक हो। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी की राशि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। इसी प्रकार, ऋण की राशि भी इंदिरा आवास योजना की सीमा के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। ऋण संबंधी आवश्यकताओं के संघटक की पूर्ति वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की विंडो के माध्यम से की जाएगी। प्रारंभ में, इस स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष 3.5 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है। उन गरीब लोगों की सहायता के लिए, जो गरीबी की रेखा से मामूली से ऊपर है यह एक अच्छा प्रस्ताव प्रतीत होता है। इस उप-स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

5.53 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण आवास और विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने यह देखा है कि हुडको अपने कुल आवास-संसाधनों के केवल 15 प्रतिशत के बराबर संसाधनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर रहा है और इसी प्रकार आवास का वित्तपोषण करने वाली अन्य संस्थाओं की पहुंच भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सीमित है। इसलिए मंत्रालय ने ग्रामीण आवास के वित्तपोषण के लिए एक अलग निगम स्थापित करने का निश्चय किया है। लेकिन 50 करोड़ रुपए की

इक्विटी की बजटीय सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी की मात्रा को देखते हुए, बहुत कम प्रतीत होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण आवास और विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग से निधियां निर्धारित की जानी चाहिए।

5.54 प्रौद्योगिकी, आबादी और ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की ओर अभ्बिन्दुकरण की व्यवस्था करने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। आशा की जाती है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन से एक पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के अंदर गरीबों के लिए ग्रामीण आवास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों का उपयोग सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की स्थापना करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

5.55 इस प्रकार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या पर काबू पाने के लिए कदम उठा रहा है। लेकिन यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता (क्वालिटी) वाले नहीं हैं और इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल धनराशियों का निवेश किया गया है, इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। मकानों का निर्माण रोजगार आश्वासन योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए। इससे निर्माण से जुड़े हुए उद्योगों (सीमेंट, लकड़ी, परिवहन आदि) पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

5.56 आवासीय क्षेत्र अथवा बस्तियां जिनमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में अत्यधिक अस्वास्थ्यकर स्थिति होती हैं। शहरों के मामलों में स्थिति और भी खराब है जहां मकानों की ऊंची कीमतों के कारण अनु0 जाति /अनु0 जनजाति के लोग शहरों के योजनाबद्ध क्षेत्रों में मकानों की खरीद में असमर्थ हैं। जनसंख्या संकेन्द्रण, प्लेग, बहु बीमारियों, गन्दगी, हिंसा और अपराधों का कारण बनता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार और गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए बैरेक्स तथा सामान्य सुविधाएं, सस्ते मकान आदि मास्टर प्लानों के अनुसार उचित ढंग से नियमित तथा कार्यान्वित किए जाने चाहिएं। उचित शहरी योजना तथा क्षेत्रों के सृजन (आवासीय, वाणिज्यिक, पार्किंग, मनोरंजन आदि) के बिना शहर में जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हुडको, गृह विकास एवं वित्त निगम तथा अन्य अभिकरण, जो आवास के लिए ऋण देने में लगे हुए हैं, अपनी ब्याज की दरों में कमी करें ताकि अनु0जाति0/अनु0जनजाति के लोग भी अपेक्षित ऋण प्राप्त कर सकें।

ग्रामीण सड़कें

5.57 सड़कों के एक कुशल नेटवर्क का विकास किसी क्षेत्र के समग्र विकास की एक पूर्व शर्त है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों को आपस में जोड़ना एक दीर्घकालिक लक्ष्य था। इसके साथ ही यह परिकल्पना की गई थी कि 1500 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बारह मासी सड़कों द्वारा आपस में जोड़ दिया जाएगा। योजना आयोग का अनुमान है कि आठवीं योजना के अंत तक ऐसे 85 प्रतिशत गांव बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन नौंवी योजना का लक्ष्य 85 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ना है। 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले 75 प्रतिशत गांवों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय, तटवर्ती, नदी तटवर्ती और रेगस्तानी क्षेत्रों में भी 500 से अधिक की

जनसंख्या वाले 100 प्रतिशत गांवों को कवर किया जाना चाहिए। योजना आयोग के अनुसार भारत के 40 प्रतिशत से भी अधिक गांवों को अभी बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ा जाना बाकी है। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि गांवों के आपस में जुड़ने और गरीबी के बीच बड़ा प्रबल सह-संबंध है और इसलिए अच्छी और खराब सड़कों के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता के रहन-सहन की स्थितियों में भारी असमानता उत्पन्न हो जाती है।

5.58 स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सामाजिक सेवाओं के अभाव और जनजातीय क्षेत्रों तथा कस्बों और शहरों के बीच आर्थिक एकीकरण के अभाव का एक प्रमुख कारण यह है कि दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की कमी है। राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने के बारे में उत्तरोत्तर गठित वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में खेद प्रकट किया है। अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण सड़कें खराब हो जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक नुकसान जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों को होता है।

5.59 जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के बाहुल्य वाली बस्तियों में सड़कों के नेटवर्क के विकास के लिए बृहद योजनाएं (मास्टर प्लान) तैयार करनी चाहिए और वर्ष 2002 तक सभी गांवों को जोड़ने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि नौंवी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा परिकल्पना की गई है। सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नियंत्रित बाजारों आदि को शामिल करना आवश्यक है। स्वैच्छिक संगठन, तथा समुदायों पर आधरित संगठन, एक कुशल सड़क नेटवर्क की स्थापना में, लोगों (श्रमदान, अंशदान, व्यावसायिक सलाह आदि) को तैयार कर सकते हैं। मरम्मत तथा रख-रखाव भी पंचायत के करों, प्रभावों आदि से किया जा सकता है।

पोषहार

5.60 देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने से, खाद्यानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो 1951 में 394.9 ग्राम प्रति दिन थी, बढ़कर 1997 में 512.1 ग्राम प्रति दिन हो गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अवधि में जनसंख्या 30 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो गई है, खाद्यानों की उपलब्धता के संबंध में प्राप्त हुई उपलब्धि उल्लेखनीय है। देश में इन उपलब्धियों के परिणामस्वरूप, देश दुर्भिक्ष की समस्या पर काबू पा सका है और लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार हुआ है, जिसका पता शिशु मृत्युदर और जन्म के समय जीने की संभावना आदि जैसे स्वास्थ्य संबंधी निर्देशकों में हुए सुधार से लगता है।

5.61 लेकिन, कृषि उत्पादन और खाद्यानों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों में खाद्य के उपभोग की मात्रा में समानता नहीं आई है। इस अध्याय के पहले भाग में गरीबों के लिए खाद्य की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित भाग में की गई है। यह नोट किया गया था कि समाज के गरीब वर्गों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप दिया गया है। बच्चों और महिलाओं के मामले में कुपोषण की समस्या अधिक गंभीर है। इसलिए बच्चों और महिलाओं, विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के बच्चों तथा महिलाओं की पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में एकीकृत बाल विकास स्कीम 1975 में शुरू की गई थी। एकीकृत बाल विकास स्कीम के अंतर्गत जिस लक्ष्यगत समूह को पूरक पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, वह है, 6 महीने से 6 वर्ष

तक आयु वाले बच्चे, गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं। प्रत्येक बच्चे को 300 केलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 15 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 केलोरी तथा गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार बच्चों को 20 ग्राम प्रोटीन और पूरक खाद्य पदार्थ मुहैया करने के प्रयत्न किए जाते हैं। शुरू में जनजातीय क्षेत्रों, सूखा-प्रवण क्षेत्रों और उन खंडों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या का अनुपात काफी अधिक हो। पिछले दो दशकों के दौरान देश में इस कार्यक्रम की व्याप्ति (कवरेज) में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1996 की स्थिति के अनुसार, देश में आई.सी.डी.एस. के 4200 खंड और 5,92,571 आंगनवाडियां हैं, लाभभोगियों की संख्या, जो 1985 में 57 लाख बच्चे और 12 लाख माताएं थी, बढ़कर 1996 में 185 लाख बच्चे और 37 लाख माताएं हो गई। 31.3.98 को आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की जो स्थिति थी, उसकी जानकारी **अनुबन्ध 5.IX** में दी गई है।

5.62 भारतीय पोषाहार प्रतिष्ठान (न्युट्रीशन फांउडेशन आफ इंडिया) और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (नेशनल इंस्टियूट आफ पब्लिक को-ऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डवेलपमेंट) ने आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का मूल्यांकन किया था। एन.आई.पी.सी.सी.डी. द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के आंकड़ों से पता चलता है कि आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में गंभीर कुपोषण के मामले, जो 1976-78 में 15.3 प्रतिशत थे, घटकर 1986-90 में 8.7 प्रतिशत रह गए। आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों के बच्चों का पोषण स्तर आई.सी.डी.एस. से भिन्न क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा बेहतर था। जबकि आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में दूध पिलाने वाली 25 प्रतिशत माताएं अपने स्तनपान करने वाले 6 महीने की आयु के बच्चों को ठोस पूरक आहार देती थी, लेकिन गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में केवल 19 प्रतिशत माताएं ही ऐसा करती थीं। इन मूल्यांकनों से पता चलता है कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम से पोषण स्तर में सुधार के अनुसार दर्शाए गए लाभ अधिक प्रभावशाली नही रहे हैं।

5.63 योजना आयोग ने रिपोर्ट दी है कि इस कार्यक्रम के घटिया कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार बातों में से एक बात यह है कि नियमित आधार पर पूरक खाद्य मुहैया करने के लिए राज्यों से पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है। आयोग यह महसूस करता हे कि यह एक बढ़िया कार्यक्रम है, परन्तु वर्तमान बजट आबंटन पर्याप्त नहीं हैं। निधियां केवल खाने की सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त हैं न कि खाना बनाने के लिए लकड़ी, ईंधन, बर्तन, रसोइया तथा अन्न के भण्डारण के लिए है। राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त बजट व्यवस्था किए जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम का क्षेत्र इतना विशाल है कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए अपेक्षित धनराशियों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। इसलिए, समाज के केवल कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित करना उचित होगा, जो कुपोषण से प्रभावित हैं। राज्य लक्ष्यगत कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से मानीटर कर सकेंगे और इसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आई.सी.डीएस. केंद्रों का दौरा करने से पता चलता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता जो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले मुख्य कार्मिक है पोषण और संवृद्धि की मानीटरिंग करने में प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य वस्तुएं इन केंद्रों पर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं। यह भी देखा गया है कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के साथ प्रायः भेदभाव किया जाता है और उन्हें अन्य परिवारों के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।आयोग महसूस करता है कि आईसीडीएस में अधिक निवेशों की आवश्यकता है। यदि इसे कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाता है तो यह स्कीम, पोषण के एक नाजुक स्तर पर माओं तथा बच्चे के लिए

पोषण की पूर्ति कर सकती है, जिसका असमय मृत्यु, जीने की सम्भावना, स्कूलों में निष्पादन, स्वास्थ्य सुधार तथा बीमारियों को रोकने पर सकारात्मक प्रभव हो सकता है।

5.64 स्कूलों में पोषण सहायता का एक अन्य कार्यक्रम, जिसे मध्याह्न भोजन की स्कीम कहा जाता है, 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रव्यापी आधार पर शुरू किया गया था। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना भी है। मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम पहले तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा शुरू किए गए थे। शहरी क्षेत्रों सहित देश के 507 जिलों के सभी 5440 खंडों में सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकायों के स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रम का विस्तार किया गया अनुमान है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान देश के लगभग 5.41 लाख प्राथमिक स्कूलों में 9.11 करोड़ बच्चे इस कार्यक्रम के लाभभोगी हैं। चूंकि स्कूलों में मध्याह्न भेजन स्कीम तथा लड़के तथा लड़कियों के लिए अतिरिक्त खाद्य पूर्ति से बीच में स्कूल छोड़ने वालों की दरों में कमी आई है, इसलिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अतिरिक्त निवेश अतिआवश्यक हैं।

5.65 "प्रोब" के दल ने यह देखा है कि मध्याह्न भोजन की स्कीम का एक सकारात्मक परिणाम है, समाज की विभिन्न जातियों के बच्चों का सामाजिक एकीकरण। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों से भिन्न जातियों के कुछ माता-पिता ने स्कूलों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किए जाने पर आपत्ति की है। आयोग की सिफारिश है कि सामाजिक एकीकरण के रूप में इस कार्यक्रम के प्रभाव को देखते हुए इसे जारी रखा जाना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5.66 कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से ही गरीब व्यक्ति को खाद्य की प्राप्ति में अपने आप वृद्धि नहीं हो जाती। जैसा कि डा. अमर्त्य सेन ने नोट किया है, अफ्रीकी और एशिया के कुछ भागों में उस समय भी अकाल पड़े, जब फसल बिल्कुल सामान्य थी। गरीब लोगों में क्रयशक्ति का अभाव गरीबों के लिए खाद्य असुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहा है। देश में गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम शुरू में 1960 के दशक में खाद्यान्नों का संकट-रोधक भंडार बनाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि कम उत्पादन वाले समय में मांग को पूरा किया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी हाल तक, बिना किसी लक्ष्य के, सभी उपभोक्ताओं के लिए सामान्य हकदारिता वाली स्कीम थी। पिछले कई वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन कीमतों में वृद्धि किए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपभोक्ता कीमतों में भी तदनुरूप वृद्धि हुई, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों तक गरीबों की आर्थिक पहुंच पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, एक ऐसी प्रणाली में, जिसमें सबकी अर्थात अमीर और गरीब की एक जैसी पहुंच हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अमीर लोगों को खाद्य प्राप्त करने में सब्सिडी मुहैया करती है, जबकि गरीबों को खाद्यान्नों की अपर्याप्त मात्रा से ही तसल्ली करनी पड़ती है। योजना आयोग ने रिपोर्ट दी है कि सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक परिणाम यह है कि उन राज्यों में, जहां गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लिए जाने वाले खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति मात्रा सबसे कम रही है।

5.67 1.6.1997 से सरकार ने लक्ष्यगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) बनाने का निश्चय किया। टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर प्रति परिवार प्रति मास 10 किलोग्राम खाद्यान्न सब्सिडी प्राप्त दरों पर जारी किया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से भिन्न परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मौजूदा पेटर्न पर खाद्यान्न लेने का हक है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि योजना आयोग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति के बारे में एक कार्य-दल अगस्त, 1995 में गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध किया जाना चाहिए। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीति पर गठित कार्य दल द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को दस किलों की बजाय बीस किलोग्राम खाद्यान प्रति परिवार प्रति मास जारी करने की सिफारिशक की गई थी। इस मात्रा को फिर 20 किलोग्राम से दस किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास करने से गरीब परिवारों को उपलब्ध किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में बहुत कमी हुई है। यदि यह माना जाए कि एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो खाद्यान्नों की उपलब्धता 2 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास बैठती है। गरीब लोगों की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह मात्रा बिल्कुल अपर्याप्त है। आयोग सिफारिश करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार गरीब लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों की ओर ध्यान केन्द्रित कर दिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त खाद्यान्न हैं। इस समय चावल तथा गेहूँ का निर्यात किया जा रहा है। अतः, योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रत्येक अनु0जा0/अनु0जन0जा0 परिवार को प्रतिमाह कम से कम 20 कि0ग्रा0 खाद्यान्न देना संभव हो सकता है।

5.68 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अक्सर चोरी होने (लीकेज) के आरोप लगाए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए राशन कार्डों की बहुत बड़ी संख्या वास्तविक नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्तियां कम से कम 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक काला बाजार में समाप्त हो जाती हैं। जब तक ये दोष बने रहेंगे, अनु0 जा0/अनु0ज0जा0 पीड़ित रहेंगे। अनु0जा0 तथा अनु0ज0जा0 के लिए पर्याप्त आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए काला बाजारी को रोका जाना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट में भी यह बताया जाता है कि राशन की दूकानों में सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की क्वालिटी घटिया होती है और वहां खाद्यान्न अक्सर उपलब्ध नहीं होते। इसके लिए उचित दर दूकानों का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने की जरूरत है। यह उचित होगा यदि उचित दर दूकानों के पर्यवेक्षण और सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न की हकदारी के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं को लगाया जाए।

सफाई

5.69 सफाई की धारणा जो पहले मानव-मल के निपटान तक सीमित थी, अब विस्तृत हो गया है और उसमें तरल और ठोस कूड़ा-करकट का निपटान और सफाई, अर्थात् वैयक्तिक, घरेलू और पर्यावर्णीय सफाई भी शामिल है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि विकास योजनाओं में शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में भी मल-निकास (सीवरेज) और जल-निकास (ड्रेनेज) की सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में बड़ी गिरावट आई है और जल से और वेक्टरों से होने वाले संक्रमण से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। देश में तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के कारण भी नदियां और पेयजल के

अन्य स्रोत रसायनिक अवशिष्टों से और अधिक प्रदूषित हो गए है जिससे स्वास्थ्य संबंधी भीषण खतरे पैदा हो गए हैं। नदियों और जल के अन्य स्रोतों के प्रदूषण से समाज के गरीब वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग आमतौर पर गांवों और शहरों के बाहरी इलाकों में रहते हैं जहां जल-निकास की सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं, और ये लोग अक्सर पेयजल की अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जल के इन्हीं स्रोतों पर निर्भर होते हैं।

5.70 मैला उठाने वाले व्यक्तियों की मुक्ति के लिए कम लागत वाली शहरी सफाई की केन्द्र प्रायोजित स्कीम, शहरी सफाई के लिए आठवीं योजना की एक महत्वपूर्ण स्कीम थी। इस स्कीम का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को, जिनकी संख्या लगभग 50 लाख है, कम लागत वाले पोर फ्लश शौचालयों में बदलना और "समूचे शहर" की कवरेज के आधार पर मैला उठाने वाले 100 प्रतिशत व्यक्तियों को मुक्त कराना है। नौवीं पंचवर्षीय के दस्तावेजों में यह बताया गया है कि 31 मार्च, 1997 तक, 14.52 लाख नए शौचालयों का निर्माण करने और अलग-अलग घरों के लिए 90.25 लाख सूखे शौचालयों को कम लागत वाले पोर फ्लश शौचालयों में बदलने और 3463 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने के लिए 1155 शहरों में 760 स्कीमों को स्वीकृति दी गई थी। वास्तव में किए गए कार्य के रूप में, 33.77 लाख यूनिटों में से, जिनके लिए मंजूरी दी गई थी आठवीं योजना की अवधि के अंत तक 6.95 लाख यूनिटों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि केवल 20.6 प्रतिशत उपलब्धि हुई, जो शहरी सफाई के लिए निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है। सरकार द्वारा यह भी बताया गया है की स्कीम के एक मूल्यांकन में यह पाया गया था कि अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल परिवारों ने काफी बड़ी संख्या में पोर फ्लश शौचालयों के निर्माण का लाभ उठाया है। इसके अलावा, जिस प्रौधोगिकी की सिफारिश की गई थी, वह कुछ स्थानों पर अनुपयुक्त पाई गई और कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई।

5.71 गंगा कार्य योजना एक अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के किनारों पर बसे श्रेणी - I के 25 शहरों में सफाई की सुविधाओं में सुधार करने के लिए किया जा रहा है।

5.72 ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेनिटरी (स्वच्छ) शौचालयों द्वारा कवर की गई जनसंख्या 11 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अविध में प्रति वर्ष प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की गई। इस धीमी गति से, ग्रामीण जनता के लिए सफाई की उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में बहुत लम्बा समय लगेगा। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को ग्रामीण सफाई के कार्यक्रमों को अधिक ऊंची प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए और इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों और पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।

5.73 सितम्बर, 1992 में ग्रामीण सफाई के बारे में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने ग्रामीण सफाई के अपने कार्यक्रम, अर्थात आठवीं पंचवर्षीय योजना के केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की समीक्षा की। संशोधित कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सफाई की सुविधाएं मुहैया करने की गति में तेजी लाने, स्वैच्छिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके जागरूकता उत्पन्न करके और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा सफाई की आवश्यकता का महत्व समझने, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौजूदा सूखे शौचालयों को कम

लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदल कर हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधाओं की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई थी।

5.74 इस कार्यक्रम में गांवों में 20 अथवा उससे अधिक के समूह में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा अलग-अलग घरों के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है। निर्माण की प्रति इकाई लागत 2500 रुपए तक सीमित होनी चाहिए, जिसमें 80 प्रतिशत राशि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले चुने हुए लाभभोगियों को सब्सिडी के रूप में अदा की जा सकती है। कुल वार्षिक धनराशियों में कम से कम 25 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों को सब्सिडी देने के लिए और 10 प्रतिशत राशि अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को सब्सिडी देने के लिए अलग निर्धारित की जानी थी, जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कुल लोगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का अनुपात 20 प्रतिशत से कम हो। जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कुल लोगों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक हो, वहां अलग निर्धारित की जाने वाली राशि में कम से कम अनु.जा./अनु.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप वृद्धि की जानी चाहिए। अनु.जा./अनु.ज.जा. और अन्य श्रेणियों के लाभभोगियों के मामले में वैयक्तिक स्वच्छ शौचालयों की अतिरिक्त संख्या के निर्माण के लिए सब्सिडी देने के लिए जवाहर रोजगार योजना से अतिरिक्त धनराशि लेकर उसका उपयोग किया जा सकता है।

5.75 उन चुने हुए गांवों में जहां पंचायतें, धमार्थ न्यास और गैर-सरकारी संगठन केवल महिलाओं के इस्तेमाल के लिए ग्राम काम्पलेक्सों के निर्माण और अनुरक्षण की पेशकश करें, वहां सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए वार्षिक राशियों की 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

5.76 यूनीसेफ ने सेनिटरी मार्ट की स्कीम को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रामकृष्ण मिशन जैसे स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से क्रियान्वित करके सेनिटरी की दूकानों (मार्ट) की धारणा के औचित्य को प्रमाणित कर दिया है। ग्रामीण सेनिटरी मार्ट ऐसे बिक्री केंद्र हैं, जो शौचालयों और अन्य सफाई सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की बिक्री करते हैं। यूनीसेफ 2.00 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार वाले प्रत्येक मार्ट के लिए 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करता है। दो वर्षों लिए 18,000 रुपए तक प्रति वर्ष प्रबंधकीय सब्सिडी दी जाती है। प्रचार के लिए, एक बार दी जाने वाली 12,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। जहां यूनीसेफ की 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध नहीं होती है, वहां केन्द्रीय सरकार ग्रामीण सेनिटरी मार्ट स्थापित करने के लिए सहायता देती है।

5.77 एकीकृत ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत माडल गांवों को विकिसत करने के लिए भी राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, जैसे स्वच्छ शौचालय, सूखे शौचालयों को बदलना, कूड़े-कचरे के लिए गड्डे (गार्बेज पिट), सोकिंग पिट, नालियां, गलियों की पटरियां, आंगनबाड़ी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, धुआंरिहत चूल्हे, तालाबों, जलाशयों की सफाई, स्टैण्ड पोस्टों, हथ-पम्पों के ईद-गिर्द सफाई आदि। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि आंध प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने माडल गांव स्कीम शुरू की है।

5.78 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण में हुई भौतिक प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध - X** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1997-98 में अखिल भारतीय स्तर पर लक्ष्य की लगभग 49 प्रतिशत के बराबर उपलब्धि हुई है। ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति विवरण से पता चलता है कि 1997-98 में 112.72 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध राशि में से 66 प्रतिशत राशि व्यय की गई थी। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में, अनु.जा./अनु.ज.जा. पर हुआ व्यय केवल 28.70 प्रतिशत था। चूंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले व्यय में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए।

5.79 मल निकास, जल निकास, अपशिष्ट निपटान, स्वच्छ शौचालयों आदि में अतिरिक्त निवेश मैला ढोने वालों की दयनीय स्थिति में सुधार करेगा। समस्त सफाई योजनाओं में, मैला ढोने वालों की वास्तविक मुक्ति का अति महत्वपूर्ण प्रयोजन होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजट परिव्यय पर्याप्त नहीं हैं। अनु0जा0 तथ अनु0 ज0जा0 के लाभभोगी भी समस्त लाभों को वास्तविक रूप में नहीं कर पाते। अनु0जा0 तथा अनु0ज0जा0 के घटकों के लिए, व्ययों में अब वृद्धि की जानी चाहिए।

सिफारिशें

5.80 आयोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न घटकों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

i **अनुसूचित जाति की बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा उससे ऊपर के संबंध में जहां इन समुदायों के बच्चों में स्कूल छोड़ने वालों की दर अधिकतर है, विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस समस्या को सही करने के लिए बीच में स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दर के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति की बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों की सुविधाओं की उपलब्धता कम से कम अन्य समुदायों के बच्चों के लिए स्कूल की सुविधाओं के बराबर लाए जाने की आवश्यकता है।**

ii **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों के बच्चों की पहुंच केवल सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों तक है, जिनका शैक्षणिक तथा आधारभूत स्तर बहुत खराब है। ऐसे स्कूलों के स्तर में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।**

iii **योग्य तथा प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाने के लिए आवासीय स्कूलों का एक नैटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, जो पब्लिक स्कूल के मॉडल पर हों। जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय/मार्ग छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिएं और जनजातीय बच्चों को इन मार्ग छात्रावासों में 3 से 4 माह की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए, जब उनके माता-पिता आजीविका की खोज में बाहर जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भोजन, सफाई तथा विद्यालय/छात्रावास भवनों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना चाहिए।**

iv **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए समस्त छात्रवृत्तियां, शिक्षावृत्तियां, इंटर्नशिपस, भत्ते आदि उचित तरीके से बढ़ाए जाने चाहिएं तथा उसकी वृद्धि कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप की जाए।**

v मध्याह्न भोजन योजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों में, बीच में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने में सहायक हुई है। कार्यक्रम का विस्तार बढ़ाया जाना चाहिए तथा उसका कार्यान्वयन सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए।

vi सरकार, कमजोर वर्गों में महिला साक्षरता में सुधार लाने के लिए, कस्तूरबा गांधी स्वतन्त्र विद्यालय योजना के अंतर्गत, 1997-98 से 250 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित करती आ रही है। इस योजना को बिना किसी और देरी के चालू किया जाना चाहिए।

vii प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाए जाने के लिए संविधान (83वां संशोधन) विधेयक 1997 को शीघ्र पारित किया जाए।

viii विद्यमान पब्लिक स्कूलों में, प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को नामित करने के लिए, एक केन्द्रीय योजना तत्काल शुरू की जाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पब्लिक स्कूलों के बराबर गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

ix अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों, शहरी गन्दी बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में उप केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्यमान मानदंडों में उचित तरीके से संशोधन किए जाएं।

x जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाएं बिना योग्य कार्मिकों के कार्य करती हैं। राज्य सरकार को, प्रोत्साहनों के पैकेज की व्यवस्था के माध्यम से मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु स्पष्ट नीतियां तैयार करनी चाहिएं। ऐसे प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के लिए मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल कार्मिकों हेतु अलग संवर्ग का गठन करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में स्वेच्छा से कार्य करने वालों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं।

xi स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभावशीलता और पहुंच से बाहर में सुधार लाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की विद्यमान देशी पद्धतियों को प्रशिक्षण और पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से औषधि की आधुनिक पद्धति के साथ उचित तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए।

xii इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्यों के निर्धारण तक बेहतर सुविधा देने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके लिए एक अलग घटक की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग, अधिकांश राज्यों में, पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं रहा है, जिसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

xiii इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ऋण एवं सहायता योजना को, विशेष रूप से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए, लक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में 20,000/ रुपए और पहाड़ी अथवा कठिन क्षेत्रों में 22,000/- रुपए की विद्यमान सीमा बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि एक परिवार के सदस्यों को बसाने के लिए उचित मकान निर्मित किया जा सके। आयोग सुझाव देता है कि भवन सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण 20,000/- रूपए के स्थान पर प्रति मकान सहायता कम से कम 30,000/-रूपए की जानी चाहिए।

xiv ग्रामीण आवास तथा विकास निगम का समदृष्टि आधार अपर्याप्त है और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इस निगम का विशेष ध्यान, पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को, आवास मुहैया करवाना होना चाहिए।

xv जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन में अगम्यता मुख्य समस्या है। अतः जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने और अन्य सुविधाएं देने के लिए भी उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

xvi आईसीडीएस की लागत का अपना हिस्सा पूरा करने और अपने कार्यक्रमों का आगे विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए अधिकांश राज्य कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां समाज का अधिकांश असुरक्षित वर्ग होने और उनमें कुपोषण का प्रभाव अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम को विशेष रूप से उन पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।

xvii आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और विकास अनुवीक्षण के क्षेत्र में अधिक सघनता से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

xviii आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अस्पृश्यता के व्यवहार के मामले आयोग के ध्यान में आए हैं । संबंधित अधिकारियों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों और उसके कारगर कार्यान्वयन के लिए जानकारी दी जानी चाहिए।

xix योजना आयोग द्वारा 1995 में गठित राष्ट्रीय नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कायर्कारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्नों का दस किलोग्राम का विद्यमान मान बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पीडीएस गरीब वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केन्द्रित होना चाहिए।

xx पंचायती राज संस्थाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के संचालन की देखरेख में तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए, भी शामिल किया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को एक कार्ड जारी करने की भी पहले से व्यवस्था है। इन कार्डों में जाति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

xxi बहुत से राशन कार्डों की संख्या सही नहीं है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित आपूर्तियों की बड़ी मात्रा काले बाजार में समाप्त हो जाती है। जब तक ये कमियां बनी रहती हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य कष्ट झेलते रहेंगे। अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के लिए आपूर्तियों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए काला बाजार और धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए।

xxii अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित राशन की दुकानें उनके द्वारा ही चलाई जानी चाहिए तथा सरकार को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दुकानें अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के नाम से अन्यों द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, सभी आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए।

xxiii स्वाधीनता के 50 वर्षों के बाद भी, देश के कुछ भागों में, सिर पर मल ढोने की पद्धति जारी है। मैला ढोने वालों को समयबद्ध तरीके से मल ले जाने के व्यवहार से मुक्ति दिलवाने के लिए, मल व्यवस्था, जल निकास, कूड़ा करकट निपटान, स्वच्छ शौचालयों आदि में, अतिरिक्त निवेश किया जाना चाहिए।

xxiv मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए शहरी निम्न लागत की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच उचित तरीके से समन्वित और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

xxv ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों के कार्यक्रमों को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम को, उच्च प्राथमिकता देते हुए बढ़े हुए वित्तीय आबंटनों सहित, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों के साथ सघन समन्वय से, कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

xxvi ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का उपयोग 1997-98 में केवल 66 प्रतिशत था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय बढ़ाया जाना चाहिए।

अनुबंध 5.I

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या की कवरेज

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या				1997-98 तक कुल कवरेज				1997-98 तक कवरेज की प्रतिशतता			
		कुल	सा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	कुल	सा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	कुल	सा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0
1	आंध्र प्रदेश	486.209	359.82	87.586	38.803	484.948	361.966	81.712	41.27	99.74	100.6	93.26	106.36
2	अरूणाचल प्रदेश	7.539	2.328	0.029	5.182	7.401	1.395	0.018	5.988	98.17	59.94	60.38	115.55
3	असम	199.265	157.191	14.301	27.773	144.675	116.732	10.519	17.424	72.6	74.26	73.55	62.74
4	बिहार	750.215	574.307	114.371	61.537	767.177	571.972	118.485	76.72	102.26	99.59	103.6	124.67
5	गोवा	6.9	6.772	0.127	0.001	6.702	6.604	0.098	0	97.13	97.52	77.3	0
6	गुजरात	270.635	195.009	18.994	56.632	258.121	189.995	17.609	50.518	95.38	97.43	92.71	89.2
7	हरियाणा	124.089	97.336	26.753	0	158.55	126.051	32.499	0	127.77	129.5	121.48	0
8	हिमांचल प्रदेश्	47.217	32.815	12.273	2.129	40.618	29.685	9.098	1.835	86.02	90.46	74.13	86.19
9	जम्मू एंड कश्मीर	58.79	53.55	5.24	0	47.801	42.515	5.286	0	81.31	79.39	100.88	0
10	कर्नाटक	310.694	237.947	56.452	16.295	345.047	266.845	59.218	18.984	111.06	112.14	104.9	116.5
11	केलर	214.182	187.565	23.519	3.098	103.451	90.21	11.882	1.359	48.3	48.1	50.52	43.86
12	गध्य प्रदेश	508.423	286.672	75.224	146.527	524.504	298.76	74.739	151.00	103.16	104.22	99.36	103.06
13	महाराष्ट्र	583.956	364.378	55.52	64.058	552.628	444.627	45.459	62.542	114.19	122.02	81.88	97.63
14	मणिपुर	13.315	7.349	0.177	5.789	11.49	7.537	0.112	3.841	86.29	102.56	63.42	66.35
15	मेधालय	14.447	1.276	0.05	13.121	13.282	1.334	0.021	11.927	91.94	104.52	42.67	90.9
16	मिजोरम	3.718	0.132	0.005	3.581	2.803	0.017	0.002	2.784	75.39	13.24	30.41	77.74
17	नगालैंड	10.013	0.682	0	9.331	6.181	0.139	0	6.042	61.73	20.38	0	64.75
18	उड़ीसा	274.248	161.756	45.787	66.705	220.959	134.494	33.868	52.597	80.57	83.15	73.97	78.85
19	पंजाब	142.887	97.263	45.624	0	96.235	67.17	29.065	0	67.37	69.06	63.71	0
20	राजस्थान	339.389	226.159	61.025	52.205	280.696	188.496	48.113	44.087	82.71	83.35	78.84	84.85
21	सिक्किम	3.695	2.647	0.213	0.835	3.15	2.239	0.178	0.733	85.25	84.57	83.8	87.78
22	तमिलनाडु	367.814	278.482	84.28	5.052	292.152	225.87	63.058	3.224	79.43	81.11	74.82	63.82
23	त्रिपुरा	23.355	11.165	3.797	8.393	24.13	11.907	4.491	7.732	103.32	106.65	118.28	92.12
24	उत्तर प्रदेश	1115.064	854.12	258.234	2.71	1004.127	752.218	250.486	1.423	90.05	88.07	97	52.51
25	पश्चिम बंगाल	493.704	321.526	136.054	36.124	404.51	263.684	110.529	30.297	81.93	82.01	81.24	83.87

26	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	2.057	1.794	0	0.263	2.188	1.859	0	0.329	106.37	103.61	0	125.17
27	दादरा एंड नगर हवेली	1.268	0.187	0.022	1.059	1.343	0.187	0.024	1.132	105.91	100	109.09	106.89
28	दमन एंड दीव	0.54	0.424	0.024	0.092	0.601	0.485	0.024	0.092	111.3	114.39	100	100
29	दिल्ली	9.49	7.413	2.077	0	8.25	6.444	1.806	0	86.93	86.93	86.95	0
30	लक्ष्यदीप	0.226	0.011	0	0.215	0.467	0.031	0	0.436	206.64	281.82	0	202.79
31	पाडिचेरी	2.908	2.131	0.777	0	4.42	3.234	1.186	0	151.99	151.76	152.64	0
32	चंडीगढ़	0.662	0.521	0.141	0	0.662	0.521	0.141	0	100	100	100	0
	कुल	**6286.914**	**4530.728**	**1128.676**	**627.51**	**5819.269**	**4215.223**	**1009.726**	**594.32**	**92.56**	**93.04**	**89.46**	**94.71**

टिप्पणीः 1 जनसंख्या कवरेज राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 1994-98 के दौरान सर्वेक्षण् आंकड़ें और प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित है

2 दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव, पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ की जनसंख्या कवरेज उनसे प्राप्त रिपोर्टो पर आधारित है क्योंकि इनके लिए सर्वेक्षण् परिणाम उपलब्ध नही है

3 कुछ मामलों में 100 % से अधिक की कवरेज, 1991 की जनगणना के बाद जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण है।

अनुबंध 5.II

1995-96 के दौरान कक्षा I से V तथा VI से VIII अनु0 जा0, अनु0ज0जा0, सामान्य विधार्थियों का नामांकन अनुपात

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा (I-V) 1995-96			कक्षा (VI- VIII) 1995-96		
		अनु0जा0	अ0ज0जा0	सा0	अ0जा0	अ0ज0जा0	सा0
1	आंध्र प्रदेश	131.4	122.96	94.9	55.08	34.6	47.7
2	अरूणाचल प्रदेश	26.2	116.26	110	17	48.9	53.3
3	असम	248.5	184.18	128.8	176.16	104.7	79.1
4	बिहार	77.8	77.4	75.1	26.62	28.34	35.3
5	गोवा	40.4	12.38	95.1	62.79	16.1	89.6
6	गुंजरात	182.9	140.91	81.1	97.32	55.3	71.6
7	हरियाणा	107		85.6	57.36		64.2
8	हिमांचल प्रदेश्	45.4	101.09	110.8	76.8	66.4	101.8
9	जम्मू एंड कश्मीर	90.6		81.2	70.34		60.5
10	कर्नाटक	148.5	149.52	127.4	70.4	65	92.6
11	केलर	105	121.32	96.9	116.46	100.4	103.3
12	मध्य प्रदेश	112.2	77.18	101.4	59.19	31.4	68.4
13	महाराष्ट्र	263.3	129.71	122.9	159.53	56.5	85
14	मणिपुर	165	125.38	96.4	92.86	67.9	66.4
15	मेधालय		111.86	114.4		47.2	48.6
16	मिजोरम		125.02	118.1		71	67.4
17	नगालैंड		151.62	127.3		61.7	51.9
18	उड़ीसा	123.7	89.64	95.6	57.29	32.9	56.2
19	पंजाब	132.4		91.5	72.65		69.7
20	राजस्थान	85.5	86.84	103.4	50.93	51.7	56.9
21	सिक्किम	108.4	100.35	40.6	47	43.4	50.7
22	तमिलनाडु	165.6	132.15	152.6	98.34	66	109.1
23	त्रिपुरा	145.7	143.95	123.5	65.01	50.9	62
24	उत्तर प्रदेश	68.8	82.54	89.1	35.7	41	54.7
25	पश्चिम बंगाल	123.5	123.09	125.5	70.59	76.8	97.2
26	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड		48.47	72.9		42.3	71.1
27	चड़ीगढ़	87.3		38.2	68.83		35.6
28	दादरा एंड नगर हवेली	79.6	116.02	112.7	96	44.9	50.6
29	दमन एड दीव			90.8			83.7
30	दिल्ली	87		72.1	70.83		69.3
31	लक्ष्यदीप		136.14	125.3		104	96.6
32	पांडिचेरी	154.4		124.5	157.03		111.3
	भारत	**11.91**	**113.03**	**104.30**	**61.33**	**50.04**	**67.60**

अनुसूचित जाति के बच्चों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की दरें- 1990-91

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़नें वालों की दर			मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर			माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़नें वालों की दर		
		लड़के	लड़किया	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	ड़के	लड़किया	कुल
1	आंध्र प्रदेश	62.41	67.76	64.72	79.39	86.89	82.63	84	88.63	86
2	अरूणाचल प्रदेश									
3	असम	48.85	56.8	52.27	65.9	65.18	65.58	63.38	61.09	62.42
4	बिहार	67.53	72.52	68.94	83.63	88.63	84.97	88.12	93015	89.39
5	गोवा	53.67	51.72	52.81	68.07	73.3	70.42	78.06	84.49	81.07
6	गुजरात	23.05	44.17	32.46	52.35	70.37	60.5	65.19	79.26	71.29
7	हरियाणा	30.62	41.65	36.01	52.31	70.65	59.64	73.04	86.86	78.12
8	हिमांचल प्रदेश्	39.1	40	39.5	42.04	50.33	45.64	62.85	74.3	67.78
9	जम्मू एंड कश्मीर	24.5	25.3	24.86	34.67	28.43	32.33	77.68	81.63	79.09
10	कर्नाटक	48.78	57.11	52.54	61.93	80.03	70.99	70.31	81.34	75.03
11	केलर	2.91	5.04	3.94	9.92	7.83	8.91	54.01	47.93	51.05
12	मध्य प्रदेश	33.44	53.08	41.17	58.87	78.44	65.62	51.87	85.28	61.58
13	महाराष्ट्र	35.3	48.92	41.73	52.17	68.43	59.66	65.85	79.4	71.96
14	मणिपुर	79.8	82.87	81.33	84.29	85.96	85.14	81.31	82.07	81.7
15	मेधालय	20.86	15	17.96	69.59	71.81	70.62	18.52	43.08	30.57
16	मिजोरम									
17	नगालैंड									
18	उड़ीसा	57.42	57.32	57.36	74	81.24	76.75	78.48	86.47	81.54
19	पंजाब	36.43	41.53	38.72	60.9	69.35	64.66	75.82	83.66	79.34
20	राजस्थान	63.22	71.07	66.02	72.12	85.46	74.99	79.97	81.82	82.07
21	सिक्किम	96.91	67.86	94.75	86.72	85.85	86.33	91.99	90.93	91.51
22	तमिलनाडु	23.14	29.57	26.16	49.03	50.83	19.85	73.39	82.33	77.32
23	त्रिपुरा	56.92	61.63	59.1	72.06	79.14	75.38	85.39	89.58	87.29
24	उत्तर प्रदेश	30.7	57.41	40.06	59	69.88	61.76	68.22	84.58	72.2
25	पश्चिम बंगाल	59.3	63.71	61.03	74.66	84.92	79.26	88.15	89.83	88.81
26	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड									
27	चड़ीगढ़	16.33	36.39	25.02	99.58	24.12	60.97	25.49	17.97	21.9
28	दादरा एंड नगर हवेली	45.9	52.94	49.61	16.67	10.34	5.63	44.9	34.15	40
29	दमन एड दीव									
30	दिल्ली	50.8	55.17	52.82	44.96	53.33	48.81	58.98	73.39	65.36
31	लक्ष्यदीप									
32	पांडिचेरी					25.49	14.23	74.3	83.38	77.65
	भारत	46.27	53.86	49.35	64.34	73.24	7.77	74.3	83.38	77.65

अनुबंध 5.IV

अनुसूचित जनजाति के बच्चों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की दरें द्व1990-91

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़नें वालों की दर			मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर			माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़नें वालों की दर		
		लड़के	लड़किया	कुल	लड़के	लड़किया	कुल	लड़के	लड़किया	कुल
1	आंध्र प्रदेश	66.65	71.95	68.64	85.6	90.92	87.57	90.1	93.3	91.29
2	अरूणाचल प्रदेश	62.21	58.19	60.71	77.67	77.81	77.72	8032	87.44	82.93
3	असम	65.13	67.1	66	72.15	74.95	73.34	72.11	75.76	73.66
4	बिहार	70.96	71.8	71.26	85.12	86.81	85.71	90.72	92.37	90.99
5	गोवा									
6	गुजरात	53.98	66051	59.39	75.35	83.26	78.66	84.59	88.9	86.39
7	हरियाणा									
8	हिमांचल प्रदेश्	37.4	35.76	36.74	38.51	51.88	43.75	61.94	65.96	63.39
9	जम्मू एंड कश्मीर									
10	कर्नाटक	55.24	78.71	56.71	41.46	54.17	54.17	66.45	74.56	69.89
11	केलर	9.26	17.22	13.16	34.82	35.31	35.31	68.25	64.11	66.3
12	मध्य प्रदेश	31	52.27	38.59	67.52	75.98	75.98	81.61	91.79	85.66
13	महाराष्ट्र	56.24	63.88	59.48	70.86	74.84	74.84	80.62	88.19	83.71
14	मणिपुर	77.96	78.8	78.34	84.76	85.25	85.25	85.13	87.18	85.94
15	मेधालय	68	67.95	67.98	78.95	81.87	81.87	71.5	70.96	71.25
16	मिजोरम	57.91	58.37	58.13	76.75	55.31	55.31	45.08	42.29	44.03
17	नगालैंड	45.83	49.23	47.47	61.93	60.09	60.09	75.04	73.56	74.42
18	उड़ीसा	78.03	74.14	76.81	84.39	84.94	84.94	86.84	91.86	88.56
19	पंजाब									
20	राजस्थान	73.01	84.2	75.92	76.83	79.6	79.6	79.8	91.67	81.61
21	सिक्किम	68.22	54.97	62.81	81.6	78.1	78.1	88.09	85.97	87.18
22	तमिलनाडु	37.82	50.55	43.71	51.48	51.24	51.24	62.83	71.4	66.4
23	त्रिपुरा	70.78	73.72	72.03	84.23	85.34	85.34	91.01	94.3	92.37
24	उत्तर प्रदेश	15.81	64.42	37.31	47.61	55.47	55.47	44.41	77.85	54.06
25	पश्चिम बंगाल	62.47	69.68	65.07	81.97	84.2	84.2	92.22	92.42	92.28
26	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	7.67	17.1	12.09	35.54	33.2	33.2	64.8	64.21	64.54
27	चड़ीगढ़									
28	दादरा एंड नगर हवेली	35.79	63.57	48.36	62.31	67.26	67.26	89.19	91	87.09
29	दमन एड दीव									
30	दिल्ली									
31	लक्ष्यदीप		10	7.64	29.66	37.07	37.07	69.69	78.12	73.72
32	पांडिचेरी									
	भारत	60.28	66.14	62.52	75.67	82.19	78.57	78.57	83.34	87.71

साक्षरता दरें- 1991

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल			अनुसूचित जातियाँ			अनुसूचित जनजातियाँ		
		व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1	आंध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
2	अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44	24.94
3	असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
4	बिहार	38.48	52.49	228.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.4	14.75
5	गोवा	75.51	83.64	67.09	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
6	गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.2
7	हरियाणा	55.85	69.1	40.47	39.22	52.06	24.15			
8	हिमांचल प्रदेश्	63.86	75.36	52.17	53.2	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
9	जम्मू एंड कश्मीर									
10	कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
11	केलर	89.81	93.62	86.17	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
12	मध्य प्रदेश	44.2	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
13	महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
14	मणिपुर	59.89	71.63	47.6	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
15	मेघालय	49.1	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
16	मिजोरम	82.27	85.61	78.6	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.7
17	नगालैंड	61.65	67.62	54.75				60.59	66.27	54.51
18	उड़ीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
19	पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	49.82	31.03			
20	राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
21	सिक्किम	56.94	65.74	46.69	51.03	58.69	42.77	59.01	66.8	50.37
22	तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
23	त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
24	उत्तर प्रदेश	41.6	55.73	25.31	26.85	40.8	10.69	35.7	49.95	19.86
25	पश्चिम बंगाल	57.7	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.78	40.07	14.98
26	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	73.02	78.99	65.46				56.62	64.16	48.74
27	चड़ीगढ़	77.81	82.04	72.34	55.44	64.74	43.54			
28	दादरा एंड नगर हवेली	40.71	53.56	26.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
29	दमन एड दीव	71.2	82.66	59.4	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41.49
30	दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.6	68.77	43.82			
31	लक्ष्यदीप	81.78	90.18	72.89				80.58	89.5	71.72
32	पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.1	46.28			
	भारत	52.21	64.13	39.29	37.41	49.91	23.76	29.6	40.65	18.19

स्रोतः भारत की जनगणना, 1991 कुल अन्तिम जनसंख्या (1992 का पेपर 2) जम्मू एवं कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी

अनुबंध 5.VI

डिग्री महाविधालयों से सम्बद्ध कक्षा XI एवं XII में पाठयक्रमवार नामांकन

पाठयक्रम का प्रकार	पाठयक्रम प्रदान कर रहे डिग्री महाविधालयों की संख्या	कक्षा XI						कक्षा XII					
		सभी समुदाय		अ0जा0		अ.ज0जा0		सभी समुदाय		अ0जा0		अ0ज0जा0	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कला मानविकी एवं समाज विज्ञान	2582	329091	215577	51128	25003	33204	20118	330752	207402	51948	23652	30343	17232
विज्ञान	1869	223954	105104	23661	10383	8580	3274	220113	102192	22360	9326	8022	3381
वाणिज्य	1611	129835	57460	14785	5493	6048	1442	120352	53773	13243	4875	5914	1322
तकनीकी	25	2120	486	235	86	116	17	2181	581	208	58	110	8
कृषि	277	11631	3253	1201	354	520	198	8934	2648	995	246	382	109
कोई अन्य	65	2375	865	331	95	74	18	2277	822	309	120	69	18
कुल	2986	699006	382745	91345	41414	48542	25067	684609	367418	89063	38280	44840	22130

स्रोतः छठाँ अखिल भारतीय शैक्षिणिक सर्वेक्षण खंड- V

इन्दिरा आवास योजना-1997-98 के दौरान वित्तीय निष्पादन

(Rs. in Lakhs)

राज्य का नाम	1-4-97 को ओ0बी0 प्रारम्भिक	केन्द्रीय आवंटन	अब तक जारी			उपलब्धता (स्तम्भ (2 6)	कुल व्यय	उपयोग का लाख रूपए में %	सूचना देने का माह
			केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	6424.43	8970.34	9603.38	2400.85	.12004.23	18428.66	11524.94	62.54	Feb.98
अरूणाचल प्रदेश	201.74	80.71	103.21	25.8	129.01	330.75	166	50.19	Feb.98
असम	1366.52	2952.83	2931.07	732.77	3663.84	5030.36	2917.77	58	Feb.98
बिहार	3441.83	17597.09	15130.72	3782.68	18913.4	22355.23	17498.76	78.28	Feb.98
गोवा	100.59	87.63	51.46	12.87	64.33	164.91	88.47	53.65	Mar.98
गुजरात	0	3292.97	3424.02	856.01	4280.03	4280.03	2907.01	67.92	Feb.98
हरियाणा	0	790.96	58.55	189.64	948.19	948.19	589.38	62.16	Feb.98
हिमांचल प्रदेश	19.67	276.72	467.78	116.95	584.73	604.4	452.05	74.79	Mar.98
जम्मू एंड कश्मीर	721.97	562.66	607.12	151.78	758.9	1480.87	584.22	39.45	Jan.98
कर्नाटक	2072.92	6024.43	5820.36	1455.09	7275.45	9348.37	9206.4	98.48	Mar.98
केलर	822.89	2191.85	2148.56	537.14	2685.7	3008.59	2975.78	98.91	Mar.98
मध्य प्रदेश	5536.51	11368.58	11695.62	2923.71	14619.53	20156.04	10084.22	50.03	Jan.98
महाराष्ट्र	0	9779.75	9966.74	2492.19	12460.93	12460.93	16856.98	135.28	Mar.98
मणिपुर	285.78	103.77	56.69	14.17	70.86	356.64	229.78	64.43	Mar.98
मेधालय	0	121.07	46.73	11.68	58.41	58.41	54.04	92.51	Feb.98
मिजोरम	0	50.73	54.47	13.62	68.09	68.09	66.54	97.72	Mar.98
नगालैंड	344.14	129.14	435.83	108.96	544.79	888.93	1933	217.45	Feb.98
उड़ीसा	2373.47	7277.74	7443.57	1860.89	9304.46	11677.93	6178.58	52.91	Feb.98
पंजाब	377.75	562.65	478.32	119.58	597.9	975.65	829.9	85.06	Mar.98
राजस्थान	2129.72	4723.84	3888.4	972.1	4860.5	6990.22	5842.8	83.59	Mar.98
सिक्किम	0	47.27	41.21	10.3	51.51	51.51	51.13	99.26	Feb.98
तमिलनाडु	1012.6	8110.2	8708.09	2177.02	10885.11	11897.71	20881.44	175.51	Mar.98
त्रिपुरा	0	134.9	144.84	36.21	181.05	181.05	266.55	147.22	Mar.98
उत्तर प्रदेश	4900.16	21863.19	22995.15	5748.79	28743.94	33644.1	16869.07	50.14	Feb.98
पश्चिम बंगाल	5458.65	8039.78	4547.01	1136.75	5683.76	11142.42	5350.71	48.02	Jan.98
अड़मान एंड निकोबार आइसलैंड	0	47.27	47.27	0	47.27	47.27	20.28	42.9	Mar.98
दादर एंड नगर हवेली	19.54	25.37	11.63	0	11.63	31.17	14.16	45.48	Mar.98
दमन एंड दीव	8.27	14.99	7.49	0	7.49	15.76	7.7	48.86	Mar.98
लक्ष्यदीप	28.05	24.21	0	0	0	28.05	12.52	44.63	Mar.98
पाड़ीचेरी	76.29	47.27	93.85	0	93.85	170.14	120.27	70.69	Feb.98
कुल	37223.48	115300	111711.14	27887.73	139598.87	176822.34	134580.4	76.11	

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1997-98-ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

अनुबंध 5.VIII

इन्दिरा आवास योजना -1997-98 के दौरान भौतिक निष्पादन

(Rs. in Lakhs)

राज्य का नाम	लक्ष्य	निर्मित मकानों की संख्या				उपलब्धि		पूर्ति के लिए उपलब्धि का %	सूचना देने का माह
		अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0जा0 अ0ज0 जा0	अन्य	कुल निर्मित मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जो प्रगति पर है		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	56065	41288	13409	54697	33614	88311	32354	157.52	Feb.98
अरूणाचल प्रदेश	459	0	291	6909	0	291	679	63.4	Feb.98
असम	18455	2642	4267	65734	3661	10570	5923	57.27	Feb.98
बिहार	109982	44370	21364	49	20006	85740	39841	77.96	Feb.98
गोवा	58	0	0	13376	463	512	1499	93.43	Mar.98
गुजरात	20581	2688	10688	2149	4478	17854	12553	88.75	Feb.98
हरियाणा	4943	2149	0	1186	893	3042	702	61.54	Feb.98
हिमांचल प्रदेश्	1572	976	210	0	657	1843	355	117.24	Mar.98
जम्मू एंड कश्मीर	3197	0	0	29196	4306	4306	9815	134.69	Jan.98
कर्नाटक	37653	23326	5870	8048	14326	43522	19651	115.59	Mar.98
केरल	12454	7122	926	43843	4786	12834	11917	103.05	Mar.98
मध्य प्रदेश	71054	17135	26708	38464	21761	65604	72964	92.33	Jan.98
महाराष्ट्र	61123	19591	18873	889	22245	60709	19546	99.32	Mar.98
मणिपुर	590	117	772	305	207	1096	610	185.76	Mar.98
मेधालय	688	0	305	302	0	305	54	44.33	Feb.98
मिजोरम	288	0	302	1933	0	302	0	104.86	Mar.98
नगालैंड	734	0	1933	29203	0	1933	369	263.35	Feb.98
उड़ीसा	45486	13877	15326	3052	6631	35834	27195	78.78	Feb.98
पंजाब	3517	3052	0	24372	183	3235	1282	91.98	Mar.98
राजस्थान	29524	13885	10487	252	10316	34688	22814	117.49	Mar.98
सिक्किम	269	59	193	45077	196	448	369	166.54	Feb.98
तमिलनाडु	50689	43190	1887	1665	10753	55830	37994	110.14	Mar.98
त्रिपुरा	766	550	1115	71320	0	1665	63	217.36	Mar.98
उत्तर प्रदेश	36645	70537	783	19812	9638	80958	15153	59.25	Feb.98
पश्चिम बंगाल	50249	15098	4714	2	9678	29490	13693	58.69	Jan.98
अड़मान एंड निकोबार आइसलैंड	236	0	2	100	4	6	203	2.54	Mar.98
दादर एंड नगर हवेली	127	0	100	34	0	100	21	78.74	Mar.98
दमन एंड दीव	75	5	29	60	4	38	19	50.67	Mar.98
लक्ष्यदीप	121	0	80	165	0	60	108	49.59	Mar.98
पाड़ीचेरी	235	165	0		34	199	539	84.32	Feb.98
कुल	718326	321822	140614	462485	178840	641325	348285	89.28	

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1999-98 ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

31-3-1998 की स्थिति के अनुसार राज्यवार,स्वरूप समेकित बाल बिकास सेवाओं (आई सी डी एफ) की स्वीकृत परियोजनाएं

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई सी डी एफ परियोजनाओं की संख्या			
		ग्रामीण	जनजातीय	शहरी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	301	29	33	363
2	अरूणाचल प्रदेश	12	39		51(3)
3	असम	198	23	3	224(5)
4	बिहार	949	93	11	598
5	गोवा	11			11
6	गुजरात	181	34	12	227(4)
7	हरियाणा	109		5	114
8	हिमांचल प्रदेश्	67	8		75
9	जम्मू एंड कश्मीर	123	3	2	128
10	कर्नाटक	166	7	12	185
11	केरल	153	1	10	164
12	मध्य प्रदेश	329	130	27	486
13	महाराष्ट्र	249	50	27	326
14	मणिपुर	13	18	1	32
15	मेधालय	1	29		30
16	मिजोरम	1	19	1	21
17	नगालैंड	25	26	2	53(2)
18	उड़ीसा	186	126	12	324
19	पंजाब	118		5	123
20	राजस्थान	220	30	20	270
21	सिक्किम	4		1	5
22	तमिलनाडु	384	2	48	434
23	त्रिपुरा	13	5	5	23
24	उत्तर प्रदेश	905	11	19	935
25	पश्चिम बंगाल	298	46	22	366
26	अड़मान एंड निकोबार आइसलैंड	3		26	29
27	चड़ीगढ़	3		2	5
28	दादर एंड नगर हवेली	2	2	1	5(1)
29	दमन एंड दीव			3	3
30	दिल्ली		1		1
31	लक्ष्यदीप	2			2
32	पाड़ीचेरी		1		1(1)
		4571	733	310	5614(16)

कोष्ठकों ( ) में आंकड़े आई सी डी एस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए दो खण्डों की संख्या दर्शाते है
स्रोतः महिला एवं बाल विकास की वार्षिक रिपोर्ट 1997-98

अनुबंध 5.X

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम(सी आर एस पी एम एल पी)1997-98 के दौरान भौतिक प्रगति

क्र0सं0.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ह्माह	स्वच्छ शौचालयों का निर्माण				
			वार्षिक लक्ष्य	स्वच्छ शौचालयों की निर्मित संख्या			वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशतता से रूप में उपलब्धि
				कुल शौचालय	अ0जा0	अ0ज0जा0	
1	आंध्र प्रदेश	398	238700	136552	20576	8330	5721
2	अरूणाचल प्रदेश	398	462	216	0	216	4675
3	असम	398	6000	1961	220	454	3268
4	बिहार	298	59772	1033	196	144	173
5	गोवा	298	11000	40058	24	0	3641
6	गुजरात	298	65000	16000	2253	502	2462
7	हरियाणा	298	555000	35228	4505	0	6347
8	हिमांचल प्रदेश्	398	49672	16455	7104	1315	3313
9	जम्मू एंड कश्मीर	198	34068	1613	108	540	473
10	कर्नाटक	298	278032	87486	21640	8838	3147
11	केरल	398	27548	26424	5301	512	9592
12	मध्य प्रदेश	198	42757	20388	3028	2251	4766
13	महाराष्ट्र	1297	80526	104962	17851	7599	13035
14	मणिपुर	1197	5611	777	0	254	1385
15	मेधालय	398	2082	1910	0	1910	9174
16	मिजोरम	997	917	0	0	0	0
17	नगालैंड	1197	2465	0	0	0	0
18	उड़ीसा	198	46822	4715	616	173	10.07
19	पंजाब	398	13527	10326	4836	0	76.34
20	राजस्थान		29466				
21	सिक्किम	198	1466	1084	141	272	73.94
22	तमिलनाडु	298	48700	40475	8002	0	83.11
23	त्रिपुरा	1297	3179	1316	321	752	41.4
24	उत्तर प्रदेश	298	19000	118375	56820	1184	62.3
25	पश्चिम बंगाल	298	12000	113377	25049	469993	94.48
26	अड़मान एंड निकोबार आइसलैंड	398	29100	1962	0	1510	6.74
27	चड़ीगढ़		2097				
28	दादर एंड नगर हवेली	398	524	31	2	24	5.92
29	दमन एंड दीव	398	524	105	18	63	20.04
30	दिल्ली		1573				18.52
31	लक्ष्यदीप	298	216	40	0	40	85
32	पाड़ीचेरी	398	420	357	21	0	4.94
33	Capart	297	52431	2590	0	0	
	कुल		1500157	74976	17862	41576	49.98

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1997-98 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

अध्याय VI

गरीबी उपशमन, रोज़गार और आय-सृजन

अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पहचान जनसंख्या के एक अलग समूह के रूप में की गई है क्योंकि उनके पारम्परिक व्यवसायों से अत्यधिक कम आय होती है और उन क्षेत्रों में विकास की कमी है, जिनमें जनजातियों के कुछ समूह रहते हैं। इन व्यक्तियों का पिछड़ापन न केवल समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बल्कि मूल स्थिति में भी इन व्यक्तियों के आय के स्तर इतने कम हैं कि वे गौरवपूर्ण जीवन जी सकें। अनुसूचित जातियों की निम्न सामाजिक हैसियत जिसका परिणाम अस्पृश्यता है मुख्यतः इन व्यवसायों से सम्बद्ध कम आयों के कारण है। स्वाधीनता के 50 वर्ष बाद भी हो रही भुखमरी से मौतें, हमारे समाज के काफी बड़े जनजातीय वर्ग के जीवन की गुणवत्ता का सूचक हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बीमारी, भूख तथा असाक्षरता से अभी भी पीड़ित है। देश में कुल गरीबों में अनु0 जा0 तथा अनु0 जनजाति का अनुपात कुल जनसंख्या में उनके अनुपात से सदा अधिक रहा है।

6.2 गत 50 वर्षों वर्षों की अवधि में देश में महान वैज्ञानिक तथा आर्थिक उन्नति देखी गई है। देश ने कृषि, खाद्य उत्पादन, अंतरिक्ष, संचार, औषधियों तथा अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली विकास किए हैं। तथापि, पूर्ण दक्षिण एशियन क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सबसे अधिक गरीबों की संख्या इसी क्षेत्र में है। दक्षिण एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार देश में गरीबों की संख्या लगभग 32 करोड़ है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, देश में कुल गरीबों का महत्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं। अतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के विश्लेषण के लिए गरीबी तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

6.3 इस अध्याय में हम विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच व्याप्त गरीबी और उन कार्यक्रमों पर विचार करेंगे, जो सरकार द्वारा देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में फैली गरीबी को कम करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने और आय-सृजन के अवसर मुहैया करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं। हम संक्षिप्त रूप से उस नीति पर भी चर्चा करेंगे, जो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक उन्नति के लिए क्रियान्वित की जा रही है और इस बात पर भी विचार करेंगे कि आर्थिक नीतियों में हुए परिवर्तन का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ा है।

6.4 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 1382.23 लाख और 677.58 लाख थी, जो देश की कुल जनसंख्या (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ कर) के क्रमशः16.37 प्रतिशत और 8.08 प्रतिशत के बराबर थी। 1981 में, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा क्रमशः 15.47 प्रतिशत और 7.85 प्रतिशत था। 1981-91 के दौरान अनुसूचित जातियों (30.04 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों (26.00 प्रतिशत) की संख्या में हुई संवृद्धि की दसवर्षीय दर देश की कुल संख्या में हुई वृद्धि (23.79 प्रतिशत) की दर से ऊंची थी। 1991 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 74:26 और अनुसूचित जातियों के मामले में 81:19 और

अनुसूचित जनजातियों के मामले में 93:7 था। **अनुसुचित** जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबन्ध-6.I** में दिया गया है।

6.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गरीबी की मात्रा की जांच करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या और उनके अनुपात, प्रति व्यक्ति निजी उपभोग, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक ढ़ाचे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा भूमि के स्वामित्व जैसे निर्देशकों पर विचार किया जा सकता है। योजना आयोग विकास की उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी की मात्रा के अनुमान लगाता रहा है। नौवीं योजना के लिए, योजना आयोग ने गरीबों की संख्या और उनके अनुपात का अनुमान लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का मात्रात्मक सूचकांक विकसित किया है। विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की थी कि राज्य-विशेष की गरीबी की रेखाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (नेशनल सेम्पल सर्वे) के उपभोग व्यय के आधार पर राज्य-वार गरीबी के अनुमान तैयार किए जाएं और ऐसा करते समय सी.एस.ओ. और एन.एस.एस. के निजी उपभोग संबंधी अनुमानों के बीच के अन्तर के बारे में कोई समयोजन न किया जाए। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के अनुपात और गरीबों की संख्या के रूप में गरीबी की मात्रा के बारे में लगाए गए अनुमान इस प्रकार है:

गरीबों की प्रतिशतता और उनकी संख्या						
वर्ष	गरीबी का अनुपात			गरीबों की संख्या (दस लाख में)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1973-74	56.4	49.0	54.9	261.3	60.0	321.3
1977-78	53.1	45.2	51.3	264.3	64.6	328.9
1983	45.7	40.8	44.5	252.0	70.9	322.9
1987-88	39.1	38.2	38.9	231.9	75.2	307.1
1993-94	37.3	32.4	36.0	244.0	76.3	320.3

टिप्पणीः यह अनुमान योजना आयोग द्वारा अपनाई गई उस कार्य-पद्धति पर आधारित हैं, जिसकी सिफारिश गरीबों के अनुपात और उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल द्वारा की गई थी।

स्रोतः नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1997-2000, दस्तावेज खंड-I

6.6 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों में, अर्थात 1973-74 से 1993-94 तक की अवधि में देश में गरीबों की निरपेक्ष संख्या 32 करोड़ के आस-पास रही और इस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन गरीब लोगों के अनुपात में कमी हुई है जो 1973-74 में 54 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 36 प्रतिशत रह गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

वर्ष/सामाजिक समूह की श्रेणी	उस श्रेणी के कुल परिवारों में उस श्रेणी के गरीब परिवारों का अनुपात		सभी गरीब परिवारों में उस श्रेणी के परिवारों का अनुपात		सभी गैर-गरीब परिवारों में उस श्रेणी के परिवारों का अनुपात	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
1987-88						
अनुसूचित जनजाति	59.92	44.69	14.62	5.67	7.96	3.25
अनुसूचित जाति	55.22	47.07	24.72	17.63	16.30	9.17
अन्य	39.45	28.82	60.65	76.70	75.74	87.59
अखिल भारत	44.86	31.62	100	100	100	100
1993-94						
अनुसूचित जनजाति	50.07	35.67	14.40	4.43	8.98	2.94
अनुसूचित जाति	49.04	42.35	28.24	21.65	18.34	19.84
अन्य	32.96	23.98	56.74	73.87	72.14	86.10
अखिल भारत	38.46	26.89	100	100	100	100

स्रोतः काउटिंग दि पुअर -सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार

6.7 ऊपर की तालिका के स्तम्भ 2 और 3 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी श्रेणी के कुल परिवारों की प्रतिशतता के रूप में गरीब परिवारों की संख्या का अनुपात दिया गया है। वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसुचित जनजातियों के परिवारों का 59.92 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के परिवारों का 55.22 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न श्रेणियों के परिवारों का 39.45 प्रतिशत गरीबी से प्रभावित था। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य श्रेणियों की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में गरीबी बहुत अधिक थी। यह देखा जा सकता है कि 1993-94 में सभी सामाजिक समूहों में गरीबी में कुल मिलाकर कमी हुई थी। लेकिन, देश की बाकी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गरीबी की मात्रा ऊंची बनी रही। स्तम्भ संख्या 4 से यह देखा जा सकता है कि देश के कुल गरीब परिवारों में 1987-88 में अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या 14.62 प्रतिशत थी। 1993-94 में यह प्रतिशतता थोड़ी सी घटकर 14.4 प्रतिशत हो गई। 1987-88 में देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या 24.72 प्रतिशत थी । लेकिन 1993-94 में गरीब परिवारों में उनका अनुपात काफी अधिक अर्थात 28.24 प्रतिशत था। इस स्तम्भ से यह भी पता चलता है कि 19987-88 से 1993-94 तक की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न श्रेणियों के परिवारों की स्थिति में गरीबी- उपशमन के मामले में स्पष्ट सुधार हुआ। यह चिंता की बात है कि गरीबी के उपशमन के कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लाभ भोगियों के मामले में उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना प्रभाव आबादी के अन्य वर्गों पर पड़ा है।

6.8 शहरी क्षेत्रों के बारे में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात जो 1987-88 में 17.63 प्रतिशत था, 1993-94 में बढ़कर 21.65 प्रतिशत हो गया । कुल गरीबों में अनुसूचित जातियों के अनुपात में वृद्धि, उचित संयोजनों और नियोजन एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समनवय की कमी दर्शाती है। योजना आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ देने वाले सभी कार्यक्रमों में अन्तर-क्षेत्रीय संयोजन देने में असमर्थ रहा है। संगठित क्षेत्र भी बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन नहीं कर पाया है। इसका समाधान केवल स्व-रोजगार के लिए अवसर देने में है जिसके

लिए सरकार को उपयुक्त योजनाएं तैयार करनी चाहिए तथा पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने चाहिएं। **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा शहरी क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस बात जा जायज़ा लेने के लिए विस्तृत अध्ययन करें कि गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को कम करने के मामले में कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है।**

6.9 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के औसत प्रतिव्यक्ति व्यय की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:

	औसत प्रति व्यक्ति		गरीब परिवारों का व्यय	
	ग्रामीण		शहरी	
	1987-88	1993-94	1987-88	1993-94
अनुसूचित जनजाति	87.83	92.97	116.79	123.23
अनुसूचित जाति	92.94	96.02	118.06	121.47
अन्य	98.10	100.59	122.16	126.08
अखिल भारत	95.46	98.37	121.22	125.00

स्रोतः काउंटिंग दि पुअर सावेक शाना एनालिटीकल रिपोर्ट सं01, सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार

6.10 गरीब परिवारों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम है और उसके बाद अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य श्रेणियों के परिवारों का स्थान आता है। 1993-94 में गरीब व्यक्तियों की सभी श्रेणियों की औसत प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि हुई, लेकिन देश के गरीब लोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्ग सबसे अधिक गरीब बना रहा।

6.11 देश में गरीबों का ऊंचा अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के अभाव का परिणाम है। जहां तक ग्रामीण इलाकों का संबंध है, वहाँ पर अल्प रोजगार और बेरोजगारी की मात्रा बहुत अधिक है और जहां तक शहरी इलाकों का संबंध है, वहां शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या समाज के सभी वर्गों में विद्यमान है, किंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर, उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण, इस समस्या का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है।

6.12 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक स्वरूप से पता चलता है कि कृषि पर आधारित क्रियाकलापों पर उनकी निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। यदि हम 1961 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यावयसायिक ढांचे पर नजर डालें, तो हमें पता चलता है कि गैर-कृषि-आधारित क्रियाकलापों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रवेश बहुत कम हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों के 49 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के 32.69 प्रतिशत लोग अभी भी खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं। हाथ से कार्य करने वाले कार्यकर्त्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी मुख्य गतिविधियां अपनी शारीरिक अथवा मस्तिष्कीय गतिविधियों द्वारा किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादनकारी कार्य में लगी होती हैं और जिसने 183 अथवा उससे अधिक दिन कार्य किया हो। खेतिहर मजदूरों को नौकरी में कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है और उनकी मजदूरी सबसे कम है। उनकी आमदनी कृषि की उत्पादकता पर भी निर्भर करती है और इसलिए इस वर्ग के लोगों को अदा की जाने वाली मजदूरी में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अन्तर होता है। **यह सुझाव दिया जाता है कि कृषि मजदूरों को कुशलता प्राप्त**

मजदूरों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि इन श्रमिकों को कृषि के तरीकों का कुछ हद तक कौशल और ज्ञान प्राप्त होना जरूरी होता है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के कर्मकारों की एक श्रेणी सफाई करने वालों की है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कर्मकारों द्वारा जो काम किया जाता है वह समाज के किस अन्य वर्ग द्वारा हाथ में नहीं लिया जा सकता, इन कर्मकारों को भी कुशलता प्राप्त कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की मान्यता से उन्हें कार्य की वह गरिमा प्राप्त होगी, जो इस श्रेणी के श्रमिक को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी।

6.13 1961,1971,1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार, कर्मकारों के वर्गीकरण का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

1961 से 1991 तक की जनगणना में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति तथा सामान्य जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों का व्यावसायिक वर्गीकरण

वर्ष	सामान्य	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जनजाति
कृषक			
1961	52.78	37.76	68.18
1971	43.38	27.87	57.56
1981	41.53	28.17	54.43
1991	39.74	25.44	54.50
कृषि मजदूर			
1961	16.71	34.48	19.71
1971	26.32	51.74	33.04
1981	25.16	48.22	32.67
1991	19.66	49.06	32.69
घरेलू उद्योग			
1961	6.38	6.56	2.47
1971	3.55	3.33	1.03
1981	3.99	3.31	1.42
1991	2.56	2.41	1.04
अन्य कर्मकार			
1961	24.13	21.20	9.64
1971	26.75	17.06	8.37
1981	28.32	20.30	11.84
1991	38.04	23.08	11.76

6.14 विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से सुरक्षा और हैसियत प्राप्त होती है, समाज में आर्थिक असमानता का एक अन्य निर्देशक भूमि का वितरण है। कृषि गणना (संसस) 1980-81 और 1985-86 के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और इन जातियों से भिन्न लोगों की आपरेशनल जोतों की संख्या, जोतों का क्षेत्रफल और जोत के औसत आकार की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:-

1980-81 और 1985-86 में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों की आपरेशनल जोतों की संख्या और जोतों का क्षेत्रफल

सामाजिक समूह	जोत की संख्या (लाख में)		जोत का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)		जोत का औसत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
अनुसूचित जाति	100.52 (11.3)	120.41 (12.4)	115.22 (7.0)	126.39 (7.7)	1.15	1.05
अनुसूचित जनजाति	68.54 (7.7)	76.48 (7.9)	167.04 (10.2)	172.34 (10.5)	2.44	2.25
अन्य	719.77 (81.00)	774.66 (79.7)	1355.71 (82.8)	1346.89 (81.8)	1.88	1.74
सभी समाजिक समूह	888.83 (100.00)	971.55 (100.00)	1637.97 (100.00)	1645.62 (100.00)	1.84	1.69

6.15 इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1985-86 में जोत के क्षेत्रफल में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 7.7 प्रतिशत के बराबर, अनुसुचित जनजातियों का हिस्सा 10.5 प्रतिशत और अन्य जातियों का हिस्सा 81.1 प्रतिशत के बराबर था। यह कहा जा सकता है कि जोते गए क्षेत्रफल, स्वामित्व वाला क्षेत्रफल भी हो यह जरूरी नहीं है। न केवल जोत के क्षेत्रफल में अनुसूचित जातियों के हिस्से की प्रतिशतता सबसे कम है, बल्कि अनुसूचित जातियों की जोत भूमि का आकार भी सबसे कम है, जिससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के पास जो थोड़ी सी भूमि है उस पर उनकी निभर्रता बहुत अधिक है। देश में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर बढ़ते हुए दबाव के परिणाम स्वरूप सभी समूहों की जोत की भूमि का आकार, जो 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर था, घट कर 1985-86 में 1.69 हेक्टेयर हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों का एक बड़ा कारण भूमि संबंधी विवाद हैं।

6.16 अधिकतम सीमा कानून, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम आदि अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को पर्याप्त भूमि देने में असफल रहे हैं। इनमें बहुत सी कमियां हैं और इन कानूनों का प्रवर्तन कारगर नहीं रहा है। **अतः देश में भू-सुधार विधान पर नए सिरे से विचार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इन कानूनों और अधिनियमों का कार्यान्वयन कठोर होना चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के लिए सख्त दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। गरीब अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के किसानों को अपनी अपर्याप्त भूमि जोतों को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक गरीब अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति किसान को, अपनी खेती को सफल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रशिक्षण सहित कृषि निवेषों का एक पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए।**

6.17 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की स्थिति पर नजर डालने के बाद अब हम देश में गरीबी-उपशमन के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार,

गामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से, कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किए जा रहे कुछ कार्यक्रम ये हैं :

I. **मजदूरी रोजगार कार्यक्रम**

i. जवाहर रोजगार योजना, जिसे अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का रूप दिया गया है।

ii. रोजगार आश्वासन स्कीम

II. **स्व-रोजगार कार्यक्रम**

iii. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

iv. स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण

v. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास

vi. ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के किटों की आपूर्ति

vii. गंगा कल्याण योजना

6.18 स्व-रोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके 1-4-1999 से उन्हें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना का रूप दिया गया है।

6.19 शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नेहरू रोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शामिल हैं।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

6.20 कृषि के क्षेत्र में रोजगार के मौसमी स्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की कम दरों और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव को देखते हुए, इन क्षेत्रों में मजदूरी -रोजगार की व्यवस्था के रूप में गरीबी-उपशमन की अल्प-कालिक कार्य-नीति अपनाई गई है। इस प्रकार के मजदूरी-रोजगार की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम नामक दो मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है।

6.21 जवाहर रोजगार योजना अप्रैल, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम का आपस में विलय करके शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना था। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्यगत समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वैयक्तिक लाभभोगियों के लिए व्यय की जानी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्यय का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में किया जाता था। राज्य मुख्यालय से जिलों के लिए धनराशि का नियतन राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के गांवों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या के अनुपात में किसी जिले के गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या की प्रतिशतता और उस जिले के खेतिहर मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन के विलोम अनुपात को बराबर के सारांश के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सुचकांक के आधार पर किया जाता है।

6.22 1989-90 से इसकी शुरूआत से लेकर 1997-98 तक, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 27,649 करोड़ रूपए की कुल राशि 70003 लाख श्रम-दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन करने के

लिए इस्तेमाल की जा चुकी है। 1997-98 में इस योजना के लिए कुल 2872 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से 2452 करोड़ रूपए (अर्थात 83 प्रतिशत) का इस्तेमाल किया गया। सृजित रोजगार और वित्तीय व्यय का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध 6.II और 6.III** में दिया गया है।

6.23 इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 1989-90 से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काफी बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफी बड़ी मात्रा में गरीबी और बेरोजगारी के बने रहने से इस तथ्य का पता चलता है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमियां हैं। क्षेत्र में जा कर दौरा करने से पता चला है कि बहुत सी जगहों पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी अदा नहीं की जाती और महिला मजदूरों को पुरूष मजदूरों की तुलना में कम मज़दूरी अदा की जाती है।

6.24 हाल ही में जवाहर रोजगार योजना के ढ़ाचे का पुनर्गठन किया गया है और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मजदूरी- रोजगार के सृजन को दी जाती थी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता था कि रोजगार के अवसरों के सृजन की प्रक्रिया के दौरान गांवों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण हो। पुनर्गठित कार्यक्रम, अर्थात जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में, जो 1.4.99 से लागू हुई है, ग्राम स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा, और रोजगार का सृजन एक गौण उद्देश्य होगा। ग्राम पंचायतों को, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का पूरा प्राधिकार होगा, जिसमें ग्राम सभा के अनुमोदन से निर्माण-कार्य कार्यान्वित करने की शक्ति भी शामिल होगी। समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए, कार्यक्रम में यह उपबन्ध है कि वार्षिक आबंटन के 22.5 प्रतिशत के बराबर राशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वैयक्तिक लाभभोगियों की स्कीमों के लिए निर्धारित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी- रोजगार गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को दिया जाएगा। केन्द्र और राज्यों के बीच व्यय का बंटवारा 75:25 के अनुपात में किया जाएगा, जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत यह अनुपात 80:20 था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए गरीबी के अनुमानों के अनुसार, देश में कुल ग्रामीण गरीबों की संख्या की तुलना में किसी राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर दी जाएगी। जिला स्तर पर धनराशि का नियतन राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या की तुलना में और किसी जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात और उस जिले में खेतिहर मजदूरों की प्रतिव्यक्ति उत्पादकता के विलाम अनुपात को बराबर-बराबर का सारांश देकर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए धनराशियों के नियतन के प्रयोजन से, ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित धनराशि का 60 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समायोजित जनसंख्या के आधार पर और 40 प्रतिशत भाग कुल समायोजित जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यह उपबन्ध किया गया है कि ग्रामीण बुनियादी ढाचे का निर्माण करते समय, जवाहर रोजगार योजना के पहले के कार्यक्रम के मजदूरी सामग्री के 60:40 प्रतिशत के अनुपात में उपयुक्त रूप में ढील दी जा सकती है, ताकि ग्राम सभाएं गांव की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण कर सकें। चूंकि पुनर्गठित कार्यक्रम में रोजगार- सृजन की तुलना में परिसम्पत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है और मजदूरी- सामग्री अनुपात में लचीलेपन की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार-सृजन की गति के धीमा होने की

संभावना है। राज्य सरकारों के हिस्से में वृद्धि हो जाने के कारण भी, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रूकावट आने की संभावना है।

रोजगार आश्वासन स्कीम

6.25 रोजगार आश्वासन स्कीम देश के 261 जिलों के चुने हुए 1778 खंड़ों में 2.10.1993 से लागू की गई थी। इस समय यह स्कीम पूरे देश भर में लागू है और इसे देश के सभी 5448 ग्रामीण खंड़ों में कार्यान्वित किया जा रहा है। रोजगार आश्वासन स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के कम काम-काज वाले मौसम में उन सभी जरूरतमन्द वयस्क व्यक्तियों को जो काम करना चाहते है लेकिन जिन्हें काम मिल नहीं पाता, लाभकारी रोजगार मुहैया करना है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने अपनी 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया है कि यह एक मांग -आधारित स्कीम है और इसके अन्तर्गत किसी जिले अथवा खंड के लिए कोई वार्षिक राशि निर्धारित नहीं होती। इस स्कीम पर होने वाला खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के आधार पर बांटा जाता है। प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो वयस्कों को 100 कार्य-दिवसों तक के रोजगार का आश्वासन दिया जाता है। काम के इच्छुक कर्मकारों को ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता के पास अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होता है और उन्हें एक पारिवारिक कार्ड जारी किया जाता है। जब लगभग 10 कर्मकार अपना नाम रजिस्टर करा लेते हैं, तो खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा रोजगार मुहैया करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत धनराशियों के वितरण के मानदंडों के अनुसार, खंड़ों को दी जाने वाली प्रत्येक किस्त में केन्द्र सरकार का हिस्सा "क" श्रेणी के खंड़ों के मामले में 40 लाख रूपए, "ख" श्रेणी के खंड़ों के मामले में 30 लाख रुपए और "ग" श्रेणी के खंड़ों के मामलें में 20 लाख रूपए होता है। राज्य सरकार का संबंधित हिस्सा क, ख, और ग श्रेणी के खंड़ों के लिए क्रमशः10 लाख रूपए, 7.5 लाख रूपए और 5 लाख रूपए होता है। खंड़ो का क, ख, और ग श्रेणियों में वर्गीकरण पिछड़ेपन के मानदंडों और जनसंख्या आकार के आधार पर किया गया था। वर्ष 1998-99 में रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए केन्द्रीय आबंटन 1990 करोड़ रूपए का था। इसकी तुलना में, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नवम्बर, 1998 तक 1564.21 करोड़ रूपए रिलीज़ किए गए। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कुल राशि 2816.93 करोड़ रूपए की थी, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 391.05 करोड़ रूपए तथा 861.67 करोड़ रुपए अप-शेष के रूप में था। नीचे की तालिका में रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक कार्य-निष्पादन का वर्ष वार ब्यौरा दिया गया है:

(करोड़ रूपए)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल उपलब्ध राशि	इस्तेमाल की गई राशि	उपयोग की प्रतिशतता	सृजित कार्य-दिवस (लाख कार्य-दिवस)
1.	1993-94	548.77	183.75	33.48	494.74
2.	1994-95	1775.27	123.45	69.59	2739.56
3.	1995-96	2671.45	1720.61	64.41	3465.27
4.	1996-97	3383.34	2160.41	63.85	4030.02
5.	1997-98	3425.32	2904.97	84.81	4717.74
उप-जोड़		11804.15	7093.19	60.10	15447.33
6.	1998-99 (नवम्बर, 1998 तक)	2816.93	1571.97	55.80	2376.14
कुल जोड़		14621.08	8665.16	59.26	17823.47

6.29 आयोग ने देखा कि एक ओर तो राज्य सरकारों के पास खर्च न हुई काफी बड़ी राशियां बाकी पड़ी हैं, जैसा कि केन्द्रीय ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा बताया गया है, और दूसरी ओर राज्य सरकारें, देश के पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों में काम के इच्छुक व्यक्तियों को, धन की कमी के कारण, रोजगार मुहैया करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। यह प्रकट है कि केन्द्र और राज्य सरकारों और इस कार्यक्रम को अमल में लाने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच इस स्कीम को कार्यान्वित करने में तालमेल का अभाव है। यह भी देखा गया कि रायपुर जिले के नागरी खंड में जनजातियों के लोग झंडा हाजिरी के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसके साथ ही नागरी खंड में 1.4.98 को खर्च न की गई 20 लाख रूपए की राशि बची हुई थी। यह स्पष्ट है कि खंड स्तर पर रोजगार आश्वासन स्कीम का क्रियान्वयन बहुत कार्यकुशलता पूर्वक नहीं हो रहा था। **आयोग की सिफारिश है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को धनराशि की अधिक आवश्यकता है, उन्हें अधिक धनराशि आबंटित की जाए, मंत्रालय को खंडों के बीच धनराशि आबंटित करने के अपने मानदंडों की समीक्षा करनी चाहिए। इसे यह भी देखना चाहिए कि क्या कुछ खंडों के पास खर्च न हुई काफी बड़ी रकमें बची हुई हैं, जबकि अन्य खंडों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की अपेक्षाकृत ऊंची मांग के कारण अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां वैकल्पिक रोजगार की गुंजाइश बहुत सीमित है और कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार का सृजन करने के लिए धनराशियों की अधिक आवश्यकता है। संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत दी जानी वाली सहायता राशि को जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर होने वाले व्यय के लिए समुचित रूप से बढ़ाना चाहिए।**

6.30 जैसा कि इस स्कीम के नाम से पता चलता है, यह कृषि के कम कामकाज के मौसम में 100 दिन का रोजगार मुहैया करने का आश्वासन देती है। लेकिन, आयोग द्वारा यह देखा गया कि वास्तव में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या अत्यन्त कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में काम चाहने वाले लगभग 37,000 व्यक्तियों में से लगभग 3 प्रतिशत के छोटे से भाग अर्थात केवल 1156 श्रमिकों को काम दिया गया। यह बात याद रखने योग्य है कि प्रारम्भ में यह कार्यक्रम उन 1778 खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जहां पुनः सज्जित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू थी, और जिनमें सूखा-प्रभावित क्षेत्र, रेगिस्तानी इलाके, जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे। यह कार्यक्रम गरीब लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे पुनर्सज्जित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावकारी ढंग से लाभ उठा सकें। आयोग का विचार है कि यदि इन खंडों में इस कार्यक्रम में बेरोजगार व्यक्तियों की कवरेज इतनी कम अर्थात काम के इच्छुक व्यक्तियों के 3 प्रतिशत के बराबर है तो इससे इन खंडों में गरीब व्यक्तियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए इतनी पर्याप्त आमदनी की व्यवस्था नहीं हो सकती, जिससे कि पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों में पुनः सज्जित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कारगर ढंग से क्रियान्वयन हो सके। रोजगार आश्वासन स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे मजदूरी की कम अदायगी, पुरूष और महिला श्रमिकों की मजदूरी में अन्तर और मस्टर रोल का उपयुक्त रूप से न रखा जाना। **आयोग का विचार है कि रोजगार आश्वासन स्कीम का पुनर्गठन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के हिस्से को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिए जाने से उसके कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के संसाधनों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अपना तुलनीय हिस्सा चुकाने से दबाव पड़ेगा।**

स्व-रोजगार कार्यक्रम

6.31 गरीबी पर सीधा प्रहार करने के उद्देश्य से पहले पहल जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उनमें से एक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियों का निर्माण करना और स्व-रोजगार के अवसर मुहैया करना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लक्ष्यगत समूह को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर खर्च बांट कर किया जाता है। यह उपबन्ध किया गया है कि इस कार्यक्रम से होने वाले 50 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राप्त होने चाहिएं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा सकती है। वर्ष 1997-98 में इस कार्यक्रम के लिए कुल 1133.51 करोड़ रूपए की राशि नियत थी, जिसकी तुलना में 1109.54 करोड़ रूपए उपयोग में लाए गए हैं। वर्ष 1997-98 के लिए 2700 करोड़ रूपए का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 1996.64 करोड़ रूपए जुटाए गए। वर्ष 1997-98 में कुल 17.07 लाख परिवारों को कवर किया गया, जिनमें से 46.40 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 1998-99 में नवम्बर, 1998 तक 7.82 लाख परिवारों को कवर किया गया, जिनमें से 45 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के थे। वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध-VI** में दिया गया है। यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों का हिस्सा 1993-94 से घट रहा है। 1993-94 में इस कार्यक्रम के कुल लाभभोगियों में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का भाग 50 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 1998-99 तक उनका हिस्सा घट कर 44.88 प्रतिशत हो गया है। **यह चिंता का विषय है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग देश के गरीब लोगों में सबसे अधिक गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।** वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के घटते हुए अनुपात की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:

वर्ष	कुल लाभभोगी (लाख परिवार)	अनु0जाति/अनु0ज0जा0 लाभभोगी (लाख परिवार)	अनु0जाति/अनु0ज0जा0 की प्रतिशतता
1992-93	20.69	10.64	51.41
1993-94	25.39	13.46	53.03
1994-95	22.15	11.03	49.80
1995-96	20.89	10.14	48.52
1996-97	19.24	8.91	46.31
1997-98	17.06	7.92	46.41
1998-99	7.81*	3.50	44.86

* नवम्बर, 1998 तक

स्रोतः ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास

6.32 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास की स्कीम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक विशेष स्कीम के रूप में वर्ष 1982-83 में 50 जिलों में शुरू की गई थी। बाद में इसका विस्तार करके इसे 1994-95 तक देश के सभी जिलों मे लागू कर दिया गया। इस स्कीम में महिलाओं की अधिकारिता पर अनन्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह मानते हुए कि विकास के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की निविष्टियों की व्यवस्था की जाती है, जैसे कार्यचालन पूंजी, ऋण, प्रशिक्षण, रोजगार, प्रबन्ध-कौशल, आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास 10-15 गरीब महिलाओं का एक समूह, मूल इकाई है, जो आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए मिलता है। यह स्कीम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण समुदाय में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें राज्य द्वारा मुहैया की जाने वाली सामाजिक सेवाओं की मांग बेहतर तरीके से करने में समर्थ बनाने के लिए, देश के 298 जिलों में समुदाय- आधारित अभिबिन्दुकरण का कार्यान्वयन; ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास की स्कीम के एक संघटक के रूप में किया जा रहा है। इस स्कीम का एक अन्य संघटक है, जिसका संबंध इस स्कीम की महिलाओं के बच्चों की देखरेख से है। वर्ष 1997-98 से उपबन्ध किया गया है कि महिलाओं के 50 प्रतिशत समूह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने चाहिएं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22.68 लाख महिलाओं ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाया और इस योजना की अवधि में कुल 1.14 लाख समूहों का गठन किया गया। वर्ष 1997-98 और 1998-99 में 6.95 लाख और महिलाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पंहुचा है।

6.33 ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे औजारों की किट सप्लाई करने की स्कीम 1992 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-स्कीम के रूप में इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण शिल्पकार अपने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें, अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और सुधरे औजारों के इस्तेमाल से बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें। औजारों के किट की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में पूरी की जाती है और 10 प्रतिशत का योगदान लाभभोगी द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। इस स्कीम के अन्तर्गत मुहैया किए गए औजारों के किटों की औसत लागत से पता चलता है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए 131884 लाभभोगियों में केवल 11273(8.54 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के और 4360(3.3प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के हैं। इस प्रकार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए अनुसूचित जातियों/ अनुसुचित जनजातियों के लोगों की संख्या असंतोषजनक है।

स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण

6.34 यह स्कीम 1979 में एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी कौशल प्रदान करना था, ताकि वे कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों , उद्योगों, सेवाओं के क्षेत्रों में और व्यापारिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों में स्व-रोजगार शुरू कर सकें और मजदूरी - रोजगार प्राप्त कर सकें। 18-35 आयु-वर्ग के ग्रामीण युवाओं को इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में 200 रूपए से 500 रूपए प्रति मास तक छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) दी जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा औजारों के किट खरीदे जाने के लिए 800 रूपए का भत्ता देने की भी व्यवस्था है, ताकि वे रोजगार शुरू कर सकें। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुल 353.94 करोड़ रूपए रिलीज़ किए गए और इस अवधि में 15.17 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, उनकी संख्या नीचे की तालिका में दी गई है:

अवधि	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
1192-93	275993	116464
1993-94	303821	145298
1994-95	281874	126978
1995-96	291450	133930
1996-97	364377	17350
1997-98	251387	118369
1998-99*	66016	40073

*नवम्बर, 1998 तक

स्रोतः ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट।

6.35 उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की संख्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत के अभीष्ट स्तर से कम रही है। यह देखा गया है कि स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण(ट्राइसेम) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के बीच संयोजन (लिंकेज) अभी तक कमजोर रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के चौथे समवर्ती मूल्यांकन से पता चला है कि आई.आर.डी.पी. के केवल 3.88 प्रतिशत लाभभोगियों ने ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ट्राइसेम के त्वरित मूल्यांकन से पता चला है कि उन कुल लाभभोगियों में से, जिन्होंने ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लगभग 53.76 प्रशिक्षित युवाओं ने आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन नहीं दिया और शेष युवाओं में से केवल 50 प्रतिशत को आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत सहायता दी गई। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1998-99 में नवम्बर, 1998 तक ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित 66016 युवाओं में से 12988 (19.67 प्रतिशत) प्रशिक्षित युवा स्व-रोजगार में लगे हुए थे और 11175 (16.93 प्रतिशत) प्रशिक्षित युवाओं ने मजदूरी-रोजगार(बेज्ञ एम्पलायमेंट) प्राप्त किया।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

6.36 यह महसूस किया गया कि बहुत से कार्यक्रम होने के कारण हर कार्यक्रम को अपने आप में एक अलग कार्यक्रम समझा जाता है, जिसके परिणमस्वरूप उपयुक्त रूप से सामाजिक सहभागिता नहीं हो पाती, इन कार्यक्रमों के बीच आपस में वांछनीय संयोजन का अभाव रहता है और कार्यान्वयन के दौरान आय के निरन्तर सृजन के सारभूत मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के स्थान पर सारा जोर अलग-अलग कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर रहता है। स्थिति में सुधार करने के लिए, सरकार ने स्व-रोजगार के कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का फैसला किया है और 1.4.99 से **"स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना " (एस.जी.एस.वाई.)** नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक सम्पूर्णतावादी कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है, जैसे गरीबों का स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन। एस.जी.एस.वाई. का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा

75:25 के अनुपात में किया जाएगा। एस.जी.एस.वाई.के शुरू हो जाने से आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम, डी.डब्ल्यु.सी.आर.ए., एस.आई.टी.आर.ए.जी.के वाई. और एम.डब्ल्यु.एस. जैसे पहले के कार्यक्रमों का प्रचलन अब समाप्त हो गया है। 1.4.99 को, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च न हुई शेष राशियां एस.जी.एस.वाई. शीर्ष के अन्तर्गत मिला ली जाएंगी और उनका इस्तेमाल नए मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य यह होगा कि गरीब परिवारों को बैंक-उधार और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय-सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां मुहैया करके इन सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को तीन वर्षों के अन्दर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत यह परिकल्पना भी की गई है कि धनराशियां उपलब्ध होने पर, अगले पांच वर्षों में प्रत्येक खंड के 30 प्रतिशत परिवारों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। सहायता प्रात परिवारों को स्व-रोजगारी कहा जाएगा और वे व्यक्ति अथवा समूह (स्वयं सहायता समूह) हो सकते हैं। इस योजना में समूह-नीति पर जोर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य बहुत से माइक्रो उद्यमों की स्थापना करना है, जिनके लिए प्रत्येक खंड के लिए, संसाधनों, लोगों के व्यावसायिक कौशलों और मंडियों में उपलब्धता के आधार पर 4-5 मुख्य क्रियाकलाप निर्धारित किए जाएंगे। मुख्य क्रियाकलापों का चयन खंड स्तर पर पंचायत समिति के अनुमोदन से और जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए./जिला परिषद के अनुमोदन से किया जाएगा। एस.जी.एस.वाई. प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना-नीति अपनाएगी। निर्धारित मुख्य क्रियाकलापों के बारे में परियोजना रिपोर्टें, बैकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को घनिष्ठ रूप से सहयोजित करके तैयार की जाएंगी, ताकि ऋणों की स्वीकृति में देर न हो। जहां तक कौशल-विकास का संबंध है, इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों को ऋण मंजूर किए गए हैं उन्हें निर्धारित क्रियाकलापों की आवश्यकताओं के अनुसार भली-भांति तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के जरिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा। डी.आर.डी.ए. को एस.जी.एस.वाई. के लिए आबंटित राशि के 10 प्रतिशत तक की राशि प्रशिक्षण के लिए अलग निर्धारित करने की अनुमति होगी। एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सब्सिडी एक-समान अर्थात परियोजना-लागत के 30 प्रतिशत के बराबर होगी, किन्तु उसकी अधिकतम राशि 7500 रूपए होगी। लेकिन जहां तक अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, सब्सिडी की उच्चतम सीमा परियोजना-लागत के 50 प्रतिशत तक होगी और उसकी अधिकतम राशि 10,000 रूपए होगी। स्व-रोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी की उच्चतम सीमा 1.25 लाख रूपए अथवा स्कीम की लागत के 50 प्रतिशत तक होगी। सिंचाई परियोजना के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है। यह उपबंध किया गया है कि स्व-रोजगारियों में कम से कम 50 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने चाहिएं। ग्राम सभा गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की गणना के दौरान पहचान किए गए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सूची को अधिप्रमाणित करेगी। प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त अलग-अलग परिवारों का निर्धारण आपस में मिल-जुल कर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना भी की गई है कि माइक्रो उद्यमों की सफलता के लिए अत्यावश्यक उपयुक्त बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। यह बुनियादी ढांचा उत्पादन प्रोसेसिंग, गुणवत्ता के परीक्षण, भंडारण अथवा विपणन के लिए हो सकता है। एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे संबंधी समर्थन प्रदान करने के लिए उपलब्ध धनराशि मुख्यतः बुनियादी ढांचे में विद्यमान छोटी-मोटी कमियों को पूरा करने के लिए है, न कि गैर-विद्यमान बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। बुनियादी ढांचे के सृजन के खर्च को पूरा करने के लिए 20 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) तक धनराशि मुहैया की जाएगी। कार्यक्रम में ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने विपणन सहायता और कौशल उन्नयन के लिए बैंको के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की परिकल्पना की गई है। बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए खंड़ स्तर की

एस.जी.एस.वाई. समितियों और जिला स्तर की एस.जी.एस.वाई. समितियों का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य और केन्द्र के स्तर पर भी समितियों के गठन की परिकल्पना की गई है। **एस.जी.एस.वाई. के मार्गनिर्देशों में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या इन समितियों में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व होगा या नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस कार्यक्रम में समूह- नीति पर जोर दिया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यान्वयन अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समूहों में अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।**

शहरी गरीबी

6.37 शहरीकरण का अनुपात 1951 में 17 प्रतिशत था, जो बढ़ कर 1991 में 25.7 प्रतिशत हो गया । योजना आयोग के शहरी परिप्रेक्ष्य और नीति संबंधी तकनीकी दल ने अनुमान लगाया है कि 1996-97 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 31 प्रतिशत और वर्ष 2000 में 38 प्रतिशत के बराबर होगी। शहरी जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले निवल प्रवजन और शहरों के पुनर्वर्गीकरण का परिणाम है। बढ़ते हुए शहरीकरण के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है। शहरी आबादी का एक काफी बड़ा भाग गन्दी बस्तियों में और गरीबी की रेखा से नीचे रहता आ रहा है।

6.38 **गरीबी के बारे में योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार शहरी गरीबी की प्रतिशतता, जो 1987-88 में 38 प्रतिशत थी, घट कर 1993-94 में 32.36 प्रतिशत हो गई थी। शहरी गरीबों की कुल संख्या का अनुमान 1993-94 में 7.63 करोड़ लगाया गया है।**

6.39 शहरी गरीबी के परिणामस्वरूप गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, नागरिक सेवाओं पर दबाव बढ़ जाता है, शिक्षा सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या बढ़ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, नैमित्तिक श्रमिकों में वृद्धि हो जाती है और अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। नौवीं योजना में शहरी गरीबी और बेरोजगारी के उपशमन को आवास और शहरी विकास क्षेत्र का एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है। शहरी गरीबी के उपशमन के जो कार्यक्रम आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जा रहे थे, इस प्रकार हैं :

नेहरू रोजगार योजना

6.40 नेहरू रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार व्यक्तियों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीब व्यक्तियों के लिए रोजगार मुहैया करना था। नेहरू रोजगार योजना में ये तीन स्कीमें शामिल थीं (1)माइक्रो उद्यमों की स्कीम, (2) शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम, और (3) आवास और आश्रय-स्थलों के उन्नयन की स्कीम। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.10 लाख लाभभोगियों को माइक्रोउद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई और 2.50 लाख व्यक्तियों ने नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लिया/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और आवास एवं आश्रय-स्थलों के उन्नयन की स्कीम **(शासु)** के अन्तर्गत 4.80 लाख रिहायशी एककों के उन्नयन का काम हाथ में लिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के अन्तर्गत 458.70 लाख कार्य दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन किया गया और **(शासु)** के अन्तर्गत 232 लाख कार्य-दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया।

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

6.41 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों अर्थात सामुदायिक संगठन, लोक संग्रह और अधिकारिता, और जारी रखी जा सकने वाली समर्थन प्रणाली के जरिए अभिबिन्दुकरण के लक्ष्यों को कारगर ढंग से प्राप्त करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 500 कस्बों में 70 लाख शहरी गरीब लाभभोगियों को कवर करने का लक्ष्य था। 31.3.97 तक 353 कस्बों और 4993 गन्दी बस्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए चुना गया था और 75 लाख लाभभोगियों को कवर किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6.42 यह कार्यक्रम, विशेष रूप से छोटे शहरों में शहरी गरीबी की गम्भीरता और पेचीदगी को स्वीकार करते हुए, जहां उनके पर्यावरण और विकास के आयोजन के लिए संसाधनों की कमी के कारण स्थिति और भी अधिक गम्भीर है, 1995 में शुरू किया गया था। यह 800 करोड़ रूपए की लागत वाली स्कीम थी, जिसे वर्ष 2000 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। यह कार्यक्रम श्रेणी-II की उन सभी शहरी बस्तियों के लिए लागू था, जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख तक थी। योजना आयोग ने अपनी नवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि शहरी गरीबी के उपशमन को निम्न प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि धारणा यह है कि शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी के शहरी क्षेत्रों में हुए अन्तरण का परिणाम है। आयोग ने नोट किया कि शहरी गरीबी के उपशमन के कार्यक्रम बहुत बिखरे हुए हैं और उनके लगभग एक से उद्देश्य और कार्यनीतियां है और उनका क्षेत्रीय विकास और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से एकीकरण नहीं किया गया है।

6.43 शहरी गरीबी के उपशमन की केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा करने और उन्हे युक्ति संगत बनाने के लिए प्रोफेसर एस.आर.हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी की नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के स्व-रोजगार संघटकों को, समूचे देश के सभी शहरी इलाकों के लिए, एक अकेले कार्यक्रम के रूप में परस्पर विलय कर दिया जाना चाहिए। नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के शहरी मजदूरी रोजगार संघटकों और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के संघटकों आपस में मिला दिया जाना चाहिए और उसे एक अलग स्कीम के रूप में 5 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

6.44 हाशिम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए एक पुनर्गठित कार्यक्रम अर्थात स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसकी दो उप-स्कीमें है, नामशः(1) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम, और (2) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के आश्रय-स्थल उन्नयन के संघटकों को राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। इसके परिणमस्वरूप, 1.12.1997 से नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य यह है कि शहरी गरीबों को स्व-रोजगार के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देकर अथवा उन्हें

मजदूरी रोजगार प्रदान करके शहरी बेरोजगार व्यक्तियों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीब व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार मुहैया किया जाए।

6.45 विभिन्न विकास की योजनाओं में दिए गए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लाभों को कई बार और व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता जाता है। **यह सिफारिश की जाती है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के अनु0जाति/ जनजाति लाभभोगियों को पूरे देश में पहचान पत्र दिए जाने चाहिएं।**

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

6.46 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना की कार्यनीति छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। यह कार्यनीति यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई थी कि राज्यों और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं से वित्तीय परिव्यय का प्रवाह अनुसूचित जातियों के विकास की स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए, अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुपात में , पर्याप्त मात्रा में हो। भारत सरकार द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देकर, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा किया जाता है।

6.47 रिपोर्टाधीन अवधि में, 24 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी ने अपने राज्यों के अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार की थी। इन राज्यों द्वारा 1994-95 से 1997-98 तक की अवधि में निर्धारित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध 6.VII** में दिया गया है।

6.48 देश में अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या, जो 1981 में 15.75 प्रतिशत थी, बढ़ कर 1991 में 16.48 प्रतिशत हो गई थी। लेकिन विशेष संघटक योजना के जरिए परिव्यय का प्रवाह छठी पंचवर्षीय योजना में 7.67 प्रतिशत और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8.31 प्रतिशत था। आठवीं योजना के दौरान यह बढ़ कर 11..3 प्रतिशत हो गया है, लेकिन यह अभी भी अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में, जो 1991 में 16.48 प्रतिशत थी, बहुत कम है। छठी योजना से लेकर राज्यों की योजनाओं के परिव्यय की तुलना में अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए प्राप्त परिव्यय का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

संघटक योजना के अन्तर्गत धनराशि का प्रवाह

(करोड़ रूपए)

अवधि	कुल राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटव योजना का परिव्यय	राज्य योजना परिव्यय की तुलना में विशेष संघटक योजना के परिव्यय की प्रतिशतता	विशेष संघटक योजना का व्यय	विशेष संघटक योजना की तुलना में विशेष आवंटप योजना के व्यय की प्रतिशतता
छठी योजना	47149.9	3614.6	7.67	2958.89	81.86
7वीं योजना	89413.8	7431.3	8.31	6916.92	93.08
8वीं योजना	203129.4	22420.3	11.03	18088.9	80.68
1997-98	62395.4	7026.9	11.26		

6.49 उक्त तालिका से यह प्रकट होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना से अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के परिव्यय की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल राज्य योजना परिव्यय की तुलना में विशेष संघटक योजना के परिव्यय का अनुपात, जो छठी योजना में 7.67 प्रतिशत था, बढ़ कर 1997-98 में 11.26 प्रतिशत हो गया । लेकिन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की 16.48 प्रतिशतता की तुलना में यह अभी भी बहुत कम है। विशेष संघटक योजना के परिव्यय का उपयोग केवल 80.68 प्रतिशत हुआ। इस प्रकार यह देखा गया है कि एक ओर विशेष संघटक योजना के लिए रखा गया परिव्यय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम है और दूसरी ओर उसके उपयोग के चरण में विशेष संघटक योजना के लिए रखी धनराशि और भी कम हो जाती है। **आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु परिव्यय, बिना काल्पनिक परिमाणन के, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए और इसका, नीचे पैरा 6.51 में उल्लिखित किए गए अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, कारगर ढंग से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया हे कि अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों को 9 राज्यों द्वारा दूसरे कामों में लगाया गया है। यह एक गम्भीर मामला है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधियां किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं लगाई जाएं, निवारक उपाय किए जाने चाहिएं।**

6.50 यह भी देखा गया है कि लम्बी परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिव्यय विशेष संघटक योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। यह सच है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचता है, लेकिन केवल ऐसी स्कीमों के परिव्यय को एस.सी.पी. के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए, जिनसे सीधे अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभ पहुंचता हो। राज्य सरकारों को एस.सी.पी. के अन्तर्गत परिव्ययों के काल्पनिक परिमाणन (नोशनल क्वांटिफिकेशन) से बचना चाहिए।

6.51 यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष संघटक योजना के लिए पर्याप्त धनराशियां प्राप्त हों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे विशेष संघटक योजना के लिए परिव्यय, राज्य की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित करें।

ii. समाज कल्याण विभाग अथवा उस विभाग को, जिसका संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से हो, विशेष संघटक योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी बनाना चाहिए।

iii. एस.सी.पी. के लिए निर्धारित राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित विभाग को उपलब्ध की जानी चाहिए और उस विभाग को चाहिए कि वह उस धनराशि का क्षेत्रीय विभागों के बीच फिर से आबंटन करे।

iv. विशेष संघटक योजना के लिए अलग बजट शीर्ष/ उप-शीर्ष खोले जाने चाहिएं।

v. राज्य, जिला और खंड स्तर पर मानीटरिंग समितियां गठित की जानी चाहिएं जो नियमित रूप से स्कीमों के कार्यान्वयन और परिव्यय के उपयोग की समीक्षा करें।

vi. इन मानीटरिंग समितियों में संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्य, जिला खंड स्तर से चुने गए सदस्य, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिएं।

vii. जिला/खंड स्तर की मानीटरिंग समिति को संबंधित जिले/खंड के अधिकार-क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों में अनुसूचित जाति के लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने और उनके विकास की उपयुक्त स्कीमों का सुझाव देने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया ठीक समय पर पूरी हो जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट एस.सी.पी. के नोडल विभाग को दी जानी चाहिए और नोडल विभाग को अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए दिए गए इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय विभागों के परामर्श से उपयुक्त स्कीमें तैयार करनी चाहिएं।

viii. नोडल विभाग को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। इस विभाग को अनुसूचित जातियों के लोगों के विकास के काम में लगे अभिकरणों को जानकारी का प्रसार भी सुनिश्चित करना चाहिए और एस.सी.पी. के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अभिलेख भी रखने चाहिएं।

केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजना

6.52 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उसी प्रकार की स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करना भी जरूरी है, जिस तरह की विशेष संघटक योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह नोट किया गया है कि विशेष संघटक योजना के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर जो स्थिति है, वह उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि केवल 13 मंत्रालयों/ विभागों, अर्थात श्रम, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कपड़ा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वाणिज्य, उर्वरक, ग्रामीण विभाग, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत और सहकारिता विभागों द्वारा ही धनराशियां अलग से निर्धारित की जाती हैं। **राष्ट्रीय अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि सभी मंत्रालयों को अपने अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करनी चाहिएं और अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेष संघटक योजनाएं कार्यान्वित करनी चाहिएं। केन्द्रीय मंत्रालयों को विशेष संघटक योजना के लिए अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष खोलने चाहिएं, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है। मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्टों में विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त विवरण शामिल करें।**

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

6.53 विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लोगों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूरक है। विशेष केन्द्रीय सहायता विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक स्वरूप (पैटर्न) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों की उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए दी जाती है। चूंकि व्यावसायिक पैटर्न भिन्न-भिन्न राज्यों में

और एक ही राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होने की सम्भावना है, इसलिए इस सहायता का उपयोग राज्यों द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के लिए किया जाता है।

6.54 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के बारे में तैयार किए स्थूल मार्ग-निर्देश इस प्रकार हैं :-

6.55 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग में पूरा लचीलापन बरतने की छूट है, लेकिन शर्त यह है कि इसका उपयोग उन गांवों में, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, विशेष संघटक योजनाओं के साथ संयोजन स्थापित करके परिवारोन्मुख आय-सृजन करने वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रमों/ स्कीमों पर और बुनियादी ढांचे के विकास के कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए।

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 15 प्रतिशत भाग का उपयोग राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा केवल अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए व्यवहार्य रूप से आय-सृजन करने वाली आर्थिक विकास की स्कीमों/ कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 5 प्रतिशत भाग का उपयोग उनके द्वारा केवल अनुसूचित जातियों के बीच विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 3 प्रतिशत भाग का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आर्थिक विकास की उन स्कीमों के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, जिनका कार्यान्वयन विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से किया गया हो।

6.56 वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक भारत सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपए)

अवधि	**जारी की गई राशि**	**उपयोग की गई राशि**	**उपयोग की गई राशि की प्रतिशतता**
छठी पंचवर्षीय योजना	600.00	568.11	94.68
सातवीं पंचवर्षीय योजना	87600.00	861.91	98.39
8वीं पंचवर्षीय योजना	1344.77	1350.58	
1997-98	308.27	310.96	100.87
1998-99	218.62	113.09 (सितम्बर, 1998 तक)	51.72

6.57 विशेष संघटक योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि में से वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबन्ध 6.VIII** में दिया गया है।

6.58 सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय ने, जो विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता रिलीज करने वाला नोडल मंत्रालय है, पाया है कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता का जो उपयोग किया जा रहा है, वह संतोषजनक है। लेकिन उसने देखा है कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को धनराशियां जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च न हुई राशियां बच जाती हैं। स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्य-योजनाएं न होने, अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई स्कीमों के लाभ गैर-अनुसूचित जाति के लोगों को पहुंच जाने, स्कीमों की व्यवहार्यता की जांच किए बिना उनके लिए धन की मंजूरी देने, कार्यान्वयन एजेंसियों/विभागों के पास काफी लम्बे समय तक खर्च न हुई शेष राशियों के पड़े रहने से अनुसूचित जातियों के विकास की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ जाती है। राज्य सरकारों द्वारा भी आयोग को, राज्यों में उसके दौरों के समय, यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने में भी देरी होती है। **राज्य सरकारों द्वारा धन के उपयोग का प्रभावकारी मानीटरिंग किए जाने की भी आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन एजेंसियों की ढील के कारण अनुसूचित जातियों की प्रगति में बाधा न आए।**

अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता

6.59 मार्च, 1979 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता देने की एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम शुरू की थी, ताकि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति विकास निगमों(एस.सी.डी.सी.) की इक्विटी में 49:51 के अनुपात में भाग लें। इस समय 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ये निगम कार्य कर रहे हैं, जिनमें 9 निगम ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए सामान्य है। एस.सी.डी.सीज, ऋण-सहायता के लिए गारंटीदाता और संवर्धनकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और लक्ष्यगत समूहों को मार्जिन धन ऋण और सब्सिडी के रूप में अनुपलब्ध निवेश मुहैया कर रहे है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 में केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर पूंजी सहायता के रूप में क्रमशः30 करोड़ रूपए और 45 करोड़ रूपए दिए गए थे, जिनका एस.सी.डी.सीज निगमों द्वारा पूरा उपयोग किया गया था। एस.सी.डी.सीज निगमों को बैंकों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बैंकों का हिस्सा प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है और कुछ मामलों में वह अपर्याप्त होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1998-99 से एस.सी.डी. निगमों को केन्द्र का हिस्सा जारी किए जाने के लिए मानदंडों को संशोधित किया है और उसने एस.सी.डी. निगमों की इक्विटी में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की हैं: (1) संवितरित ऋणों की वसूली की न्यूनतम दर किसी वित्तीय वर्ष में 60 प्रतिशत होनी चाहिए, (2) किसी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय हिस्से का न्यूनतम उपयोग 75 प्रतिशत होना चाहिए, (3) एस.सी.डी.सी. को राज्य का हिस्सा पहले जारी किया जाना चाहिए, और (4) बैंकों सहित एस.सी.डी. निगम वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ होने चाहिएं। ये **मानदंड बहुत कड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में राज्य सरकारों को अपना हिस्सा पहले जारी करने में कठिनाई हो सकती है। इससे विशेष रूप से उन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास निगम पहले ही यह सूचित कर चुके हैं कि लाभभोगियों को बैंक-ऋण जारी कराने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे एस.सी.डी. निगमों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे बैंकों से अतिरिक्त संसाधन जुटा पाएंगे। इसलिए इन मानदंडों में उचित छूट देनी चाहिए।**

राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति वित्त एवं विकास निमग(एनएसएफडीसी)

6.60 राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना, कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड 25 के अधीन, लाभ न कमाने वाली सरकारी कम्पनी के रूप में, 8 फरवरी, 1989 को की गई थी। एनएसएफडीसी की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 1998-99 में 300 करोड़ रूपए से 1000 करोड़ रूपए तक बढ़ा दी गई है। निगम द्वारा अदा की गई पूंजी 342.23 करोड़ रूपए है। एनएसएफडीसी द्वारा सहायता, तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न राज्य एससीडीसीज तथा अन्य मध्य अभिकरणों को दी गई। एनएसएफडीसी का लक्ष्य समूह अनु0 जा0/अनु0जनजाति समुदायों के लोग हैं जिनकी वार्षिक आय, गरीबी रेखा मानदण्ड, अर्थात 22000/- रूपए प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 23700/-रु0 प्रति वर्ष, से दुगुनी नीचे है। यह परियोजनाओं को 30 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता देता है। **दुगुनी गरीबी रेखा मानदण्ड की आय की अधिकतम सीमा अवास्तविक प्रतीत होती है। चूंकि यह अत्यधिक असंभावनीय है कि उस वर्ग में व्यक्ति 30 लाख रूपए की लागत वाली परियोजना के साथ आगे आएंगे। अतः राशि के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।** 1997-98 के दौरान निगम ने 93.89 करोड़ रूपए की राशि वितरित की तथा उसके संचित संवितरण 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार 486.57 करोड़ रूपए तक बढ़ गए हैं। एनएसएफडीसी द्वारा अपनी मध्यम अभिकरणों से ऋणों की वसूली संतोषजनक अर्थात लगभग 87 प्रतिशत है, यद्यपि लाभकर्त्ताओं से वसूली बहुत कम सूचित की गई है।

जनजातीय उपयोजना

6.61 पांचवीं पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार ने जनजातीय उपयोजना के रूप में विख्यात, अनु0 जनजाति के प्रमुख रूप से बसे हुए क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग नीति स्वीकार की है। जनजातीय उपयोजना, 18 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दमन एवं दीव में लागू है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं 252 संशोधित क्षेत्र विकास पहुंच पॉकेटस और 79 अनु0 जनजाति समूह बनाए गए हैं। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म परियोजनाओं के माध्यम से उनके विकास के लिए 75 प्राचीन जनजातीय समूहों की पहचान की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को, विशेष परिव्यय में अन्तर को पूरा करने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता भी दी जाती है। 1997-98 के दौरान, जनजातीय उप योजना के लिए 339.61 करोड़ रूपए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में जारी किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अधीन, जनजातीय विकास के लिए ऐसी परियोजनाओं की लागत पूरी करने हेतु, जो राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर ऊपर उठाने के लिए हाथ में ली जा सकती हैं 18 जनजातीय उप योजना तथ 4 जनजातीय बाहुल्य राज्यों को अनुदान भी दिए जाते हैं। जनजातीय उप योजना और जनजातीय विकास से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा इस रिपोर्ट के अलग अध्याय अर्थात **'जनजातीय विकास संबधी मुद्दों '** में की गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों पर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा निजीकरण की विवक्षाएं

6.62 भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख क्षेत्र, निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा एकाधिकार प्राप्त अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी है। आर्थिक सर्वेक्षण, 1998-99 सूचित करता है कि " कोयला, भूरा कोयला तथा खनिज तेल एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन से अनारक्षित थे " (पृष्ठ 7 पैरा 20)। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में, पावर ट्रांसमिशन में निजी निवेश की व्यवस्था करने हेतु, संशोधन किए गए हैं। पावर उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए पहले से ही खोल दिया गया है। सरकार ने बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने हेतु भी कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक आरक्षित क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोलने के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण लिए भारत सरकार की वचनबद्धता निजीकरण की दिशा में एक और कदम है। यह आर्थिक सर्वेक्षण, 1998-99 में सार्वजनिक उद्यम नीति के संबंध में वचनबद्धता को दोहराता है जो निम्न प्रकार से है " निजीकरण के लिए सरकार की वचनबद्धता रेखांकित करने के लिए, बजट (संघ बजट 1998-99) में भी बताया गया कि अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का हिस्सा 26 प्रतिशत लाया जाएगा। निजीकरण के बारे में प्रगति के संबंध में, सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि विनिवेश आयोग 43 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को शामिल करते हुए आठ रिपोर्टें अब तक प्रस्तुत कर चुका है। अगस्त, 1998 में प्रस्तुत की गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में आयोग ने एयर इन्डिया लिमिटेड तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बारे में यह सुझाव देते हुए कि पहले के लिए अनुकूल बिक्री तथा बाद वाले में विनिवेश के स्थगन की विशिष्ट सिफारिशें की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की दस और इकाइयों को नवम्बर 1998 में आयोग को भेजा गया है।

6.63 ऐसे निजीकरण के परिणामस्वरूप, आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र में रोजगार अवसरों के उभर कर आने की संभावना है। निम्नलिखित तालिका, 1972 से आगे संगठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर को, प्रस्तुत करती है:-

संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर

अवधि	कुल रोजगार में वृद्धि की दर	संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर		
		सरकारी	गैर-सरकारी	जोड़
1972-73 से 1977-78	2.75	--	--	2.45
1977.78 से 1983	2.36	2.99	1.41	2.48
1983 से 1987-88	1.77	2.17	0.43	1.38
1987-88 से 1993-94	2.37	1.00	1.18	1.05

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, 1998-99

6.64 हाल ही के वर्षो के दौरान निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:-

संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दरें (प्रतिशत)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	कुल संगठित क्षेत्र
1991	1.52	1.24	1.44
1992	0.80	2.21	1.21
1993	0.60	0.06	0.44
1994	0.62	0.01	0.73
1995	0.11	1.63	0.55
1996	(-) 0.19	5.62	1.51
1997	0.67	2.04	1.09

6.65 ये तालिकाएं दर्शाती हैं की निजी क्षेत्र में 1.41 प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर 1977-78 से 1983 तक के दौरान 2.99 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे थे। 1983 से 1987-88 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर घट कर 2.17 प्रतिशत रह गई तथा नब्बे में 1 प्रतिशत से भी नीचे रही। निजी क्षेत्र में भी रोजगार की दर 1980 में सार्वजनिक क्षेत्र की तरह कम हुई तथापि नब्बे के दौरान, विशेषकर 1995, 1996 तथा 1997 में, निजी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की दर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक रही। ये झुकाव बताते हैं कि भविष्य में अधिकांश रोजगार अवसर निजी क्षेत्र में उभर कर आने की संभावना है। जिसमें इस समय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के लिए कोई आरक्षण नीति नही है। **रोजगार अवसर के उभर रहे झुकावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को निजी क्षेत्र में भी अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण देने के सामाजिक दायित्व पर विचार करना चाहिएं।** इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सरकार को अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का विस्तार से अध्ययन करने तथा नीतियां तैयार करनी चाहिए ताकि अनु0 जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कौशलों को बढ़ाने और निजी क्षेत्रों में उनका विलयन किया जा सके।

6.66 चूंकि निजी क्षेत्रों पर आरक्षण नीति इस समय लागू नही है, इसलिए अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उन्हें नौकरियों के लिए प्राइवेट बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके। नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दस्तावेज बताता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में 4.74 लाख प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता सहित 3083 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। इसके अलावा लगभग 2.59 लाख प्रशिक्षणार्थी, व्यापार प्रशिक्षु योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर राज्य सरकारें आई.टी.आईज का संचालन करती हैं तथा केन्द्र सरकार उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुदेशकों को प्रशिक्षण देती है तथा महिलाओं के लिए भी कुछ आई.टी.आईज हैं। श्रम मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, केन्द्र तथा राज्यों के बीच गतिविधियों का समन्वय करता है। यह देखा जा सकता है कि स्कूलों (अथवा बीच में स्कूल छोड़ने वाले) से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की तुलना में 4.74 लाख प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती क्षमता उनके विलयन के लिए अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में बहुत कम आई.टी.आईज स्थापित किए गए हैं और जहां कहीं इन क्षेत्रों में ये स्थापित किए गए हैं वहां पर्याप्त प्रशिक्षण संरचना की कमी है। इन क्षेत्रों में अनुभवी स्टाफ की प्रायः कमी रहती है। इन आई.टी.आईज द्वारा दिया गया प्रशिक्षण भी इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। **इन आई.टी.आईज के पाठ्यक्रमों को ऐसा बनाया जाए ताकि अनुसूचित जनजाति की उत्पादनों को बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए कुशलता को बढ़ावा मिले और उनके द्वारा तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए जो अधिक रोजगार अवसर प्रदान करते हैं।**

अनुबंध 6.I

1981 और 1991 की जनगणना कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या सहित उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

क्र0सं 0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		अनुसूचित जातियाँ				अनुसूचित जनजातियाँ			
				1981	%	1991	%	1981	%	1991	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	राज्य										
1.	आंध्र प्रदेश	5,35,49,673	6,65,08,008	79,61,730	14.87	1,05,92,066	15.93	31,76,001	5.93	41,99,48	6.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	6,31,839	8,64,558	2,919	0.46	4,052	0.47	4,41,167	69.82	5,50,35	63.66
3.	असम	1,98,96,843	2,24,14,322	12,41,526	6.24	16,59,412	7.40	21,85,845	10.99	28,74,44	12.82
4.	बिहार	6,99,14,734	8,63,74,465	1,01,42,368	14.51	1,25,71,700	14.55	58,10,867	8.31	66,16,91	7.66
5.	गोआ	10,86,730	11,69,793	23,432	2.16	24,364	2.08	10,721	0.99	37	0.03
6.	गुजरात	3,40,85,799	4,13,09,582	24,38,297	7.15	30,60,358	7.41	48,48,586	14.22	61,61,77	14.92
7.	हरियाणा	1,29,22,618	1,64,63,648	24,64,012	19.07	32,50,933	19.75	-	-		-
8.	हिंमाचल प्रदेश	42,80,818	51,70,877	10,53,958	24.62	13,10,296	25.34	1,97,263	4.61	2,18,34	4.22
9.	जम्मू काश्मीर	59,87,389	77,18,700	4,97,363	8.31	6,41,200	8.31	-	-	N.	N.A.
10.	कर्नाटक	3,71,35,714	4,49,77,201	55,95,353	15.07	73,69,279	16.38	18,25,203	4.91	19,15,69	4.26
11.	केरल	2,54,53,680	2,90,98,518	25,49,382	10.02	28,86,522	9.92	2,61,475	1.03	3,20,96	1.10
12.	मध्य प्रदेश्	5,21,78,844	6,61,81,170	73,58,533	14.10	96,26,679	14.55	1,19,87,03	22.97	1,53,99,03	23.27
13.	महाराष्ट्र	6,27,84,171	7,89,37,187	44,79,763	7.14	87,57,842	11.09	57,72,038	9.19	73,18,28	9.27
14.	मणिपुर	14,20,953	18,37,149	17,753	1.25	37,105	2.02	3,87,977	27.30	6,32,17	34.41
15.	मेधालय	13,35,819	17,74,778	5,492	0.41	9,072	0.51	10,76,345	80.58	15,17,92	85.53
16.	मिजोरम	4,93,757	6,89,756	135	0.03	691	0.10	4,61,907	93.55	6,53,56	94.75
17.	नगालैंड	7,74,930	12,09,546	-	-	-	-	6,50,885	83.99	10,60,82	87.70
18.	उड़ीसा	2,63,70,271	3,16,59,736	38,65,543	14.66	51,29,314	16.20	59,15,067	22.43	70,32,21	22.21
19.	पंजाब	1,67,88,915	2,02,81,969	45,11,703	26.87	57,42,528	28.31	-	-		-
20.	राजस्थान	3,42,61,862	4,40,05,990	58,38,879	17.04	76,07,820	17.29	41,73,124	12.21	54,74,88	12.44
21.	सिक्किम	3,16,385	4,06,457	18,281	5.87	24,084	5.93	73,623	23.27	90,90	22.36
22.	तमिलनाडु	4,84,08,077	5,58,58,946	88,81,295	18.35	1,07,12,266	19.18	5,20,226	1.07	5,74,19	1.03
23.	त्रिपुरा	20,53,058	27,57,205	3,10,384	15.12	4,51,116	16.36	5,83,920	28.44	8,53,34	30.95
24.	उत्तर प्रदेश	11,08,62,013	13,91,12287	2,34,53,339	21.16	2,92,76,455	21.05	2,32,705	0.21	2,87,90	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	5,45,80,647	6,80,77,965	1,20,00,768	21.99	1,60,80,611	23.62	30,70,672	5.63	38,08,76	5.59

	संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	1,88,741	80,661	-	-	-	-	22,361	11.85	26,770	9.54
2.	चंडीगढ़	4,51,610	6,42,015	63,621	14.09	1,05,977	16.51	-	-	-	-
3.	दादर एंड नगर हवेली	1,03,676	1,38,477	2,041	1.97	2,730	1.97	81,714	78.82	1,09,380	78.99
4.	दमन एंड दीव	-	1,01,586	-	-	3,89	3.83	-	-	11,724	11.54
5.	दिल्ली	62,20,406	94,20,644	11,21,643	18.03	17,94,836	19.05	-	-	-	-
6.	लक्ष्यदीप	40,249	51,707	-	-	-	-	37,760	93.82	48,163	93.15
7.	पांडिचेरी	6,04471	8,07,785	96,636	15.99	1,31,278	16.25	-	-	-	-
	भारत	68,51,84,692	84,63,02,688	10,59,96,149	15.47	13,82,23,277	16.33	5,38,14,48	7.85	6,77,58,38	8.08

स्रोतः भारत की जनगणना, 1991

1998-99 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक निष्पादन

(नवम्बर,98 तकी पगति)

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	वार्षिक लक्ष्य प्रारम्भिक	उपलब्धि	उपलब्धि का %	अ0जा0	अ0ज0ज ा0	अ0जा0/अ 0ज0जा0	अन्य	म्रहिलाएं	भूमिहीन
1	आंध्र प्रदेश	10	254.01	131.16	41.34	39.02	16.48	55.50	75.66	44.86	95.67
2	अरुणाचल प्रदेश	10	7.97	0.62	7.78	0.00	16.48	0.62	0.00	0.00	0
3	असम	11	144.36	50.00	34.64	9.31	0.62	26.71	23.29	5.43	13.81
4	बिहार	10	688.11	299.11	43.47	125.25	17.40	179.48	119.63	77.75	188.55
5	गोआ	11	3.32	1.21	36.45	0.00	54.23	0.00	1.21	0.52	0
6	गुजरात	11	53.34	36.63	68.67	5.51	0.00	21.02	15.61	7.23	11.06
7	हरियाणा	10	30.49	9.35	30.67	5.57	15.51	5.57	3.78	1.87	9.09
8	हिमाचल प्रदेश	11	17.00	7.05	41.47	3.08	0.00	3.66	3.39	0.34	0.01
9	जम्मू काश्मीर	11	27.50	9.56	34.76	0.00	0.58	0.00	9.55	0.00	0
10	कर्नाटक	11	188.82	133.77	70.85	37.2	0.00	53.13	80.64	36.80	44.16
11	केरल	11	69.77	19.08	27.35	5.41	15.93	6.17	12.91	6.45	2.73
12	मध्य प्रदेश्	11	325.80	176.77	54.26	42.45	0.76	110.93	65.84	60.63	61.59
13	महाराष्ट्र	11	541.22	203.55	37.61	53.84	68.48	102.45	101.10	69.29	75.24
14	मणिपुर	10	6.92	0.50	7.15	0.02	48.61	0.45	0.10	0.04	0
15	मेधालय	7	10.22	9.18	89.82	0.05	0.38	4.59	0.00	0.00	0
16	मिजोरम	11	1.84	1.10	59.78	0.00	4.02	1.10	0.00	0.39	0
17	नगालैंड	11	9.82	9.37	95.42	0.00	1.10	9.37	0.00	2.64	0
18	उड़ीसा	11	317.94	158.57	49.87	47.46	937.00	104.72	53.85	48.07	36.04

19	पंजाब	11	15.46	8.50	54.98	6.25	57.26	6.25	2.25	0.17	6.2
20	राजस्थान	11	149.43	80.67	53.99	29.52	0.00	52.22	28.45	26.72	9.78
21	सिक्किम	11	2.29	2.51	109.61	0.57	22.70	1.62	0.89	0.80	0.08
22	तमिलनाडु	10	230.42	173.96	75.50	85.23	1.05	89.11	84.85	66.78	130.17
23	त्रिपुरा	11	18.02	14.11	78.30	3.58	3.88	10.63	3.48	4.22	4.98
24	उत्तर प्रदेश	10	626.32	304.38	48.60	153	7.05	155.93	148.45	57.62	62.63
25	पश्चिम बंगाल	10	220.83	61.31	27.76	24.52	2.93	32.75	28.56	14.95	38.48
26	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	11	1.30	0.15	0.01	0.00	8.23	0.07	0.08	0.03	0.06
27	दादर एंड नगर हवेली	11	1.11	0.19	17.12	0.00	0.07	0.19	0.00	0.13	0.00
28	दमन एंड दीव	11	0.57	0.40	24.56	0.00	0.19	0.02	0.10	0.00	0.00
29	लक्षदीव	11	1.12	0.30	26.79	0.30	0.02	0.30	0.00	0.11	0.00
30	पांडिचेरी	9	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		3966.57	1902.80	47.97	677.66	356.85	1034.51	863.67	533.84	790.33

अनुबंध 6.III

1998-99 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण्

(नवम्बर, 98 तक की प्रगति)

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1-4-98 को शेष	आवंटन			जारी			कुल उपलब्ध विधियाँ	उपयोग की गई विधियाँ	% उपयोग का
				केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र (नवम्बर)	राज्य	योग			
1	आंध्र प्रदेश	10	2893.9	11703.94	2925.99	14629.93	7022.36	1755.59	8777.95	1167.85	8364.24	71.66
2	अरूणाचल प्रदेश	10	86.68	257.32	64.33	321.65	129.68	32.42	162.10	248.78	73.16	29.41
3	असम	11	1145.81	6686.18	1671.55	8357.73	4011.71	1002.93	5014.64	6160.45	2735.23	44.4
4	बिहार	10	13323.2	38340.77	9585.19	47925.96	23004.46	5751.12	28755.58	42078.78	20847.84	49.54
5	गोआ	11	24.58	172.2	43.05	215.25	103.32	25.83	129.15	153.73	122.32	79.57
6	गुजरात	11	1076.56	4405.58	1101.4	5506.98	2756.73	689.18	3445.91	4522.43	3180.05	70.32
7	हरियाणा	10	213.86	2591.88	647.97	3239.85	1555.13	388.78	1943.91	2157.77	1215.92	56.35
8	हिमाचल प्रदेश	11	189.25	1091.54	272.89	1364.43	710.02	177.51	887.53	1076.78	577.82	53.66
9	जम्मू काश्मीर	11	386.41	1350.93	337.73	1688.66	856.15	214.04	1070.19	1438.60	805.66	56.00
10	कर्नाटक	11	2748.83	8838.13	2209.53	11047.66	5434	1358.5	6792.5	9541.33	6398.97	67.07
11	केरल	11	1308.26	3965.64	991.41	4957.05	2536.58	634.15	3170.73	4478.99	1801.13	40.21
12	मध्य प्रदेश्	11	3753.71	19433.93	4858.48	24292.41	1207.04	2915.09	15122.13	18875.84	12539.15	66.43
13	महाराष्ट्र	11	2156.99	17470.82	4367.71	21838.53	10482.27	2620.57	13102.84	15259.83	10518.12	68.93
14	मणिपुर	10	37.24	448.24	112.06	560.3	155.56	38.89	194.45	231.69	37.82	16.32
15	मेघालय	7	162.15	502.19	125.55	627.74	301.75	75.44	377.19	593.34	79.70	14.78
16	मिजोरम	11	4.82	116.21	29.05	145.26	116.1	29.03	145.13	149.95	82.70	55.15
17	नगालैंड	11	6.97	344.48	86.12	430.6	206.69	51.67	258.36	265.33	290.92	109.64
18	उड़ीसा	11	2870.78	13386.9	3346.73	16733.63	8216.81	2054.2	10271.01	13141.79	8050.64	61.26
19	पंजाब	11	200.06	1259.63	314.91	1574.54	851.45	212.86	1064.31	1264.37	920.78	72.83
20	राजस्थान	11	427.52	67110.09	1677.77	8388.86	4039.82	1009.96	5049.78	5477.30	5146.64	93.96
21	सिक्किम	11	21.76	128.66	32.17	160.83	77.2	19.30	96.50	118.26	169.8	143.58

22	तमिलनाडु	10	1045.98	10348.85	2587.21	12936.06	10348.85	2587.21	12936.06	13982.04	9363.68	66.97
23	त्रिपुरा	11	9.95	809.31	202.33	1011.64	807.68	201.92	1009.6	1019.55	824.32	80.85
24	उत्तर प्रदेश	10	8494.04	42194.35	10548.59	52742.94	35723.74	8930.94	44654.68	53148.72	24597.01	46.28
25	पश्चिम बंगाल	10	4964.52	14867.8	3719.22	18596.09	7957.84	1989.46	9947.3	14911.82	5553.43	37.24
26	अंडमान एंड निकोवार आइसलैंड	11	61.26	117.89	0.00	117.89	31.44	0.00	31.44	92.70	20.7	22.33
27	दादर एंड नगर हवेली	11	7.67	77.81	0.00	77.81	46.69	0.00	46.69	54.36	10.43	19.19
28	दमन एंड दीव	11	3.67	37.7	0.00	37.7	10.06	0.00	10.06	13.76	2.06	15.00
29	लक्षदीव	11	14.1	59.1	0.00	59.1	35.46	0.00	35.46	49.56	21.13	42.64
30	पांडिचेरी	9	7.72	115.42	0.00	115.42	82.14	0.00	82.14	89.86	19.74	21.97
	कुल		47630.21	207843.6	51858.91	259702.5	13981.73	34766.57	174585.3	222215.51	124371.11	55.97

अनुबंध 6.IV

1998-99 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत भौतिक निष्पादन

(लाख श्रमदीन)

(नवम्बर-98 तक)

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	सृजित श्रम दिन						कार्यो की सं0	
			अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	कुल	महिलाएँ	भूमिहीन	पूर्ण	प्रगति पर
1	आंध्र प्रदेश	10	78.99	40.07	94.34	213.4	66.89	66.24	12745	16082
2	अरूणाचल प्रदेश	10	0.00	12.68	0.00	12.68	4.23	0	269.00	611
3	असम	10	14.24	20.24	44.60	79.08	4.99	26	1974	2605
4	बिहार	11	98.37	35.48	98.51	232.36	62.43	141.17	6829	15209
5	गोआ	11	0.00	0.00	2.2	2.20	0.49	0.00	75.00	179.00
6	गुजरात	11	8.42	11.30	23.32	43.04	12.41	21.11	1206	3327
7	हरियाणा	10	4.43	0.00	3.47	7.9	1.75	7.77	569	960
8	हिमाचल प्रदेश	11	9.97	1.35	9.47	20.79	1.07	0.02	3261	4818
9	जम्मू काश्मीर	11	NR	NR	NR	55.81	NR	NR	10072	19187
10	कर्नाटक	11	41.97	17.87	99.96	159.8	45.37	6.86	11569	10055
11	केरल	11	12.07	1.68	24.20	37.95	14.2	0.92	1827	2384
12	मध्य प्रदेश्	10	57.19	96.96	83.92	238.07	76.88	72	7542	15135
13	महाराष्ट्र	11	30.6	37.93	61.19	129.72	43.81	45.5	4094	13382
14	मणिपुर	10	0.10	4.96	0.42	5.48	1.43	1.6	450	250
15	मेधालय	7	0.00	3.01	0.00	3.01	0.79	0.75	166.00	119.00
16	मिजोरम	10	0.00	16.82	0.00	16.82	5.80	0.00	1338.00	35.00
17	नगालैंड	8	0.00	24.92	0.00	24.92	3.05	0.00	126.00	72.00

18	उड़ीसा	11	59.16	63.00	64.51	186.67	44.27	56.60	7017.00	13108.00
19	पंजाब	11	5.38	0.00	2.58	7.96	0.34	3.19	376.00	365.00
20	राजस्थान	11	44.19	38.98	54.32	137.49	52.16	18.20	3682.00	8275.00
21	सिक्किम	11	1.27	1.63	1.18	4.08	1.22	0.20	151.00	200.00
22	तमिलनाडु	11	136.51	11.43	156.70	304.64	111.65	248.78	13279.00	14460.00
23	त्रिपुरा	11	8.58	17.09	8.51	34.18	1.03	4.25	NR	NR
24	उत्तर प्रदेश	11	176.18	2.89	192.69	371.71	62.66	61.90	1304.00	942.00
25	पश्चिम बंगाल	10	15.88	7.32	21.20	44.40	10.30	28.38	3629.00	2079.00
26	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	11	0.00	0.03	0.28	0.31	0.04	0.08	7.00	23.00
27	दादर एंड नगर हवेली	11	0.00	0.13	0.00	0.13	0.09	0.00	0.00	14.00
28	दमन एंड दीव	10	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
29	लक्ष्यदीप	11	0.00	1.32	0.00	1.32	0.41	0.00	9.00	12.00
30	पांडिचेरी	10	0.14	0.00	0.05	0.19	0.01	0.00	3.00	47.00
	कुल		803.64	469.05	1047.64	2376.64	639.46	871.77	93569	143935

एन आर- सूचना नही दी गई

जम्मू एवं कश्मीर में अनु0 जाति / अनु0 ज0जा0 के रोजगार अलक से नही दर्शाए गए है।

अनुबंध 6.1

1998-99 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(नवम्बर ,1998 तक की प्रगति)

क्र सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1-4-98 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त निधियाँ	3.-11-98 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्य की बराबरी का हिस्सा	कुल (सी एस)	कुल उपलब्ध विधियाँ	व्यय	कुल उपलब्धता में व्यय का %
1	आंध्र प्रदेश	10	5663.03	16660.00	4165.00	20825.00	26488.03	14082.86	53.17
2	अरूणाचल प्रदेश	10	823.27	1070	267.5	1337.5	2160.77	792.9	36.7
3	असम	10	4662.15	2488	622	3110	7372.15	4512.37	61.21
4	बिहार	11	13527.41	12686	3171.5	15857.5	29384.91	16019.92	54.52
5	गोआ	11	36.48	180	45	225	216.48	197.38	75.49
6	गुजरात	11	3687.16	1760	440	2200	5887.16	389.29	66.17
7	हरियाणा	10	3105.97	440	110	550	655.97	1304.74	35.69
8	हिमाचल प्रदेश	11	1778.27	1240	310	1550	3328.27	1811.05	54.41
9	जम्मू काश्मीर	11	592.5	4760	1190	5950	6542.5	4352.09	66.52
10	कर्नाटक	11	2592.03	8720	2180	10900	13492.03	7500.74	55.59
11	केरल	11	2528.23	3051	762.75	3813.75	6341.98	3521.21	55.52
12	मध्य प्रदेश	10	7033.29	18153	4538.25	22691.25	29724.54	17384.09	58.48
13	महाराष्ट्र	11	4146.45	5920.87	1480	7401.09	11547.54	6397.84	55.4
14	मणिपुर	10	582.42	370	92.5	462.5	1044.92	333.31	13.9
15	मेघालय	7	251.75	150	37.5	187.5	49.25	124.17	28.27
16	मिजोरम	10	107.66	800	200	1000	1107.66	952.96	86.03
17	नगालैंड	8	8.75	1980	495	2475	248.75	1047.69	42.18
18	उड़ीसा	11	3294.81	10522	2630.5	13152.5	16447.31	9441.09	57.4
19	पंजाब	11	2234.89	320	80	400	264.89	1231.8	46.75
20	राजस्थान	11	4992.85	7105	1776.25	8881.25	13874.1	9186.93	66.22
21	सिक्किम	11	29.9	220	55	275	304.9	296.24	97.16
22	तमिलनाडु	11	755.58	18720	4680	23400	24155.58	16244.97	67.25
23	त्रिपुरा	11	201.08	1440	360	1800	2001.08	1994.52	99.67
24	उत्तर प्रदेश	11	17089.02	1564.83	7891.21	39456.04	56545.06	30470.91	53.89
25	पश्चिम बंगाल	10	6541.81	6100	1525	7625	14166.81	3993.71	28.19

26	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	11	75.87	0	0	0	75.87	17.39	22.92
27	दादर एंड नगर हवेली	11	9.73	0	0	0	9.73	9.47	97.33
28	दमन एंड दीव	10	2.17	0	0	0	2.17	1.38	63.59
29	लक्षदीव	11	100.15	0	0	0	100.15	66.9	66.8
30	पांडिचेरी	10	112.29	0	0	0	112.29	11.18	9.96
31	**कुल**		**86166.97**	**156420.7**	**9105.18**	**195525.88**	**281692.85**	**157197.01**	**55.80**

अनुबंध 6.VI

1997-98 (मार्च,98) के दौरान आई आर डी पी के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति-अन्तिम

क्रसं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवधि माह में	परिवारों का कवरेज			COVERAGE OF DISADVANTAGED GROUPS							
			संख्या			Number				Percentage			
			पुराने परिवार	नए परिवार	योग	अ0जा0	अ0ज0जा0	महिलाएँ	विक्लांग	अनु0जा0	अनु0ज0जा0	महिलाएँ	प्रतिशतता विकलांग
1	आंध्र प्रदेश	3		162117	162117	59303	14248	59455	1881	36.58	8.79	36.67	1.16
2	अरूणाचल प्रदेश	3	3336	9463	12799		12799	5480		0	100	42.82	0
3	असम	3	59	39526	39585	5915	10035	9154	135	14.94	25.35	23.12	0.34
4	बिहार	3	2762	194087	196849	57452	32258	32403	114	29.19	16.39	16.46	0.06
5	गोआ	3	15	882	897	11		596		1.23	0	66.44	0
6	गुजरात	3		41822	41822	6795	11093	15519	266	16.25	26.52	37.11	0.64
7	हरियाणा	3	167	10686	10853	5243		4611	288	48.31	0	42.49	2.65
8	हिमाचल प्रदेश	3	636	4912	5548	2215	588	2242		39.92	10.6	40.41	0
9	जम्मू काश्मीर	3		13643	13643	199(7)	150(7)	207	-7	1.46	1.1	1.52	0
10	कर्नाटक	3	5381	89307	94688	30412	7157	35239	832	32.12	7.56	37.22	0.88
11	केरल	3		44191	44191	14460	1096	22050	786	32.72	2.48	49.9	1.78
12	मध्य प्रदेश्	3	1036	137774	138810	26424	44094	28107	106	19.04	1.77	20.25	0.08
13	महाराष्ट्र	3	3646	143994	147640	33150	2606	61154	189	22.45	15.99	41.42	0.13
14	मणिपुर	3		4258	4258	44	2635	1198	16	1.03	61.88	28.14	0.38
15	मेधालय	3		5167	5167	8	5159	2306		0.15	99.85	44.63	0

16	मिजोरम	3		2876	2876		2876	1088	26	0	100	37.83	0
17	नगालैंड	3	116	3317	3433	0	3433	1201	13	0	100	34.98	0.38
18	उड़ीसा	3	73	75270	75343	17979	18934	25902	150	23.86	25.13	34.38	0.2
19	पंजाब	3		6107	6107	3164		2429	120	51.81	0	39.77	1.96
20	राजस्थान	3		60819	60819	17291	11938	23484	110	28.43	1963	38.61	0.18
21	सिक्किम	3	54	1738	1792	145	759	648		8.09	42.35	36.16	0
22	तमिलनाडु	3		180696	180696	84288	3009	76811	3505	46.65	1.67	42.51	1.94
23	त्रिपुरा	3		11668	11668	1980	4041	3371	13	16.97	34.63	28.89	0.11
24	उत्तर प्रदेश	3	311	350835	351146	178259	2421	136192	782	50.76	0.69	38.79	0.22
25	पश्चिम बंगाल	3	16	91717	91733	29735	4606	34173	399	32.41	5.02	37.25	0.43
26	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड	3	44	584	628		115	123		0	18.31	19.59	0
27	दादर एंड नगर हवेली	3		179	179	1	174	20		0.56	97.21	11.17	0
28	दमन एंड दीव	3	30	158	188	18	68	74		9.57	36.17	39.36	0
29	लक्षदीप	3		27	27		27	14	1	0	100	51.85	3.7
30	पांडिचेरी	3		1107	1107	360		644	32	32.52	0	58.18	2.89
	कुल		17682	1688927	1706609	574851	217319	585895	9765	33.68	12.73	34.33	0.57

अनुबंध 6.VII

1994-95 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार परिपव्यय तथा व्यय

क्र0सं0.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1994-95			1995-96			1996-97			1997-98		
		कुल योजना परिव्यय	एस सी पी परिव्यय	एस सी पी व्यय	कुल योजना परिव्यय	एस सी पी परिव्यय	एस सी पी व्यय	कुल योजना परिव्यय	एस सी पी परिव्यय	एस सी पी व्यय	कुल योजना परिव्यय	एस सी पी परिव्यय	एस सी पी व्यय
1	आंध्र प्रदेश	2130	284.82	216.97	3159	314.9	266.65	2724	300.57	267.46	3585.05	39.72	111.05
2	असम	978.83	73.33	62.14	1326.4	98.2	79.18	1183.74	78.49	78.49	1192.97	88.63	88.63
3	बिहार	900	166.69	152.23	2500	470.91	110.34	2143.91	260.3	144.17	2200	354.79	N.A
4	गोवा	182	4.25	2.59	210	2.86	2.65	191.76	3.24	2012	230	2019	1.99
5	गुजरात	2240	78.87	74.13	2240.82	97.16	86.96	2844.46	101.42	94.43	4500	171.52	N.A
6	हरियाणा	1025.5	142.56	136.1	1250	186.37	148.22	1375	177.21	148.1	1576.04	202.65	165.63
7	हिमाचल प्रदेश	666.32	77.86	67.05	750	90.25	94.37	900	109.29	104.26	1008	121.11	126.63
8	जम्मू एंड कश्मीर	950	54.83	49.26	1165	95.99	70	1150	74.74	70	1550	155.4	84.93
9	कर्नाटका	2800	303.81	289.21	3575	338.79	315.38	436	391.1	259.43	4545.01	385.1	308.82
10	केरल	1260	126.62	99.15	1550	14200	153.77	2207.27	209.65	196.03	2855	310.23	306.69
11	मध्य प्रदेश	2754	310.78	231.87	2900	283.16	231.66	3144.8	339.38	328.91	3656	307.3	198.07
12	महाराष्ट्र	4400	390.28	335.9	6069	550	550	7783.68	541.95	459.49	8325	600	361.69
13	मणिपुर	214.5	4.35	2.04	300	8.91	0	350	3.84	2.2	410	4.13	0.23
14	ओड़ीसा	1950	148	160.06	1650	178.57	166.58	2205.5	244.01	231.43	2810	282.04	N.A
15	पंजाब	1450	200.07	87.42	1560	227.68	90.5	1850	205	75.59	2100.01	210	134.59
16	राजस्थान	2450	389.85	363.24	3200	486.67	450.56	3200	487.12	462.75	3500	660.01	607.42

17	सिक्किम	135	8.4	1.66	192	7.15	6.3	194	4.22	4.2	200	4022	N.A
18	तमिलनाडु	2730.75	523.06	443.19	3200	618.25	483.3	3719.05	652.39	416390	4052.6	752.23	224.35
19	त्रिपुरा	290	25.99	25.99	350	37.12	25.99	346.91	32.53	32.53	437	40.58	41.97
20	उत्तर प्रदेश	4763	492.24	482.49	5702	809.28	538.66	7075	1420	930.02	7080	1484	1082.55
21	पश्चिम वंगाल	1706	174.35	232.49	2207	278.14	124.44	3080.94	146.85	115.17	9322.87	300.38	204.91
22	चंडीगढ़	80	11.12	11.12	100	2.47	2.47	105.34	5.9	4.97	116.87	10.21	8.31
23	दिल्ली	1560	140.31	81.44	1720	149.8	109.45	2090	185.22	164.21	232500	205.01	95.16
24	पांडिचेरी	135	21.94	20.8	175.52	28.52	23.79	175.52	32.58	30.95	218	35.47	N.A
	कुल	37771.5	4154.38	3631.54	4712.04	5503.15	4131.22	54400.83	6007	4623.81	62395.42	7026.92	4153.12

अनुबध 6.VIII

1994-95 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना को राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार जारी/उपयोग की गई विशेष केन्द्रीय सहायता

क्र0 सं0.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99 up to Sep. 98	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	3255.36	3228.51	3425.41	3323.13	2915.22	3510.00	2680.13	2680.13	2419.64	1092.54
2	असम	273.34	228.00	222.65	206.09	163.52	191.99	142.18	112.20	224.56	179.32
3	बिहार	0.00	744.24	0.00	1581.21	2678.61	2200.00	2808.20	4939.40	1911.01	1256.36
4	गोवा	956.68	686.31	278.90	631.74	278.90	664.58	1659.99	1659.99	371.40	81.55
5	गुजरात	3.95	2.36	2.09	2.91	2.09	2.04	3.83	1.16	2.72	1.79
6	हरियाणा	538.05	480.99	623.00	491.78	520.00	572.51	546.41	644.69	672.49	66.56
7	हिमाचंल प्रदेश्	195.72	385.22	193.63	224.38	180.29	244.80	256.91	271.44	164.44	134.61
8	जम्मू एंड कश्मीर	100.00	74.73	83.77	127.64	95.23	38.74	73.87	105.98	81.41	53.53
9	कर्नाटका	1873.76	1850.76	2350.09	2220.05	1884.01	1968.79	1389.35	1434.61	1608.65	604.34
10	केरल	508.81	554.66	492.73	443.13	404.93	458.90	645.94	576.05	368.06	5.14
11	मध्य प्रदेश्	2097.57	2586.70	2425.32	2102.70	1910.93	1419.18	1945.24	1465.60	1277.33	717.96
12	महाराष्ट्र	1575.08	1673.86	1745.47	1598.00	1448.87	1505.90	1922.45	1643.61	1020.17	435.55
13	मणिपुर	6.09	6.08	5.90	5.22	5.11	5.78	6.58	6.58	8.43	0.00
14	ओड़ीसा	1332.84	1575.66	1311.82	1215.76	1265.07	1354.52	1925.47	698.54	698.54	698.54
15	पंजाब	1626.72	839.29	571.68	670.94	883.28	610.47	0.00	887.82	668.22	412.81
16	राजस्थान	887.37	3502.00	1828.26	2311.73	1619.91	1757.37	2279.81	2308.82	1753.95	658.91
17	सिक्किम	4.22	4.02	3.57	3.72	3.39	3.39	4044.00	4.44	2.94	1.20
18	तमिलनाडु	2655.66	2293.12	2803.55	2655.66	2271.54	1186.10	1756.90	1766.97	2322.27	872.42

19	त्रिपुरा	100.97	100.97	72.26	63.88	72.54	80.70	106.28	106.54	102.99	38.68
20	उत्तर प्रदेश	6297.51	5373.84	5839.03	6040.60	5920.49	6025.24	7646.66	5572.47	3932.06	3932.06
21	पश्चिम बंगाल	2813.37	2813.37	2955.22	2955.50	2752.50	2742.85	2848.78	2848.78	2016.19	0.00
22	चंड़ीगढ़	17.40	18.60	14.86	17.88	16.23	18.22	18.16	18.16	18.20	10.44
23	दिल्ली	244.42	130.17	231.16	151.52	190.42	190.42	135.43	90.40	201.71	47.28
24	पांडिचेरी	19.31	24.99	19.62	26.68	17.46	19.64	23.99	25.74	15.58	6.72
	कुल	27384.92	29178.45	27500.00	29071.85	27500.00	26772.13	30827.00	31096.57	21862.96	11308.31

अध्याय VII

सेवा संबधी सुरक्षण

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16 (4क), 320 (4), और 335 में देश की अनु0 जातियों और अनु0 जनजातियों के लिए सेवा संबधी सुरक्षणों का प्रावधान है। संविधान -निर्माताओं ने देश के शासन और प्रशासन में पिछ्डे वर्गों को हिस्सा देने तथा उनके द्वारा शताब्दियों से झेले गए सामाजिक -आर्थिक और शैक्षिक वंचन तथा भेदभाव को दूर करने के लिए विशेष उपबंध करना आवश्यक समझा। तदनुसार, भारत सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति समुदायों को आरक्षण और रियायतें देने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन का मॉनीटर करने के लिए स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण का उपबंध किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अनु0 जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई जो कुछ समय बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में विकसित हुआ।

7.2 सेवाओं में संवैधानिक सुरक्षणों का कार्यान्वयन संघ के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता है। 1997 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पांच आदेशों ने आरक्षण नीति के प्रभाव को काफी कम कर दिया तथा आरक्षण नीति के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति को उपलब्ध कुछ मुख्य सुविधाएं वापस ले ली गईं। वास्तव में इससे आरक्षण नीति का समाप्त होना प्रारम्भ हुआ। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इनमें से कुछ आदेशों को जारी करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राष्ट्रीय अनु0 जाति और अनु0 जनजाति आयोग से परामर्श नही किया, जबकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 338(9) के अधीन अनिवार्य था। इस सबंध में जारी किए गए कई आदेश, इस आशय का स्पष्ट और एकसमान विधान न होने के कारण, अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के हितों का संरक्षण उस तरह से करने के योग्य नहीं बन पाए हैं जैसा कि संविधान के अधीन सोचा गया था। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में भूल चूक करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दंड देने के संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, जिसे कारण इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाई आती है।

वर्तमान स्थिति

7.3 भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी तक आरक्षण के निर्धारित स्तर अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत तक नहीं पहुँच पाया है। केन्द्र सरकार के विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का व्यौरा नीचे दिया गया है:-

I केन्द्र सरकार के विभाग

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सेवाओं में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में दिनांक 1.1.1996 तथा 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 3.12.1999 के पत्र सं0 360/1/99-स्था0(आरक्षण) से प्रस्तुत की गई है, जो निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई है:-

1-12-99 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना
केंद्र सरकार की सेवाओं में (1-1-96 की स्थिति के अनुसार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल	अनु. जाति	प्रतिशत	अनु.जनजाति	प्रतिशत
क	57096	6437	11.27	1926	3.37
ख	97176	11560	11.90	2570	2.64
ग	2227006	342525	15.38	125783	5.63
घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	973861	207143	21.27	58888	6.05
सफाई कर्मचारी	192777	77221	40.06	14014	7.27
कुल (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	3355139	567665	16.92	189167	5.64
कुल (सफाई कर्मचारी सहित)	3547916	644886	18.18	2.3181	5.73

टिप्पणीः इस सूचना में तीन मंत्रालयों/विभागों की सूचना नहीं है।

स्रोतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

1-12-99 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना
केंद्र सरकार की सेवाओं में (1-1-97 की स्थिति के अनुसार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल	अनु. जाति	प्रतिशत	अनु.जनजाति	प्रतिशत
क	60067	6135	10.21	1840	3.06
ख	94111	11649	12.38	2840	3.02
ग	1959477	314995	16.08	122903	6.27
घ(सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	818748	176368	21.54	54931	6.71
सफाई कर्मचारी	1551137	61149	39.42	12812	8.26
कुल (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2932403	509147	17.36	182514	6.22
कुल (सफाई कर्मचारी सहित)	3087540	570296	18.47	195326	6.33

टिप्पणीः इस सूचना में सात मंत्रालयों/विभागों की सूचना सम्मिलित नहीं है।

स्रोतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि केंद्र सरकार की सेवाओं में समूह क और ख में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत के निर्धारित स्तर तक अभी नहीं पहुंचा है। समूह ग और घ में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की प्रतिशतता 15 प्रतिशत से बढ़ गई है, परन्तु, अनुसूचित जनजातियों के मामले में सभी समूहों में प्रतिशतता 7.5 प्रतिशत से नीचे है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह ग और घ में 7.5 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता तक अभी पहुँचना है। **आयोग सिफारिश करता है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।**

II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमः

दिनांक 1.1.97 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई हैः-

दिनांक 1-1-97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थिति

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु0 जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु0 जाति की प्रतिशतता	अनु0 जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु0 ज0 जाति की प्रतिशतता
समूह-क	2,04,756	18,830	9.19	5,111	2.50
समूह-ख्	1,64,897	17,142	10.40	6,108	3.70
समूह-ग	11,53,161	2,18,880	18.98	99,437	8.62
समूह-घ् (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	4,73,972	1,07,176	22.61	51.261	10.82
कुल	19,96,786	3,62,028	18.13	1,61,917	8.11
सफाई कर्मचारी	25,134	20,101	79.98	779	3.09
कुल जोड़	20,21,920	3,82,129	18.89	1,62,696	8.05

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समूह-क और ख की सेवाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई है। सेवाओं में आरक्षण की यह स्थिति समग्र आधार पर है। यदि पद-वार आधार पर विश्लेषण किया जाता है तो प्रतिनिधत्व की प्रतिशतता उच्च पदों में अपेक्षा से काफी कम हैं।

III सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

31-12-97 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्थिति

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु0 जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु0 जाति की प्रतिशतता	अनु0 जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु0 ज0 जाति की प्रतिशतता
अधिकारी	2,52,072	29,956	11.88	10,098	4.1
लिपिक	4,65,780	69,902	15.01	22,416	4.81
अधीनस्थ स्टाफ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1,83,061	42,567	23.25	11,275	6.16
सफाई कर्मचारी	43,509	22,864	52.55	2,449	5.63

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की श्रेणी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व और अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर से अब भी काफी कम है। **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी विभिन्न रिपोर्टों में सिफारिशें करता रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुशिक्षण (कोचिंग), सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविधालयों, अनुदान सहायता प्राप्त निकायों इत्यादि में आरक्षण लागू करने के लिए केन्द्रीय विधान पारित करने जैसे उपाय करके इस कमी को पूरा करने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए सेवा संबंधी सुरक्षणों के संबंध में आयोग के कार्य

7.4 संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 5 ख में यह उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दिए गए अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने के संबंधित विशेष शिकायतों की जाँच पड़ताल करेगा। किसी विषय का अन्वेषण अथवा किसी शिकायत की जाँच-पड़ताल करते समय आयोग को अनुच्छेद 338 के खंड (8) के तहत वे सभी शक्तियाँ होंगी जो सिविल न्यायालय को विचारण के लिए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 1.1.98 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/97-स्था0 (आरक्षण) से यह बताते हुए आदेश जारी किए थे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को न तो अस्थायी या स्थायी आदेश देने की शक्ति है और न ही सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को लागू करने से रोकने का निदेश देने की शक्ति है। इसमें यह भी कहा गया है कि विभागों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों को ध्यान में रखते हुए आयोग की सिफारिशों

पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आयोग की एक बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस कार्यालय ज्ञापन पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया कि सभी सबंधित मंत्रालयों को पृष्ठांकित करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को पत्र संबोधित करते हुए स्थिति स्पष्ट कर ली जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आयोग के पत्र पर आपत्ति की और कहा कि आयोग द्वारा जारी निर्देश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल है और आयोग केवल उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केवल जांच पड़ताल परिणाम ही जारी कर सकता है व निदेश नहीं दे सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को फिर से अनुदेश जारी किए कि वे आयोग के ऐसे अनुदेशों पर ध्यान न दें, जिनका आशय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों को संशोधन करना, रोके रखना अथवा मुल्तवी रखना हो।

7.5 रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान आयोग में 4900 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन पर आयोग के दिल्ली में स्थित मुख्यालय तथा उसके 16 राज्य कार्यालय द्वारा कार्यवाई शुरू की गई थी। इनमें से लगभग 900 मामलों पर वर्ष के दौरान कार्यवाई पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी जांच पड़ताल परिणाम संविधान और अन्य संगत नियमों में दिए गए सुरक्षणों के उल्लंघन के संबंध में हैं। आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ नीति संबंधी मुददों पर बात की है और किसी भी सरकारी आदेश को रोके रखने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए पत्र भी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरोध में नहीं हैं।

विशेष रिपोर्ट की मुख्य बातें

7.6 आयोग ने राष्ट्रपति को ऐसे महत्वपूर्ण मुददे पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, पहली बार संविधान में दिए गए विकल्प का प्रयोग किया, जो संविधान में सुविचारित आरक्षण नीति के मूल आधार के विरूद्ध जाने से संबंधित है। पिछले कुछ दशकों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा जो सुविधाएं ली जा रही थीं उन्हें सरकार की कार्रवाई द्वारा बिल्कुल कम कर दिया गया है। इस उपबंध का प्रयोग करने से पहले आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के सभी माध्यमों का उपयोग कर लिया था । आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी इस मामले पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97,13.8.97 और 29.8.97 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों द्वारा आरक्षण नीति के मूल स्वरूप में किए गए प्रतिकूल बदलाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें।

7.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण नीति का अनुपालन करके पदोन्नति की गई थी उन्हें दिनांक 30.1.97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा उनकी वरीयता में नीचे लाया गया । उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित निहित आरक्षण स्तर सुनिश्चित किए बिना दिनांक 2.7.97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिक्ति आधारित रोस्टर रखने की पद्धति को बदलकर पद-आधारित कर दिया गया, जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दिनांक 22.7.97 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती और पदोन्नति में दी गई विभिन्न प्रकार की छूटों को वापस ले लिया गया। दिनांक 13.8.97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति को समूह-क के निम्नतम रैंक तक सीमित कर दिया गया जो कि 77वें संवैधानिक संशोधन के आशय के प्रतिकूल है। दिनांक 29.8.97 के कार्यालय

ज्ञापन द्वारा विशेष भर्ती अभियान बंद कर दिया गया जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बैकलाग रिक्तियों को शीघ्र भरने का एक मात्र साधन था।

7.8 ये सरकारी ज्ञापन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सेवा शर्तो और सेवाओं में उनके भविष्य पर कई तरह से प्रतिकूल असर डालते हैं। अतः आयोग का पूरी तरह यह मानना है कि दिनांक 30-1-97 के आदेश वापिस लिए जाने चाहिए, दिनांक 22.7.97 और 29.8.97 के आदेश रदद कर दिए जाने चाहिए, दिनांक 2.7.97 के आदेश का पुनर्वलोकन/ संशोधन किया जाना चाहिए और दिनांक 13.8.97 के आदेश में 77वें संवैधानिक संशोधन के आशय के अनुसार संशोधन करके राज्य के अधीन पदों और सेवाओं की सभी श्रेणियों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में रिक्ति आधारित रोस्टर पद्धति को पद आधारित पद्धति में बदलने से पहले संबधित पदों में निर्धारित प्रतिशतता को पूरा करने की पूर्व शर्त रखी गई है, परन्तु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जल्दबाजी में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है । इन कार्यालय ज्ञापनों के परिणाम स्वरूप अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के उम्मीदवारों के रोजगार के अवसरों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विशेष भर्ती अभियान बंद कर दिए गए है। इस आदेश से अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग तथा वर्तमान नियुक्तियाँ इकटठी कर दी गई हैं। इससे पहले बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियाँ अलग-अलग मानी जाती थी ताकि 50 प्रतिशत तक रिक्तियाँ अनु0 जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकें जिससे उनकी भर्ती में वृद्धि हो। यह अंदेशा है कि नई नीति से न केवल अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती में कमी आएगी बल्कि बहुत बड़ी संख्या में बिना भरी रिक्तियाँ भी रह जाएंगी।

आरक्षण अधिनियम

7.9 सेवाओं मे संवैधानिक सुरक्षणों का कार्यान्वयन संबधित मंत्रालय (इस समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से कई आदेशों को बाद में, अन्य मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविधालयों इत्यादि द्वारा, ज्यों का त्यों अथवा यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अपना लिया जाता है। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थाओं में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के लिए नियुक्तियों अथवा पदों और सीटों में आरक्षण विधेयक 1996 का प्रारूप तैयार किया है। आयोग इस विधेयक पर पहले ही अपनी टिप्पणी भेज चुका है। परन्तु इस विधेयक पर अभी विचार किया जाना है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विधेयक को तत्काल कानून बना दिया जाए और सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविधालयों और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अन्य शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थाओं की शिकायतों का निवारण

7.10 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों इत्यादि में पंजीकृत संस्थाएं/संगठन बना रखे हैं। यदि इनको संबंधित. प्रबंधक वर्ग द्वारा सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता है तो इनको बनाने का उददेश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संस्थाएं इन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए दबाव डालती हैं। इस संबंध में बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 15.9.89, 20.2.95 और 24.5.96 से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई संस्थाओं को नियमित रूप से सुने जाने के लिए पहले ही अनुदेश

जारी किए जा चुके है। **यह महसूस किया गया है कि अनुसूचित** जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सामान्य **तथा व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार-विमर्श करने के लिए इन संस्थाओं** को एक मंच प्रदान करने से उनकी **शिकायतों का निवारण** होता रहेगा और कार्यालयों और संगठनों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल **वातावरण बन पाएगा।**

7.11 इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संस्थाओं को निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाए उपलब्ध कराने का आग्रह किया है:-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अलग-अलग शिकायतों पर विचार-विमर्श करने के लिए तथा इन समुदायों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तो से संबंधित सामान्य मुददों पर भी विचार-विमर्श करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की संस्थाओं के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय /परियोजना/फील्ड /आंचलिक स्तर के कार्यालयों में तिमाही/ आवधिक बैठकें आयोजित की जांए।

(ii) **इन बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखा जाए और बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। प्रबंधक-वर्ग द्वारा कार्यवृत्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में संस्थाओं को सूचित किया जाए।**

(iii) **प्रबंधक वर्ग/विभाग विभिन्न स्तरों जैसे मुख्यालय/क्षेत्रीय /परियोजना/आंचलिक/फील्ड कार्यालय इत्यादि में इन सस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उपयुक्त कार्यालय स्थल, टेलीफोन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी विचार कर सकता है।**

7.12 इस आयोग ने फरवरी, 1998 में सचिव सार्वजनिक उधम विभाग तथा संयुक्त सचिव (बीमा), आर्थिक कार्य विभाग के साथ अनु0 जाति / अनु0 जनजाति कर्मचारी कल्याण संघों को न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए मामला उठाया था। परन्तु उनसे प्राप्त उत्तर सकारात्मक नहीं था। आयोग पुनः सिफारिश करता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रयासों हेतू मान्यता प्रदान की गई है, अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति संघों को जाति के आधार पर बनाए गए नाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। **राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग पुनः सिफारिश करता है कि अनु0 जाति /अनु0 जनजाति कर्मचारी कल्याण सघों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाए दी जानी चाहिए।**

राज्यों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति

7.13 आयोग को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए बनाए गए संवैधानक सुरक्षणों और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटर करने के लिए संघ/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ पत्राचार करना होता है। इस आयोग के राज्य कार्यालयों ने आयोग के ध्यान में यह बात लाई है कि कुछ मामलों में उन्हें राज्य सरकार से समय पर अपेक्षित जानकारी/सामग्री प्राप्त नहीं होती है, अतः वे इसका विश्लेषण नहीं कर पाते और

आगे मुख्यालय को इसे नही भेज पाते । इसके अलावा राज्य कार्यालयों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान/ प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सपर्क कर सकें। अतः यह अनुभव किया गया कि यह बेहतर होगा यदि राज्य सरकारें राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास संपर्क प्रकोष्ठ गठित करें और उन्हें यह दायित्व सौंपे कि वे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा आयोग और इसके राज्य कार्यालयों को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें । इस प्रयोजन के लिए आयोग ने 15.11.98 को सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के मुख्य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए परिपत्र लिखा था कि वे अपने राज्यों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित करें जिसकी अध्यक्षता किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौपी जानी चाहिए ।

अनारक्षण

7.14 जैसा कि आयोग की चौथी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, आरक्षण न करने की अनुमति किसी वर्ग में सेवा/पदों पर सीधी भर्ती के लिए नहीं है, सिवाय ऐसे समूह क पदों के मामले में पद आरक्षित नहीं रखे जा सकते है, जिन्हें सार्वजनिक हित में रिक्त रखने की अनुमति नही है। ऐसे मामलों में प्रस्तावों की जाँच प्रथमतः आयोग द्वारा की जाएगी और यदि आयोग सहमत हो तो यह प्रस्ताव तीन सचिवों की एक समिति (कार्मिक विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय) के पास जाएगा । सचिवों की समिति की सिफारिशें निर्णय के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगी। पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों पर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब कभी पदोन्नति कोटे में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जा सकता है तो इन रिक्त पदों को बाद के तीन भर्ती वर्षो में आगे ले जाने की आवश्यकता है। किन्तु इन्हें आगे ले जाने से पूर्व एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई है, जिसके अनुसार आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण सहित सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में पदोन्नतियों के बारे में, जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार फीडर संवर्ग में उपलब्ध नहीं हैं या वे पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है, आरक्षित रिक्त पदों का अनारक्षण (आरक्षित न करने) की शक्तियाँ संयुक्त सचिव के स्तर पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। तथापि इन सभी मामलों में अनारक्षण के प्रस्तावों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को पृष्ठांकित करते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजना आवश्यक होता है

7.15 आयोग में इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित मंत्रालय/विभाग को अंतरिम उत्तर भेजने के उपरांत, प्रस्तावों का पूर्णतया विश्लेषण किया जाता है और इनकी जाँच की जाती है और अनेक बार मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों को निदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर चर्चा/स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जहां सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के लिए अलग कोटा है, वहाँ पदोन्नति के मामले में कोई अनारक्षण नहीं होगा अर्थात पद आरक्षित ही रखे जाऐंगे किन्तु आरक्षित पद सीधी भर्ती में परिवर्तित कर दिए जाएंगें ताकि ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.7.90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-ए बी 14017/30/89-स्था/आर.आर. के अनुसार अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा

भरे जा सकें। जहाँ प्राधिकारी आरक्षित पदों को रिक्त रखना चाहता है वहां कोई अनारक्षण नहीं होगा अर्थात पद आरक्षित रखे ही जाएंगे। **यह सुनिश्चित करने का उददेश्य से कि अनारक्षण का केवल अन्तिम उपाय के रूप में सहारा लिया जाता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूरे मुददे की पुनः जांच की जानी चाहिए और अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की सीधी भर्ती के लिए व्यवस्था की जाए जहां उनके लिए बनाया गया पद प्रोन्नति द्वारा नही भरा जा सकता है। अनेक मामलों में पुनः जांच के लिए नियमों में संशोधन अपेक्षित होगा। यह अनुभव किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं कि पदोन्नति श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पद भी केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे जाएं और ऐसे पदों पर अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल कतिपय बाध्यकारी परिस्थतियों में ही की जाए।**

i) **अनेंक मंत्रालयों/विभागों से उनके भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए कहा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन कतिपय मामलों को छोड़कर जहाँ सीधी भर्ती करना संभव नहीं है, सभी स्तरों पर सीधी भर्ती की जा सके।**

ii) **जहाँ भर्ती नियमों में, पदोन्नतियों, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा करने का प्रावधान है, वहां प्राधिकारियों को अनारक्षण का सहारा लेने से पूर्व अन्य संभावनाओं अर्थात प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती का उपयोग कर लेना चाहिए।**

iii) **यधपि प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण् के आधार पर भरे गए पदों में कोई आरक्षण नहीं है तथापि प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि फीडर ग्रेड में पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही है और सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है तो वे अन्य मंत्रालयों विभागों से समान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों से. आरक्षित अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के पदों को भरें।**

iv) **जहाँ भर्ती नियमों में 100 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है और प्राधिकारी के लिए उसमें सीधी भर्ती के प्रावधान को आरंभ करना संभव नहीं है, वहां सीधी भर्ती के माध्यम से अवर स्तर पर समान संख्या में पदों को भरना सुनिश्चत किया जाए।**

v) **ऐसे पदों के मामले में जिन्हे आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, प्राधिकारियों को किसी भी स्थिति में पदोन्नति कोटा को सीधी भर्ती में अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी।** यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फीडर संवर्गो में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। जहां ऐसे मामलों में भर्ती नियमों का उल्लघंन किया गया हो वहा अनारक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi) जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार फीडर ग्रेड में उपलब्ध है किन्तु पदोन्नति के लिए पात्र नही हैं वहां ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जो पैनल अनिर्णीत पड़े रहने (लंबित रहने) के दौरान पात्र होने वाले हैं, पैनल में आरक्षित पदों पर शामिल कर लिया जाना चाहिए और जब वे पदोन्नति के लिए योग्य हो जाएं तो उसके बाद उन्हें पदोन्नत कर दिया

जाना चाहिए। तब तक प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो कार्य की तात्कालिक आवश्कता को ध्यान में रखते हुए तदर्थ व्यवस्था कर सकते है।

vii) रेलवे, रक्षा अर्ध-सैनिक संगठन तथा अन्य संगठनों में, जहां समान अपेक्षाएं है, सुरक्षा श्रेणियों में वैज्ञानिक /तकनीकी पदों के मामले पर आयोग सहमत हो सकता है

viii) अनारक्षण के प्रपत्र (प्रोफार्मा) को भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सीधी भर्ती के प्रावधान को, अनु0जाति/अनु0जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारणों आदि को उसमें शामिल किया जा सके। कार्मिक एवं प्रशिक्षण् विभाग ने कुछ कालमों को शामिल करके अनारक्षण के प्रपत्र (प्रोफार्मा) को संशोधित किया है, जैसे स्वीकृत पद, भरे हुए पद, आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भरे जाने वाले पद एवं कमी, यदि कोई हो, 2.7.97 की स्थति के अनुसार अनु0 जाति/ अनु0जनजाति का प्रतिनिधित्व जिन पदों को अब भरने का प्रस्ताव है, वे कैसे सृजित हुए अर्थात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के या सामान्य उम्मीदवारों की सेवानिवृत्ति द्वारा, या उनकी पदोन्नति द्वारा, तथा दिनांक 2.7.97 की स्थिति के अनुसार पद-धारित रोस्टर, परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों को लिखा है कि यदि उन्होंने अनारक्षण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं तो वे संशोधित फार्मेट में प्रस्ताव भेज दें।

पदोन्नतियाँ

7.16 नया अनुच्छेद 16(4क) राज्य को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में ऐसे किसी भी पद-वर्ग या पद वर्गो में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है, जहाँ राज्य के मत में राज्य की सेवाओं के अंतर्गत पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नही है संविधान के 77वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह आशा की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण् पदों के अन्य स्तरों और वर्गो तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें समूह क सेवाओं के अवर स्तर से ऊपर के अन्य पद स्तर व पद-वर्ग भी शामिल हैं जिन में पदोन्नति में आरक्षण की मौजूदा नीति सीमित है । इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तरों के अनुसार नही है, विशेष रूप से समूह क और ख में। रियायतों और सुविधाओं को वापस लेने से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनायें और कम कर दी गई है। जो पद अब उपयुक्त व्यक्ति न मिल पाने के कारण रिक्त रहने वाले है उन्हें भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

7.17 आयोग की पहली रिपोर्ट, जो वर्ष 1992-93 के लिए थी, में स्थानीय आधार पर भरे जाने वाले समूह ग और घ पदों पर सीधी भर्ती के समय अनुसूचित जातिं/ अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रतिशत तथा इन पदों पर पदोन्नतियों के समय, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिशत पर आधारित है, के बीच असंतुलन से संबंधित मुददा उठाया था। यह सिफारिश की गई थी कि स्थानीय आधार पर भरे गए समूह ग और घ पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत संशोधित किया जाए ताकि यह सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किए गए स्थानीय प्रतिशत के अनुरूप हो। चूँकि आरक्षण् के प्रतिशत में असंतुलन अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था अतः आयोग को इसके संशोधन का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाना पड़ा। स्पष्टीकरण की मांग करते समय यह उल्लेख किया गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में अनूसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 45 प्रतिशत है किंतु 200 प्वाइंट पदोन्नतीय रोस्टर के कार्यान्वयन द्वारा 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रयोज्य होगा । जबकि यही आरक्षण प्रतिशत देश के दक्षिणी भाग के लिए भी प्रयोज्य है जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या केवल एक प्रतिशत है। यही स्थिति अनूसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में भी विधमान है। पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वयन में इससे असंगत स्थिति पैदा होती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह सूचित किया है कि वे अपनी टिप्पणियाँ पहले ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 4.1.95 को भेज चुके हैं। सिफारिश संख्या 5.23 के संबंध में, जो समूह ग और घ पदों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण-प्रतिशत के संशोधन से संबंधित है, ताकि सीधी भर्ती के चरण पर उनके लिए उपबंधित स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिशत के अनुरूप हो सके, एक एस0एल0 पी0 इस मुददें पर उस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन थी। उच्चतम न्यायालय ने उक्त एस0 एल0 पी0 पर दिनांक 8.5.96 को निर्णय सुनाते हूए सरकार की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण के समान प्रतिशत को निर्धारित करने की नीति को मान्य ठहराया।

मिथ्या जाति प्रमाण पत्र

7.18 मिथ्या जाति प्रमाण पत्र की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति आयोग इस समस्या से काफी चिंतित रहा है आयोग वार्षिक रिपोर्टो में की गई सिफारिशों के जरिये तथा विभिन्न् स्तरों पर संबंधित प्राधिकारियों को सम्बोधित करके इस समस्या पर ध्यान दिलाता रहा है। आयोग का मानना है कि इस मुददे पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है और बहुत से लोग मिथ्या जाति प्रमाणपत्रों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं जिससे वास्तविक अनु0 जाति अनु0 जनजाति के लोग अपने वैध अधिकार से वंचित हो रहे हैं। भारत सरकार अनु0 जाति अनु0 जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियों तथा मिथ्या पाए जाने वाले प्रमाण पत्रों से संबंधित मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी करती रही है। जिन कर्मचारियों ने मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर रोजगार प्राप्त किया है, उन पर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ही नहीं बल्कि भा0 दं0 सं0 के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास , महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य की सिविल अपील सं0 5854 /94 में इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत प्रकिया निर्दिष्ट की है जिसे जनजातीय कल्याण निदेशक, आन्ध्रप्रदेश सरकार बनाम लवाती गिरि और अन्य के मामले में सिविल अपील सं0 4545/95 में दोहराया गया है।

7.19 मार्च 1999 में आयोग ने अनु0 जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने, उनके सत्यापन और रदद करने के संबंध में तथा मिथ्या प्रमाण पत्र धारकों के खिलाफ अनुशासनिक और दण्डात्मक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पता लगाने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को पत्र भेजे थे। आयोग यह भी जानना चाहता था कि क्या संबंधित राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों ने इस संबंध में विनिर्दिष्ट अधिनियम/नियम बनाए हैं या कोई कार्यकारी अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं। राज्य सरकारों

से अनुरोध यह भी किया गया था कि वे अनु0 जाति / अनु0 जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने, उनका सत्यापन करने तथा उनके रदद करने के संबंध में बरती जाने वाली निगरानी की वर्तमान स्थिति, पिछले तीन वर्षो के दौरान पता लगाए गए मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के मामलों की संख्या तथा उन मामलों में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई अनुशासनिक/दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचित करें। इस संबंध में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है।

आंध्र प्रदेश

7.20 अनु0 जाति / अनु0 जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के संबंध मे समुदाय संबंधी प्रमाण पत्रों को जारी करने और उनसे संबंधित मामलों को विनियमित करने का एक अधिनियम है जो 8 सितम्बर 1993 से लागू हुआ था। इससे संबंधित नियम आंध्रप्रदेश अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग समुदाय, जन्म और जन्मतिथि प्रमाण पत्र जारी करने के नियम 1997 के रूप में जाने जाते है और ये 16 मई, 1997 से लागू किए गए हैं । अधिनियम में व्यवस्था है मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त किए लाभों को तत्काल वापस ले लिया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्यो का निष्पादन करने वाले किसी भी उस प्राधिकारी को जो जान बूझकर मिथ्या जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, दोषी पाए जाने की स्थिति में उसे कम से कम छः महीने के कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा तथा यह अवधि दो वर्ष तक भी बढाई जा सकती है तथा उस प्राधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जायेगा जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा तथा यह जुर्माना पाँच हजार रूपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। परन्तु, राज्य सरकार द्वारा आयोग को विगत समय में पता लगाए गए मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के मामलों की संख्या और इन मामलों में प्राधिकारियों द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

असम

7.21 राज्य में अनु0 जाति के व्यक्तिथों के लिए जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में अपने फील्ड स्टाफ और विभिन्न् अनु0 जाति संगठनों से सहायता लेते हैं। अनु0 जनजाति के लोगों की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्राधिकारियों और आल असम ट्राइबल संघ/ तथा संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा जारी किए जाते हैं । यह स्थिति उच्च्तम न्यायालय के उस निर्णय के अनुसार जल्दी ही परिवर्तित हो जाएगी जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने की शक्ति केवल राजस्व प्राधिकारियों को ही दी जा सकती है। परन्तु यह देखा गया है कि वास्तविक लोगों की पहचान के मामले में अनु0 जनजाति से संबंधित सामाजिक संगठनों की भागीदारी के कारण मिथ्या प्रमाण पत्रों की समस्या काफी सीमा तक कम हो गई है। जब कभी मिथ्या प्रमाण पत्रों की सूचना मिलती है तो राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उनकी जाँच की जाती है तथा स्थिति के अनुरूप उन पर कार्रवाई की जाती है। सामान्य रूप से राज्य में जारी किए गए मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों की संख्या तथा उन मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती हैं।

अंडमान और निकोबार प्रशासन

7.22 इस क्षेत्र में अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। इस संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक किसी मिथ्या प्रमाण पत्र का पता लगने की सूचना नहीं मिली है अतः ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनुशासनिक /दण्डात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नही हैं।

केरल

7.23 केरल, पहला ऐसा राज्य है जिसने 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है। इसके बाद राज्य विधान मंडल ने उक्त निर्णय में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर केरल अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति , जाति प्रमाण पत्र निर्गम अधिनियम 1996 पारित किया था। राज्य द्वारा गठित की गई जाँच समिति ने अनु0 जाति अनु0 जनजाति का दावा करने वाले 175 जाली मामलों की पहचान की है। माधुरी पाटिल मामले में प्रस्तावित कार्यवाही के अतिरिक्त इन सभी मामलों में मिथ्या दावा करने वालों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए वित्तीय लाभ, यदि कोई हों, उनकी वसूली की जाती है और अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के लाभ उठाने वालों के परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। अभिलेखों में की गई जाति संबंधी प्रविष्टियों में सुधार करना शुरू कर दिया गया है तथा संवीक्षा समिति द्वारा पता लगाए गए ऐसे सभी व्यक्तिगत मामलों में संबंधित राजस्व प्राधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।

7.24 अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदनों को राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृत करने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर की जा रही हैं, जिनके संबंध में अंतरिम स्थगन जारी होने के बाद मामले वर्षो तक लंबित पड़ें रहते हैं। यह एक प्रकार से रिट में मांगी गई राहत देने के समान है। 4 या 5 वर्षो के बाद जब मामला अतिम सुनवाई के लिए आता है तो याचिकाकर्ता सम्पन्न् कार्य (Fait accompli) के रूप में अभिवचन करता है तथा अधिकांश मामलों में याचिका स्वयं ही निष्फल हो जाती है। विभिन्न् उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग तरह के निर्णय लिए जाते है इन मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों तथा शीघ्रता से निपटान संबंधी निदेशों का प्रायः अनुपालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार अनुचित ढील और विलंबकारी युक्तियाँ प्रायः अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति का मिथ्या दावा करने की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में जाँच समिति द्वारा किए गए कार्यो को व्यर्थ कर देती है।ऐसे कई मामले सर्वोच्च् न्यायालय में लाए जाते हैं जिनमें और भी अधिक समय लगता है।

7.25 सभी स्तरों पर न्यायालयों का हस्तक्षेप और चूककर्ताओं द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली विलंबकारी युक्तियाँ इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने में सरकार के समक्ष आने वाली सबसे बडी बाधाए है। अनु0 जाति / अनु0 जनजाति समुदायो के सदस्यों के हितों के संरक्षण का मामला अत्यधिक महत्व का विषय होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाली ऐसी मिथ्या अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के दावों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय आयोग उच्चतम न्यायालय में विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त कर सकता है।

मध्य प्रदेश

7.26 मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के अधिकारियों और उनके हितों के संरक्षण के लिए अनुदेश जारी करती रही है। सितम्बर 1997 में, अनु0 जाति तथा अनु0 जनजातियों को जारी किए गए समुदाय प्रमाण पत्रों के संबंध में पूछताछ करने के लिए अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति कल्याण / विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। फरवरी , 1999 में मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी सेवाओं में अनु0 जाति /अनु0 जनजाति के व्यक्तियों के प्रवेश की जाँच करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समितियाँ गठित की गई थी। जिले के पुलिस अधीक्षक को इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। पिछले तीन वर्षो के दौरान पता लगाए गए मिथ्या प्रमाण पत्रों के मामलों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

मणिपुर

7.27 जनजातीय प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए मामले में राज्य सरकार भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। मणिपुर में जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार जिले के उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट को है। जनजातीय तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उपायुक्त जिले में उप खण्ड एस डी एम और राजस्व अधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवाता है तथा उनकी सिफारिशों पर जाति / जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

7.28 उपायुक्तों / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए जाति अथवा जनजाति प्रमाण पत्रों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती दिए जाने की स्थिति में उपायुक्तों को उन्हें पुनः सत्यापित करने के लिए कहा जाता है तथा यदि उपायुक्त यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा जारी किए गए जाति/ जनजातीय प्रमाण पत्र असली हैं तो ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, उपायुक्त जाति/ जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होते हैं । इसके अतिरिक्त, यदि मिथ्या जाति प्रमाण पत्र धारक का पता चलता है तो उस पर नजर रखी जाती है और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है।

महाराष्ट्र

7.29 महाराष्ट्र सरकार ने कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अपर आयुक्त जनजातीय विकास, महाराष्ट्र सरकार और अन्य के मामले मे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अनु0 जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाया है। तारीख 3.6.96 के सरकार के संकल्प सं0 सी0बी0सी0 1096/सी आर 48/बी सी डब्ल्यू-5 के अनुसार राज्य में जिला अधिकारियों /उप जिला अधिकारियों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। सरकार के संकल्प की विशिष्टताएं और विषय निम्न प्रकार से है

(i) जाति प्रमाण पत्र केवल राजस्व उप जिला अधिकारी अथवा जिला अधिकारी द्वारा जारी किए जाने चाहिए।

(ii) उन व्यक्तियों के संबंध में, जो कि दिनांक 10.8.50 के बाद महाराष्ट्र राज्य में बस गए हैं उनके लिए प्रमाण पत्र उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने चाहिए जहाँ के उनके पिता आदि मूल निवासी थे।

7.30 उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अनु0 जाति के व्यक्तियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच करने के लिए छः जाँच समितियाँ गठित की हैं। इन समितियों को पुलिस अधिक्षक और 8 पुलिस उप निरिक्षको से युक्त सर्तकता कक्ष द्वारा सहायता की जाती है संदेहास्पद मामले सतर्कता कक्ष द्वारा निपटाए जाते हैं। यदि प्रमाण पत्र वैध न पाया जाय तो उसे रदद करने के लिए तथा साथ ही भा0 दं0 सं0 के उपबंधों के अनुसार उस पर तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए उसे संबंधित कलेक्टर जिला अधिकारी के पास भेजा जाता है। सरकार के दिनांक 5-12-85 के संकल्प संख्या सी बी सी 1084/74932 (283) बी सी डब्ल्यू 5 के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं । और समय समय पर उनकी पुनरावृत्ति की जाती है

7.31 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस दिशा में पूरी सावधानी बरत रही है कि व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास संबद्ध संवीक्षा समितियों द्वारा विधिवत सत्यापित वैध प्रमाण पत्र हों। इस प्रक्रिया को अपनाने में मिथ्या जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश पाने के मामलों की संख्या में कमी आई है।

7.32 इसी प्रकार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग भी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सिफारिश करने से पहले वैध प्रमाण पत्र होने पर बल देता है।

7.33 चूँकि संबंधित कलेक्टर को दण्डात्मक कार्रवाई आरम्भ करनी होती है, इसलिए पिछले तीन वर्षो के दौरान पाए गए मामलों के संबंध में सही सही सूचना और साथ ही इनके सम्बन्ध में की गई दाण्डिक कार्रवाई अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक सतर्कता कक्ष की स्थापना की है तथा साथ ही मिथ्या जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और जारी करने अधिकारिगें के विरूद्ध दाण्डिक और विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं ।

मिजोरम

7.34 इस राज्य में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अनु0 जाति और अनु0 जनजाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित फार्म भी बनाया गया है, जिसमें संबंधित ग्राम परिषद का अध्यक्ष/ प्रशासनिक अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी तथा उपायुक्त कार्यालय में उपयुक्त रैंक के कर्मचारी द्वारा सत्यापन किया जाता है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सभी अनु0 जाति / अनु0 जनजाति प्रमाण पत्रों के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाता है। यहाँ कोई मिथ्या प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

नागालैंड

7.35 सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उपायुक्त और अपर उपायुक्त, दूसरे राज्यों के व्यक्तियों, उनके दत्तक पुत्रों और पुत्रियों को देशी निवास प्रमाण पत्र उनकी प्रमाणिकता और पहचान का सत्यापन किए बिना जारी कर रहे हैं। अब, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि

अब से केवल उपायुक्त् ही देशी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगा। यदि कोई उपायुक्त वर्तमान स्थाई आदेशों में दिए अनुसार सरकार को सूचित किए बिना ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी करता है तो उसके विरूद्ध सरकारी आदेशों का अनुपालन न करने और कर्तब्यों की अवहेलना करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जब कभी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हों तो इस संबंध में आवश्यक जाँच की जानी चाहिए और सरकार को सभी तथ्यों की जानकारी देने से पहले देशी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह जाँच रिपोर्ट अनुमति के लिए उपायुक्त् के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

उड़ीसा

7.36 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त्, जनजाति विकास, महाराष्ट्र सरकार और अन्य की सिविल अपील सं0 5854/94 में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को समाजिक हैसियत का प्रमाण पत्र जारी करने, उसे सत्यापित करने और रद्द करने के संबंध में भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अब उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने "उड़ीसा जाति प्रमाण पत्र (अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति) नियमावली, 1980 तैयार की है और उक्त नियमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी, सत्यापन और रदद करने से संबंधी अनुदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं । मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों के तीन मामले पता लगे हैं। राज्य सरकार ने, उड़ीसा जातीय प्रमाण पत्र (अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति) नियमावली, 1980 के नियम 8 (3) के अंतर्गत सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद संबंधित प्राधिकरणों को सम्बंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निदेश दिए है।

पंजाब

7.37 किसी भी स्तर पर पकड़े गए मिथ्या जाति प्रमाण पत्रों की जाँच और छानबीन किसी जिला स्तर के अधिकारी और अनु0 जाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण निदेशालय के किसी मनोनीत अधिकारी द्वारा की जाती है। राज्य में जाति प्रमाण पत्र प्रत्येक मामले की पूर्ण जाँच करने के बाद जारी किए जाते हैं जब कभी कोई मिथ्या प्रमाण पत्र पकड़ा जाता है तो , उसे रदद करने के लिएं संबंधित प्राधिकारी, जिसने प्रमाण पत्र जारी किया था, से सम्पर्क स्थापित किया जाता है तथा संबंधित संस्था जहाँ विधार्थी ने मिथ्या प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लिया था अथवा प्राधिकरण जहाँ ऐसे उम्मीदवारों ने नौकरी प्राप्त की थी, दोषियों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा उनके विरूद्ध मामला दर्ज करने के लिए निदेश दिए जाते हैं। वर्ष 1997 -98 और 1998-99 के दौरान ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला।

त्रिपुरा

7.38 अनु0 जाति के मिथ्या प्रमाण पत्रों का पता लगाने और उन्हें रद्द करने के कार्य पर निगरानी रखने और सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा इन मिथ्या दावेदारों के विरूद्ध आगे कार्रवाई करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक कक्ष स्थापित किया गया है। पिछले तीन वर्षो में 19 (उन्नीस) मिथ्या जाति प्रमाण पत्र रदद किए जा चुके हैं तथा इस संबंध में एक सरकारी कर्मचारी को दण्डित भी किया गया। 10 अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई लम्बित है ।

तमिलनाडु

7.39 प्राधिकृत राजस्व कार्यालयों द्वारा जारी सामुदायिक प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के लिए राज्य समिति और जिला समितियाँ स्थापित की गई हैं। जिला स्तर पर जारी किए गए अनु0 जनजाति समुदायिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर किया जाता है। ये समितियाँ, प्रमाण पत्रों की छानबीन यादृच्छिक (रेंडम) आधार पर यह निर्धारित करने के लिए करती है, कि क्या प्रमाण पत्र पर अधिकारी के हस्ताक्षर सही हैं तथा सही प्रमाण पत्र जारी किया गया है । जाँच, राजस्व मंडलीय अधिकारियों द्वारा भी की जाती है। जिला समितियों को कम से कम 1 वर्ष में 100 मामलों को सत्यापन करना होता है। राज्य समिति, विभिन्न राजस्व मंडलीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र तथा जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संवीक्षा भी करती है।

7.40 जिला समिति तथा राज्य समिति, उन व्यक्तियों के विरूद्ध चलाई गई अपराधिक कार्यवाहियों की संवीक्षा भी करती है, जिन्होंने मिथ्या प्रमाण पत्र जारी/ प्राप्त किए थे।

उत्तर प्रदेश

7.41 संबंधित जिला मजिस्ट्रेटो को, अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को, उचित सत्यापन के बाद ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, निदेश जारी किए गए है। कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास, महाराष्ट्र सरकार की सिविल अपील सं.0 5854/94 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के आदेश सं0 22/16/92 ए-2/1996 टीसी-3 में दिए गए अनुसार आवश्यक जाँच करने के बाद जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्रधान सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, मिथ्या जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों की जाँच पड़ताल करने के लिए समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग निदेशालय में एक सर्तकता प्रकोष्ठ भी गणित किया गया है।

लक्षदीप

7.42 प्रत्येक उप मण्डल का उप कलेक्टर/उप मण्डलीय अधिकारी प्रभारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है। संबंधित द्वीप समूह का कार्यकारी मजिस्ट्रेट उचित जाँच करने के बाद, अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन द्वीप समूहों के निवासियों के बारे में जातिय प्रमाण पत्र जारी करता है। भिन्न भिन्न समूहों के माता पिता के वैवाहि बंधन से जन्में बच्चों के बारे में जातिं प्रमाण पत्र दोनों कार्यकारी मजिस्ट्रेटो द्वारा कड़ी जाँच के बाद जारी किए जाते हैं। अमीन (ग्राम अधिकारी) स्थानीय जाँच करने में, उनकी सहायता करता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इस संबंध में कोई अधिनियम अथवा नियम तैयार नहीं किए है। इस संघ राज्य क्षेत्र में मिथ्या जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई मामला पकड़ में नहीं आया है और इसलिए जाति प्रमाण पत्र को रदद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

7.43 भारत के संघ और राज्य सरकारों ने, सामाजिक हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, राजपत्रित संवर्ग के राजस्व अधिकारियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व सौपने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है । **आयोग का विचार है कि समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल राजस्व**

अधिकारियों को अधिकार दिए जाए। यदि, प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र अथवा दावा की गई सामाजिक हैसियत मिथ्या पाई जाती है, मिथ्या दावा करने के लिए माता पिता / अभिभावक/उम्मीदवार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नियुक्ति करने वाले शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से प्रभावी कार्यवाई करते हुए यथा शीघ्र नियुक्ति / प्रवेश रदद किया जाना चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि समुदाय प्रमाण पत्रों के नियंत्रण और जारी करने संबंधी विधेयक को संसद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूचियों में समावेशन/ अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों से सम्बन्धित दावों के सबंध में निर्णय लेने के लिए भारत सरकार द्वार अंतिम रूप से निर्धारित प्रक्रिया

7.44 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भू0 पू0 कल्याण मंत्रालय) ने दिसम्बर 1996 में अनुसूचित जाति/ अनु0 जनजाति का उल्लेख करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में अपेक्षित समावेशन/ अपवर्जन और अन्य आशोधनों से सम्बन्धित दावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए मसौदा प्रक्रिया पर आयोग की टिप्पणियाँ मांगी थीं। आयोग ने इस पर विचार करने के बाद मई 1997 में अपनी टिप्पणियां भेजीं, जिसमें उसने सिफारिश की कि सरकार अनु0 जाति/ अनु0 जनजातियों की सूचियों में समावेशन/ अपवर्जन से सम्बन्धित दावों को सत्यापित करने के लिए एक उपयुक्त कार्य प्रणाली/ कार्यविधि तैयार करे तथा इस कार्य को करने के बाद ही आयोग से अंतिम स्तर पर परामर्श किया जाए।

7.45 सरकार द्वारा अनु0 जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन/ अपवर्जन से सम्बन्धित दावों के संबध में निर्णय लेने के लिए अंतिम रूप से निर्धारित प्रक्रिया आयोग के पास 14.7.99 को पहुँची है। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से स्पष्ट की गई महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं

(i) केवल राज्य सरकारों और भारत के महा रजिस्ट्रार द्वारा संस्तुत किए गए मामलों (इनकी अधिकांश् हाल की रिपोर्टो में) को ही राष्ट्रीय अनु0 जाति/अनु0 जनजाति आयोग के पास इस सम्बन्ध में उनकी राय के लिए भेजा जाएगा। इन्हें आयोग के पास अलग अलग या बैचों में भेजा जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय आयोग इन मामलों की जाँच करते समय मानव विज्ञान/ संजाति वृत और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों के संबंध संगठनों/ व्यक्तियों को भी इस कार्य में शामिल करेगा। आयोग जाँचाधीन से सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करने पर भी विचार कर सकता है। न्यायालय ने जिन मामलों पर निर्धारित अवधि में निर्णय लेने के निदेश दिए हैं आयोग से उन मामलों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जाएगा।

(iii) जिन मामलों में राज्य सरकार और भारत के महा रजिस्ट्रर की सहमति है किन्तु जिन्हें आयोग का समर्थन प्राप्त नहीं है उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के स्तर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iv) समावेशन/अपवर्जन या अन्य आशेधनों के उन दावों को इस आयोग के पास नहीं भेजा जाएगा जिनका न तो भारत के महा रजिस्ट्रार और न ही सम्बन्धित राज्य

सरकारों ने समर्थन किया है इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) जिन दावों की संबंधित राज्य सरकार ने सिफारिश की है किन्तु जो भारत के महा रजिस्ट्रार को स्वीकार नहीं है, राज्य सरकार को इन दावों को पुनः भारत के महा रजिस्ट्रार के पास भेजने से पहले इनकी समीक्षा करने या भारत के महा रजिस्ट्रार की टिपण्णियों के अनुरूप अपनी सिफारिशो को और न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा।

(vi) आयोग ने स्व प्रेरणा से जिन दावों की सिफारिश की है उन्हें भारत के महा-रजिस्ट्रार और राज्य सरकार को भेजा जाएगा ।

(vii) जिन मामलों में आयोग, भारत के महा रजिस्ट्रार और राज्य सरकार ने आशोधन का समर्थन किया हो, उनमें कानून में आशोधन के प्रस्ताव मन्त्रिमंडल के अनुमोदन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।

आयोग में निपटाए गए सेवा सुरक्षणों से संबंधित कुछ मामले -

I सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत अंकों की छूट

अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी ने दिसम्बर 1994 में इस आयोग को यह आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन दिया था कि गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, लेक्चरर के पद की नियुक्ति के लिए स्नातक स्तर पर अंकों में 5 प्रतिशत की छूट नहीं दे रहा था। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इस छूट की अनुमति दी गई थी। आवेदक ने लेक्चरर (हिन्दी) के पद के लिए आवेदन दिया था, परन्तु उसे विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया और सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत के अंकों की शर्त में छूट नहीं दी जा सकती है तथा उसके द्वारा स्नातक स्तर पर प्राप्त 47.25 प्रतिशत अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए अनुमत 5 प्रतिशत की रियायत देने के बाद भी, वे निर्धारित प्रतिशतता (50 प्रतिशत) तक नहीं पहुंच पाई।

आयोग द्वारा मामला विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया, जिन्होंने सूचित किया कि स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत की शर्त पंजाब सरकार द्वारा उनकी दिनांक 31-12-1990 की अधिसूचना से निर्धारित की गई है तथा वे अंकों में छूट दे पाएंगे यदि पंजाब सरकार इस संबंध में निर्णय लेती है। आयोग द्वारा मामले की आगे जांच-पड़ताल की गई तथा यह पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के आधार पर, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट देते हुए दिनांक 16-11-1995 को एक आदेश जारी किया था। यह आदेश निर्धारित करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर अथवा आनर्स के विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अच्छा "शैक्षणिक रिकार्ड" रखने वाला समझा जा सकत है। जब पंजाब सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि अभ्यर्थी ने बी.ए. में 47.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे तथा 5 प्रतिशत अंकों की छूट देते हुए, 2.36 प्रतिशत अंकों को अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में जोड़ा जा सकता है। यह 2.36 प्रतिशत का आंकड़ा अभ्यर्थी द्वारा बी.ए. में प्राप्त किए गए 47.25 प्रतिशत, के 5 प्रतिशत के रूप में निकाला गया था। इस प्रकार गुरुनानक देव

विश्वविद्यालय के अनुसार कुल अंक 49.61 प्रतिशत (47.25+ 2.36) बनते हैं, जो 50 प्रतिशत से अभी भी कम थे। इस ढंग से गुरुनानक देव विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया। याचिकाकर्त्ता ने अपने स्नातक स्तर में 47.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे तथा 5 प्रतिशत अंकों को जोड़ते हुए इसे 52.25 प्रतिशत के रूप में माना जाना चाहिए और न कि गुरुनानक देव विश्वविद्यालय द्वारा की गई गणना के अनुसार 49.61 प्रतिशत। अतः अभ्यर्थी को छूट देते हुए लेक्चरर के पद हेतु योग्य माना जाना चाहिए था।

इस आयोग तथा गुरुनानक देव विश्वविद्यालय और पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के बीच हुए लम्बे पत्राचार के बाद, आयोग ने जून, 1997 में रजिस्ट्रार, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने के बाद लेक्चरर के पद हेतु आवेदक की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए जांच-पड़ताल परिणाम जारी किए थे। रजिस्ट्रार, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय को अर्द्धशासकीय रूप से मामले पर दबाव डालने के बाद भी कोई फलदायक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। मामला यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी अध्यापन पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनके सही हिस्से से किस सीमा तक वंचित कर सकते हैं।

II जाति प्रमाण-पत्र की स्वीकृति में अनुसूचित जाति की प्रताड़ना

अनुसूचित जाति के एक याचिकाकर्त्ता, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में डिस्पैच राईडर/संदेशवाहक के रूप में कार्यरत था, आयोग को उसकी सेवाएं समाप्त करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था । मामले की आयोग में जांच की गई तथा यह देखा गया कि 750-940 (संशोधन से पूर्व) के वेतनमान में डिस्पैच राईडर/संदेशवाहक के पद के लिए विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था जिसके लिए आवेदक ने भी आवेदन दिया था। एक साक्षात्कार 5 और 6 अप्रैल, 1997 को हुआ था तथा उसका चयन किया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव ने बताया कि याचिकाकर्त्ता को नियुक्ति तदर्थ आधार पर दी गई थी क्योंकि उसने अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उसकी सेवाएं 89 दिन के बाद समाप्त की गई थी क्योंकि वह जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा था। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि उसने अपना जाति प्रमाण-पत्र 17-7-1997 को प्रस्तुत कर दिया था। आयोग ने दस्तावेजों की विस्तार से जांच करने के बाद पाया कि याचिकाकर्त्ता को कार्यभार ग्रहण करने तथा अक्तूबर 1997 के दूसरे सप्ताह तक कार्य की अनुमति दी गई। नियुक्ति पत्र का अवलोकन करने से नियुक्ति के तदर्थ स्वरूप के बारे में कोई शर्त नहीं पाई गई। याचिकाकर्त्ता के पास अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र था। अतः मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया याचिकाकर्त्ता को 89 दिन की नियुक्ति का अस्थायी आदेश जारी करने में स्पष्ट रूप के दोषी है, जबकि उसका चयन स्थायी पद के लिए था।

आयोग ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्त्ता को, उसकी सेवाएं समाप्त करने की तारीख से सभी संगत लाभों सहित डिस्पैच राईडर/संदेशवाहक के पद पर स्थायी नियुक्ति अविलम्ब किए जाने संबंधी जांच-पड़ताल परिणाम 18-3-1998 को जारी किए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया तथा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। आयोग ने गम्भीरता से नोट किया है कि उसके हस्तक्षेप के बावजूद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया याचिकाकर्त्ता को न्याय देने में असफल रहा है।

III आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव न करना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सुपर बाजार कर्मचारी दलित संघ से यह आरोप लगाते हुए प्राप्त हुई है कि संगठन द्वारा आरक्षण नीति का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया तथा सुपर बाजार और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। सुपर बाजार द्वारा रोस्टरों के रख-रखाव तथा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की आयोग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि संगठन पदों के विभिन्न वर्गों के लिए रोस्टरों का रख-रखाव तथा पालन नहीं किया जाता था तथा भर्ती और विभागीय प्रौन्नतियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने में असफल रहा था। सुपर बाजार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की हिदायतों में निर्धारित किए गए अनुसार किसी सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी। आयोग के हस्तक्षेप पर सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने रोस्टरों का रख-रखाव करने के लिए सहमति दी तथा विश्वास दिलाया कि वे आरक्षण नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करेंगे। मामला इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारत सरकार की स्पष्ट हिदायतों के बावजूद कुछ संगठन अभी भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते।

IV नियुक्ति में देरी

जिला उत्तर, 24 परागनास, पश्चिम बंगाल के एक याचिकाकर्त्ता ने इस आयोग को 1982 के रिक्तियों के लिए डाक विभाग में एयरपोर्ट सोर्टिंग डिवीजन, कलकत्ता में सोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में उसकी नियुक्ति में देरी से संबंधित आवेदन दिया था। आयोग ने डाक विभाग से मामला उठाया तथा मामले में चर्चा के लिए विभाग के अधिकारियों को बुलाया। विभाग के प्रस्तुतीकरण से यह पाया गया कि याचिकाकर्त्ता का चयन एक बाहरी उम्मीदवार के रूप में आरक्षित प्रशिक्षण पूल में 1983 में 1982 की बाहरी कोटा रिक्तियों के स्थान पर किया गया था। उसने अपनी एसएससी परीक्षा 1972 में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एवं सैकेण्डरी एजूकेशन, ढाका, बंगलादेश से उत्तीर्ण की थी। अतः डाक विभाग ने याचिकाकर्त्ता सहित अन्य सात चयन किए गए उम्मीदवारों की एसएससी परीक्षा की अंक तालिका तथा प्रवेश कार्ड की प्रतियां ढाका स्थित बंगलादेश में भारत के उच्चायुक्त को जांच के लिए दिसम्बर 1983 में याचिकाकर्त्ता को नियुक्ति पत्र देने से पूर्व भेजी थी। आयोग ने पाया कि डाक विभाग को जनवरी, 1999 तक याचिकाकर्त्ता के बारे में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अभिलेखों से यह देखा गया है कि डाक विभाग ने मार्च, 1988, मई, 1988 तथा मार्च, 1989 में अनुस्मारक भी भेजे थे। इसके उपरान्त सात उम्मीदवारों की सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए विभाग ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त से कोई पत्राचार नहीं किया। चर्चा के दौरान डाक विभाग के प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि विभाग को ढाका में भारत के उच्चायुक्त के साथ पत्राचार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वांछित सूचना अविलम्ब प्राप्त करने के लिए करना चाहिए था। आयोग ने पाया कि बंगाल देश सरकार से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग 15 वर्षों की देरी हुई थी। याचिकाकर्त्ता को उसके भाग पर किसी दोष के बिना दुःख झेलना पड़ा। इन परिस्थितियों में आयोग ने डाक विभाग से याचिकाकर्त्ता को नियुक्ति प्रस्ताव देने की सिफारिश की। डाक विभाग ने सूचित किया है कि उसने याचिकाकर्त्ता को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया था।

V प्रोन्नति

महाराष्ट्र लिमिटिड, मुम्बई के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डिवेलपमैंट कार्पोरेशन (सीडको) में श्री एम.बी. बाजूलगे, अनुसूचित जनजाति, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा इस आयोग के ध्यान में लाया गया

कि उसकी निगम ने आरक्षित वर्ग में सहायक इंजीनियर की चारों रिक्तियां प्रौन्नति कोटा से भरी थी। बोर्ड के संकल्प संख्या 5565 दिनांक 31-1-92 के अनुसार भर्ती का अनुपात प्रौन्नति द्वारा 75 प्रतिशत तथा आंतरिक सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत होना चाहिए। आयोग ने पाया कि इस अनुपात के अनुसार 3 पद प्रौन्नति के तरीके से तथा एक पद आंतरिक सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए था। आयोग ने महसूस किया कि सीडको की इस कार्रवाई से याचिकाकर्त्ता के साथ अन्याय हुआ है जिसके पास सिविल इंजीरियरिंग की डिग्री थी तथा प्रौन्नति के समय अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से वरिष्ठतम भी था और आईडीआरकोटा में ए.ई तथा ए.ई.ई के पद के लिए पात्र था।

जांच के दौरान आयोग ने पाया कि 1995 में प्रौन्नति के समय 2 पद जो आंतरिक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे वास्तव में प्रौन्नति कोटा से भरे गए थे जिससे आई.डी.आर कोटा के माध्यम से प्रौन्नति के लिए आकांक्षा कर रहे उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह भी प्रकट हुआ था कि सीडको के पास अनुसूचित जनजाति के लिए तीन रिक्तियों का बैकलॉग था। यदि वे दो रिक्तियां आई.डी.आर को दे देते तो आगे ले जाए गए अनुसूचित जनजाति बिन्दु चालू रह सकते थे तथा याचिकाकर्त्ता वर्ष 1995 में प्रौन्नति प्राप्त कर सकता था। आयोग के हस्तक्षेप पर सिडको के प्रबन्धकों ने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वित्तीय लाभों सहित अक्तूबर 1995 से याचिकाकर्त्ता की प्रौन्नति पर विचार करने के लिए सहमति दी ।

VI प्रौन्नति

दो आयकर अधिकारियों, एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित, ने अगस्त 1997 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को अभ्यावेदन दिया है कि उसकी प्रौन्नतियों के लिए उपेक्षा की गई थी जबकि उनके कनिष्ठों के नाम पर डीपीसी द्वारा विचार किया गया था। आयोग ने मामला मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के साथ उठाया । आयोग के अनुरोध पर मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर के कार्यालय ने दिनांक 27-1-1998 को सूचित किया कि एक पुनर्विचार डीपीसी 19-1-1998 को हुई थी तथा दोनों याचिकाकर्त्ताओं को 20-1-98 से आयकर अधिकारियों के संवर्ग में प्रौन्नति दी गई तथा उन्हें 6-6-1997 अर्थात पिछली डीप्रीसी की तारीख से वरीयता भी दी गई।

VII नियुक्ति

इस आयोग के ध्यान में कुछ उदाहरण आए हैं जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-4-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88-स्थापना(एससीटी) में वर्णित कुछ अनुदेशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 7-10-1992 के परिपत्र संख्या 1-18/89(एससीटी) का उल्लंघन किया गया। यह कार्यालय ज्ञापन सीधी भर्ती में रिक्तियों के अनारक्षण को रोकता है ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को केवल ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ही भरना सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दिनांक 7-10-1992 का परिपत्र भी दोहराता है कि किसी भी हालत में अध्यापन तथा गैर-अध्यापन वर्गों में न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। इस प्रकार न भरी गई रिक्तियों को आगे ले जाया जाएगा तथा इन्हें तब तक खाली रखा जाएगा जब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इन पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेती।

अनुसूचित जाति की महिला ने इस आयोग को अभ्यावदेन दिया है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अर्थशास्त्र में लेक्चरर के दो पद भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। इनमें से एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। अभ्यावेदनकर्त्ता ने भी आरक्षित पद के लिए आवेदन दिया था। उसे अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसने अपने अभ्यावेदन में आरोप लगाया है कि विषय अर्थात अर्थशास्त्र पर प्रश्न पूछने की बजाय चयन समिति ने उसकी जाति से संबंधित मामलों पर चर्चा की। उसने यह भी आरोप लगाया है कि विषय पर उसके ज्ञान तथा अध्यापन में योग्यता का परीक्षण किए बिना कॉलेज प्राधिकारियों ने चयन समिति की सिफारिश पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी तथा पद का पुनः विज्ञापन देने का इस आधार पर निर्णय लिया कि पद के लिए आरक्षित उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया। एक सामान्य अभ्यर्थी को आरक्षित पद के स्थान पर पदर्थ नियुक्ति दी गई थी। आयोग ने मामला कॉलेज प्राधिकारियों के साथ उठाया। कॉलेज के प्रधानाचार्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा बताया कि चयन समिति के समक्ष दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, परन्तु विषय पर प्रारम्भिक प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे सके तथा उन्हें विषय की पूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र में लेक्चरर के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था। इन पदों के लिए नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की अर्हताओं तथा अनुभव के ब्यौरे प्राप्त किए गए तथा यह पाया गया कि वे बिना किसी अध्यापन अनुभव के विषय में पीएचडी डिग्री धारक थे, जबकि अनुसूचित जाति के दोनों उम्मीदवार जिन्होंने आरक्षित पद के लिए आवेदन किया था, अतिरिक्त अर्हता के रूप में अध्यापन अनुभव सहित एम.फिल पीएचडी थे। कागजातों की जांच तथा याचिकाकर्त्ता तथा कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों के आधार पर आयोग ने कॉलेज प्राधिकारियों को यह सलाह देते हुए कि मामले की समीक्षा करें तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव देने पर विचार करने के लिए अपने जांच-पड़ताल परिणाम जारी किए। इस आयोग के जांच-पड़ताल परिणामों के उत्तर में कॉलेज प्राधिकारियों ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 6298/98 दायर की है तथा मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

VIII दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजों में रोस्टरों का रख-रखाव

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की एक एसोसिएशन ने दिनांक 22-11-1995 को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें मैत्री कॉलेज चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में व्यावसायिक सहायक (पुस्कालय) के पद को भरने में आरक्षण नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। प्रश्नाधीन पद अनारक्षित उम्मीदवार द्वारा भरा गया था।

रिकार्डों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कॉलेज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती अथवा प्रौन्नति के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बना रहा है। यह देखा गया कि व्यावसायिक सहायक(पुस्तकालय) का पद 1974 से 1995 के दौरान अनेक अवसरों पर भरा गया और हर बार इस पर एक अनारक्षित उम्मीदवार की नियुक्ति की गई।

कालेज की प्रधानाचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3-8-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/5/75-स्थापना (एससीटी) तथा दिनांक 8-9-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/20/76-स्थापना (एससीटी) में वर्णित अनुदेशों का पालन करने में असफल रही है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, आदेशों का कड़ाई से पालन करने तथा रोस्टरों का उचित रख-रखाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया कि आरक्षित रिक्ति में सामान्य उम्मीदवार की

अध्याय VIII

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और उन पर हुए अत्याचार

प्राचीन समय से हिन्दू समाज अनेक जातियों में विभाजित रहा है तथा चार सौ से अधिक जातियां आज अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध की गई हैं, जिन्हें अछूत समझा जाता है। यह माना जाता है कि जाति प्रथा मूल रूप से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई थीं तथा यह जन्म के आधार पर न होकर कार्य के आधार पर थी। परन्तु समय बीतने के साथ-साथ यह भावना भुला दी गई तथा जाति प्रथा विकृत हो गई और जनसंख्या के एक बड़े भाग को उनके जन्म के आधार पर बहिष्कृत और अछूत समझा जाने लगा। एक व्यक्ति, जो बहिष्कृत के यहां जन्म लेता था, उसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करते हुए, सभी प्रकार का अनादर और वंचन चुपचाप सहना पड़ता था।

8.2 ये जातियां चुपचाप दमन और अपमान सहती रहीं, यह स्वीकार करते हुए कि यह उनका भाग्य है। लेकिन कतिपय सामाजिक आन्दोलनों और धर्म-प्रचारकों (मिशनरियों) के कार्य ने हिन्दु समाज की आत्मा को झिंझोड़ा और उसमें अछूतों की दयनीय स्थिति का बोध उत्पन्न हुआ। सवर्ण जातियों के हिन्दुओं में उत्पन्न हुए इस बोध और निम्न जातियों के नेताओं ने समाज में अपने लिए एक न्यायोचित और सही स्थान प्राप्त करने के लिए जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप 1932 में पूना करार (पेक्ट) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा दलित जातियों को शासन में न्यायोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य उपाय करने का करार किया गया। पूना एक्ट बाद में निर्मित कानूनों और दलित वर्गों के सामाजिक एकीकरण के लिए किए गए अन्य उपायों का आधार बना।

संवैधानिक और वैधानिक ढांचा

8.3 संविधान में अपने सभी नागरिकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक न्याय, सम्मान, हैसियत और अवसर प्राप्त करने और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से संविधान में कुछ विशिष्ट उपबंध किए गए हैं ।

8.4 अनुच्छेद 15 (2) में यह गारंटी दी गई है कि किसी भी नागरिक पर धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर निम्नलिखित के बारे में कोई असमर्थता, दायित्व, प्रतिबन्ध अथवा शर्त लागू नहीं होगीः

- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश अथवा
- ऐसे कुओं, तालाबों, नहानें के घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उपयोग, जिनका अनुरक्षण पूर्णतः अथवा अंशतः सरकारी धन से किया जाता हो अथवा जो आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किए गए हों ।

8.5 अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि "अस्पृश्यता" को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषिद्ध है । "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाली किसी असमर्थता को लागू करना, कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा ।

8.6 अनुच्छेद 25 (2) (ख) में यह उपबंध किया गया है कि सार्वजनिक स्वरूप वाली हिंदू धार्मिक संस्थाओं, सभी श्रेणियों और वर्गों के हिंदुओं के प्रवेश के लिए खोल दी जाएंगी । यह एक संगत उपबंध है, क्योंकि हिंदुओं के कुछ सम्प्रदाओं का दावा है कि उनके मंदिरों में केवल संबंधित सम्प्रदायों के सदस्यों को प्रवेश का अधिकार है । इसका इस्तेमाल अपने मंदिरों में अनुसूचित जातियों को आने से रोकने के बहाने के रूप में किया जाता है । इस उपबंध से, हिंदु शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं ।

8.7 संविधान में जिन सामाजिक सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई है, उन्हें सांविधिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता की प्रथा से और उन अत्याचारों, अपमान और उत्पीड़न से बचाने के लिए जिनका उन्हें पारंपरिक रूप से शिकार होना पड़ता था, विशेष कानून बनाये गये हैं ।

सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम, 1955

8.8 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में पारित किया गया था । 1976 में इसे व्यापक रूप से संशोधित किया गया था और इसे सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम, 1955 का नया नाम दिया गया । संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में अस्पृश्यता की प्रथा को एक संज्ञेय और गैर-अभी संज्ञेय अपराध बना दिया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अपेक्षाकृत कड़ी सजा का उपबंध किया गया ।

8.9 नागरिक अधिकार सरक्षण् अधिनियम 1955 की धारा 15 (1) द्वारा राज्य सरकारों पर ऐसे उपाय करने की जिम्मेदारी डाली गई है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि "अस्पृश्यता" की समाप्ति पर होने वाले अधिकार उन लोगों को उपलब्ध कराए जाएं और उनके द्वारा उनका उपयोग किया जाए, जो "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाले किसी असमर्थता से प्रभावित हो । इस अधिनियम में विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, कानूनी सहायता देने, अभियोजकों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने और उपयुक्त उपाय तैयार करने और उनके कारगर कार्यान्वयन में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियां गठित करने के उपबंध किए गए हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार का निवारण) अधिनियम,1989

8.10 सिविल अधिकार संरक्षण् 1955 के बनने के बावजूद, जो मुख्यतः अस्पृश्यता की प्रथा से संबंधित अपराधों के बारे में था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार होने जारी रहे। उन्हें सर्वाधिक अमानवीय उत्पीड़नों का शिकार बनाया जाता रहा, जैसे इन जातियों के लोगों को मल-मूत्र खाने या पीने पर विवश करना, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर नंगा करके घुमाना, उनके परिसरों में कंकाल अथवा अन्य दूषित वस्तुएं जमा करना, उनके पेय जल के स्रोतों को प्रदूषित करना, उनकी महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना, आदि। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि एक अधिक व्यापक कानून बनाया जाए, जिसमें अधिक

कड़े दंडो की व्यवस्था की जाए। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए 1989 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की परिभाषा पहली बार की गई और इसमें उन अत्याचारों का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के लिए, भारतीय दंड संहिता के तदनुरूप उपबंधों की तुलना में, अधिक कड़ी सजाओं की व्यवस्था है।

8.11 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम 1995 में अधिसूचित किए गए। इन नियमों में, इस अधिनियम के उपबंधों के कारगर क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अन्य उपाय निर्धारित किए गए हैं इन नियमों में अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को विभिन्न मात्राओं में दिए जाने वाले मुआवजे और पुनर्वास पैकेज का उपबंध भी किया गया है।

केन्द्रीय सरकार की भूमिका

8.12 इन दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए यह जरूरी है कि वह राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बीच समन्वय स्थापित करे और अपने द्वारा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में किए गए उपायों के बारे में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर हर वर्ष एक रिपोर्ट रखे।

8.13 यह मंत्रालय एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित करता है, जिसके अन्तर्गत अधिनियमों और नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए किए गए विभिन्न उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाने वाली वचनबद्ध देनदारी से ऊपर के खर्च के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को 50:50 के अनुपात में (संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत) सहायता दी जाती है। इन उपायों में प्रशासन, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाने, प्रचार और राहत और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं। **केन्द्रीय सहायता की मंजूरी की वर्ष-वार स्थिति इस प्रकार है:**

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय सहायता की राशि
1995-96	15.37
1996-97	12.50
1997-98	16.47
1998-99	15.50

8.14 नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्कीम के अंतर्गत 1998-99 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सारणी-8.1

सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

(रूपए लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	294.68
2.	बिहार	50.00
3.	गोवा	0.57
4.	गुजरात	50.00
5.	हरियाणा	21.70
6.	हिमाचल प्रदेश	1.81
7.	कर्नाटक	136.68
8.	केरल	2.00
9.	मध्य प्रदेश	682.06
10.	महाराष्ट्र	50.00
11.	उड़ीसा	3.60
12.	पंजाब	20.64
13.	राजस्थान	50.00
14.	सिक्किम	0.25
15.	तमिलनाडु	100.00
16.	उत्तर प्रदेश	50.00
17-	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.09
18.	दादरा और नगर हवेली	15.90
19.	दिल्ली	1.40
20.	पांडिचेरी	18.60
	जोड़	1550.00

स्रोतः- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

8.15 पिछले 4 वर्षों में केन्द्रीय सहायता की राशि न्यूनाधिक रूप से लगभग एक जितनी ही रही है। इससे यह पता चलता है कि राज्य सरकारों द्वारा इन अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार करने की और समुचित अध्ययन नहीं दिया जा रहा है। आयोग द्वारा की गई समीक्षाओं और आयोग के राज्यों में स्थित कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग का मत है कि विभिन्न स्तरों पर बुनियादी ढाँचे में और अन्य सुविधाओं में और अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता की अदायगी में सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

8.16 केन्द्रीय सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में संसद के दोनों सदनों में हर वर्ष एक रिपोर्ठ प्रस्तुत करे। अब तक,

1993 तक की अवधि के बारे में केवल 14 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। इसके बाद संसद में कोई रिपोर्ठ नहीं रखी गई। अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने की स्कीम में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। **इसलिए केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टें समय पर प्राप्त की जांए, ताकि संसद में समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।**

भारतीय दंड़ संहिता, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के अन्तर्गत मामलों की समीक्षा

8.17 वर्ष 1994 से 1998 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति किए गए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार संख्या **अनुबन्ध 8.I से 8.X** तक में दी गई है। वर्ष 1994 से 1998 तक के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचारों के पंजीयित मामलों (श्रेणी-वार) की संख्या से संबंधित सारांश नीचे क्रमशः **सारणी 8.2 और 8.3** में दिया गया है। इन आंकड़ों में भारतीय दंड़ संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, एस.सी. और एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और किसी अन्य संगत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार के सारे पंजीयित मामले शामिल हैं।

सारणी-8.2

अनुसूचित्त जात्तियों पर किए गए अत्याचार

क्रम संख्या	अपराध का स्वरूप	निम्न वर्षों के दौरान अपराधों के मामलों की संख्या				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	हत्या	546 (1.61%)	571 (1.73%)	543 (1.73%)	513 (1.84%)	517 (2.01%)
2.	गम्भीर चोट	4542 (13.40%)	4544 (13.77%)	4585 (14.58%)	3860 (13.81%)	3898 (15.12%)
3.	बलात्कार	992 (2.93%)	873 (2.64%)	949 (3.02%)	1037 (3.71%)	931 (3.61%)
4.	आगजनी	533 (1.57%)	500 (1.52%)	464 (1.48%)	389 (1.39%)	346 (1.34%)
5.	अन्य अपराध	27295 (80.50%)	26509 (80.34%)	24899 (79.20%)	22145 (79.25%)	20085 (77.92%)
	जोड़	**33908 (100%)**	**32997 (100%)**	**31440 (100%)**	**27944 (100%)**	**25777 (100%)**

सारणी-8.3

अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार

क्रम संख्या	अपराध का स्वरूप	निम्न वर्षों के दौरान अपराधों के मामलों की संख्या				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	हत्या	105 (2.09%)	75 (1.36%)	94 (1.89%)	95 (2.05%)	66 (1.49%)
2.	गम्भीर चोट	699 (13.93%)	688 (12.51%)	694 (13.95%)	706 (15.20%)	654 (14.72%)
3.	बलात्कार	385 (7.67%)	369 (6.71%)	314 (6.31%)	315 (6.78%)	353 (7.95%)
4.	आगजनी	36 (0.72%)	40 (0.73%)	51 (1.03%)	29 (0.62%)	38 (0.86%)
5.	अन्य अपराध	3794 (75.59%)	4326 (78.68%)	3820 (76.81%)	3499 (75.34%)	3332 (74.99%)
	जोड़	**5019 (100%)**	**5498 (100%**	**4973 (100%)**	**4644 (100%)**	**4443 (100%)**

8.18 उपर्युक्त सारणियों को देखने से पता चलता है कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति होने वाले अपराधों में 1994 से 1998 तक की अवधि में लगातार कमी होती रही है। 1994 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की कुल संख्या 33908 थी, जबकि 1998 में इनकी संख्या 25777 थी। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की संख्या 1994 में 5019 थी, जबकि 1998 में इनकी संख्या 4443 थी। सारणी से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों की मात्रा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों और अपराधों की अपेक्षा बहुत अधिक है। अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के मामले लगभग 6 से 7 गुना अधिक हैं, हालांकि देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या से केवल दुगुनी हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने का मानदंड उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है, जो अस्पृश्यता की प्रथा के कारण उत्पन्न हुआ हो। इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि हमारे समाज में अस्पृश्यता की प्रथा और जातिगत द्वेष की भावना अभी भी व्याप्त है।

8.19 उपर्युक्त सारणी से यह भी देखा जा सकता है कि अन्य अपराधों के तहत 1994 से 1998 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या, जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत होने वाले अपराध

भी शामिल है; अनुसूचित जातियों पर **अत्याचारों** के कुल मामलों की संख्या के लगभग 79-80 प्रतिशत के बराबर है और अनुसूचित जनजातियों के मामले में 74-78 प्रतिशत प्रतिशत के बराबर है, जबकि बलात्कार और हत्या जैसे क्रूर अपराधों की संख्या 1998 में अनुसूचित जातियों के मामले में कुल अपराधों के क्रमशः 3.61 प्रतिशत और 2.01प्रतिशत के बराबर और अनुसूचित जनजातियों के मामले में क्रमशः 7.95 प्रतिशत और 1.49 प्रतिशत के बराबर थी। अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के मामले में एक विशेष बात यह देखी गई है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं हत्या, आगजनी, गम्भीर चोट, आदि जैसे अन्य अपराधों की तुलना में बलात्कार की अधिक शिकार होती हैं।

8.20 वर्ष 1994 से 1998 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के कुल मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबन्ध 8.XI** में दी गई है। इन विवरणों से प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश(6511), राजस्थान (5586) और मध्य प्रदेश (4051) में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। वर्ष 1998 में देश में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों के कुल मामलों में, इन तीन राज्यों में हुए अत्याचारों के कुल मामलों में, इन तीन राज्यों में हुए अत्याचारों के मामलों का हिस्सा 62.64 प्रतिशत था। इससे पिछले वर्षों में भी इन तीन राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की सबसे अधिक घटनाएं हुई थी। अन्य राज्य, जहां अनुसूचित जातियों पर अत्याचारो के 500 से अधिक मामले घटित हुए थे, ये हैः आन्ध्र प्रदेश(1813), बिहार (785), गुजरात (1884), कर्नाटक (1148), केरल(768), महाराष्ट्र (683), उड़ीसा(703), तमिलनाडु (1562) और हरियाणा(159)। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का कोई मामला नहीं था अथवा उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य थी।

8.21 इसी प्रकार, 1998 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं (1547) हुई; इसके बाद राजस्थान(1132) का स्थान आता है। आन्ध्र प्रदेश (359), बिहार (144), गुजरात (406), केरल(138), महाराष्ट्र (153), उड़ीसा (282) और उत्तर प्रदेश (110), कर्नाटक(71), सिक्किम (33) और तमिलनाडु (31) ने भी अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की घटनाओं की रिपोर्ट भेजी है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की कोई घटना नहीं हुई अथवा उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य थी। यह भी देखा जा सकता है कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। **इन राज्यों की सरकारों को चाहिए कि वे गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाएं।**

8.22 बेहतर विश्लेषण के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में व्याप्त समूची स्थिति की जांच एक सामान्य पैमाने अर्थात संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर की गई है। 1998 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मामलों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में अत्याचारों के मामलों की संख्या की जानकारी क्रमशः **सारणी 8.4 और सारणी 8.5** में दी गई है:

सारणी 8.4

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु.जा. की संख्या (1991 की जनगणाना)	1998 अत्याचार के मामले	अनु.जा. की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में मामलों की संख्या प्रति वर्ष	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.92	1813	17.12	VI
2.	बिहार	125.72	785	6.24	XII
3.	गुजरात	30.6	1884	61.57	II
4.	हरियाणा	32.51	159	4.9	XIII
5.	हिमाचल प्रदेश	13.50	59	4.4	XIV
6.	म्मू और कश्मीर	6.41	17	2.65	XVII
7.	कर्नाटक	73.69	1148	15.58	VII
8.	केरल	28.86	786	27.23	IV
9.	मध्य प्रदेश	96.27	4051	42.08	III
10.	महाराष्ट्र	87.58	683	7.8	X
11.	उड़ीसा	51.29	703	13.71	IX
12.	पंजाब	57.43	23	0.4	VIII
13.	राजस्थान	76.08	5585	73.41	I
14.	सिक्किम	0.24	2	8.3	IX
15.	तमिलनाडु	107.35	1562	14.58	VIII
16.	उत्तर प्रदेश	292.76	6511	22.24	V
17.	दिल्ली	17.95	11	0.61	XIV
18.	पांडिचेरी	1.37	10	7.30	XI

सारणी 8.5

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु.ज.जा. की संख्या (1991 की जनगणाना)	1998 अत्याचार के मामले	अनु.ज.जा. की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में मामलों की संख्या प्रति वर्ष	स्थान
1.	ान्ध्र प्रदेश	41.99	359	8.55	VI
2.	बिहार	66.17	144	2.17	XII
3.	ुजरात	61.22	406	6.63	VII
4.	र्नाटक	19.16	71	3.71	X
5.	ेरल	3.21	138	43	I
6.	ध्य प्रदेश	153.99	1547	10.05	V
7.	हाराष्ट्र	73.18	153	2.09	XII
8.	ड़ीसा	70.32	282	4.01	IX
9.	ाजस्थान	54.75	1132	20.68	IV
10.	सिक्किम	0.91	33	36.26	III
11.	ामिलनाडु	5.74	31	5.4	VIII
12.	त्तर प्रदेश	2.88	110	38.19	II

8.23 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के साथ अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों का सह-संबंध स्थापित करने पर, राजस्थान का स्थान सबसे ऊपर आता हैं, जहां अनुसूचित जनजातियों की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में अत्याचारों की 73 घटनाएं हुई; दूसरा स्थान गुजरात का है जहां मामलों की संख्या 62 प्रति लाख थी और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जहां मामलों की संख्या 42 प्रति लाख थी। इसके बाद केरल (27), उत्तर प्रदेश(22), आन्ध्र प्रदेश (17) का स्थान आता है।

8.24 इसी प्रकार, 1998 में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के साथ, अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए अपराधों का सह-संबंध बिठाने पर, केरल का स्थान सबसे ऊपर है जहां अनुसूचित जनजाति की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में मामलों की संख्या 43 थी, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है जहां मामलों की संख्या 38 प्रति लाख थी और सिक्किम का स्थान तीसरा है जहां मामलों की संख्या 36 प्रति लाख थी। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान आता है जहां अनुसूचित जनजाति की प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में मामलों की वार्षिक संख्या क्रमशः 21 और 10 थी।

अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेषण, अभियोजन और मानीटरिंग तंत्र और राज्यों में विशेष न्यायालयों की स्थापना

8.25 सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत रजिस्टर किए गए अत्याचार के मामलों का शीघ्रतापूर्वक विचारण सुनिश्चित करने के लिए इन अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधों के विचरण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने का उपबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जो अपराध आते हैं, वे सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों से अधिक गम्भीर होते हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दी जाने वाली सजा भी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा से अधिक होती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 और 15 में विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने का उपबंध है।

धारा 14 *" शीघ्र विचारण की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र (सेशन) न्यायालय को, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए, विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगी।"*

धारा 15 *"राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, उस न्यायालय में मामले चलाने के प्रयोजन से एक सरकारी अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी अथवा कोई एक अधिवक्ता नियुक्त करेगी, जो कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो।"*

8.26 आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अनन्य विशेष न्यायालयों, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबधित राज्य-वार स्थिति की जानकारी नीचे दी जा रही है:

आन्ध्र प्रदेश

8.27 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख नागरिक अधिकार संरक्षण कक्ष द्वारा और राहत तथा पुनर्वास के कार्य की देखरेख समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है; तथा समाज कल्याण आयुक्त इसके नोडल अधिकारी हैं। राहत और पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है। हालांकि मामलों की मानीटरिंग उच्च स्तर पर की जाती है, लेकिन आंकड़ों के अनुरक्षण, जागृति पैदा करने और तुरन्त कार्रवाई करने की मानीटरिंग करने की जरूरत है। अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने और गहन मानीटरिंग करने के लिए कार्य-योजना तैयार करने की अविलम्ब आवश्यकता है। प्रत्येक तिमाही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की सतर्कता और मानीटरिंग समिति की बैठक होती है और उसमें मामलों की समीक्षा की जाती है।

8.28 चित्तूर, गुंतूर और हैदराबाद में तीन अनन्य विशेष सत्र न्यायालय हैं और अन्य सभी जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेईस विशेष चल न्यायालयों की स्वीकृति भी दी गई है।

असम

8.29 मैदानी जिलों के सभी सत्र न्यायालयों और पहाड़ी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के सभी न्यायालयों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया हैं।

बिहार

8.30 केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक उपायों के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अधिक अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें तंग किया जा रहा है। इन कमजोर जातियों/समुदायों पर अत्याचार के मुख्य कारण हैं, भूमि संबंधी विवाद और जमीन के मालिक समुदायों/जातियों की सामन्तवादी मानसिकता। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बहुत बड़ी संख्या खेतिहर मजदूरों की है, जो जमींदारों के खेतों में काम करते हैं। जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा यह मांग की जाती है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अदा की जाए, तो इसके परिणामस्वरूप जमीदारों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मजदूरों को उनकी भूमि और घरों से बेदखल करके, उनके घरों को जला कर और शारीरिक चोट पंहुचा कर और उनकी हत्या करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय में एक कक्ष स्थापित किया है। ऐसे कक्ष डिवीज़न, जिला, उप-डिवीज़न और खंड स्तर पर स्थापित किए गए हैं, लेकिन वे प्रभावकारी नहीं हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। जांच करने से पता चला है कि राजनैतिक स्थिति के कारण "सेनाओं" का निर्माण हुआ है और ये "सेनाएं" उच्च और इसके अलावा निम्न जातियों की भी वफादार हैं। ये सेनाएं एक दूसरे की शत्रु जातियों/समुदायों के लोगों की सामूहिक हत्या करने में शामिल होती हैं। राज्य की पुलिस इन अपराधों को रोकने में विफल सिद्ध हुई है। आयोग का मत है कि बिहार की राज्य सरकार को अत्याचार निवारण कार्यान्वयन समितियों और अन्य समितियों की बैठकें नियमित रूप से करने, संवेदनशील अनुसूचित जाति इलाकों में अनुसूचित जनजाति पुलिस स्टेशनों, कक्षों और विशेष न्यायालयों को मजबूत बनाने और कार्यशील बनाने के लिए तत्काल और कारगर उपाय करने चाहिए और कदम उठाने चाहिए। अत्याचार के मामलों को निपटाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किए जाने की जरूरत है। यद्यपि सभी जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं किन्तु उनका कार्य बड़ा सुस्त और अप्रभावी है।

गोवा

8.31 उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के लिए क्रमशः पणजी और मारगो में दो विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय काम कर रहें हैं।

गुजरात

8.32 अत्याचारों और नागरिक अधिकार संरक्षण मामलों का पुनरीक्षण और मानीटरिंग जिला स्तर पर सतर्कता समितियों द्वारा और राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। मामलों की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शाक्ति प्राप्त समिति है।

8.33 अहमदाबाद (ग्रामीण), पालनपुर और कच्छ जिलों में तीन अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। अन्य जिलों में सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। सात और अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

हरियाणा

8.34 सभी जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत बहुत कम मामले लम्बित होने के कारण कोई अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

8.35 नौ जिलों अर्थात शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, चम्बा और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

जम्मू और कश्मीर

8.36 चूंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम इस राज्य में लागू नहीं है, इसलिए किसी विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है।

कर्नाटक

8.37 बीजापुर, कोलार, रायचूर, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा के छः अनन्य विशेष न्यायालयों के अलावा, अन्य सभी जिलों के जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। लम्बित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 दोनों के अन्तर्गत अत्याचार के मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए न्यायालयों में और वृद्धि करने की जरूरत है। अपर महा निदेशक की अध्यक्षता में एक अलग सी.आर.ई. कक्ष है और उनकी सहायता पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है।

केरल

8.38 राज्य के 14 जिलों अर्थात त्रिवेन्द्रम,, क्विलोन, पातनमथिट्टा, एलेप्पी, कोट्टयम, थेडीपुझा, अर्नाकुलम, त्रिचूर, पालघाट, कोझीकोडे, तेलीचेरी, मंजेरी कापेट्टा और कासरगोडे में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश

8.39 अब तक 25 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। शेष 20 जिलों में जिला और सत्र न्यायालयों को निहित विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्ष 1999-2000 के बजट में 10 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र

8.40 राज्य में नागरिक अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र के प्रधान मुम्बई राज्य पुलिस मुख्यालय के आई.जी.पी., (नागरिक अधिकार संरक्षण) हैं।

8.41 प्रत्येक जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया है। मुम्बई नगर के सिविल न्यायालय और बृहद मुम्बई के सत्र न्यायालय को बृहद मुम्बई जिले का विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

मणिपुर

8.42 पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर जिलों के जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। यह राज्य अस्पृश्यता की घटनाओं अथवा अस्पृश्यता की प्रथा से संबंधित अपराधों से मुक्त है।

मेघालय

8.43 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए सभी जिलों में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

मिजोरम

8.44 अधिनियम के अन्तर्गत समूचे राज्य के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।

उड़ीसा

8.45 13 जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों और दस अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

पंजाब

8.46 प्रत्येक जिले में सबसे वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

राजस्थान

8.47 राजस्थान के गृह विभाग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के खंड 16 और 17 के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ित व्यक्तियों को सतर्कता समिति की सिफारिशों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार धन के रूप में राहत प्रदान कर रही है, लेकिन सभी उत्पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में मौद्रिक राहत नहीं दी जा रही।

8.48 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों के शीघ्रतापूर्वक विचारण के लिए जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, पाली,

अलवर, दौसा झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारन, टोंक, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर (जोधपुर), नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

सिक्किम

8.49 राज्य में अत्याचार के मामले न होने के बराबर हैं। जिला कलेक्टरों/पुलिस अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे उत्पीड़न और अत्याचार की शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करें।

8.50 जिला और सत्र न्यायालय (ई. एण्ड एन.) को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

तमिलनाडु

8.51 आम जनता और कार्यान्वयन तंत्र को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में बहुत कम जानकारी है। अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दोनों के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत तक के बीच है। राज्य सरकार को स्थिति में सुधार करने के उपाय करने चाहिएं।

8.52 तिरूचिरापल्ली, तंजाबूर, मदुरै, तिरूनेलेवली में 16 जिलों के लिए चार विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और 10 जिलों में मुख्य सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

त्रिपुरा

8.53 पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा और दक्षिणी त्रिपुरा के तीन जिलों में सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

उत्तर प्रदेश

8.54 आयोग ने देखा है कि पुलिस और न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान बहुत धीमी गति से होता है। राज्य सरकार अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने पर मौद्रिक राहत प्रदान करती है और उसने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारियों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

8.55 मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

पश्चिम बंगाल

8.56 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। फिर भी सभी जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

8.57 जिला और सत्र न्यायाधीश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेअर को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

चंडीगढ़

8.58 सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं।

दादरा और नगर हवेली

8.59 सिलवास्सा के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया हैं।

दमन और द्वीप

8.60 सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

दिल्ली

8.61 सिविल अधिकार संरक्षण् अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों के विचारण के लिए, दिल्ली सरकार ने अपर सत्र न्यायाधीशों के दो न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का अपीलीय न्यायालय और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के 12 न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

लक्षद्वीप और मिनिकोय

8.62 केरल राज्य में कोज़ीकोडे में स्थित सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं।

पांडिचेरी

8.63 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पांडिचेरी, एस.डी.जे.एम., कराईकल और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानम के विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

8.64 अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड से विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई। ये राज्य जनजातीय राज्य हैं, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत थोड़ी है और वहां अत्याचार का लगभग कोई मामला घटित नहीं हुआ।

अत्याचार के चुने हुए मामले, जो ध्यान में लाए गए, और उनके बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई

8.65 वर्ष 1997 और 1998 में आयोग ने अत्याचार के कई मामलों की जांच की। आयोग ने उन मामलों में, जहां सामूहिक हत्याएं हुई थी; अपनी सिफारिशें भी दीं। आयोग ने जिन मामलों की जांच की थी, उनमें से कुछ मामलें और उनके बारे में दी गई सिफारिशें इस प्रकार है:

I भूमि को जबरदस्ती छीने जाने के बारे में ग्राम रसूलपुर गढ़ी, डाकघर मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के निवासी श्री जयपाल सिंह सुपुत्र श्री भागवत (अनु.जा.) की शिकायत

8.66 श्री जयपाल सिंह (अनु0जा0), निवासी ग्राम-रसूलपुर गढ़ी, डाकघर मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर ने आयोग को शिकायत की कि उनकी जमीन को, जो उन्हें 1972 में सरकार की भूमि वितरण स्कीम के अन्तर्गत मिली थी, उस पर खड़ी गेहूं की फसल सहित, ग्राम-प्रधान श्री

राजमन और उनके भाई ने जोर-जबरदस्ती से हथिया लिया है। अभियुक्त ने शिकायतकर्त्ता को जान से मारने की धमकी दी थी।

8.67 आयोग ने इस मामले को तत्काल मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया और उन्हें कार्रवाई करने तथा आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा, क्योंकि शिकायतकर्त्ता जाटव अनुसूचित जाति का था।

8.68 मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक ने मामले की तफतीश की और रिपोर्ट दी यद्यपि श्री जयपाल सिंह ने जमीन हथियाए जाने की शिकायत की थी, लेकिन शिकायतकर्त्ता और अभियुक्त ने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया है। अभियुक्त ने ज़मीन लौटा दी है और फसल की कटाई के मामले को भी आपस में तय कर लिया है। मामलें को हल कर लिया गया और शिकायतकर्त्ता को सूचित कर दिया गया।

II गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा ग्राम-जालिम खेडा, थाना अचलगढ़, जिला उन्नाव के निवासी श्री राम कुमार (अनु.जा.) पर शारीरिक हमला

8.69 ग्राम जालिम खेड़ा, अचलगढ़, जिला उन्नाव के निवासी श्री राम कुमार (अनु.जा.) ने अपनी दिनांक 29.1.98 की शिकायत द्वारा यह कहा था कि राम बाबू, राम भरोसे और अन्य व्यक्तियों ने उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा, जब उसने एक मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जिसे उपर्युक्त व्यक्ति पीट रहे थे। शिकायतकर्त्ता ने यह भी कहा कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।

8.70 आयोग ने यह मामला उन्नाव के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया और उनसे इस घटना की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। इसके अनुपालन में, पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार, अचलगंज पुलिस स्टेशन में अभियुक्त रामबाबू और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303/504 और अनुसूचित्त जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 191/98 दर्ज की गई थी। आगे कार्रवाई के लिए मामला अदालत को निर्दिष्ट कर दिया गया।

III हरियाणा के जिला गुड़गांव के पुलिस स्टेशन सोहना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की एक महिला पर हमला और उसके साथ छेड़-छाड़

8.71 श्री कनी राम, ग्राम-गंगोली, तहसील नूह, जिला गुड़गांव (हरियाणा) ने आयोग को शिकायत की कि अत्री सुपुत्र ओम प्रकाश और कालू सुपुत्र तोती ने 11.6.98 को शिकायतकर्त्ता की बेटी रेखा के साथ जोर-जबरदस्ती करने और उसे पीटने की कोशिश की। आयोग ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए, मामले को गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया। यह मामला सोहना के पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 और 34 के अन्तर्गत दर्ज किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त गड़रिया जाति के थे। आयोग ने गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की जांच की और यह पाया कि पुलिस अधीक्षक का कथन सही नहीं था। गड़रिया जाति हरियाणा के पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल है, अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं। एस.सी. और बी.सी. कल्याण विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस द्वारा गम्भीरता से और कारगर ढ़ंग से कार्रवाई नहीं की गई और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 की धाराएं लागू नहीं की गई, गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए बुलाया गया। संबंधित पुलिस अधीक्षक 26.8.98 को आयोग के समक्ष हाजिर हुए और उन्होंने मौखिक रूप से फिर यह कहा कि यह एक मामूली सा मामला है और गड़रिया जाति का स्तर न्यूनाधिक रूप से अनुसूचित जातियों के स्तर के बराबर ही है। पुलिस अधीक्षक का कथन पूर्वाग्रहपूर्ण प्रकट होता था। शिकायतकर्त्ता ने यह भी अभ्यावेदन दिया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है ताकि उन्हे मामला वापस लेने के लिए विवश किया जाए। तब यह मामला हरियाणा के गुड़गांव रेंज के डी.आई.जी. पुलिस के पास भेजा गया और उनके ध्यान में यह बात लाई गई कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को, जो एक संवैधानिक निकाय है, गलत सूचना दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में जो त्रुटियां पाई गईं। उनकी और भी ध्यान दिलाया गया, जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संगत धाराओं को लागू न किया जाना, पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति बताने की गलत-बयानी, और अपराधी पक्ष के साथ मिल कर उत्पीड़ित व्यक्तियों को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज करना। इस मामले के बारे में कार्रवाई अभी की जा रही है।

IV फरीदाबाद जिला, हरियाणा की अनुसूचित जाति की एक लड़की का अपहरण

8.72 श्री इतवारी सुपुत्र श्री मंगत सिंह, निवासी कबूलपुर बांगर, बल्लभगढ़ ने 28.5.98 की अपनी शिकायत द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को यह शिकायत की थी कि उसकी लड़की सरोज का, गांव के गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति रामपाल(गूजर) द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। है। यह मामला फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया और इसके बारे में जोरदार ढ़ंग से कार्रवाई की गई। बल्लभगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 362, 366, 506 और 376 के अन्तर्गत मामला दर्ज करके पुलिस को सक्रिय बनाया गया। अपहरण की गई लड़की का पता लगाया गया और उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस प्राधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूंचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके नियमों के अनुसार मुआवजे की अदायगी के मामले में अनुवर्ती कार्रवाई करें। फरीदाबाद के जिला कल्याण अधिकारी ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके नियम के अनुसार मुआवजे के मामले की सिफारिश की है और उत्पीडित व्यक्ति को 50,000 रूपए का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

V हरियाणा के जिला हिसार के पुलिस स्टेशन हांसी के अन्तर्गत ग्राम-देपाल के अनुसूचित जाति के युवक की हत्या का मामला

8.73 यह मामला दिनांक 2.5.1998 के " नवभारत टाइम्स " में प्रकाशित समाचार " परिवार में मातम और गांव में खामोशी " के आधार पर उठाया गया था। उक्त दैनिक पत्र में 28.4.98 को यह प्रकाशित हुआ था कि जिला हिसार के पुलिस स्टेशन हांसी के ग्राम देपाल में रहने वाले अनुसूचित जाति के 21 वर्षीय युवक अनिल सुपुत्र श्री महाबीर सिंह बाल्मीकि की हत्या कथित रूप से धूप सिंह, सत्यवान और कपूर सिंह और दलबीर सिंह द्वारा की गई है। अभियुक्तों ने हत्या करने के लिए गंडासा, कुल्हाड़ी, आदि जैसे पारम्परिक हथियारों का उपयोग किया। आयोग ने इस मामले को तत्काल हिसार के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया और उनसे भारतीय दंड़ संहिता और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की

संगत धाराओं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस से संगत रिकार्ड की प्रतियाँ मंगवाई गई, जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतक और अभियुक्तों की जाति, मृतक की शव परीक्षा की रिपोर्ट आदि। इस मामले का जोरदार तरीके से अनुसरण किया गया। हत्या के सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। हिसार के डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिया है कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार मृतक के आश्रितों को यथाशीघ्र मुआवजा दिलाएं।

VI श्री रमेश सिंह सेहरावत सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी इस्लामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा पर हमले का मामला- उत्पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, श्रीमती बीना सेहरावत द्वारा की गई शिकायत

8.74 श्रीमती बीना रानी, पत्नी श्री रमेश सिंह, निवासी इस्लामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा ने दिनांक 19.3.98 की अपनी शिकायत में आयोग को शिकायत की थी कि उसके पति का उसी गांव के सरपंच श्री रोहताश सिंह द्वारा, जो जाट जाति के हैं, अपहरण किया गया और उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा गया। मारने-पीटने की घटना 10.3.98 को गुड़गांव के निकट हुई। उत्पीड़ित व्यक्ति, श्री रमेश सिंह, भारतीय स्टेट बैंक, कापसहेरा, दिल्ली में विकास अधिकारी हैं। मार-पीट के कारण श्री रमेश सिंह के बाजू टूट गए। उत्पीड़ित व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पाया गया और गुड़गांव के एक अस्पताल में उसका इलाज किया गया और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस स्टेशन सदर गुड़गांव द्वारा भारतीय दंड़ संहिता की धारा 394/364/325 के अन्तर्गत 10.3.98 को एफ.आई.आर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित पुलिस अधिकारी दोषी व्यक्तियों का पक्ष ले रहे हैं और उन्होंने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है।

8.75 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए, मामले को गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया। शिकायतकर्त्ता और उत्पीड़ित दोनों दो बार आयोग में आए और उन्होंने अपराध की गम्भीरता और जान से मारने की धमकी के संबंध में बताया। उन्होंने आयोग से उनकी सुरक्षा करने की याचिका की और परिणामों की ओर यहां तक कि, उन्हें जान से मार डालने की धमकियां दे रहे हैं।

8.76 शिकायतकर्त्ता ने 21.4.98 और 19.5.98 को फिर से याचिकाएं दी, जिनमें यह आरोप लगाया गया कि अपराधी सरपंच रोहताश सिंह ने पंचायत के धन का गबन किया है। पुलिस अभियुक्त का बचाव कर रही है और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। दूसरे अभियुक्त अनुप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन्सपेक्टर अभियुक्त के साथ मिला हुआ है और उसका लिहाज करता है और समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है।

8.77 गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 12.5.98 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर आयोग में आए और उन्होंने दिनांक 15.5.98 के पत्र द्वारा अपना उत्तर पेश किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी है और वे समय-समय पर एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते रहे हैं। शिकायतकर्त्ता की पत्नी ब्लाक समिति की अध्यक्षा हैं।

8.78 हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त और गृह विभाग के सचिव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यह सूचित किया कि दोनों पक्ष राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धी हैं और एक-दूसरे को नीचा

दिखाने में लगे रहते हैं। श्री रोहताश सिंह का यह आरोप, कि उनसे 8000/- रूपए, घड़ी और सोने की अंगूठी छीन ली गई है, 10.3.98 को पुलिस स्टेशन सदर, गुड़गांव में भारतीय दंड़ संहिता की धारा 364/325 के अन्तर्गत मामला संख्या 307 के रूप में दर्ज किया गया था और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं के, जिन्हें लागू नहीं किया गया था, लागू करने पर जोर दिया गया और हरियाणा पुलिस के साथ इस मामले का अभी भी अनुसरण किया जा रहा है।

VII ग्राम गुलकनी, जिला जींद (हरियाणा) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परेशान किया जाना

8.79 श्री हवा सिंह और गुलकनी ग्राम, जिला जींद (हरियाणा) के अन्य ग्रामवासियों ने आयोग को अभ्यावेदन दिया है कि उसे और उसके भाई बलबीर को 14.9.97 को गैर-कानूनी तरीके से सरपंच के घर में बन्दी बना लिया गया और सरपंच और छः अन्य व्यक्तियों ने उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा। इसके अलावा, हवा सिंह को स्थानीय पुलिस की सहायता से शराब के एक झूठे मामले में भी फंसाया गया। आयोग ने मामले की जांच करने के लिए जींद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को बुलाया। यह प्रमाणित हो गया श्री हवा सिंह को सरपंच और उसकी पार्टी द्वारा 14.9.97 की रात को गैर-कानूनी रूप से बन्दी बनाया गया था और शिकायतकर्ता को एक झूठे मामले में फंसाया गया था और सरपंच तथा उसके पिट्टुओं द्वारा पीटा भी गया था। डाक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, हवा सिंह को उस समय चोट पंहुचाई गई, जब उसे सरपंच के घर पर रखा गया था। उत्पीड़ित व्यक्ति को घाघरी पहनने पर विवश किया गया और उसके गले में जूतों की माला डाल कर पुलिस द्वारा उसे गांव में घुमाया गया। अभियुक्तों और अभियुक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की धारा 323/324/325/190/342/347/364/452/500/506/511 और अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

8.80 आयोग ने जिला प्रशासन को सिफारिश की कि उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति को मौद्रिक राहत प्रदान की जाए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएं।

VIII गुजरात के अहमदाबाद जिले के तालुका धनधुका के ग्राम धनडा में रहने वाले दलित लड़के को अंधा बनाया जाना

8.81 एक दलित लड़के को अंधा बनाए जाने का समाचार 18.6.98 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले को अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के साथ उठाया और आयोग के अहमदाबाद में स्थित राज्य कार्यालय के माध्यम से भी इस मामले का अनुसरण किया। उत्पीडित लड़का गांव के अन्य बच्चों के साथ श्री भीखाभाई चिकाभाई कोली पटेल नामक पानवाले की दूकान पर टी.वी. देख रहा था। उत्पीड़ित संजय, जो अनुसूचित जाति का लड़का है, उस समय जख्मी हो गया जब दूकान के मालिक (पान वाले) ने गुस्से में आ कर बच्चों पर, जो गड़बड़ी पैदा कर रहे थे, चूने का पेस्ट फेंका। लड़का रोते हुए घर चला गया और उसने सारा किस्सा सुनाया। लड़के को उसका दादा अगले दिन वीरनगर मिशनरी आई हास्पिटल ले गया। वहां उपचार से कोई फायदा नहीं हुआ और लड़के को सिविल अस्पताल, अहमदाबाद और अन्ततोगत्वा एक अन्य प्राइवेट अस्पताल में विशेष उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन गहरे जख्म के कारण अपनी एक आंख की नजर खो बैठा। लड़के के दादा ने अहमदाबाद में बारवाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा कर मामले को उठाया। पुलिस द्वारा

भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला कल्याण अधिकारी ने मामले को देखते हुए उत्पीड़ित बालक को मुआवजे के रूप में 50,000 रूपए की राशि अदा करने की मंजूरी दी, जिसमें से 20,000 रूपए की अदायगी पहली किस्त के रूप में की जा चुकी है।

IX बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले के मुडिल्ला गांव के निवासी, श्री देवमुनि बैठा की शिकायत

8.82 पश्चिमी चम्पारन जिले के डाकघर चौतरवा के अंतर्गत ग्राम मुडिल्ला के निवासी, श्री देवानंद बैठा अर्थात देवमुनि बैठा ने आयोग को शिकायत की कि श्री भूषण चौबे, उनके बेटे और गैर-अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों ने उन्हें अपने मकान का निर्माण पूरा नहीं करने दिया। शिकायतकर्ता को परेशान और आतंकित किया गया और उसे अपने पुश्तैनी गांव से भागने के लिए विवश किया गया। शिकायतकर्त्ता से कहा गया कि वह अपनी 8-10फुट जमीन सार्वजनिक मार्ग के लिए दे।

8.83 आयोग के अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मामले को पश्चिमी चम्पारन के जिला मजिस्ट्रेट के साथ उठाया गया। चूंकि संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को 15.7.98 को संगत दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष हाजिर होने के लिए सम्मन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित तारीख को हाजिर नहीं हुए और उन्हें 1.9.98 को हाजिर होने के लिए एक और सम्मन जारी किया गया। यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट हाजिर नहीं हुए लेकिन उन्होंने फोन पर बातचीत की और उन्होंने कथित शिकायत के बारे में पुलिस अधीक्षक और सब-डिवीजन मेजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट भेज दी।

8.84 यह पाया गया कि बैठा परिवार (शिकायतकर्त्ता) का विवादित भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन इस बात का पता चला कि शिकायतकर्त्ता भूपेन्द्र चौबे और अन्य के मुज़ारे थे मुजारे सरकारी जमीन पर बनी खपरैल की झोंपड़ियों में रह रहे थे और इन शिकायतकर्त्ताओं ने भी चौबे परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। श्री भूषण चौबे ने अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया। इस बीच, शिकायतकर्त्ता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पास पहुंच गए। जिला मेजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शिकायत बेबुनियाद पाई गई। लेकिन जिला प्रशासन ने पुलिस को स्थिति को संभालने का आदेश दिया, ताकि संबंधित पक्ष और आगे झगड़ा करने से बचें।

X ग्राम कठियाला, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की श्रीमती शकीनो देवी, पत्नी श्री रमेश चन्द, की हत्या

8.85 इस मामले को चंडीगढ़ के दिनांक 14.9.98 के "दि ट्रिब्यून" में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अन्तर्गत कठियाला गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की एक महिला, श्रीमती शकीनो देवी, पत्नी श्री रमेश चन्द, की हत्या के बारे में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर और हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व संसद-सदस्य, श्री बालक राम के अनुरोध पर लिया गया था। भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1955 की संगत धाराएं लागू करने की हिदायतों के साथ, अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इस मामले को कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया।

8.86 कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक ने इन हिदायतों का अनुपालन करते हुए इस मामले के बारे में कार्रवाई की और पुलिस स्टेशन, ज्वालामुखी में 1.7.98 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/147/149 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अन्तर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट(FIR) दर्ज की गई। मृतक शकीनो देवी, पत्नी श्री रमेश चन्द, गांव के एक स्कूल में आंगनवाड़ी सहायक (हेल्पर) थी। उत्पीड़ित महिला और गांव के राजपूतों के बीच जमीन के बारे में विवाद था। दोनों पक्षों की औरतें आपस में बहुत बार झगड़ती रहती थीं। हत्या की घटना 30.6.98 को हुई, जब उत्पीड़ित महिला आंगनवाड़ी स्कूल से अपने गांव को लौट रही थी। लाश जले हुए कपड़ों, आदि के साथ पाई गई। शिकायतकर्त्ता अर्थात मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया था कि ओमराज सुपुत्र श्री हरबंस सिंह, काका राम सुपुत्र मंसा राम, जीवनादेवी पत्नी ओमराज, रणजीत सिंह सुपुत्र हरबंस सिंह और कमला देवी पत्नी ओमराज, रणजीत सिंह, जो गैर अनुसूचित जातियों के हैं, हत्या के मामले में शामिल थे। पुलिस ने अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की और शव-परीक्षा कराई और विधि-चिकित्सकीय परीक्षण, आदि कराए। तफतीश के परिणामस्वरूप सात व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और मामला न्यायालय में पेश किया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी नियम, 1995 के अनुसार कार्रवाई की गई। मृतक के परिवार के सदस्यों को 1,50,000/- रूपए का मुआवजा दिया गया।

XI धौलपुर (राजस्थान) के ग्राम-नकसोदा में अनुसूचित जाति के एक युवक को पीटा जाना और परेशान किया जाना

8.87 28.4.98 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था "जब राजस्थान में क्रूरता का सबसे भद्दा चेहरा दिखाई दिया और इन्सान को जंगली जानवर की तरह लगाम से कसा गया"। गूजर लड़कों को उधार पर बीड़ी बेचने से इन्कार करने पर धौलपुर के नकसोदा गांव में अनुसूचित जाति के एक दुकानदार के नाक में छेद करके और उसमें लगाम की तरह रस्सी डाल कर उसे घुमाया गया।विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, मामले को धौलपुर के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया गया। आयोग के जयपुर में स्थित राज्य कार्यालय ने मौके पर जा कर मामले की जांच की और यह सूचित किया गया कि कुछ गूजर लड़के श्री रामेश्वर (उत्पीड़ित व्यक्ति) की दूकान पर आए और जब उसने उन्हें पुराना उधार चुकता न किए जाने तक कोई वस्तु उधार पर बेचने से इन्कार किया, तो इसके परिणामस्वरूप झगड़ा हो गया। 25.4.98 को गैर-अनुसूचित जातियों के पांच व्यक्तियों ने श्री रामेश्वर को पकड़ लिया, उस पर हमला किया और उसकी नासिका में रस्सी डाली। उन्होंने उसे एक घर में बन्द कर दिया।

8.88 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(3), 3(2)(5) और भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 147, 323 और 326 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि उत्पीड़ित व्यक्ति की नाक को छेदा गया था और उसमें रस्सी डाली गई थी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। इसके अलावा, आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1955 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्ति को राहत/पुनर्वास प्रदान करने के लिए भी लिखा है।

XII मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में जनजातीय लड़कियों के साथ जोर-जबरदस्ती/उन पर हमला

8.89 दैनिक "ट्रिब्यून" और "नवभारत टाइम्स" के 8.10.98 के अंकों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि मध्य प्रदेश में 4 जनजातीय लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। घटना की गम्भीरता को देखते हुए, आयोग ने स्वयं ही इस मामले को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कलेक्टर के साथ उठाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के भोपाल में स्थित राज्य-कार्यालय को भी सक्रिय बनाया गया और उन्हें कारगर ढंग से मामले के पीछे लगे रहने के लिए कहा गया। यह घटना 1.10.98 को हुई थी, जब विभिन्न जातियों/समुदायों की कुछ ग्रामीण लड़कियां एक अन्य गांव में लगे मेले से अपने गांव चपका को वापस लौट रही थीं। अपराधी विभिन्न जातियों/समुदायों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के थे उत्पीड़ित लड़कियां भी अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों की थी। पुलिस रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि 4 उत्पीड़ित लड़कियों में 3 अनुसूचित जनजातियों की थी और 1 लड़की अन्य पिछड़े वर्गों की थी। पुलिस स्टेशन, भानपुरी में भारतीय दंड़ संहिता की धारा 376(4) 34 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/98 दर्ज करने के बाद, मेडिकल जांच कराई गई। इसके अलावा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 की संगत धाराएं लागू की गई और अत्याचार निवारण नियम, 1995 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

8.90 उत्पीड़ित व्यक्तियों अर्थात अनुसूचित जनजातियों की तीन लड़कियों में से प्रत्येक को 50,000/- रूपए का मुआवज़ा अदा करने की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई, जिसमें से प्रत्येक लड़की को 25,000/- रूपए की राशि अब तक रिलीज की जा चुकी है। मामला निर्णय के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है।

XIII बिहार के पूर्णिया जिले में जनजातीय लोगों की सामूहिक हत्या

8.91 राष्ट्रीय दैनिक पत्रों "हिन्दू", "नवभारत टाइम्स", "हिन्दुस्तान" और "जनसत्ता" के 15 दिसम्बर, 1998 के अंकों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि बिहार पूर्णिया जिले के डगरूआ पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत निखरेल, चांदबारी टोला और कोयला टोला गांवों में गैर-जनजातीय जमींदारों द्वारा संथाल जनजाति के सात व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया और उनके घरों को आग लगा दी गई। आयोग ने तत्काल बिहार के गृह सचिव, पुलिस के महानिदेशक, पूर्णिया के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बेतार संदेश भेज कर उनके अनुरोध किया कि वे अपराधियों को गिरफ्तार करने और हत्याकांड के बाद जिंदा बचे लोगों को वित्तीय सहायता देने के बारे में रिपोर्ट भेजें।

8.92 यह घटना इतनी आघात पहुंचाने वाली थी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह भूरिया और उपाध्यक्ष, श्री कामेश्वर पासवान अपना कार्य-भार संभालने के तुरन्त बाद 20 से 22 दिसम्बर, 1998 तक बिहार गए ताकि वे इस मामले का और अन्य संबंधित समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से जायज़ा ले सकें। उन्होंने दुर्घटना-स्थल का मुआयना किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इस घटना के बारे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस अमानवीय हत्याकांड का कारण जमीन की मिलकियत संबंधी विवाद था। वे जनजातीय लोग, जो शिकमी बटाईदारों के रूप में जमीन पर खेती करते थे, उस जमीन को अपनी जमीन समझते थे। दूसरी और जमींदारों द्वारा उस जमीन के मालिक होने का दावा किया जा रहा था, जिन्होंने शायद भूमि संबंधी अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लिए थे, लेकिन जो उस भूमि पर वस्तुतः खेती नहीं करते थे। इसके

परिणामस्वरूप, वास्तविक रूप से खेती करने वाले बहुत से व्यक्तियों को, जो गरीब जनजातीय समुदायों के थे, भूमि की मिलकियत का हक प्राप्त नहीं हुआ। भूमि-सुधारों की नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि भूमि खेती करने वाले को दी जाए। कदाचित अन्य किसी मामले की अपेक्षा इस मामले में भूमि से संबंधित कानूनों में संशोधन किए जाने की जरूरत थी, ताकि भू-हति (टीनेंसी) के अधिकार खेती करने वालों को प्राप्त हों और उसके लिए उन्हें दावे प्रस्तुत करने और अदालत में मुकदमें लड़ने की पेचीदा प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, जिसके वास्ते उनके पास न क्षमता है और न हैसियत। आयोग ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और पटना स्थित राज्य कार्यालय के अधिकारियों ने भी दुर्घटना-स्थल का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की । इसके अलावा, पूर्णिया के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सक्रिय बनाया गया ताकि वे मामले को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाएं और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उनसे यह रिपोर्ट प्राप्त भी हुई थी। आयोग की जांच रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि राज्य प्रशासन द्वारा मामले के बारे में कार्रवाई किए जाते समय कुछ कमियां रह गई थी, जैसे जनजातियों के उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि सभी अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि जिन 14 व्यक्तियों के नाम लिया गया था, उनमें से केवल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन से कहा गया कि स्कूल जाने वाले प्रभावित बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाए। जनजातीय गांव में एक प्राथमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

8.93 आयोग ने राज्य सरकार को जोर से यह सिफारिश की कि वह कानूनी स्थिति की जांच करे और भूमि संबधी कानूनों में अविलम्ब अपेक्षित संशोधन करे ताकि खेती करने वालों और शिकमी बटाईदारों को उनके उचित अधिकार प्राप्त हो सके। यदि भविष्य में ऐसी अमानवीय हत्याओं की घटनाओं को रोका जाना है, तो ऐसा करना नितान्त आवश्यक और अविलम्बनीय है। विशेष/अनन्य न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों के बारे में, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के अन्तर्गत आते हों, शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जा सके और उन्हें शीघ्र निपटाया जा सकें। इस बात पर जोर दिया गया कि न केवल अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत यथा-उपबंधित पर्याप्त राहत और पुनर्वास-सुविधाएं प्रदान की जाएं।

8.94 आयोग ने बिहार में भूमि से संबधित विवाद का गहराई से अध्ययन किया। आयोग का मत है कि दीर्घकालिक हल यह है कि विकास की प्रक्रिया को तेज किया जाए, क्योंकि पूर्णिया की घटना की जांच करने पर यह पाया गया कि पूर्णिया में और बिहार के अन्य इलाकों में विकास की प्रक्रिया से ग्रामीण गरीब और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग अछूते रहे हैं। सड़कों, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य उपचर्या, शिक्षा आदि की सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त हैं। ऐसी दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की जानी जरूरी हैं, ऐसी दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की जानी जरूरी हैं, जिनका कारगर कार्यान्वयन स्वयं जनजातीय लोगों के सहयोग और सहभागिता से किया जाए। आयोग ने बिहार में भू-हति (टीनेंसी) प्रणाली का अध्ययन करने और राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फैसला किया है, जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के उपाय सुझाए गए होंगे।

XIV बिहार के जहानाबाद जिले के पुलिस स्टेशन शकूराबाद के गांव नारायणपुर में अनुसूचित जातियों के लोगों की हत्या

8.95 12 फरवरी, 1999 के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि बिहार के जहानाबाद जिले के शकूराबाद पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नारायणपुर गांव में अनुसूचित जातियों के बारह व्यक्तियों की हत्या की गई है। समाचारों में इसका कारण उच्च जातियों के जमींदारों और अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों के बीच हुआ जातिगत झगड़ा बताया गया था। हत्यारे अनुसूचित जाति के ग्रामवासियों को वामपंथी उग्रवादी दलों का समर्थक समझते थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, पुलिस के महा निदेशक को वायरलेस संदेश भेज कर उनसे अनुरोध किया कि इस घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें। आयोग का एक उच्च-स्तरीय दल, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, हत्याकांड के स्थल पर गया, जहां जमींदार समुदायों के गैर-जनजातीय हमलावरों ने अनुसूचित जातियों के 11 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था।

8.96 यह हत्याकांड जहानाबाद जिले के पुलिस स्टेशन शकूराबाद के अन्तर्गत नारायणपुर गांव में 10.11 फरवरी की रात को हुआ। इस क्रूर कातिलाना हमले के दौरान अनुसूचित जाति के 11 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई, जिनमें 6 पुरूष और 5 महिलाएं थी। सात व्यक्ति जख्मी हो गए। इस घटना का स्थल जहानाबाद के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर के फासले पर था। उच्च स्तरीय दल ने 17/18.2.99 को अपराध के स्थल का मुआयना किया और उसने मृतकों के संबधियों और जख्मी व्यक्तियों से मुलाकात की। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात मुख्य सचिव, पुलिस महा निदेशक और अन्य से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे घृणित अपराधों पर नजर रखे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

8.97 इस दौरे के समय यह देखा गया कि हिंसा-प्रभावित स्थान तक पहुंचने के लिए उपयुक्त सड़के नहीं हैं, जिससे पुलिस और अन्य अधिकारियों को हिंसा के शिकार व्यक्तियों तक पहुंचने में देर हुई। उस इलाके में ग्रामीण गरीबों के लिए पेयजल और शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं और आमदनी के स्रोतों का आभाव है। यह भी नोट किया गया कि पुलिस को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने आई.पी.सी. की संगत धाराओं को भी लागू नहीं किया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) भी लागू नहीं की गई, जिसका लागू किया जाना कानून के अनुसार जरूरी था ।

8.98 मौके पर मुआयना करने और राज्य सरकार के उच्च प्राधिकारियों से मुलाकात करने के बाद, आयोग ने इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के लोगों के विकास के कुछ उपायों का सुझाव दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

सुझाव

8.99 प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान यह देखा गया कि उनके पास इतनी पर्याप्त जमीन नहीं है जिससे वे अपना भरण-पोषण कर सकें और इसलिए वे जमींदारों के पास मजदूरों के रूप में काम करते है और इसके बदले उन्हें मजदूरी के रूप में 2 किलोग्राम चावल मिलते हैं या कुछ

जमींदार मजदूरी के लिए 5-10 कटठा भूमि दे देते हैं। राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए।

8.100 राज्य वित्त और विकास निगम के माध्यम से उन जमीदारों से भूमि खरीद कर, जो स्वेच्छा से भूमि बेचना चाहते हों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीब भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन मुहैया की जानी चाहिए। कम से कम 2 बीघा जमीन दी जानी चाहिए और पट्टे और मिलकियत के अधिकार दिए जाने चाहिएं।

8.101 बटाईदार प्रणाली के अन्तर्गत खेती करने वालों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बिहार भू-हति अधिनियम के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें भविष्य में तंग न किया जाए।

8.102 विकास-कार्य, जैसे स्कूलों, सड़कों, बिजली, पेयजल की व्यवस्था और मकानों के निर्माण के कार्य हाथ में लिए जाने चाहिएं।

8.103 अत्याचार-प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार वित्तीय सहायता और 3 महीने के लिए राशन दिया जाना चाहिए।

8.104 जिन गांवों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की काफी अधिक संख्या हो, वहां लक्ष्यगत बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल खोले जाने चाहिएं। इन स्कूलों का रख-रखाव उपयुक्त तरीके से किया जाना चाहिए।

8.105 ऐसे परिवार के, जो अपना कमाऊ सदस्य खो बैठा हो, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी/काम दिया जाना चाहिए।

8.106 उन परिवारों के सदस्य (यो) को, जो अपना कमाऊ सदस्य गंवा बैठे हों या उन उत्पीड़ित व्यक्तियों को, जो अंगहीन हो गए हो, सरकारी नौकरी/काम दिया जाना चाहिए।

8.107 जिन 13 अभियुक्तों का नाम लिया गया था, उनमें से केवल 3 को गिरफ्तार किया गया था। उन सभी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए और न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

8.108 कम से कम पुलिस के उप-अधीक्षक के स्तर के बराबर के अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

8.109 हिंसा/आतंकवाद-प्रवण जिलों का पता लगाया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिएं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अत्याचार के सभी मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए।

8.110 बिहार में 1978 से स्थानीय निकायों, जैसे ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं और इसलिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व/ नेतृत्व का अभाव है। विकास कार्य रूक गया है और समय की मांग है कि कानून के अनुसार चुनाव कराए जांए और ग्राम-स्तर पर नेतृत्व की भावना पैदा करने के लिए जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

8.111 राज्य स्तर और जिला स्तर के गुप्त सूचना संग्रह केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि ऐसे नर-संहारों को रोकने के उद्देश्य से अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए सूचना उपलब्ध हो सके।

8.112 आयोग द्वारा राज्य के अपने दौरे के दौरान पटना में राज्य द्वारा संचालित राजकीय कल्याण छात्रावास महेन्द्रू का निरीक्षण भी किया गया और यह देखा गया कि यह छात्रावास जिस इमारत में है वह बहुत टूटी-फूटी स्थिति में है। शौचालयों और स्नानागारों की हालत बहुत खराब थी। पेयजल की व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी। मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां पिछले दो वर्षों से अदा नहीं की गई, कोई पत्र/पत्रिकाएं मुहैया नहीं की जाती। पिछले कई महीनों से कोई वार्डन तैनात नहीं था, जो कि एक बहुत गम्भीर बात थी। यह सुझाव दिया गया कि सभी रिहायशी स्कूलों में सभी सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिएं।

8.113 आयोग के अध्यक्ष ने अपने दिनांक 24.2.99 के पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को उन घटनाओं की सूचना दी, जो बिहार के जहानाबाद जिले के शंकरबीघा और नारायणपुर गांवों में हुई थीं। जो उपाय किए जाने जरूरी थे उनका सुझाव भी दिया गया था। उनमें भूमि सुधार लागू करना, पेय जल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, आधारभूत स्थानीय निकायों में बिना किसी और विलम्ब के जनतंत्र की बहाली, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के असहाय गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल था।

XIV दिल्ली के यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों पर अत्याचार

8.114 समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर और 22/23 फरवरी, 1999 की रात को यू.सी.एम.एस. के कालेज/अस्पताल कैम्पस में और जी.टी.बी. अस्पताल, दिल्ली में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों पर अत्याचार किए जाने के बारे में यू.सी.एम.एस. के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर जा कर घटना की जांच करने का आदेश दिया, जिसमें गैर-अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा अनुसूचित जातियों के 12 विद्यार्थियों को पीटा गया था और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया था। जी.टी.बी. अस्पताल के एक रेजीडेंट डाक्टर को भी, जो संकटकालीन ड्यूटी पर था, पीटा और अपमानित किया गया था।

8.115 आयोग के उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर पासवान और सहायक निदेशक श्री अजीत सिंह दिलशाद गार्डन में स्थित यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के जी.टी.बी. अस्पताल और छात्रावासों के परिसर में घटना-स्थल पर गए। उन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ित छात्रों और यू.सी.एम.एस. के प्रिंसीपल, अन्य प्रोफेसरों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी मुलाकात की1 इस दल ने उत्तर पूर्व के अपर पुलिस उपायुक्त, ए.सी.पी. और दिलशाद गार्डन के संबंधित पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. के साथ एक बैठक भी की और घटना की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

8.116 उपर्युक्त व्यक्तियों के विचार सुनने के बाद, आयोग ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और कालेज के प्रिंसीपल को अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सुरक्षा/राहत प्रदान करने का सुझाव दिया। पुलिस ने घटना के दस दिन बाद जब आयोग ने दौरा किया, मामला दर्ज किया और केवल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू किया। आयोग के उपाध्यक्ष ने पुलिस को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संगत धाराएं लागू करने और अभियुक्तों के खिलाफ

तत्काल कार्रवाई करने तथा अनुसूचित जातियो के उत्पीडितों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर, पुलिस ने सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए हैं।

8.117 आयोग ने घटना-स्थल की जांच रिपोर्ट उपकुलपति और यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के पास भेज दी है। इस बीच इस कालेज के शासी निकाय ने एक-सदस्यीय जांच समिति नियुक्ति की है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। आयोग की सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है और प्रक्रियां संबंधी औपचारिकताओं के कारण मामला रूका हुआ है। यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के शासी निकाय की विलम्बकारी नीतियों के कारण अनुसूचित जातियों के उत्पीड़ित छात्रों को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। अन्ततः यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों, गैर-अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के बीच समझौता हो गया है। मामले न्यायालय में विचार के लिए लम्बित पड़े हैं। आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और कालेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के साथ इस मामले का अनुसरण कर रहा है।

सिफारिशें

8.118 सूक्ष्म स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण और आयोग में निपटाए गए मामलों के आधार पर तथा मामला/मामलों की सामान्य टिप्पणियों और सिफारिशों से अलग विशेष सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

i. **प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पुलिस कार्मिकों के लिए अपनी पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अथवा अन्य ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें सुग्राही बनाया जा सके।**

ii. **केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों संबंधी रिपोर्ट राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से समय पर प्राप्त की जाती है, ताकि इन अधिनियमों में निहित उपबंधों के अनुसार संसद में प्रति वर्ष समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। जहां अनु0 जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार अनियंत्रित हैं, वहां राज्य सरकार गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर हुए अत्याचारों को रोकने और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।**

iii. **एक व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है उसे किसी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।**

iv. **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनयम, 1955 के उपबंधों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अत्याचारों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक**

सहायता के बारे में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिएं। सरकार को जागरूकता कार्यक्रम में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की संगोष्ठियां आयोजित करने पर विचार करना चाहिए।

v. **दण्डात्मक और बचाव संबंधी उपायों के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों एवं अत्याचारों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।**

vi. **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन पर संस्थाओं द्वारा अब तक किए गए विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं की जाती है, सक्षम पुलिस प्राधिकारियों द्वारा 30 दिन के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है तथा चालान समय के भीतर विशेष अदालतों में दायर नहीं किए जाते हैं। आयोग सिफारिश करता है कि समय अनुसूची का पालन किया जाना चाहिए।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के बारे में किए गए विशेष अध्ययन

8.119 भारतीय गणतंत्र के चालीसवें वर्ष 16 अगस्त, 1989 को संसद ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने और ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उनके अनुषंगी मामलों की व्यवस्था करने के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया। अधिनियम के उपबंधों के तहत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, मार्च 31, 1995 को अधिसूचित किए गए।

8.120 इस अधिनियम की प्रभावकारिता, जो विशेष रूप से एक सामाजिक विधान है, इसके कार्यान्वयन के निरन्तर अध्ययन और मानीटरिंग पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने, जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए की गई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में इस अधिनियम और इसके नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति का अध्ययन करने का फैसला किया है।

8.121 इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते है; पुलिस प्रशासन द्वारा उनमें हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति क्या है; अधिनियम और नियमों के अन्य क्या दंडात्मक और निवारक उपाय किए जाते हैं, विशेष न्यायालय स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है; इन न्यायालयों द्वारा कार्य करने की क्या प्रक्रिया विकसित की गई है; बहुत अधिक मुकदमों से अभियुक्तों के बरी हो जाने के क्या

कारण है; और राज्य तथा जिला स्तर पर अधिनियम और नियमों के आदेशात्मक उपबंधों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है।

8.122 उत्तर प्रदेश के आठ जिलों और मध्य प्रदेश के तीन जिलों में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की स्थिति का अध्ययन किया गया। अधिनियम के पंजीयन, अन्वेषण और पुनर्वास के पहलुओं को उत्तर प्रदेश के अध्ययन में और अधिनियम के अभियोजन के पहलू अर्थात् विशेष न्यायालयों के कार्यचालन को मध्य प्रदेश राज्य के अध्ययन में शामिल किया गया था।

8.123 आयोग ने इन अध्ययनों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फैसला किया है। लेकिन आयोग के प्रेक्षण, निष्कर्ष और सिफारिशें, संक्षेप में, इस प्रकार हैः

उत्तर प्रदेश

8.124 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1391 लाख थी। राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 293 लाख और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 3.00 लाख थी अनुसूचित जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता 26.85 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 35.7 प्रतिशत थी।

8.125 उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधिक न्याय प्रशासन के प्रयोजन से 83 राजस्व जिले और 6 रेलवे अनुभाग (सेक्शन) शामिल हैं। आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों और समय की तंगी को देखते हुए, गहराई से अध्ययन करने के प्रयोजन से कुल जिलों में से 10 प्रतिशत जिलों को चुनने का फैसला किया गया था। 10 प्रतिशत जिले चुनने के लिए स्तरित यादृच्छिक नमूना कार्य-पद्धति (स्ट्रैटिफाइड रेंडम संम्पलिंग मेथाडालोजी) अपनाई गई। सभी जिलों में पंजीयित किए गए अत्याचार के मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी जिलों को पांच स्तरों में विभाजित किया गया है। आजमगढ़, रायबरेली, जालौन, एटा, अलीगढ़, उन्नाव, कानपुर नगर और ऊधम सिंह नगर को विस्तृत अध्ययन के लिए चुना गया है। ये जिले राज्य के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी और केन्द्रीय भागों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

8.126 अत्याचार के 1311 मामलों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर निम्नलिखित किस्म के अत्याचार किए जाते हैः

i. 1023 (78.03%) मामलों का संबंध, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने के इरादे से जान बूझकर अपमानित करने और डराने-धमकाने से है।

ii. 140 (10.68 प्रतिशत) मामलों का संबंध व्यक्ति या सम्पत्ति के प्रति किए गए ऐसे अपराधों से है, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 10वर्ष या उससे अधिक कैद की सजा दी जा सकती है। ये अपराध जातिगत आधार पर किए जाते हैं।

iii. 69 (5.26 प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की इज्जत उतारने अथवा उनका शीलभंग करने के इरादे से उन पर हमला करने अथवा उनसे जोर-जबरदस्ती करने से है।

iv. 42 (3.20 प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के यौन उत्पीड़न से है।

v. 7 (0.53प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की जमीन पर अवैध कब्जा करने अथवा उस पर खेती करने से है।

vi. 7 (0.53प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से आग लगाने से है।

vii. 7 (0.53प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पूजा-स्थल और इंसानी रिहायशी स्थल को नष्ट करने के इरादे से किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत किए जाने से है।

viii. अत्याचार के 4(0.31प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिसरों में मल, अपशिष्ट पदार्थ, हानिकर पदार्थ, आदि फेंकने से है।

ix. 4 (0.31 प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को बेगार करनेया इसी प्रकार की विवशतापूर्ण या बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य करने से है।

x. अत्याचार के 3(0.23प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से अनुचित रूप से बेदखल करने से है।

xi. 3(0.23प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना घर, गांव या रिहायश का कोई अन्य स्थान छोड़ने के लिए विवश करने से है।

xii. 1 (0.08 प्रतिशत) मामले का संबंध अनुसूचित जाति के व्यक्ति के चेहरे पर रंग पोत कर उसे घुमाने से है।

xiii. 1(0.08 प्रतिशत) मामले का संबंध ऐसा साक्ष्य हटाने से था, जो अनुसूचित जाति के सदस्य के पक्ष में था।

8.127 किसी अपराधिक मामले का रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के लिखे जाने से शुरू होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के संदर्भ में, समय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत अधिक देर तफतीश करने और मुकदमा चलाने के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अत्याचार के 61.15 प्रतिशत मामले अत्याचार की घटना होने के बाद 24 घंटों के अन्दर, 14.29 प्रतिशत दो दिन के अन्दर, 9.52 प्रतिशत पांच दिन के अंदर, 7.52 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर, 2.76 प्रतिशत 30 दिन के अन्दर और 4.78 प्रतिशत मामले 30 दिन की अवधि के बीतने के बाद पंजीयित किए गए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन में देर होने के कारण, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इन्कार किया जाना बताया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पीडित व्यक्ति को नियमों के अन्तर्गत आवश्यक आदेशों के लिए उपयुक्त उच्च प्राधिकारी के पास जाना पड़ता है।

8.128 प्रथम सूचना रिपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होते ही, अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अत्याचार के 399 मामलों से एकत्र की गई सूचना से पता चलता है कि तफतीश करने वाला अधिकारी

78.95 प्रतिशत मामलों में 24 घंटों के अन्दर घटना-स्थल पर पहुंचा था, 11.78 प्रतिशत मामलों में वह 48 घंटों के अन्दर पहुंचा था, जबकि अत्याचार के 4.28 प्रतिशत, 2.01 प्रतिशत, 1.75 प्रतिशत और 1.25 प्रतिशत मामलों में तफतीश करने वाले अधिकारी घटना-स्थल पर क्रमशः पांच दिन, 15 दिन, 30 दिन के अन्दर और 30 दिन से अधिक समय के बाद पहुंचे। तफतीश करने वाले अधिकारी के देर से पहुंचने का कारण रजिस्ट्रेशन में देर होना बताया जाता है; और यह भी बताया जाता है कि इसके कुछ प्रशासनिक कारण भी होते हैं और सर्कल में, जिसमें आम तौर पर एक से अधिक पुलिस स्टेशन होते है, कानून और व्यवस्था की समस्या भी एक कारण होती है।

8.129 अभियुक्त की गिरफ्तारी, तफतीश का एक बुनियादी अंग होती है। 399 मामलों में शामिल 772 अभियुक्तों के विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 26.43 प्रतिशत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 72.15 प्रतिशत अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया था। 1.42 प्रतिशत अभियुक्त फरार है।

8.130 अत्याचार के 399 मामलों में से 312 मामलों में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए और 87 मामलों में न्यायालय को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 62.18 प्रतिशत मामलों में आरोप-पत्र 30 दिन के अन्दर और 19.56 प्रतिशत मामलों में दो महीनों के अन्दर प्रस्तुत किए गए थे। 14.74 प्रतिशत मामलों में आरोप-पत्र छः महिनें के अन्दर प्रस्तुत किए गए और 2.24 प्रतिशत मामलों में तफतीश करने वाले अधिकारियों को आरोप-पत्र दाखिल करने में एक वर्ष का समय लगा।

8.131 उत्पीड़ित व्यक्तियों को अधिकार के रूप में मुआवजे की अदायगी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 में एक आदेशात्मक उपबंन्ध के रूप में शामिल की गई है। मुआवजे की अदायगी में समय एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। 399 मामलों में से 247 (61.90)प्रतिशत मामलों में अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा अदा नहीं किया गया, 1.01 प्रतिशत मामलों में यह एक महीने के अन्दर और 1.25 प्रतिशत मामलों में दो महीनों के अन्दर अदा किया गया था 14.04 प्रतिशत मामलों में मुआवजा छः महीनों के अन्दर 21.80 प्रतिशत मामलों में एक वर्ष के अन्दर अदा किया गया था। इससे पता चलता है कि केवल 1.01 प्रतिशत मामलों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा मुआवजा अदा करने के आदेशात्मक उपबंध का पालन किया गया था।

8.132 राज्य सरकार के लिए यह आदेशात्मक रूप से अनिवार्य है कि वह अपराधों की तफतीश और उनके विचारण के दौरान अत्याचार के शिकार व्यक्तियो सहित गवाहों को कानूनी सहायता, यात्रा और अनुरक्षणा व्यय प्रदान करे, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करे, अभियोजन शुरू करने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करे, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यचालन की सार्वधिक समीक्षा करने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियों का गठन करे, निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का पता लगाए। आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के उपबंध का अनमने तरीके से क्रियान्वयन करने के सिवाय, राज्य ने अब तक किसी अन्य आदेशात्मक उपबंध को क्रियान्वित नहीं किया है।

8.133 अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के कार्यान्वयन की उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

i. **यदि संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर न करे, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस**

अधीक्षक या विशेष जांच कक्ष अथवा न्यायालय के कहने से रजिस्टर की गई हो और आरोप-पत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया गया हो, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ मामले को समय पर पंजीयित न करने के लिए, यथास्थिति, अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई अथवा विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

ii. अत्याचार के मामले की जांच पुलिस के किसी अनुभवी उप-अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए, चाहे वह स्थान सामान्य दिन-प्रति-दिन के कार्य के लिए उसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो।

iii. उप पुलिस अधीक्षक (जांच अधिकारी) को चाहिए कि वह 30 दिन के अन्दर जांच पूरी करे और आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे और उसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक को दे।

iv. विशेष सरकारी अभियोजकों (प्रासीक्यूटर) को पैनल एड्वोकेटों की अपेक्षा ऊंची दर पर फीस दी जानी चाहिए, जैसाकि नियमों में व्यवस्था है।

v. अत्याचार के शिकार व्यक्ति को यात्रा और अनुरक्षण व्यय प्रदान करने, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करने, विशेष मेडिकल परामर्श फीस की प्रतिपूर्ति करने और उत्पीड़ित व्यक्ति को खून चढ़ाने आदि के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल किए जाने चाहिए।

vi. संसद के आदेश (मैंडेट) को ध्यान में रखते हुए, अत्याचार के सभी मामलों में राहत, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए।

vii. राज्य सरकार को अभियोजन का पर्यवेक्षण करने, समितियों के गठन, अधिनियम के उपबंन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वधिक समीक्षा, अत्याचार-प्रवग क्षेत्रों का पता लगाने, जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और कार्यशालाओं के आयोजन, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, आदि से संबंधित आदेशात्मक उपबंधों को कार्यान्वित करना चाहिए।

viii. नियम, 1995 के नियम 8 के उपबंध के अन्तर्गत स्थापित विशेष जांच कक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयित करने और न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। कक्ष के लिए कम से कम प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे लेखन-सामग्री, टाइपराइटर, टेलीफोन और वाहनों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ix. राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए, नियम 15 के अन्तर्गत अपेक्षित संभाव्यता (कांटिन्जेंसी) योजना तैयार करनी चाहिए।

x. राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों, विशेष सरकारी अभियोजकों और जिला प्रशासन को सदैव नियमित और कारगर प्रशिक्षण देना चाहिए।

मध्य प्रदेश

8.134 मध्य प्रदेश राज्य में 45 जिले है और 1991 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल जनसंख्या 662 लाख है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 96 लाख और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 154 लाख थी। अनुसूचित जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता 35.08 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में 21.54 प्रतिशत थी, जबकी इसकी तुलना में राज्य में कुल साक्षरता 44.20 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने 25 जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। अन्य जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय हैं

8.135 विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए 82 निर्णयों के नमूने के विश्लेषण से पता चलता है कि 13.41 प्रतिशत मामलों में न्यायालयों ने निर्णय देने में दो वर्ष से अधिक का समय लिया। 60 प्रतिशत मामलों में न्यायालयों ने एक वर्ष के अन्दर निर्णय दे दिया। लेकिन लम्बित मामलों की स्थिति भिन्न-भिन्न न्यायालयों में भिन्न-भिन्न है। धार के विशेष न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान की स्थिति आशा से अधिक संतोषजनक है। वर्ष 1996 में न्यायालय ने 56.14 प्रतिशत मामले निपटाए, लेकिन 1997 में निपटान की दर बढ़ कर 83.33 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1998 में यह प्रतिशतता घट कर 55.49 प्रतिशत हो गई और जून, 1999 तक न्यायालय लगभग 55 प्रतिशत मामले निपटा चुका था। कुल मिला कर, धार के विशेष न्यायालय ने औसत रूप से 1996 के दौरान हर महीने 32 मामलों और 1997 में हर महीने 30 मामलों का निपटान किया। किन्तु यह औसत घट कर 1998 में 3 मामले प्रति मास रह गई और 1999 के पहले छः महीनों में निपटान की दर 12 मामले प्रति मास थी। सीहोर के विशेष न्यायालय द्वारा अत्याचार के मामलों को निपटाए जाने की दर बहुत कम रही है। वर्ष 1997 के दौरान केवल 20.54 प्रतिशत मामले निपटाए जा सके थे। वर्ष 1998 में और 1999 के पहले छः महीनों में क्रमशः 34.64 प्रतिशत और 12.78 प्रतिशत मामले निपटाए जा सके। भोपाल के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में अत्याचार के मामलों की संख्या कम रही है। वर्ष 1997 में निपटान की दर 38.70 प्रतिशत और 1998 में 45.11 प्रतिशत थी। वर्ष 1999 के पहले छः महीनों में निपटान की दर 42.55 प्रतिशत थी।

8.136 **बहुत अधिक मामलों के लम्बित रहने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैः**

i. लगभग 60 प्रतिशत मामलों में तफतीश करने वाले पुलिस अधिकारियों की अनुपस्थिति।

ii. 70 प्रतिशत मामलों में गवाह अदालत में निर्धारित तारीख को और समय पर हाजिर नहीं हुए, जिसके कारण न्यायालय को बार-बार सम्मन जारी करने पड़े।

iii. 30 से 40 प्रतिशत मामलों में अभियुक्त और उत्पीड़ित व्यक्ति हाजिर नहीं हुए।

iv. 10 प्रतिशत मामलों में दलीलें देने में काफी समय लगा, और

v. लगभग 2 प्रतिशत मामलों में न्यायालयों द्वारा बार-बार तारीखें दी गई।

8.137 अभियुक्तों के बरी होने की प्रतिशतता 95.12 प्रतिशत है। अध्ययन के दौरान न्यायालय-वार एकत्र की गई सूचना इस प्रकार हैः

i. धार विशेष न्यायालय के संबंध में 1996, 1997, 1998 और 30 जून, 1999 तक अभियुक्तों के बरी होने की दर क्रमशः 61.21 प्रतिशत, 97.84 प्रतिशत, 89.62 प्रतिशत और 65.27 प्रतिशत थी।

ii. सीहोर विशेष न्यायालय के मामले में अभियुक्तों के बरी होने की दर 1997, 1998 में और 30 जून, 1999 तक क्रमशः 95.41 प्रतिशत, 96.08प्रतिशत और 95.84 प्रतिशत थी।

iii. भोपाल के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के संबंध में अभियुक्तों के बरी होने की दर वर्ष 1997 में 91.67 प्रतिशत थी और पंचांग वर्ष 1998 में और जून, 1999 तक क्रमशः 90 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत रही।

iv. अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों के अभियुक्तों के बरी होने की समूची दर का पता लगाने के लिए राज्य के 33 विशेष न्यायालयों(22 अनन्य विशेष न्यायालयों और 11 विनिर्दिष्ट न्यायालयो) के बारे में संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि बरी होने की दर 67 प्रतिशत, दोष-सिद्धि की दर 20 प्रतिशत रही, लगभग11 प्रतिशत मामलों को दाखिल-दफ्तर (फाइल) कर दिया गया, 0.69 प्रतिशत मामलों खारिज कर दिए गए, 2.26 प्रतिशत मामलों में अभियुक्तों ने उच्चतर न्यायालयों में अपील की है और 0.25 प्रतिशत मामलों में अभियुक्तों द्वारा पुनरीक्षण की मांग की गई है।

8.138 विद्वान न्यायाधीशों की राय में अभियुक्तों के बरी होने के कारण और जो मुख्य तत्व उत्तरदायी थे, वे इस प्रकार हैः

i. प्रथम सूचना रिर्पोट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दायर करने में देरी;

ii. शत्रुता के कारण गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना;

iii. गलत रिपोर्टें, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयानों में परस्पर- विरोध, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने से पहले अभियोजको द्वारा मामलों की उपयुक्त समीक्षा न किया जाना;

iv. गवाहों और शिकायतकर्त्ताओं का प्रतिकूल हो जाना;

v. अभियुक्त और उत्पीड़ित व्यक्ति कई बार न्यायालय के बाहर और कई बार न्यायालय के अन्दर समझौता कर लेते हैं, और

vi. अभियोजक का आरोपों का सिद्ध न कर सकना।

8.139 अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि जिन एड्वोकेटों को विशेष न्यायालयों में विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में कार्य करने के लिए जिला मेजिस्ट्रेटों द्वारा गठित पेनल में सूचीव्द्ध

किया गया है, वे अधिकतर ऐसे वकील/एड्वोकेट हैं, जिनकी कोई प्रेक्टिस नहीं है और जिनकी प्रतिष्ठा बहुत कम है। इसका कारण यह है कि एक दिन की सेवा के लिए अत्यल्प अर्थात 150/- रूपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, विशेष सरकारी अभियोजकों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती, जैसे बैठने का स्थान, फर्नीचर, आदि। उप-निदेशक, अभियोजन विशेष सरकारी अभियोजकों को निर्धारित बैठकों में भी नहीं बुलाते और उनकी समस्याएं भी नहीं सुनते। विद्वान न्यायाधीशों ने भी यह मत व्यक्त किया है कि विशेष सरकारी अभियोजकों को बहुत कम राशि अदा की जाती है और सुविधाओं के अभाव के कारण वे कुंठाग्रस्त रहते है। वे मामलों को तैयार करने के लिए अधिक समय दे पाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिन मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है उनके निर्णयों की प्रति भी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं की जाती, जिससे कि निर्णयों की समीक्षा कर सकें। विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में निदेशक, अभियोजन और जिले के कलेक्टर के कार्यालय को भी स्पष्ट समझ नहीं है। यह देखा गया है कि विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति में राजनैतिक बातों का भी हाथ होता है।

8.140 विशेष न्यायालयों में अत्याचार के मामलों को प्रस्तुत करने और उनके बारे में वकालत करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अभियोजक को ऐसे अनुभवी और जानकार वकीलों के पेनल में से चुना जाना चाहिए, जिन्हें मानव-आचरण की अच्छी जानकारी हो और जिनमें मामलों का गम्भीरता से प्रभावकारी ढ़ंग से अभियोजन करने की क्षमता हो। लेकिन इन बातों को ध्यान में नहीं लिया जाता। इसके अलावा, चालानों को अदालत में दायर किए जाने से पहले उनकी उपयुक्त रूप से जांच नहीं की जाती। आमतौर पर, पुलिस के उप-अधीक्षक के रूतबे के पुलिस अधिकारी प्रत्येक मामले की तफतीश नहीं करते अथवा घटना-स्थल का निरीक्षण नहीं करते।

8.141 राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता और मानीटरिंग समिति और जिला स्तर पर जिला सतर्कता और मानीटरिंग समितियों द्वारा प्रभावकारी ढ़ंग से मानीटरिंग नहीं किया जा रहा। चूंकि राज्य सतर्कता और मानीटरिंग समिति की राज्य स्तर की बैठक पिछले दो वर्षों से आयोजित नहीं की गई है, इसलिए नोडल विभाग द्वारा जिला सतर्कता और मानीटरिंग समितियों को प्रभावकारी और सक्रिय बनाने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सका। हालांकि धार, सीहोर और भोपाल की जिला सतर्कता और मानीटरिंग समितियों की बैठके सर्वाधिक रूप से आयोजित की जाती रही हैं, लेकिन यह देखा गया है कि:

i. बैठकों में जिला पुलिस अधीक्षक और गैर-सरकारी सदस्य नियमित रूप से भाग नहीं लेते।

ii. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत और लाभ मुहैया न किए जाने का कारण है, पुलिस/राजस्व अधिकारियों द्वारा, उन्हें सौंपी गई ड्यूटियों का निष्पादन करने में लापरवाही/उपेक्षा और देर।

iii. जिला सतर्कता और मानीटरिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत नियम के अनुसार संबंधित न्यायालयों के विशेष न्यायाधीशों को सीधे नहीं भेजे गए।

iv. जिला सतर्कता और मानीटरिंग समिति की बैठकों में दी गई हिदायतों का पालन कारगर ढ़ंग से नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तफतीश और अभियोजन के कार्य में वांछनीय सुधार नहीं लाया जा सका।

8.142 राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं;

i. **विशेष अदालतों के बेहतर कार्यनिष्पादन और दोष-सिद्धि की दर में वृद्धि करने के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, वर्ष में कम से कम एक बार विशेष अदालतों के कार्यचालन और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का काम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपना चाहिए। इन न्यायिक समीक्षा से उन सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं/तथ्यों का पता चलेगा, जिनके कारण अभियुक्त बरी हो जाते हैं; इससे अभियोजन की कमजोरियों और** निर्णयों की गुणवत्ता की जानकारी भी मिलेगी।

ii. विशेष अदालतों को, यह सुनिश्चित करने के लिए मुकदमें के पक्ष अदालत में समय पर हाजिर हो, पुलिस प्रशासन की सहायता से समय पर सम्मन जारी करने चाहिएं।

iii. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 के अनुसार अभियोजन के कारगर पर्यवेक्षण के लिए, निदेशक, अभियोजन के कार्यालय को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

iv. **विशेष सरकारी अभियोजक की संस्था का मजबूत बनाया जाना चाहिए। विशेष सरकारी अभियोजक की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। विशेष अभियोजकों की फीस/पारिश्रमिक में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए; ताकि अनुभवी, अनुशासनबद्ध, प्रतिबद्ध और अपने विषय के जानकार एड्वोकेटों को आकर्षित किया जा सके। एड्वोकेटों का पेनल नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और उसकी सूचना विशेष न्यायाधीश को दी जानी चाहिए। अभियोजन को सुदृढ़ बनाने और उसे अपना काम सम्पन्न करने के योग्य बनाने के लिए एक अन्य कदम यह है कि विशेष अदालतों में अत्याचार के मामलों के बारे में** कार्रवाई करने के लिए सहायक सरकारी अभियोजकों (ए.पी.पी.) को विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाए।

v. **यदि अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया जाए कि न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता की संगत धाराएं लागू नहीं की गई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक और निदेशक, अभियोजन पर डाली** जानी चाहिए।

vi. राज्य स्तर की सतर्कता और मानीटरिंग समिति को वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठक आयोजित करनी चाहिए और जिला सतर्कता और मानीटरिंग समितियों को अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए कड़े मार्गदर्शन देने चाहिएं।

vii. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को यथोचित ध्यान के साथ अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए, चूंकि यह न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इसमें सारा अपेक्षित ब्यौरा दिया जाना चाहिए, ताकि अभियोजन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोष- सिद्धि की दर में वृद्धि की जा सके।

अनुबन्ध 8.I

1994 के दौरान अनु0 जातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	16	307	36	10	0	1	5	238	307	282	1202
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	21	224	48	8	3	5	40	7	104	329	789
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
6.	गुजरात	15	255	29	14	5	22	19	58	694	825	1936
7.	हरियाणा	7	22	10	9	0	0	1	1	0	16	66
8.	हिमाचल प्रदेश	1	12	2	2	0	0	0	21	12	32	82
9.	जम्मू काश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	0	0	11	14
10.	कर्नाटक	7	6	8	0	0	0	2	483	78	373	957
11.	केरल	7	186	30	2	0	5	3	15	284	125	657
12.	मध्य प्रदेश्	84	696	254	28	4	19	48	62	341	2209	3745
13.	महाराष्ट्र	20	161	67	11	7	11	24	398	275	501	1475
14.	मणिपुर	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15.	मेधालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18.	उड़ीसा	14	100	27	9	0	4	10	12	161	160	497

19.	पंजाब	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	9
20.	राजस्थान	25	333	100	13	1	7	32	49	2486	1751	4797
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
22.	तमिलनाडु	8	990	5	6	0	0	2	232	117	89	1449
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	319	1229	370	136	58	185	346	137	10076	3310	16166
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल राज्य	**546**	**4527**	**991**	**251**	**78**	**259**	**532**	**1714**	**14936**	**10034**	**33868**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	14
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	7
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	16
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**15**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**17**	**2**	**4**	**40**
	कुल (अखिल भारत)	**546**	**4542**	**992**	**251**	**78**	**259**	**533**	**1731**	**14938**	**10038**	**33908**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरो, नई दिल्ली

अनुबंध-8.II

1994 के दौरान अनु0 जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	3	33	22	4	0	0	0	10	42	79	193
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	41	11	1	3	2	1	1	6	35	103
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	35	88	29	6	0	1	3	4	67	197	430
7.	हरियाणा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9.	जम्मू काश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	5	9	2	0	1	0	0	14	16	20	67
11.	केरल	1	40	12	0	0	0	1	2	55	37	148
12.	मध्य प्रदेश्	25	212	221	38	0	1	17	1	237	1022	1774
13.	महाराष्ट्र	12	67	39	12	2	0	1	14	105	194	446
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	15	9	1	1	2	2	4	93	54	183

19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20.	राजस्थान	16	51	36	2	0	2	10	0	625	654	1396
21.	सिक्किम	2	1	0	0	0	0	0	0	0	19	22
22.	तमिलनाडु	0	120	0	0	0	0	0	13	6	5	144
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	2	18	1	0	1	0	1	0	58	16	97
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**105**	**699**	**383**	**64**	**8**	**8**	**36**	**63**	**1310**	**2333**	**5009**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर-हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	9
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**2**	**10**
	कुल (अखिल भारत)	**105**	**699**	**385**	**64**	**8**	**8**	**36**	**63**	**1316**	**2335**	**5019**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

अनुवंध-8.III

1995 के दौरान अनु0 जातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	25	516	64	22	0	3	12	265	519	338	1764
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	18	226	13	21	17	17	16	4	170	245	747
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
6.	गुजरात	27	216	15	8	1	13	20	97	680	647	1724
7.	हरियाणा	8	24	10	2	0	0	1	1	4	32	82
8.	हिमाचल प्रदेश	0	6	8	1	0	0	0	11	23	33	82
9.	जम्मू काश्मीर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	25
10.	कर्नाटक	13	34	13	1	0	2	0	342	478	288	1171
11.	केरल	5	232	32	2	0	0	5	10	312	98	696
12.	मध्य प्रदेश्	86	681	224	37	0	11	35	68	460	2377	3979
13.	महाराष्ट्र	18	292	62	18	5	5	22	359	343	498	1622
14.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15.	मेघालय	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	उड़ीसा	8	78	8	1	0	4	0	7	136	87	329
19.	पंजाब	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	8
20.	राजस्थान	35	303	94	6	0	15	44	6	2568	2126	5197
21.	सिक्किम	1	5	0	1	0	0	0	0	1	25	33
22.	तमिलनाडु	29	858	6	5	3	1	6	211	108	66	1293
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	296	1067	321	149	44	147	339	121	8117	3604	14205
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल राज्य	**571**	**4544**	**873**	**276**	**70**	**218**	**500**	**1503**	**13922**	**10488**	**32964**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	24
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**3**	**4**	**32**
	कुल (अखिल भारत)	**571**	**4544**	**873**	**276**	**70**	**218**	**500**	**1528**	**13925**	**10492**	**32996**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

अनुबंध-8. IV

1995 के दौरान अनु0 जन् जातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4	42	14	3	0	0	0	7	42	53	165
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3.	असम	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
4.	बिहार	5	45	14	13	15	14	3	3	15	105	232
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	14	94	26	13	1	1	4	0	77	256	486
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	5
9.	जम्मू काश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
10.	कर्नाटक	3	25	3	0	0	0	0	14	22	29	96
11.	केरल	0	50	13	0	0	1	1	2	80	38	185
12.	मध्य प्रदेश्	18	203	211	25	0	4	11	5	139	1074	1690
13.	महाराष्ट्र	16	88	34	10	2	2	4	23	109	217	505
14.	मणिपुर	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
15.	मेधालय	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	39	7	4	0	3	2	0	63	24	143
19.	पंजाब	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4
20.	राजस्थान	10	71	43	3	0	1	8	4	848	796	1784
21.	सिक्किम	1	7	0	0	0	1	1	0	0	30	40
22.	तमिलनाडु	1	21	0	0	0	0	0	11	3	4	40
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	1	1	0	0	0	5	2	79	16	105
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**75**	**688**	**368**	**74**	**18**	**27**	**40**	**71**	**1478**	**2655**	**5494**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
29.	दमन एंड दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**4**
	कुल (अखिल भारत)	**75**	**688**	**369**	**74**	**18**	**27**	**40**	**71**	**1480**	**2656**	**5498**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

1996 के दौरान अनु0 जाति के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	21	318	50	10	1	1	6	279	504	439	1629
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	19	276	27	26	35	14	23	0	137	253	810
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गुजरात	22	206	15	15	5	10	14	129	573	775	1764
7.	हरियाणा	5	8	11	7	0	2	0	3	2	25	63
8.	हिमाचल प्रदेश	0	3	11	0	0	0	0	8	24	20	66
9.	जम्मू काश्मीर	1	3	0	1	0	0	0	0	0	12	17
10.	कर्नाटक	8	35	6	0	0	0	4	211	811	14	1089
11.	केरल	6	186	29	2	0	1	3	10	298	105	640
12.	मध्य प्रदेश्	50	687	271	20	0	10	33	65	430	2509	4075
13.	महाराष्ट्र	12	145	48	12	3	7	5	345	365	410	1352
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	उड़ीसा	4	106	8	2	3	8	1	0	153	201	486
19.	पंजाब	2	3	3	2	0	0	0	0	0	2	12
20.	राजस्थान	47	184	127	11	0	7	62	7	951	5227	6623
21.	सिक्किम	1	4	0	0	0	1	0	0	0	8	14
22.	तमिलनाडु	15	1361	19	7	0	5	21	227	110	47	1812
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	330	1060	324	166	43	147	292	120	5252	3229	10963
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**543**	**4585**	**949**	**281**	**90**	**213**	464	1404	9611	13276	31416
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	13	9	**2**	**24**
	कुल (अखिल भारत)	**543**	**4585**	949	**281**	**90**	**213**	464	1417	9620	13278	31440

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

अनुबंध-8.VI

1996 के दौरान अनु0 जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5	51	13	1	0	0	1	5	76	100	252
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	5
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	12	21	12	17	25	7	6	0	36	54	190
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	12	59	15	1	4	2	1	1	44	230	369
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
9.	जम्मू काश्मीर	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	6
10.	कर्नाटक	6	89	4	2	0	0	3	17	30	29	180
11.	केरल	3	25	11	0	0	0	1	1	74	7	122
12.	मध्य प्रदेश्	20	169	166	15	1	4	10	8	103	970	1466
13.	महाराष्ट्र	7	61	34	6	0	1	0	14	61	153	337
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	उड़ीसा	1	62	7	2	1	3	0	1	56	46	179
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20.	राजस्थान	19	60	41	1	0	1	8	0	176	1087	1393
21.	सिक्किम	0	8	1	0	0	0	1	0	0	36	46
22.	तमिलनाडु	0	54	0	0	0	0	0	21	6	4	85
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	7	33	8	3	1	2	19	3	91	169	336
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**94**	**694**	**314**	**50**	**32**	**21**	**51**	**72**	**753**	**2891**	**4972**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
	कुल (अखिल भारत)	**94**	**694**	**314**	**50**	**32**	**21**	**51**	**72**	**754**	**2891**	**4973**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

1997 के दौरान अनु0 जातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	ड्कैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5	51	13	1	0	0	1	5	76	100	252
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	5
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
4.	बिहार	12	21	12	17	25	7	6	0	36	54	190
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
6.	गुजरात	12	59	15	1	4	2	1	1	44	230	369
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
9.	जम्मू काश्मीर	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	6
10.	कर्नाटक	6	89	4	2	0	0	3	17	30	29	180
11.	केरल	3	25	11	0	0	0	1	1	74	7	122
12.	मध्य प्रदेश्	20	169	166	15	1	4	10	8	103	970	1466
13.	महाराष्ट्र	7	61	34	6	0	1	0	14	61	153	337
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	उड़ीसा	1	62	7	2	1	3	0	1	56	46	179
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20.	राजस्थान	19	60	41	1	0	1	8	0	176	1087	1393
21.	सिक्किम	0	8	1	0	0	0	1	0	0	36	46
22.	तमिलनाडु	0	54	0	0	0	0	0	21	6	4	85
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	7	33	8	3	1	2	19	3	91	169	336
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**94**	**694**	**314**	**50**	**32**	**21**	**51**	**72**	**753**	**2891**	**4972**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
	कुल (अखिल भारत)	**94**	**694**	**314**	**50**	**32**	**21**	**51**	**72**	**754**	**2891**	**4973**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

अनुबंध-8.VIII

1997 के दौरान अनु0 जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	ड्कैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	11	99	15	4	0	0	0	6	58	43	236
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	6	21	4	4	0	0	1	0	98	24	158
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	9	57	19	9	0	2	1	0	49	238	384
7.	हरियाणा	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9.	जम्मू काश्मीर	0	4	2	0	0	0	0	0	0	5	11
10.	कर्नाटक	5	34	1	0	0	0	0	3	11	24	78
11.	केरल	6	34	22	1	0	1	2	3	46	24	139
12.	मध्य प्रदेश्	27	161	180	11	0	1	15	5	64	936	1400
13.	महाराष्ट्र	3	13	16	5	1	0	0	11	44	96	189
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	1	4	0	0	1	0	0	0	0	7	13
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	4	64	10	3	0	2	1	6	76	72	238

19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	9	55	41	1	0	1	7	0	146	1185	1445
21.	सिक्किम	0	7	0	0	1	0	0	0	0	23	31
22.	तमिलनाडु	8	134	2	3	0	0	0	54	18	8	227
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	6	17	1	0	0	1	1	0	31	29	86
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**95**	**706**	**314**	**41**	**3**	**8**	**28**	**88**	**642**	**2716**	**4641**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**3**
	कुल (अखिल भारत)	**95**	**706**	**315**	**41**	**3**	**8**	**29**	**88**	**643**	**2716**	**4644**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

1998 के दौरान अनु0 जातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रं0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	37	463	55	8	0	0	5	172	565	508	1813
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	12	253	23	3	3	1	12	12	269	197	785
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
6.	गुजरात	21	243	20	18	4	32	11	27	595	913	1884
7.	हरियाणा	6	51	24	12	2	13	0	0	18	33	159
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	7	1	0	0	0	2	19	26	59
9.	जर्म्मू काश्मीर	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	17
10.	कर्नाटक	11	31	10	1	1	0	24	128	902	40	1148
11.	केरल	4	248	80	3	0	1	11	2	297	122	768
12.	मध्य प्रदेश्	67	680	269	41	1	25	32	15	401	2520	4051
13.	महाराष्ट्र	7	86	37	7	6	5	11	191	141	192	683
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	6	181	21	4	2	5	4	5	227	248	703

19.	पंजाब	7	1	4	2	0	0	0	1	6	2	23
20.	राजस्थान	49	218	138	9	0	2	63	0	958	4149	5586
21.	सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
22.	तमिलनाडु	30	650	4	5	0	0	23	165	300	385	1562
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	259	782	238	139	30	66	150	6	2737	2104	6511
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**517**	**3898**	**931**	**253**	**49**	**150**	**346**	**726**	**7437**	**11449**	**25756**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	11
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	10
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**8**	**3**	**21**
	कुल (अखिल भारत)	**517**	**3898**	**931**	**253**	**49**	**150**	**346**	**736**	**7445**	**11452**	**25777**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

अनुबंध-8.X

1998 के दौरान अनु0 जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रं0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	ड़कैती	लूटमार	आगजनी	पी0सी0आर0 अधिनियम के मामलें	अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण् अधिनियम के मामलें	अन्य अपराध	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	172	34	9	3	6	3	9	64	58	359
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	21	4	1	0	0	1	0	73	42	144
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गुजरात	9	54	28	7	1	0	0	0	55	252	406
7.	हरियाणा	0	16	0	2	0	5	0	0	2	3	28
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9.	जम्मू काश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	4	9	1	0	0	0	0	0	35	22	71
11.	केरल	1	52	21	1	0	0	1	0	25	37	138
12.	मध्य प्रदेश्	23	144	215	31	1	2	13	5	85	1028	1547
13.	महाराष्ट्र	4	12	11	3	0	0	1	17	31	74	153
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेधालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	83	6	2	0	1	0	2	91	96	282

19.	पंजाब	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
20.	राजस्थान	15	53	28	2	0	1	12	0	213	808	1132
21.	सिक्किम	2	10	0	1	0	0	2	0	1	17	33
22.	तमिलनाडु	2	7	1	0	0	0	0	14	7	0	31
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	2	20	4	1	0	0	5	0	40	38	110
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**66**	**654**	**353**	**60**	**5**	**15**	**38**	**47**	**724**	**2476**	**4438**
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन एंड दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**5**
	कुल (अखिल भारत)	66	654	353	**60**	**5**	**15**	**38**	**50**	**725**	**2477**	**4443**

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नई दिल्ली

1994 से 1998 के दौरान अनु0 जनजातियों के विरूद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

		अनु0 जाति					अनु0 जनजाति				
क्रं0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
1.	आंध्र प्रदेश	1202	1764	1629	1880	1813	193	165	252	236	359
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	789	747	810	710	785	103	232	190	158	144
5.	गोआ	2	4	1	2	2	0	0	0	0	1
6.	गुजरात	1936	1724	1764	1831	1884	430	486	369	384	406
7.	हरियाणा	66	82	63	93	159	1	0	1	5	28
8.	हिमाचल प्रदेश	82	82	66	61	59	1	5	3	1	1
9.	जम्मू काश्मीर	14	25	17	8	17	0	8	6	11	0
10.	कर्नाटक	957	1171	1089	1227	1148	67	96	180	78	71
11.	केरल	657	696	640	755	768	148	185	122	139	138
12.	मध्य प्रदेश्	3745	3979	4075	4269	4051	1774	1690	1466	1400	1547
13.	महाराष्ट्र	1475	1622	1352	831	683	446	505	337	189	153
14.	मणिपुर	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0
15.	मेधालय	0	2	0	0	0	1	2	1	13	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नगालैंड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	497	329	486	678	703	183	143	179	238	282
19.	पंजाब	9	8	12	11	23	1	4	1	0	2
20.	राजस्थान	4797	5197	6623	5624	5586	1396	1784	1393	1445	1132
21.	सिक्किम	21	33	14	18	2	22	40	46	31	33
22.	तमिलनाडु	1449	1293	1812	1403	1562	144	40	85	227	31

23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	16166	14205	10963	8500	6511	97	105	336	86	110
25.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**33868**	**32964**	**31416**	**27901**	**25756**	**5009**	**5494**	**4972**	**4641**	**4438**
	संघ राज्य क्षेत्र										
26.	अंडमान एंड निकोबार आईसलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
27.	चंडीगढ़	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एंड नगर हवेली	3	0	0	0	0	9	3	1	1	1
29.	दमन एंड दीव	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
30.	दिल्ली	7	6	11	19	11	1	0	0	0	0
31.	लक्ष्यदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	16	24	13	23	10	0	0	0	0	4
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**40**	**32**	**24**	**43**	**21**	**10**	**4**	**1**	**3**	**5**
	कुल (अखिल भारत)	**33908**	**32996**	**31440**	**27944**	**25777**	**5019**	**5498**	**4973**	**4644**	**4426**

अध्याय IX

जनजातीय विकास के मुख्य मुददे

जनजातीय लोगों को भारत के मूल निवासी माना जाता है । विदेशी समुदायों के निरन्तर हमलों और अधिक शक्तिशाली पड़ोसी समुदायों के घोर दबावों के कारण, इन लोगों को वनों, पहाड़ों और अन्य दुर्गम तथा कठोर क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा । अपने अलग-अलग अस्तित्व के दौरान, इन समुदायों ने अपनी अलग विशिष्ट संस्कृति, परम्पराएं, भाषाएं और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। जबकि उनमें से कुछ लोगों ने सुस्थापित कृषकों का जीवन अपना लिया, लेकिन अन्य लोग झूम खेती के जरिए, शिकार करके ओर ईंधन-लकड़ी एकत्र करके जीवनयापन करते रहे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट) में, जनजातियों की आबादी वाले अधिकतर क्षेत्रों को अनन्य अथवा अंशतः अनन्य क्षेत्र घोषित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों का नया नाम दिया गया और उन्हें संविधान की अनुसूची V और VI में शामिल किया गया। अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, आदिकालीन लक्षण, भौगोलिक पृथकता, अलग संस्कृति, बाहरी लोगों से सम्पर्क करने में संकोच और आर्थिक पिछड़ापन।

9.2 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6.77 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या 8.05 प्रतिशत के बराबर थी। यह 8 प्रतिशत आबादी देश के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है, जिसमें देश के कुल प्राकृतिक संसाधनों का 70 प्रतिशत हिस्सा विद्यमान है। हालांकि अनुसूचित जनजातियां समूचे देश भर में फैली हुई हैं, लेकिन उनका मुख्य भाग भारत के मध्य में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में है, जहां देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 82 प्रतिशत से अधिक भाग संकेन्द्रित है। जनजातीय लोगों की बहुलता वाला एक अन्य इलाका उत्तर-पूवी क्षेत्र है, जहां देश की 12 प्रतिशत जनजातीय आबादी बसती है। शेष जनजातीय समुदाय दक्षिण में नीलगिरि की पहाड़ियों से लगे क्षेत्रों में और हिमालय के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं।

9.3 जनजातीय समुदायों में विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह शामिल हैं। उनके विकास के स्तरों में एकरूपता नहीं है ; जहां मिजोरम में उनमें लगभग 100 प्रतिशत साक्षरता है, वहां अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जारवा और शोम्पर जातियों के लोग सभ्यता के आदिमकालीन युग में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सभी जनजातीय समुदायों की समान विशेषताएं हैं, उनकी मजबूत सांस्कृतिक परम्पराएं, भाईचारा, उनकी आबादियों की दूरी, बुनियादी ढांचे सम्बंधी सुविधाओं का अभाव और प्रौद्योगिकीय उन्नति का निम्न स्तर।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक उपबन्ध

9.4 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण से उत्पन्न कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने उन्हें शोषण से बचाने के लिए विशष्ट उपबन्ध किए और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष उपायों की व्यवस्था की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबन्धों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

9.5 किसी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की प्रकिया संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई है। अनुच्छेद 342 (1) के उपबन्धों के अनुसार, राष्ट्रपति ने कतिपय समुदायों को संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए हैं। लेकिन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 (2) के अंतर्गत, अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची में किसी को शामिल करने अथवा किसी को बाहर करने की शक्तियां केवल संसद में निहित हैं और इस संबंध में निर्णय करने में केवल संसद ही सक्षम है

9.6 संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबन्ध शामिल हैं। आठ राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ,उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र हैं। इन राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन राज्यों के राज्यपालों के लिए यह जरूरी है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करें। इन राज्यों के लिए यह भी जरूरी है कि वे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करें, जिसके साथ अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के बारे में सलाह की जानी चाहिए। हालांकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, लेकिन इन राज्यों ने भी जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के लिए उपबन्ध किए हैं। इन आठ राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति और उनके सुशासन के लिए, विशेष रूप से निम्न प्रयोजनों से, विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(क) ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बीच भूमि के अन्तरण पर रोक और प्रतिबन्ध लगाना,

(ख) ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन,

(ग) इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कर्ज देने के कारोबार का विनियमन करना।

9.7 संविधान की छठी अनुसूची का संबंध असम राज्य (उत्तरी कछार पहाड़ी और कारबी आंगलोंग जिले) मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वायत्तशासी पहाड़ी परिषद) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। इस अनुसूची में इन क्षेत्रों के, जहां स्थानीय प्रबन्ध प्रणालियों की एक लम्बी परम्परा है, प्रशासन के लिए स्वायत्तशासी जिला परिषदों और स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है। ये स्वायत्तशासी परिषदें न केवल विभिन्न विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

9.8 संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत, क्षेत्रीय और जिला परिषदों को इन क्षेत्रों में संबंधित जनजातीय समुदायों की प्रथाओं और परम्पराओं के अनुसार स्व-शासन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें जिला और क्षेत्रीय परिषदों के गठन, अधीनस्थ स्थानीय परिषदों अथवा बोर्डों के संवर्धन और जिला तथा क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कार्यवाही के संचालन संबंधी सभी मामलों के बारे में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वे, भूमि से संबंधित मामलों, आरक्षित वन से भिन्न किसी वन के प्रबन्धन, सिंचाई के लिए किसी जल-धारा के उपयोग, झूम खेती की प्रथा के विनियमन, सामाजिक प्रथाओं, शादी और तलाक और ग्राम और नगर के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में, जिनमें गांव अथवा शहर की पुलिस, लोक स्वास्थ्य और सफाई भी शामिल है, कानून बना सकती हैं। वे ग्राम परिषदों का अथवा आई.पी.सी. के अंतर्गत कतिपय अपराधों संबंधी

अपवादों सहित, जिनके लिए पांच वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास की सजा दी जा सकती हो, ऐसे मुकदमों और वादों के विचारण के लिए, जिनके सभी पक्षकार इन क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हों, न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भू-राजस्व, व्यवसाय, व्यापार आदि पर कर, पथ-कर लगाने और इसके अलावा खनिजों का पता लगाने और उनकी खुदाई करने के प्रयोजन से भूमि को पट्टे पर देने पर बहुत से अन्य प्रकार के कर और लाइसेंस-शुल्क लगाने की भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत के नियंत्रक-व-महा लेखापरीक्षक द्वारा यथा-विदित रूप में जिला अथवा क्षेत्रीय निधि स्थापित किए जाने के लिए भी उपबन्ध है।

9.9 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में अत्यन्त हीन भौतिक बुनियादी ढांचे, पर्याप्त प्रशासनिक बुनियादी ढांचे और संचार-साधनों के अभाव और सामांन्य आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, इन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास, उनके कल्याण के संवर्धन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भाग के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए हाथ में ली गई स्कीमों की पूंजीगत लागत और आवर्तक लागत को पूरा करने के लिए सहायता अनुदानों की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्कीमें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी जरूरी है और ये अनुदान भारत की समेकित निधि से अदा किए जाएंगे, जिस पर बजटीय प्रतिबन्ध लागू नहीं होते। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों और राजयों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान का इसी प्रकार का उपबन्ध है।

9.10 शासन में अनुसूचित जनजातियों को न्यायोचित हिस्सा प्रदान करने के उद्देश्य से, संविधान में कतिपय विशिष्ट उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 334 में मूलतः यह निर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने से संबंधित उपबन्ध दस वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा । इस बीच इस अनुच्छेद को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है ताकि प्रत्येक अवसर पर अवधि को दस वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (टी) में, यथास्थिर्ति, पंचायत और नगरपालिका में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों और नगरपालिकाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित करने का उपबन्ध किया गया है।

9.11 अनुच्छेद 16(4) द्वारा राज्य को, किसी पिछड़ी श्रेणी के नागरिकों के लिए जिनका राज्य के मतानुसार, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, नियुक्त्यों और पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 16(4 क) राज्य को, सेवाओं की किसी श्रेणी अथवा किन्हीं श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की वयवस्था करने की शक्ति प्रदान करता है। इस समय पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था समूह क की सेवाओं के प्रथम स्तर तक सीमित है। संविधान के अनुचछेद 335 में यह निहित किया गया है कि संघ अथवा किसी राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों पर निक्तियां करते समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर, प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाएगा।

9.12 अनुच्छेद 15(4) द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी किसी श्रेणी के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने और शिक्षा संस्थाओं में, जिनमें तकनीकी, इजीनियरी और मेडिकल कालेज शामिल हैं, और वैज्ञानिक तथा विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29(1) का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। अधिकतर जनजातीय समुदायों की अपनी भाषा अथवा बोलियां हैं। अनुच्छेद 350 (क) में यह उपबन्ध है कि " प्रत्येक राज्य का और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि वह भाषाइ अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकता है, जो वह ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था कराने के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे"।

9.13 इसके अलावा, इन समुदायों को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने और उनके साथ भेदभाव किए जाने या उनका शोषण किए जाने की स्थिति में उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया गया है। लगभग सभी राज्यों ने भूमि अन्तरण विनियम बनाए हैं, जिनके अंतर्गत जनजातीय भूमि का अन्तरण गैर-जनजातीय लोगों को किए जाने पर रोक लगाई गई है। जनजातीय लोगों को गैर-जनजातीय लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में साहूकारी के विनियमन के लिए भी कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में जनजातीय लोगों और वनों के बीच के सहजीवी संबंधों को स्वीकार किया गया है और वन-क्षेत्रों में उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के आयोजन की प्रक्रिया के बारे में सलाह देने, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने और संविधान अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत इन समुदायों के लिए किए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों को मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 339 में यह उपबन्ध है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अत्यावश्यक स्कीमें तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए निदेश देने तक होगा। इस अनुच्छेद में यह भी उपबन्ध है कि राष्ट्रपति राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए किसी भी समय एक आयोग नियुक्त कर सकता है।

जनजातीय विकास की कार्यनीति और कार्यक्रम

9.14 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, जनजातीय विकास की कार्यनीति की मुख्य विशेषता यह रही है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों के भाग लेने को बढ़ावा दिया जाए। भारत के मध्य भाग के जनजातियों की बहुलता वाले मुख्य क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में और उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों को छठी अनुसूची में शामिल किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों में निहित विशेष शक्तियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के बारे में राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट की अपेखा और इसके साथ-साथ जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के उपबन्ध से पांचवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के ढांचे की व्यवस्था होती है । अनुसूची-VI में, क्षेत्रीय और जिला स्वायत्तशासी परिषदों से जनजातीय समुदायों, द्वारा स्व-शासन के आधार

की व्यवस्था होती है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने जनजातीयों के विकास के लिए पांच मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, जो इस प्रकार हैः

(क) जनजातीय लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार विकास करना चाहिए और हमें उन पर कुछ थोपने से बचना चाहिए।

(ख) हमें हर सम्भव तरीके से उनकी अपनी पारम्परिक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करना चाहिए।

(ग) भूमि और वनों में जनजातीयों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

(घ) हमें प्रशासन और विकास का कार्य करने के लिए उनके अपने लोगों का दल का निर्माण करने और उसे प्रशिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए।

(ड़) हमें इन क्षेत्रों का अति-प्रशासन नहीं करना चाहिए और उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना चाहिए।

9.15 अंग्रेजों के शासन के दौरान, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नीति यह थी कि इन क्षेत्रों को अपवर्जित अथवा अंशतः अपवर्जित क्षेत्र शोषित करके इन क्षेत्रों को अकेले छोड़ दिया जाए। इन नीति के कारण स्पष्ट रूप से, उपयुक्त संचार सुविधाओं के अभाव वाले दूरस्था और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले और आत्म-सम्मान वाले लोगों पर शासन करने में कठिनाइयां थी। परिणामतः, इन जनजातीय क्षेत्रों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया और उन्हें स्थानीय जमींदारों और छोटे-मोटे अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने के लिए छोड़ दिया गया, जिन्होंने जनजातीय लोगों के भोलेपन और सादगी का अधिकतम सीमा तक अनुचित लाभ उठाया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि जनजातीय समुदाय समाज की मुख्यधारा से और अधिक कट गए और अलग-थलग हो गए और सामाजिक-आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।

9.16 संविधान में निहित सुरक्षापायों और विशेष दायित्वों के मद्देनजर 1955 में पहली बार जनजातीय क्षेत्रों के क्रमबद्ध विकास हेतु प्रयास, विशेष बहु उद्देश्यीय जनजातीय विकास खंड की स्थापना कर किए गए। तत्पश्चात दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को एक संशोधित कार्यरूप के अंतर्गत जनजातीय विकास खंडों की स्थापना व्यापक रूप में की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का और विस्तार किया गया और उन सभी क्षेत्रों में जहां जनजातीय 2/3 से अधिक सकेन्द्रित थी, विस्तार किया गया। लेकिन जनजातीय विकास हेतु अलग से वित्तीय नियतन नहीं किया गया और यह विश्वास दिलाया गया कि आम विकास कार्यक्रमों का लाभ जनजातीय समूहों को पहुँचेगा जिससे कि उनका त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा।

जनजातीय उप-योजना

9.17 चूंकि जनजातियों के लोग, जो अपेक्षाकृत अधिक गरीब, लगभग सारे के सारे अनपढ़ थे और प्रौद्योगिकीय उन्नति से बेखबर थे और दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, सामान्य आर्थिक कार्यक्रमों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं कर सके थे, इसलिए यह जरूरी समझा गया कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नई कार्य-नीति विकसित की जाए। इस प्रकार, जनजातीय उप-योजना की धारणा विकसित की गई और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाइ गई। जनजातीय उप-योजना के दो

उद्देश्य थे ; जनजातीयों के लोगों का त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास और विभिन्न प्रकार के शोषण से उनको बचाना। जनजातीय उप-योजना से उप-योजना क्षेत्रों के लिए संसाधन निर्धारित करने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए स्थूल नीतिगत ढांचा तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करने की उपेक्षा की गई थी। 50 प्रतिशत से अधिक की जनजातीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 180 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं स्थापित की गईं, जिनके अंतर्गत 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 65 प्रतिशत जनजातीय आबादी को कवर किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में, जनजातीय लोगों की जनसंख्या कम-से-कम 10,000 हो और जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, संशोधित क्षेत्र विकास की नीति (माडीफाइड एरिया डेवलेपमेंट एप्रोच-एम.ए.डी.ए) भी अपनाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इससे भी छोटे क्षेत्रों, जिन्हें बस्तियां (कलस्टर) कहा जाता है, जिनकी न्यूनतम आबादी 5,000 हो, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, का पता लगाया गया। अब तक उन क्षेत्रों में, जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोनाओं, 259 माडा पाकेटों और 82 क्लस्टरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां क्षेत्रीय और जिला स्वायत्तशासी परिषदें स्थापित की गई हैं।

9.18 जनजातीय उप - योजना का वित्त पोषण राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं, जनजातीय उप-योजना के लिए दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों और संस्थात्मक वित्त से किया जाना था। जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति का आधार यह है कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को अपने वार्षिक योजना का कुछ प्रतिशत भाग, जो उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता से कम न हो, जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित करना चाहिए। इसी प्रकार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी वार्षिक योजना का 8.08 प्रतिशत भाग जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित करे और इन धनराशियों का उपयोग करते हुए, जनजातीय समुदायों के विकास की परियोजनाओं, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को हाथ में ले।

9.19 लेकिन यह देखा गया है कि यद्यपि अधिकतर राज्य सरकारें जनजातीय उप-योजना के लिए, जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धनराशियां निर्धारित करती रहीं हैं, लेकिन यह कार्य केवल प्रतीकात्मक होता है। वास्तविक उपयोग, नियत की गई राशि से बहुत कम होता है। जनजातीय उप-योजना के लिए रखी गई राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाना, एक आम बात है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय विकास निधियों का व्यपवर्तन कम से कम हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों से यह आग्रह करता रहा है कि वे महाराष्ट्र राज्य की पद्धति (पेटर्न) को अपनाएं; जिसमें जनजातीय विकास के लिए केवल एक बजट शीर्ष की व्यवस्था है, जिसका प्रचालन जनजातीय विकास के प्रभारी सचिव द्वारा किया जाता है। अब बहुत से राज्यों ने महाराष्ट्र की पद्धति को पूरी तरह से अथवा मामूली से संशोधित रूप से अपना लिया है । अभी भी ऐसे बहुत से राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने हैं कि जनजातीय विकास के लिए नियत राशियों का उपयोग अन्य क्षेत्रकों में न किया जाए।

9.20 केंद्रीय मंत्रालयों के मामले में स्थिति और भी खराब है। किसी भी मंत्रालय ने अभी अलग जनजातीय योजना अथवा जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट स्कीमें बनाना शुरू नहीं किया है । हालांकि कुछ मंत्रालयों ने जनजातीय विकास के लिए धनराशियों की मात्रा तय करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिशें अभी तक जनजातियों के लाभभोगियों को पर्याप्त रूप से शामिल करने की व्यवस्था करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने तक ही सीमित है, जबकि इन

मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उसका मानीटरिंग करने के लिए किसी उपयुक्त तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के मानदंडों में ढील दी है। कुल मिलाकर, केंद्रीय मंत्रालयों के स्तर पर, योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार अलग जनजातीय उप-योजना तैयार करने के गम्भीर प्रयासों का अभाव है ।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

9.21 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विकास के लिए राज्यों के वित्तीय परिव्ययों की कमियों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तदर्थ अनुदान देता है। इस अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत किए गए क्षेत्रकीय आवंटनों के साथ किया जाना होता है। विशेष केंद्रीय सहायता, मुख्यतः निर्धारित क्षेत्रकों में आय-सृजन की परिवार-उन्मुख स्कीमों के लिए होती है, हालांकि इसके कुछ भाग का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी किया जा सकता है । राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता के आवंटन के मानदंड ये हैं : राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता, उनके विकास का स्तर, माडा पाकेटों, क्लस्टरों और आद्य जनजाति समूहों, आदि की जनसंख्या । जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का आवंटन 1995-96 से 1997-98 तक के तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एक-समान अर्थात 330 करोड़ रूपए का किया गया था, जिसे बढ़ा कर 1998-99 में 380 करोड़ रूपए कर दिया गया। वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत रिलीज की गई राशि की राज्यवार जानकारी **अनुबन्ध 9.I** में दी गई है।

9.22 पिछले वर्षों में रिलीज की गई अनुदानों का उपयोग, नए अनुदान रिलीज किए जाने की एक आवश्यक शर्त है। विशेष केंद्रीय सहायता की राशि 3-4 किस्तों में रिलीज की जाती है । अधिकांश मामलों में, राज्यों से उपयोग संबंधी रिपोर्टें समय पर प्राप्त नहीं होतीं । इसके परिणामस्वरूप धनराशि रिलीज किए जाने में देर हो जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि धनराशि का व्यपवर्तन हो जाता है अथवा उपयोग न होने के कारण उसे लौटाना (सरंडर) पड़ता है। वर्ष 1998-99 के अंत में, बिहार के पास विशेष केंद्रीय सहायता की 100 करोड़ रूपये से अधिक की खर्च नहीं की गई राशि पड़ी हुई थी और राज्य को 1997-98 और 1998-99 के दौरान कोई अनुदान रिलीज नहीं किया जा सका था, जिसके कारण राज्य के गरीब जनजातीय लोगों को वित्त के इस महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित रहना पड़ा था। जनजातीय कार्य मंत्रालय पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पूरे अनुदान रिलीज किए जाने के लिए दबाव रहता है, क्योंकि अन्यथा बाद के वर्षों में आवंटनों में कमी होने की संभावना होती है।

9.23 इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करता है:

i. **निधियों को व्यपगत होने से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उपयोग अन्य क्षेत्रकों में न किया जाए, राष्ट्रीय जनजाति विकास कोष की स्थापना की जाए और विशेष केंद्रीय सहायता की एवं केंद्रीय मंत्रालयों की अन्य जनजातीय विकास स्कीमों की खर्च नहीं की गई राशि इस कोष में डाली जाए, जिसका उपयोग उनके विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जाए। राष्ट्रीय जनजाति विकास कोष की स्थापना करने की सिफारिश मूलतः 1961 में धेबर आयोग द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया।**

ii. **इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कारण, कार्यान्वयन अभिकरणों को उपयोग के लिए धनराशि उपलब्ध होने में काफी देर लग जाती है। इसलिए विलम्ब को कम करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को चाहिए कि विशेष केंद्रीय सहायता की राशि सीधे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को रिलीज कर दी जाए, जैसाकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डी.आर.डी.ए निधियों के बारे में किया जाता है । केवल बिखरी हुई जनजातीय आबादी की, जो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं आती, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि, संबंधित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की जानी चाहिए।**

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान

9.24 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों, जहां व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई है, बुनियादी ढांचे और संचार सुविधाओं का अभाव है और प्रशासनिक तंत्र की अपर्याप्त व्यवस्था है, के विकास में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, जनजातीय समुदायों और अनुसूचित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 में एक विशेष उपबंध किया गया था। अनुच्छेद 275 में यह उपबंध है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के प्रयोजन से राज्यों द्वारा हाथ में ली गई विकास की स्कीमों के पूंजीगत और आवर्तक व्यय के लिए भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान दिए जाएंगे।

9.25 अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों की व्यवस्था, आंतरिक बजटीय सहायता के अलावा होती है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से रिलीज की जाती है । इस संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए सांकेतिक व्यवस्था करने के अलावा, जनजातीय समुदायों और अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए इस महत्वपूर्ण उपबन्ध को अमल में लाने के लिए कभी कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया । वर्ष 1992-93 से 75 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जा रही है और 1992-93 से 1998-99 तक नियत की जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई। असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना-भिन्न बजट में एक अलग व्यवस्था की जाती है, जो प्रारम्भ से 14 लाख प्रति वर्ष पर रुकी हुई और पिछले 50 वर्षों में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई।

9.26 हालांकि इस व्यवस्था के अंतर्गत नियत की जाने वाली राशि बहुत कम रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग भी बहुत कम मात्रा में किया जाता रहा है और वह उपयोग भी अधिकांशतः, संविधान अथवा मार्गनिर्देशों में परिकल्पित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। इस स्थिति की पुष्टि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 1997 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में की गई है।

9.27 इस व्यवस्था के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदानों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से, तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अब जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों के कुछ भाग का उपयोग जनजातीय बच्चों के लिए, कक्षा 6 से 12 तक के लिए 100 रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने करने का निर्णय 1997-98 में लिया। इन स्कूलों की स्थापना करने का उद्देश्य जनजातीय बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों के उच्च स्तर पर तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रकों के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकें।

इस स्कीम के अंतर्गत यह निर्णय किया गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 रिहायशी स्कूलों के लिए 250 करोड़ रूपए की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए।

9.28 लेकिन आयोग ने यह देखा है कि इस स्कीम का कार्यान्वयन गम्भीरता और तत्परता से नहीं किया जा रहा है। यह पता चला है कि अभी तक अधिकतर राज्यों ने मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के आधार पर ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किए हैं और उन्हें अग्रिम के रूप में जो धनराशियां रिलीज की गई हैं, अधिकांश मामलों में उनका उपयोग नहीं किया गया है। जहां प्रस्ताव प्रस्तुत कर भी दिए गए हैं, वहां वे उन विशिष्ट उद्देश्यों से मेल नहीं खाते, जिनके लिए यह स्कीम तैयार की गई है।

9.29 मध्य प्रदेश में रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करते समय, आयोग ने रोजगार आश्वासन स्कीम जैसी स्कीमों की वित्तीय आवश्यकताओं की अनुपूर्ति करने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों के उपयोग परिधि की जांच की थी और वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करनें के लिए कुछ अविलम्ब कदम उठाने की सलाह दी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता देने की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए।

9.30 आयोग अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें देता है:-

i. **जनजाति कार्य मंत्रालय अनुच्छेद 275 (1) की परिधि और उद्देश्य की जांच करने और इस व्यवस्था के अंतर्गत स्कीमें तैयार करने, उनके क्रियान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन के तंत्र सहित एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करे।**

ii. **जनजाति कार्य मंत्रालय रिहायशी स्कूलों की स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रस्ताव मार्गनिर्देशों और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार और कार्यान्वित किए जाएं ; जिनके लिए यह स्कीम तैयार की गई है।**

जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) और सहकारी जनजातीय विकास निगम(टी.डी.सी.सी)

9.31 ट्राइफेड की स्थापना 1987 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय (अब जनजातीय कार्य मंत्रालय) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके गौण वन उत्पादों और फालतू कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने और लाभकारी कीमतें प्रदान कराने के लिए तथा उन्हें निजी व्यापारियों और बिचौलियों की शोषणकारी कारगुजारियों से बचाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर-पूंजी 100 करोड़ रुपए है और इसकी प्रदत्त पूंजी 1998-99 में 99.73 करोड़ रूपए हो गई थी, जिसमें भारत सरकार हिस्सा 99.50 करोड़ रुपए है और शेष 23.00 लाख रुपए का अंशदान राज्य के टी.डी.सी.सी और अन्य शेयरधारियों द्वारा किया गया है। ट्राइफेड, टी.डी.सी.सी., एफ.डी.सी., लैम्प्स और राज्य स्तर के अन्य वसूली अभिकरणों के माध्यम से पूर्व-निर्धारित कीमतों पर गौण वन उत्पादों, फालतू कृषि उत्पादों और बागवानी उत्पादों की वसूली का और देश के अंदर और बाहर उनके विपणन का कार्य करता है। गौण वन-उत्पादों और कृषि उत्पादों

की कीमतों में घट-बढ़ होती रहती है। दामों में घट-बढ़ के कारण होने वाले सम्भांव्य घाटों को पूरा करने और जनजातीय किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमतें दिलाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए, जनजातीय मंत्रालय ऐसे घाटों के कुछ भाग को प्रतिसंतुलित करने के लिए ट्राइफेड को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। हालांकि 1997-98 में इस प्रयोजन के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ट्राइफेड को केवल एक करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया था, क्योंकि ट्राइफेड ने इतनी पर्याप्त वसूली नहीं की थी कि वह अपेक्षाकृत अधिक राशि का दावा कर सके।

9.32 1996-97 से 1998-99 तक के वर्षों में वसूली, घरेली बिक्री और निर्यात के संबंध में ट्राइफेड का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा:

वर्ष	वसूली	घरेलू	निर्यात	कुल विक्रय	प्रतिफल
1996-97	96.76	110.14	22.44	132.58	229.34
1997-98	75.57	96.59	13.21	109.80	185.37
1998-99	33.12	35.31	10.87	46.18	69.30

9.33 यह देखा गया है कि ट्राइफेड के कार्य-निष्पादन में सभी पहलुओं से गिरावट आ रही है। इसे विभिन्न यूनिटों के कार्यचालन की समीक्षा करनी चाहिए और स्थिति को सुधारने के उपाय करने चाहिए, ताकि यह जनजातियों के लोगों उनके उत्पादों को लाभकारी कीमतें दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कुल कारोबार का वर्तमान स्तर बहुत नीचा है और इसे काफी ऊंचा उठाए जाने की जरूरत है, ताकि ट्राइफेट कोई सार्थक भूमिका अदा कर सके। निगम की चुकता पूंजी प्राधिकृत शेयर पूंजी के लगभग बराबर पहुंच चुकी है। इसलिए ट्राइफेड को प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसे अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार से शेयर पूंजी के रूप में अंशदान प्राप्त होता रहे।

9.34 जनजातीय कार्य मंत्रालय टी.डी.सी.सी., वन विकास निगमों, आदि को गौण वन उत्पादों की वसूली, संस्करण और विपणन, आदि के लिए 100 प्रतिशत अनुदान देता है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुदानों का उपयोग (1) गौण वन उत्पादों की वसूली की मात्रा को बढ़ाने के लिए टी.डी.सी.सी. के शेयर-पूंजी आधार को मजबूत बनाने ; (2) वैज्ञानिक भांडागारों के निर्माण ; (3) गौण वन उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए संस्करण उद्योगों की स्थापना करने ; और (4) निगम द्वारा अनुसंधान और विकास के कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 8 राज्यों को 8.23 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी ।

9.35 यह एक सुविदित तथ्य है कि जनजातीय लोगो का एक बहुत बड़ा भाग अपनी अत्यल्प आय की अनुपूर्ति करने के लिए अभी भी गौण वन उत्पाद एकत्र पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जनजातीय क्षेत्रों की कुछ पाकेटों में किए गए विकास के विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, कृषि और बागवानी उत्पादों का उत्पादन इन लोगों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं से अधिक होने लगा है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्तरों पर सहकारी विपणन समितियों का गठन करना जरूरी समझा गया, ताकि जनजातीय किसानों को अपने उत्पादों की लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में

सहायता दी जा सके। लेकिन, टी.डी.सी.सी. और लैम्प्स के कार्यचालन में बहुत अधिक सुधार किए जाने की जरूरत है। अधिकतर टी.डी.सी.सी. अपने वसूली कार्यों वृद्धि करने के लिए केंद्रीय सरकार से उपलब्ध होने वाले अनुदानों का उपयोग नहीं कर सकी हैं। सहकारी विपणन ढांचे के विभिन्न स्तरों के बीच कोई जीवन्त संयोजन नहीं है और वे जनजातीय लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए वसूली और विपणन कार्यों के सम्पूरक होने के बजाय, परस्पर-विपरीत प्रयोजनों के लिए काम करते हैं। मंत्रालय द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं उनका उपयोग अधिकतर कर्मचारियों के वेतन अदा करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि सहकारी विपणन ढांचे के कार्यचालन को चुस्त-दरुस्त बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने क्रियाकलापों में पर्याप्त वृद्धि करें और मार्केट में हस्तक्षेप करने की अपनी भूमिका प्रभावकारी रूप से अदा करें।

शिक्षा विकास कार्यक्रम

9.36 जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा की सुविधाओं में सुधार करने और साक्षरता के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, जनजातियों के लोगों की साक्षरता की दर, विशेष रूप से भारत के मध्य भाग में, अत्यन्त असंतोषजनक है। परिणामतः, वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं और शिक्षा पाठ्यक्रमों और सेवाओं में आरक्षण का पूरा फायदा नहीं उठा सके। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के सामान्य कार्यक्रमों की अनुपूर्ति करने के लिए, अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लाभ के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

9.37 जनजातीय समुदायों के विशेष सामाजिक-आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, 1990-91 में आश्रम स्कूलों की एक केंद्र-प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना था, जो जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल हो। इस स्कीम के अंतर्गत, स्कूलों की इमारतों, होस्टलों, स्टाफ-क्वार्टरों, आदि के निर्माण की 50 प्रतिशत पूंजीगत लागत और आवर्तक व्यय संबंधित राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाना होता है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार जनजातीय बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, कोंचिग, पुस्तक बैंक आदि जैसी सुविधाएं भी हैं, ताकि जनजातीय बच्चे उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।

9.38 इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सुविधाओं और विशेष कार्यक्रमों से जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायता मिली है। लेकिन, चूंकि केंद्रीय सहायता केवल 50 प्रतिशत तक सीमित है, इसलिए अधिकतर राज्य, जिन्हें शेष 50 प्रतिशत राशि की व्यवस्था अपने संसाधनों से करने में कठिनाई अनुभव होती है, इन स्कीमों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं। कुछ मामलों में धनराशियों का उपयोग करने में असाधारण विलम्ब हुआ है, जिससे वे राज्य और अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं रहते। इसलिए यह वांछनीय है कि आश्रम स्कूलों, लड़कों के छात्रावास और लड़कियों के छात्रावासों की इन तीन केद्र प्रायोजित स्कीमों का पुनरावलोकन किया जाए। चूंकि आवर्तक व्यय की पूर्ति पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है इसलिए पूंजीगत निर्माण-कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के अंशदान को बढ़ाकर कम से कम 75 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत गरीब राज्य भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों (पाकेटों) में शिक्षा परिसर (काम्प्लेक्स)

9.39 जब यह स्कीम मूलतः शुरू की गई थी, तो इसके अंतर्गत उन जिलों को शामिल किया जाना था, जहां अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 2 प्रतिशत से कम हो। बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसमें उन जिलों को शामिल किया जाना था, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार 10 प्रतिशत से कम हो। ऐसे 136 जिले हैं, जो 11 राज्यों में स्थित हैं। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत कतिपय ऐसे आदिम जनजातीय समूहों को कवर किया जाता है, जिनकी महिला साक्षरता दर बहुत नीची हो। यह स्कीम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार को जमीन देनी होती है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कूल की इमारत, होस्टल, स्टाफ-क्वार्टरों के निर्माण की पूरी लागत और इसके अलावा आवर्तक व्यय पूरा करना होता है। प्रत्येक स्कूल में 1 से 5 तक की कक्षाएं होंगी और प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था होगी । अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 89 शिक्षा परिसरों का वित्त पोषण किया गया है। हालांकि यह स्कीम 1993-94 से चालू है, लेकिन इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह कार्य और देर किए बिना किया जाना चाहिए। कक्षा 5 के बाद उपयुक्त संयोजन की व्यवस्था करने के प्रश्न की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ न दें।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

9.40 यह देखा गया था कि जनजातीय युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही थी और रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव में उनमें से कुछ ने, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसलिए, जनजातीय युवाओं में कौशल के विकास के लिए यह स्कीम 1992-93 में शुरु की गई थी, ताकि उन्हें रोजगार/ स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस स्कीम का पूरा वित्त पोषण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अभिकरणों द्वारा किया जाता है। इस स्कीम में 100 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और उनमें से 50 व्यक्तियों के लिए होस्टल की सुविधाओं की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गइ है। इस स्कीम के शुरु होने के समय से लेकर, इसके अंतर्गत 133 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का वित्त पोषण किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, बहुत से अन्य मामलों की तरह, इस स्कीम का मूल्यांकन नहीं किया गया है और मंत्रालय को इन केंद्रों के कार्यचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ओर इस बारे में वस्तुतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनजातियों के युवक इस स्कीम से किस सीमा तक रोजगार और स्व-रोजगार पा सकें हैं।

जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सहायता

9.41 पिछले 40-45 वर्षो में बहुत से राज्यों ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। इस समय ऐसे 14 संस्थान हैं, जो अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने, जनजातीयों से संबंधित संगत विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाएं आयोजिक करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और उनके लिए अभिसंस्करण पाठ्यक्रम आयोजित करने और राज्य सरकारों को जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करने में सहायता देने का काम करते हैं। बहुत से संस्थानों में जनजातीय संग्रहालय भी हैं, जिनमें जनजातियों के जीवन और कला-वस्तुओं को प्रदर्शित

किया जाता है। मंत्रालय इन संस्थानों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान देता है। मंत्रालय उन विद्यार्थियों/ अनुसंधानकर्त्ताओं को, जो किसी विश्वविद्यालय में जनजातीय विकास विषयक अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पंजीकृत हों, 100 प्रतिशत के आधार पर अनुसंधान अध्येतावृत्तियों (फैलोशिप) देने के लिए भी अनुदान देता है। डाक्टरेट और डाक्टरेट पश्चात पाठ्यक्रमों के लिए फैलोशिप की दर क्रमशः 2800/- रुपए और 3200/- रुपए प्रति मास है। इसके अलावा, 10,000/- रुपए का वार्षिक आकस्मिकता (कांटिंजेंसी) अनुदान भी दिया जाता है। मंत्रालय के पास अनुसंधान और मूल्यांकन परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था है, जिनके लिए 8-12 महीनों में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए 2.50 लाख रुपए तक का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यह अनुदान अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को भी दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए हर वर्ष सामान्यतः 50 लाख रुपए की व्यवस्था अलग से की जाती है।

ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम

9.42 जनजातीय लोगों, विशेष रूप से उनके बच्चों के पोषाहार का स्तर आमतौर पर बहुत नीचा है। खराब मौसम में कुपोषण के कारण दूरस्थ और पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु को रोकने के उद्देश्य से 1996-97 से ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम शुरु की गई है। इस स्कीम के अंतगर्त जनजातीय मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड के माध्यम से, निर्धारित किए गए ब्लाकों में एक क्विंटल प्रति परिवार की दर से अनाज खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं और भंडारण सुविधा आदि की व्यवस्था की जाती है। इन बैंकों का प्रबन्ध ग्राम समितियों द्वारा किया जाता है और सदस्य अभाव के समय बैंकों से अनाज उधर ले सकते हैं। 1998-99 तक निर्धारित किए गए विभिन्न जनजातीय खंडों (ब्लाक) में ऐसे 515 बैंक स्थापित किए गए थे।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

9.43 इस बात को उत्तरोत्तर अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठन एक वैकल्पिक परिदान (डिलिवरी) तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे बहुत से विभिन्न क्रियाकलाप हैं, जिनमें भाग लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है। गैर-सरकारी जिन मुख्य क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं उनमें रिहायशी और गैर-रिहायशी स्कूल, होस्टल, चल चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, जागरुकता कार्यक्रम, आदि शामिल हैं। अनुदान आम तौर पर परियोजना की अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित होता है । 1993-94 से गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई राशियों का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	रिलीज राशि
1993-94	66	4.03
1994-95	79	4.96
1995-96	86	5.30
1996-97	74	5.02
1997-98	113	7.00
1998-99	190	11.24

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की स्कीम

9.44 14 राज्यों और 1संघ शासित क्षेत्र में फैले 75 जनजातीय समूहों को, उनकी कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, साक्षरता की नीची दर और स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या के आधार पर, आदिम जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) निर्धारित किया गया है। जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति के अंतगर्त जारी मार्ग-निर्देशों में इन समूहों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष उपायों की व्यवस्था की गई है। यद्यपि आदिम जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इन समूहों को विकास के कार्यक्रमों से वांछनीय सीमा तक लाभ नहीं पहुंचा है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जारवा और सेटीनलीज़ जातियों के लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं। इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक वैकल्पिक कार्यनीति तैयार करना जरुरी समझा गया। वर्ष 1998-99 में, इन जनजातियों का एकीकृत विकास समयबद्ध रूप से करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करने के लिए, आई.टी.डी.ए., टी.आर.आई. और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके एक विशेष स्कीम शुरु की गई, जिसका समूचा वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था। इस स्कीम के प्रचालन के पहले वर्ष 4.94 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

9.45 इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों में जनजातियों के लाभभोगियों को प्राथमिकता आधार पर शामिल किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन, अधिकतर केंद्रीय मंत्रालय जनजातियों के लिए धनराशियों का अलग नियतन नहीं करते अथवा उनके बारे में अलग लक्ष्य निधार्रित नहीं करते और उन्हें आम तौर पर अनुसूचित जातियों के साथ जोड़ दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रालयों को अलग जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करनी चाहिंए और अनुसूचित जनजातियों के लिए धनराशियों का नियतन अलग से करना चाहिए और उनके लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिंए ।

जनजातीय नीति

9.46 वेरियर एल्विन की पुस्तक ‘ फिलासफी फार नेफा ‘ के प्राक्कथन में, तत्कालीन प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने उन कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया था, जो भारत में अनुसूचित जनजातियों के विकास का आधार होने चाहिंए। इन सिद्धान्तों में, जिन्हें आमतौर पर ‘जनजातीय पंचशील ‘ कहा जाता है, इस बात पर जोर दिया गया था कि जनजातीय लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विकास करना चाहिए और उन पर बाहर से कुछ नहीं थोपा जानी चाहिए, भूमि और वनो में जनजातियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए ; जनजातियों को अपनी पारम्परिक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ; हमें इन क्षेत्रों का प्रति-प्रशासन नहीं करना चाहिए और उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना चाहिए ; और हमें प्रशासन और विकास के कार्य के लिए उनके अपने लोगों की टीम तैयार करनी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। हालांकि इन सिद्धान्तों को सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं था, लेकिन,चूंकि उनका प्रतिपादन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें देश में जनजातीय विकास के ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। घेबर आयोग ने भी 1961 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के कार्यक्रम उन जातियों की संस्कृति, परम्परा और जीवन शैली के अनुरूप होने चाहिंए और उनके साथ मेल खाने चाहिंए, ताकि विकास के कार्यक्रमों से जनजातियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

9.47 भूमि, वनों, जल और खनिजों में, जिन प्रायः सारे समुदाय का स्वामित्व होता है, सबका न्यायोचित हिस्सा जनजातीय समाज का आधार होता है। उनका सीधा-सादा जीवनदर्शन यह है कि ये वस्तुएं प्रकृति का वरदान हैं, जिनका उपभोग निरन्तर आधार पर किया जाना चाहिए। जनजातीय समाजों की स्व-प्रबन्ध की प्रणाली प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों पर आधारित है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता पर आधारित है और प्रत्येक परिवार को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। प्रत्येक परिवार अपना घर स्वंय बनाने, अपने लिए अनाज और सब्जियों का उत्पादन करने में समर्थ है, और इसके अलावा वे शिकार करके और खाद्य पदार्थों को एकत्र करके अपनी आजीविका के साधनों की अनुपूर्ति करते हैं। बहुत से परिवार ग्राम-समुदाय की आत्म-निर्भरता बनाए रखने के लिए पशु-पालन और मिट्टी के बर्तन, आदि बनाने (पाटरी वर्क) का काम करते हैं। आत्म-सम्मान और उच्च गौरव की भावना जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अपराध की दर अति न्यून है और सारे विवाद अपने समुदाय के द्वारा ही निपटान कर लिए जाते हैं।

9.48 जनजातीय समाजों में आम तौर पर जातियां नहीं होतीं और इसलिए वहां जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक बुराइयों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वयोवृद्धों का सम्मान किया जाता है। जनजातीय समाजों की अचार-संहिता बहुत सख्त है और यौन उत्पीड़न अथवा बलात्कार लगभग अनजानी चीजें हैं। निर्णय आम तौर पर इकट्ठे मिल कर आम सहमति से लिए जाते हैं।

9.49 जनजातीय विकास की नीति तैयार करने के लिए जनजातीय समाजों की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणालियों को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है कि जनजातीय समुदाय, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हैं, एक विविधतापूर्ण समूह है, जिनकी भिन्न-भिन्न सामाजिक विशेषताएं, भाषाएं, धर्म और आर्थिक प्रणालियां हैं और इसलिए उनकी विकास संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग क्षेत्रों में और एक ही क्षेत्र में भी विभिन्न जनजातीय समुदायों में भिन्न-भिन्न हैं। इन समुदायों से संबंधित विकास के अधिकतर कार्यक्रम सामान्य ग्रामीण कार्यक्रमों अथवा गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के विस्तार मात्र हैं, और जनजातियों के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के कारण जिनकी प्रयोज्यता और प्रभावकारिता की अपनी सीमाएं हैं।

9.50 जनजातियों के विकास की स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करते समय, पंडित नेहरु के "जनजातीय पंचशील" को भी बहुत कम ध्यान में रखा जाता है। प्रायः यह होता है कि अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले लाभ अनुसूचित जातियों के लाभों के साथ शामिल कर दिए जाते हैं, इस बात को महसूस किए बिना कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है और वे अलग-अलग भौगोलिक स्थानों में रहते हैं। इसलिए यह जरुरी है कि एक ऐसी व्यापक जनजातीय नीति तैयार की जाए, जिसमें जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, उनके कला-कौशलों और भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन, वनों के साथ उनके संबंधों, उनकी स्व-प्रबन्ध की संस्थाओं, परियोजनाओं के अंतर्गत उनके विस्थापन और पुनर्वास, भूमि से संबंधित मुद्दों, आदि के बारे में मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हों, ताकि समाज के साथ उनके एकीकरण और उनके विकास को सरल और पीड़ा रहित बनाया जा सके और इसके साथ ही उनकी संस्कृति के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं को सुरक्षित रखा जा सके, जो मुख्यधारा के समाजों के लिए भी उपयोगी होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

9.51 अनुसूची V और अनुसूची VI के उपबंधों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के ढांचे की व्यवस्था की गई है। अनुसूची V में आठ राज्यों के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं और इस अनुसूची की मुख्य विशेषता है, जनजातीय प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका और जिम्मेदारी। इस अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन का भी उपबन्ध है, जिनके साथ जनजातियों की संस्कृति, परम्पराओं, भाषा, आदि की सुरक्षा और परिरक्षण और विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 339 द्वारा केंद्रीय सरकार को जनजातीय विकास के मुद्दों के बारे में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार, सभी केंद्रीय मंत्रालयों को अपने संबंधित क्षेत्रकों में अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजना बनाने में नोडल भूमिका निभानी होती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातियों के विकास की कतिपय विशिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित करने के अलावा, जनजातीय विकास कार्यक्रमों के संबंध में समन्वयकारी भूमिका अदा करता है।

9.52 जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए, पांचवीं पचवर्षीय योजना में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के रूप में एक अलग प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था । इसकी व्याप्ति का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए छठी और सातवीं योजना में क्रमशः 'माडा ' और ' कलस्टर ' की अवधारणाओं को जोड़ा गया था। इस समय 194 आई.टी.डी.पी., 259 एम.ए.डी.ए. पाकेट और 82 क्लस्टर काम कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा ने आई.टी.डी.पी. को पंजीकृत करके एजेंसी मॉडल को अपनाया है और इन दो राज्यों में आई.टी.डी.पी. को एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण के नाम से जाना जाता है। आई.टी.डी.पी. को अपनाने का उद्देश्य यह था कि जनजातीय विकास के संबंध में परियोजना-नीति का अनुसरण किया जाए और एक अपेक्षाकृत सरल प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था की जाए, जिसे पर्याप्त शक्तियों और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं । इन आई.टी.डी.पी. के अध्यक्ष परियोजना अधिकारी और परियोजना प्रशासक होते हैं और ये सरकारी निकायों के समूचे पर्यवेक्षण के अधीन काम करती हैं, जिनकी अध्यक्षता संबंधित जिला कलेक्टर अथवा स्थानीय मंत्री अथवा स्थानीय विधायक द्वारा की जाती है। लोक प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी निकाय के सदस्य होते हैं। आई.टी.डी.पी. से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक योजनाएं और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाएं और वार्षिक योजनाओं में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों को कार्यान्वित करें। ऐसे 18 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, जहां जनजातीय उप-योजनाएं और आई.टी.डी.पी. चालू हैं। जनजातियों की बहुसंख्या वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और अनुसूची- VI में शामिल क्षेत्रों में कोई जनजातीय उप-योजना अथवा आई.टी.डी.पी. नहीं है।

9.53 संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, अनुसूची-V और अनुसूची-VI के क्षेत्रों के अलावा, देश के अंदर 3 स्तरों वाली पंचायत राज प्रणाली लागू की गई, और विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को कतिपय विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संविधान में और आगे संशोधन करके और पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार संशोधन) अधिनियम, 1996 द्वारा, 8 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को, कतिपय उपान्तरों के साथ पंचायत राज प्रणाली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।

9.54 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिला ग्राम विकास अभिकरणों की स्थापना की है। जिला ग्राम विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) के कार्य क्षेत्र में आई.टी.डी.पी. के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके अंतर्गत प्रायः उन्हीं लाभभोगियों के लिए

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। डी.आर.डी.ए. के लिए निधियां सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की जाती है और आई.टी.डी.पी के लिए केंद्रीय निधियां संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती हैं।

9.55 भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि जनजातीय क्षेत्रों का अति प्रशासन नहीं किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा सरल होना चाहिए। लेकिन जैसाकि मालुम है, गत वर्षों के दौरान प्रशासनिक प्रणाली अधिक पेचीदा हो गई है और बहुत सी अन्य एजेंसियां स्थापित की गई हैं, जिनके अधिकार-क्षेत्र प्रायः अतिव्याप्ति वाले होते हैं, और उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोई संतोषजनक तंत्र नहीं है। अब समय आ गया है कि इन अलग-अलग अभिकरणों की भूमिका और उनके कार्यचालन का मूल्यांकन किया जाए और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाए, जो सरल, भागीदारितापूर्ण और प्रभावकारी हो।

9.56 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में सर्वाधिक गंभीर समस्या विभिन्न विभागों के अधिकारियों और स्टाफ के भाग पर इन क्षेत्रों में कार्य करने की अनिच्छा है। इसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। प्रथमतः सामान्यतः ऐसे अधिकारियों और स्टाफ की जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती की जाती है जिनकी कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती है। ईमानदार तथा मेहनती स्टाफ जनजातीय क्षेत्रों में अपनी तैनाती को एक दण्ड के रूप में मानते हैं। दूसरे, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना जैसी बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं जनजातीय क्षेत्रों में बहुत कम हैं। अतः, विशिष्ट समस्याओं और कार्यकारी वातावरण को ध्यान में रखते हुए जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक अलग कार्मिक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अधिकारियों और स्टाफ की तैनाती प्रोत्साहित की जा सके, जो प्रोत्साहनों की एक उपयुक्त पद्धति के माध्यम से ईमानदार, मेहनती तथा जनजातीय कारणों के अनुकूल हो। दूसरे निम्नतर स्तर के पदाधिकारियों के लिए अलग जिला संवर्गों का गठन किया जाना आवश्यक है जिनमें अनु0जनजाति का आरक्षण समग्र राज्य के रूप में न होकर जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। यह अधिक स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के योग्य बनाएगा तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्थानीय जनजातीय समुदायों की मानव शक्ति और भागीदारी की उपलब्धता में सुधार लाएगा।

जनजातीय शिक्षा की समस्या

9.57 जनजातीय लोगों के अनपढ़ होने और अपने पारम्परिक संसार से बाहर की दुनिया के बारे में आमतौर पर अनजान होने के कारण, ये लोग सरकारी अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और निहित स्वार्थों के अन्य एजेंटों के शोषण के जल्दी शिकार हो जाते हैं। चूंकि ये लोग परम्परागत रूप से मौखिक सूचना संचार के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए दस्तावेजों और नियमों के हवालों से उन्हें परेशानी होती हे और वे उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए यह प्रकट है कि लिखने और पढ़ने की योग्यता सबसे पहली आवश्यकता है, ताकि जनजातियों के लोग एक पराए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में काम कर सकें। जनजातीय समुदायों में शिक्षा की प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही है और इसके कई कारण हैं। पहला, यह कि जनजातीय समाजो में अभी हाल तक स्कूलों और औपचारिक शिक्षा की कोई परम्परा नहीं थी और शिक्षा के लाभें से अपरिचित थे। दूसरे, जनजातीय बच्चे बहुत छोटी उम्र से घर के विभिन्न ऐसे विभिन्न क्रियाकलापों में अपने माता-पिता की संहायता करना शुरू कर देते हैं, जिनका परिवार की आजीविका से संबंध होता है और इसलिए बच्चे को स्कूल भेजने का अर्थ परिवार को आर्थिक हानि के रूप मे लिया जाता है। तीसरे, स्कूल के पाठ्यक्रम का

आम तौर पर उनके अपने सामाजिक-आर्थिक वातावरण के साथ कोई संबंध नहीं होता और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, शिक्षा प्रायः ऐसी भाषा में दी जाती है जो उनके लिए पराई होती है अथवा जिससे वे पूरी तरह परिचित नहीं होती।

9.58 जनजातियों के लोग एक दूसरे काफी दूर-दूर छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं जहां संचार सुविधाएं अत्यल्प मात्रा में होती हैं ; इससे भी जनजातीय लोगों की शिक्षा के हित की पूर्ति में सहायता नहीं मिलती। शिक्षण और उससे संबंधित सुविधाओं का नीचा स्तर भी जनजातीय लोगों के निरन्तर शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। अधिकतर स्कूलों की इमारतें घटिया किस्म की अथवा खपरेल बनी होती है। शिक्षण स्टाफ के लिए कोई क्वार्टर नहीं होते और जनजातीय गांवों में किराये पर रहने का स्थान उपलब्ध नहीं होता। न्यूनतर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से गैर-जनजातीय अध्यापक दूरस्थ जनजातीय गांवों में काम करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं और ऐसे गांवों में नियुक्त अध्यापकों में अनुपस्थिति की दर समान्यतः काफी ऊंची होती है।

9.59 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के पचास वर्षों में जनजातियों के साक्षरता को बढ़ाने में जो प्रगति हुई है, वह बहुत कम संतोषजनक है। 1991 में 52.21 प्रतिशत की सामान्य साक्षरता दर की तुलना में, जनजातियों की साक्षरता की दर केवल 29.60 प्रतिशत थी। जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता-दर 20 प्रतिशत से कम थी और देश में ऐसे 136 जिले थे, जहां जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता की दर 10 प्रतिशत से कम थी। राजस्थान राज्य में महिलाओं की साक्षरता-दर सबसे कम अर्थात 4 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता के निम्न स्तर के अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में दी जाने वाली शिक्षा की कोटि वास्तव में बहुत घटिया है। शिक्षा के घटिया स्तर के परिणामस्वरूप, नौकरियों में अनुसूचित जनतातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता से अभी भी बहुत कम बना हुआ है। केंद्रीय सरकार की सेवाओं में उनका प्रतिनिधित 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार समूह क में 2.89 प्रतिशत, समूह ख में 2.68 प्रतिशत, समूह ग में 5.69 प्रतिशत और समूह घ में 6.48 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, यह 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार समूह क में 2.27 प्रतिशत और समूह ख में 3.52 प्रतिशत था। संबंधित संगठन ताजा स्थिति की जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।

9.60 इसलिए, जनजातीय शिक्षा को प्रभावकारी और सार्थक बनाने के लिए जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण की वास्तविकताओं को उनकी शिक्षा नीति में बड़े ध्यानपूर्वक मिलाया जाना जरूरी है। शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने के अलावा, उसकी विषय-वस्तु को उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संगत बनाया जाना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जिसमें शिक्षा प्राप्ति सद्भावना और सहानुभूति के वातावरण में हो। अध्यापकों को उनकी भाषाओं और उनके सांस्कृतिक वातावरण की जानकारी अवश्यमेव होनी चाहिए। जनजातीय बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर उपलब्ध हैं, उनमें वृद्धि किए जाने की भी शीघ्र आवश्यकता है।

9.61 जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं और उच्च कोटि की शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की सिफारिश की जाती हैः

(i) **इस समय जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एक विभाजित जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज संस्थाएं और गैर - सरकारी संगठन सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रणाली को दोषरहित बनाए जाने की जरूरत है और एक ऐसा केन्द्रीकृत समन्वय तंत्र होना चाहिए, जिससे जनजातियों के शिक्षा**

कार्यक्रमों का उपयुक्त मानीटरिंग सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) **बहुत से जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं/ बोलियां हैं और प्रायः वे उस मुख्य भाषा से बिल्कुल भिन्न होती हैं, जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए, यह जरूरी है कि शिक्षण सामग्री कम से कम प्राथमिक स्तर के लिए, उनकी अपनी भाषाओं में तैयार की जाए, ताकि जो कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है, उसे वह बेहतर तरीके से समझ सकें।**

(iii) **जनजातीय लोग एक दूसरे से दूर छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचा हो जाता है और अध्यापकों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए मुख्य रूप से स्थानीय जनजातीय समुदायों के अध्यापकों को भर्ती करने के गम्भीर प्रयास करने चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सम्बन्धित नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए।**

(iv) **उच्च कोटि की शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, ऐसे रिहायशी स्कूलों का जाल स्थापित करने की जरूरत है, जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मौजूदा सुप्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में गरीब और योग्य जनजातीय बच्चों की शिक्षा के वित्त पोषण की स्कीमें भी तैयार करनी चाहिएं। इन उपायों से जनजातीय लोग नौकरियों में आरक्षण की सरकारी नीति से अधिक कारगर और सार्थक तरीके से लाभ उठा सकेंगे।**

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषाहार

9.62 यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है और विभिन्न अध्ययनों से इसकी पुष्टि भी हुई है कि जनजातीय समुदायों में व्यापक रूप से कुपोषण व्याप्त है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मात्रा भिन्न-भिन्न है। घोर दरिद्रता, निरक्षरता, पर्यावरणिक स्थितियां, दुर्गम क्षेत्र, पारम्परिक विश्वास और रीति-रिवाज, ये सब बातें जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और पोषाहार की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 1989 में कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए एक कार्य दल के अध्ययन के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में याज़, गलगंड, मलेरिया और गिनी कृषि जैसे रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है। अधिकतर जनजातीय समुदायों का खान-पान अनियमित होता है। चूंकि वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनका आहार मौसम में होने वाले परिवर्तनों के अधीन होता है, जो कमी वाले महीनों में अत्यल्प होता है। जनजातियों के लोगों की पोषाहार की स्थितियों का कोई युक्तिसंगत रूप से स्वीकार्य आकलन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक मौसम से दूसरे मौसम में और दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है। यदि फसल अच्छी हो, तो भी खाद्य की उपलब्धता निश्चित नहीं होती। जनजातीय लोगों को आम तौर पर खाद्य वस्तुओं का भंडार जमा करने की आदत नहीं होती। जब वे फसल की कटाई करते हैं, तो उन्हें उसका अधिकांश भाग बेचना पड़ता है, ताकि वे अपने ऋणों को चुका सकें।

9.63 लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि जनजातीय लोगों ने अपने अलग-अलग अस्तित्व के दौरान एक वैकल्पिक चिकित्सा-पद्धति विकसित की है। उनके पास ऐसी विभिन्न जड़ी-बूटियों, पौधों, कीड़ों और पशुओं के बारे में जानकारी का विशाल भंडार है, जिनमें चिकित्सकीय गुण होते हैं। इन औषधियों और रीतियों का, जिन्होंने जनजातीय समुदायों को हजारों वर्षों से जीवित रखा है, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के साथ मिलाया जाना चाहिए।

9.64 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों और उप केन्द्रों वाली मौजूदा लोक स्वास्थ्य डिलिवरी प्रणाली जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को वांछित सीमा तक पूरा नहीं कर पाई है, हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में इन सुविधाओं की स्थापना के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों को ढ़ीला बना दिया है। जनजातीय समुदायों की निरक्षरता, अज्ञान और स्वभावगत संकोच के कारण, वे स्वास्थ्य सेवाओं का, यदि वे उपलबध भी हो, पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं। लेकिन, प्रमुख समस्या है ऐसे मेडिकल और पैरा-मेडिकल कार्मिकों का उपलब्ध होना, जो जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए रजामंद हों।

9.65 इसलिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अलग कार्यनीति विकसित करने की जरूरत है, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

(i) चूंकि जनजातीय समुदाय दूर-दूर बिखरे हैं, इसलिए ढ़ीले किए गए मानदंडों द्वारा भी जनसंख्या की कसौटियों से स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त कवरेज की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अतः इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र के बीच की दूरी एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात होना चाहिए।

(ii) डाक्टरों के अधिकतर पद खाली पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसी नीतियां तैयार करना जरूरी है, जिनसे डाक्टरों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में काम करना आकर्षक बन जाए। यदि विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, तो भी इस समस्या के कायम रहने की संभावना है। जनजातीय क्षेत्रों की स्वास्थय संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं और वहां की काम की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम को उपयुक्त रूप से संशोधित करके, ऐसे क्षेत्रों के लिए डाक्टरों का एक अलग संवर्ग बनाने के बारे में विचार करना उचित होगा।

(iii) भर्ती नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित करके, पैरा-मेडिकल और अन्य निम्न स्टाफ मुख्यतः स्थानीय जनजातीय समुदायों में से लिया जाना चाहिए।

(iv) एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई.सी.डी.एस.) की व्याप्ति (कवरेज) जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सीमित है और लघु आंगनबाड़ियों की अवधारणा से उनकी आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी नहीं होतीं। एक आंगनबाड़ी के बजट को 10 लघु आंगनवाड़ियों में विभाजित करके और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय को घटा कर 50 रूपए प्रति मास कर देने से प्रभावकारी सेवा प्रदान करना असंभव है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में लघु आंगनबाड़ियों के कार्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अधिक कारगर ढंग से कार्य करे।

जनजातियां और वन

9.66 वनों और जनजातियों के बीच के परस्पर-निर्भरता वाले संबंधों को भली-भांति स्वीकार किया जाता है। उनकी बस्तियां आम तौर पर वनों के निकट स्थित होती हैं और वे बनाने, ईंधन, चारे और अक्सर जंगली फलों, कंद-मूल और शिकार के जानवरों के रूप में खाद्य के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि जनजातियों को प्रायः वनवासी कहा जाता है। आम तौर पर, वनों और जनजातियों के बीच एकगहरा आपसी संबंध होता है और उनका अस्तित्व और विकास एक दूसरे पर

निर्भर करता है। जनजातीय समुदायों के विश्वास, रीति-रिवाज और परम्पराएं घनिष्ठ रूप से वनों और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के साथ जुड़ी होती हैं।

9.67 आधुनिक उद्योगों की मांगों के परिणामस्वरूप वनों का वाणिज्यिक दोहर शुरू हुआ और इमारती लकड़ी और अन्य उत्पादों के निष्कासन को विनियमित करने के लिए बड़े - बड़े वनों को "आरक्षित" घोषित किया गया और उन्हें सरकारी सम्पत्ति के रूप में कब्जे में ले लिया गया, जिन पर वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर थे। जहां जनजातियों को कुछ वन उत्पादों जैसे घास और ईंधन के लिए लकड़ी लेने की छूट दी गई है, वहां इसे एक 'रियायत' समझा गया था, जिसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता था। वनों में अपने अधिकारों के प्रश्न पर विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए हैं। कई समितियों और आयोगों ने वनों और जनजातियों के बीच के संबंधों के प्रसंग की जांच की है। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति संबंधी संकल्प में यह स्वीकार किया गया है कि वनों के अंदर और उनके निकट रहने वाले जनजातीय लोगों का जीवन वनों के ईद-गिर्द घूमता है और उसमें घोषणा की गई है कि उन्हें जो अधिकार और रियायतें प्राप्त हैं उनकी पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए और ईंधन, लकड़ी, चारे, गौण वन उत्पादों और निर्माण सामग्री संबंधी उनकी घरेलू आवश्यकताओं के लिए वन उत्पादों पर सबसे पहला हक उनका होना चाहिए। अन्ततः भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 में पारित किया गया और संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आठ राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में गौण वन उत्पादों का स्वामित्व ग्राम सभाओं में निहित किया गया है।

9.68 पिछले पैराग्राफ मे उल्लिखित घटनाक्रम के बावजूद, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां राष्ट्रीय वन नीति और वनों तथा वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न कानूनों का जनजातीय समुदायों की वास्तविक जरूरतों के साथ टकराव होता है। प्रधान मंत्री ने 5 दिसम्बर, 1999 को संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्मेलन में भाषण देते हुए राष्ट्रीय वन नीति और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश दिए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदायों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। इसलिए प्रधान मंत्री के निदेशानुसार नीति और कानूनों में अपेक्षित संशोधन करने की अविलम्ब आवश्यकता है।

9.69 कुछ ऐसे विशिष्ट मामलों पर, जिनमें जनजातीय लोगों की शिकायतें आयोग के ध्यान में हस्तक्षेप करने के लिए लाई गई हैं, नीचे चर्चा की गई हैः

I. मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण का विनियमन

जुलाई, 1990 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में अतिक्रमित वन भूमि के कुछ भाग के विनियमन की अनुमति देते समय, शेष अतिक्रमण के विनियमन पर विचार करने से पहले कुछ शर्तें लागू की थीं। जब मंत्रालय 1976 से पहले के अतिक्रमणकर्त्ताओं से संबंधित प्रस्ताव की जांच कर रहा था, तो राज्य सरकार ने 24-10-1980 तक, अर्थात वह तारीख जिस दिन वन (संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ था, के सभी अतिक्रमणों का विनियमन किए जाने का एक और प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। आयोग काफी देर से लम्बित पड़ी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए राज्य सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य संबंधित अभिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ तीन बैठकें कर चुका है। यह पता लगा है कि अन्य राज्यों में भी जनजातीय लोगों द्वारा वन भूमियों के अधिभोग को विनियमित करने की ऐसी ही समस्याएं हैं, जिनकी ओर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

II. **कर्नाटक में काबिनी जलाशय, बान्दीपुर अभयारण्य और नगरहोल राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास**

कर्नाटक के इन क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने आयोग के ध्यान में यह बात लाई है कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत दो दशक पहले विस्थापित जनजातीय लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक, इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए तत्काल बुलाई। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर, राज्य सरकार ने विस्थापित जनजातीय परिवारों को पुनर्वास पैकेज प्रदान करने के लिए धनराशि अलग से निर्धारित कर दी है। और पुनर्वास के लिए निर्धारित भूमि का पता लगाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी हे। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें राज्य के वन विभाग ने अभ्यारणों और राष्ट्रीय पार्कों के अन्दर पड़ने वाली भूमि से जनजातीय लोगों को, उनके पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना, निष्कासित कर दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऐसे सभी जनजातीय परिवारों के पुनर्वास के लिए, जिन्हें विभिन्न अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के अंतगर्त वनों से निष्कासित किया गया है, तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

III. **उड़ीसा में कतिपय खनिज विकास परियोजनाओं के अंतर्गत जनजातीय लोगों का विस्थापन**

उड़ीसा आदिवासी मंच ने आयोग के ध्यान में यह बात लाई है कि उड़ीसा में कतिपय खनिज विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अभिग्रहण, जनजातीय लोगों की सहमति प्राप्त किए बिना और पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था किए बिना किया गया, जैसाकि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित है। आयोग को सामाजिक विकास परिषद की एक टीम की यह रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि का अभिग्रहण किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सामाजिक विकास परिषद की रिपोर्ट और आयोग के हस्तक्षेप के आधार पर, मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों और उत्कल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को पुनर्वास पैकेज की फिर से जांच करने के अनुदेश दिए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पैकेज विस्थापित व्यक्तियों को स्वीकार्य हो।

9.70 उदाहरण के रूप में इन कुछ मामलों की चर्चा इस बात पर बल देने के लिए की गई है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यह नीति लगभग एक दशक से विचाराधीन है और इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । इस बीच लाखों परिवारों को, जिन्हें विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विस्थापित किया गया है और इसके अलावा उन अन्य परिवारों को जिन्हें विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, पर्याप्त मुआवजे और उपयुक्त पुनर्वास के बिना कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए आयोग केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को समुचित प्राथमिकता दी जाए और इसे और अविलम्ब किए बिना अन्तिम रूप दिया जाए।

जनजातियां और उत्पाद-शुल्क नीति

9.71 विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर स्थानीय रूप से निर्मित एल्कोहोलयुक्त पेयों का सेवन करना, जनजातीय जीवन की परम्पराओं का भाग है। लेकिन जब उनकी अर्थवयवस्था का मौद्रीकरण शुरू हुआ और वे गैर-जनजातीय लोगों के सम्पर्क में आए, तो एल्कोहलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक बिक्री द्वारा जनजातीय लोगों की इस कमजोरी का अनुचित लाभ उठाया गया और जनजातीय समुदायों में सांस्कृतिक विकृतियां उत्पन्न हुई, वे कर्जदार हो गए और उनकी गरीबी में बढ़ोतरी हुई। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, गृह मंत्रालय ने 1975 में जनजातीय क्षेत्रों में एल्कोहोलयुक्त पेयों के उत्पादन और उनकी ब्रिक्री को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए:

(i) जनजातीय क्षेत्रों में एल्कोहोलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक बिक्री बन्द कर दी जानी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लोगों को घर में और धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपभोग के लिए पारम्परिक एल्कोहोलयुक्त पेय तैयार करने की छूट दी जा सकती है।

(iii) अनुसूचित जनजातियों की एल्कोहोलयुक्त पेय पीने की आदत छुड़ाने की कोशिशें की जानी चाहिएं और इस प्रयोजन से, सरकारी और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9.72 हालांकि राज्य सरकारों ने आम तौर पर इन मार्ग निर्देशों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इन मार्ग निर्देशों के कार्यान्वयन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अधिकतर राज्य सरकारें शराब के ठेकेदारों को जनजातीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे रही हैं। कर्नाटक में जनजाति-बहुल क्षेत्र से 100 मीटर दूर से बाहर के इलाके में शराब की दुकान खोलने की अनुमति है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के माध्यम से देसी शराब/आई.एम.एफ.एल. की बिक्री की अनुमति है। सिक्किम में जनजातीय क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यिक बिक्री पर कोई पाबन्दी नहीं है। इन बातों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जनजातीय क्षेत्रों में एल्कोहोलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक बिक्री को रोकने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जा रहा ।

9.73 हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में शराबखोरी की मात्रा के बारे में और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों पर उसके कुप्रभाव के बारे में कोई अधिकारिक अध्ययन उपलब्ध नही हैं, फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि एल्कोहोलयुक्त पेयों का सेवन जनजातियों के लोगों के सामजिक-आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी की नीति को कार्यान्वित करने, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में एल्कोहोलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक बिक्री को रोकने की अविलम्ब आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, अतिशय मदिरापान के कुप्रभावों के बारे में जानकारी बढ़ाने और जनजातीय लोगों को इस बुरी लत से छुड़ाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा और गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों को शामिल करके कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग

9.74 अनुसूचित जनजातियों के विशेष सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक पर्यावरण द्वारा उत्पन्न बाधाओं को स्वीकार करते हुए, हमारे संविधान के निर्माताओं ने इन जातियों को शोषण से बचाने और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष उपाय करने के लिए विशिष्ट उपबंध करना जरूरी समझा था। संविधान के अनुच्छेद 339 में मौजूदा विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता की समीक्षा करने और मौजूदा कार्यक्रमों में उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव देने अथवा नई कार्यनीति और

कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिए प्रत्येक 10 वर्षों के बाद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के एक आयोग का गठन करने का उपबन्ध भी किया गया था। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित किए गए स्थाई आयोग के विपरीत, धारा 339 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गठित आयोग एक अथवा दो वर्षों की अल्पावधि के लिए होगा। अब तक इस उपबंध के अंतर्गत केवल एक आयोग 1960 में श्री यू.एन.धेबर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा करने और जनजातीय स्थिति और उनकी विकास संबंधी जरूरतों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक भिन्न कार्यनीति की सिफारिश की थी। धेबर आयोग की 1961 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति तैयार करने का आधार बनी।

9.75 चूंकि मौजूदा कार्यक्रमों से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ सका है, इसलिए जनजातीय विकास की कार्यनीति की समीक्षा करना वांछनीय समझा गया। अतः संविधान के अनुच्छेद 399 के अंतर्गत एक अन्य आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। मंत्रिमंडल ने 1995 में आयोग की, जिसका मुख्यालय रांची में हो, स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया। बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली में रखने का संशोधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। लेकिन किसी न किसी कारणवश, इस फैसले को क्रियान्वित करने में असाधारण देर हो गई है। आयोग का सरकार से अनुरोध है कि वह इस आयोग को स्थापित करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि इसके अध्यक्ष और बहुसंख्यक सदस्य जनजातीय समुदायों के हों।

राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान

9.76 जनजातीय समुदायों के बीच विद्यमान सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की भारी मात्रा को देखते हुए और उनकी परम्पराओं, भाषाओं और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं की सीमित जानकारी प्राप्त होने के कारण, राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की सलाह दी गई थी। अब तक 14 राज्यों ने जनजातीय अनुसंधान स्थापित किए हैं, जो जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करने में राज्य सरकारों को सलाह देने के अलावा, जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन संस्थानों का आंशिक वित्त पोषण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और अनुसंधान-अध्ययनों के बारे में उनके कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के निकट तालमेल से तय किए जाते हैं।

9.77 1961 में धेबर आयोग से शुरू करके, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त की गई कई समितियों और आयोगों द्वारा जनजातीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संसद की प्रवर समिति ने संकेत दिया कि जनजातियों का पता लगाना और अनुसूचित सूचीयों में उन्हें शामिल करना अथवा बाहर निकालना, प्रस्तावित संस्थान का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अब जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने जनजातीय कार्यों के प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए, डा0 भूपिन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1998 में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कार्यचालन और उनके क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता और प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान के उद्देश्यों और कार्यों, इसके संगठनात्मक ढांचे और संस्थान की स्थापना से संबंधित अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी।

9.78 मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था और इसके खर्च को पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन अब लगभग दो वर्षों से इस बारे में आगे और कोई प्रगति नहीं हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण की एक शीर्ष संस्था की लम्बे समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करने के लिए इस संस्थान के कार्यचालन के मूर्त रूप देने के लिए तत्काल अगले आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

आदकालीन जनजातीय समूहों का विकास

9.79 जनजातीय समुदायों में कुछ समूह ऐसे हैं, जो सभ्यता की प्रगति से अछूते रहे हैं। 1961 में घेबर आयोग की रिपोर्ट में इस सबसे अधिक पिछड़ी हुई तह तक के विकास के लिए विशेष विचार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। वर्ष 1969 में शीलू ए.ओ.दल ने भी सुझाव दिया था कि राज्यों को उन वास्तविक पिछड़े हुए जनजातीय समुदायों को चुनना चाहिए, जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति तैयार करते समय यह फैसला किया गया था कि आदिकालीन समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिएं और यह सुझाव दिया गया था कि इनका पूरा वित्त पोषण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाए। इन समितियों और 1975 में आयोजित एक कार्यशाला के सुझावों के आधार पर आदिकालीन जनजातीय समूहों के पहचान की ये कसौटियां तय की गई थीं : (क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी ; (ख) साक्षरता का निम्न स्तर ; और (ग) गतिरुद्ध अथवा घटती हुई जनसंख्या। इन कसौटियों के आधार पर 15 राज्यों में 75 समुदायों को आदिकालीन जनजातीय समूह की पहचान की गई थी और जनजातीय उप-योजना के भाग के रूप में राज्य सरकारों को उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष उपाय करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए गए।

9.80 इन समूहों के विकास के लिए किए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप के रूप में, इनमें से कुछ समुदाय ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां उन्हें आदिकालीन समूह नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी भी ऐसे कई समुदाय हैं, जिनका अपना अलग-थलग अस्तित्व है और जिनका बाहरी दुनिया से बहुत सीमित सम्पर्क है अथवा कुछ मामलों में तो कोई सम्पर्क नहीं है। आदिकालीन जनजातीय समूहों के सबसे अधिक स्पष्ट उदाहरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सेंटीनीलीज़ का अभी भी बाहर की दुनिया से कोई सम्पर्क नहीं है और वे बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। जारबाओं की स्थिति भी इनके समान है, लेकिन उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के कुछ सफल प्रयास किए गए हैं। शोम्पेन की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन उनका अस्तित्व भी आदिकालीन बना हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन को ग्रेट अंडमानियों और ओंगर को बस्तियों में बसाने में सफलता मिली है, लेकिन अतिशय संरक्षण के परिणामस्वरूप उनकी सामान्य जनजातीय भावना मर गइ है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से सरकारी सहायता के मोहताज हो गए हैं। मुख्य भूमि में भी बस्तर के अभूय-मादिया, कोरोपुट के बोंडो, फुलबनी के काटिया-कोंध और किओंझर जिले के जुआंग जैसे समूह हो, जो अलग-थलग और आदिकालीन जीवन जी रहे हैं।

9.81 21वीं शताब्दी में और योजनाबद्ध विकास के 50 वर्षों के बाद भी आदिकालीन जनजातीय समूहों का अस्तित्व एक असंगति है। इन समूहों की विकास के प्रक्रिया को तेज बनाने और इन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1998-99 में अनन्य रूप से आदिकालीन जातीय समूहों के लिए एक नई स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, आई.टी.डी.पी. और टी.आर.आई. को इन समूहों का समयबद्ध तरीके से एकीकृत विकास करने की व्यापक योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.82 आयोग आदिकालीन जनजातीय समूहों के विकास के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें करता हैः

i इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 75 आदिकालीन जनजातीय समूहों में से प्रत्येक समूह विकास के किस स्तर पर पहुंचा है, इन समूहों की सूची को संशोधित करने का कार्य हाथ में लिया जाए और केवल उन समुदायों को इस सूची में बनाए रखा जाए, जिनके आर्थिक विकास के अत्यन्त निम्न स्तर को देखते हुए जिनकी ओर सचमुच विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, अथवा जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है।

ii विकास की कार्यनीति में उनकी परम्परागत जीवन-शैली को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति और परमपराओं को नष्ट किए बिना, जैसाकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट अंडमानियों और ऑग्स के मामले में हुआ है, अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

iii आदिकालीन जनजातीय समूहों के विकास की नई स्कीम को समुचित ध्यान से और उपयुक्त मानीटरिंग तंत्र के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि अगले दशक में कोई भी समुदाय आदिकालीन न रहे।

अनुबंध 9.I

1992-93 से 1998-99 तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन जारी की गई राज्यवार राशि

क्र0सं0.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998- 99
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	1539.22	1947.10	2140.32	2287.52	2581.54	2728.47
2.	असम	1077.61	1087.57	1112.67	1545.19	127.71	1460.00	2069.56
3.	बिहार	3175.25	3497.39	1748.70	274.22	336.4		0.00
4.	गुजरात	1855.84	2234.77	2491.56	3060.26	2642.95	2632.77	3689.70
5.	हिमांचल प्रदेश	403.39	755.03	450.57	541.62	622.44	521.89	689.44
6.	जम्मू एवं कश्मीर	296.14	518.6	550.63	756.64	681.54	521.89	739.22
7.	कर्नाटक	327.42	439.76	409.03	659.99	569.5	500.00	686.64
8.	केरल	207.23	167.25	126.3	181.2	153.71	196.12	408.17
9.	मध्य प्रदेश	6785.01	8117.65	7535.72	9579.66	7695.71	9207.83	9476.17
10.	महाराष्ट्र	1815.21	2234.35	2196.34	2930.82	3160.78	3400.89	3532.21
11.	मणिपुर	383.41	417.12	432.81	574.53	653.22	950.00	779.52
12.	उड़ीसा	3378.03	3603.23	3956.55	4958.1	4411.44	5576.21	5911.86
13.	राजस्थान	1679.46	2664.68	2202.79	2819.4	2467.3	2341.13	3475.72
14.	सिक्किम	60.93	73.67	75.1	100.19	138.41	60.00	60.00
15.	तमिलनाडु	270.72	214.05	256.88	274.44	238.81	243.71	295.91
16.	त्रिपुरा	414.94	372.37	480.01	564.97	594.48	885.00	977.77
17.	उत्तर प्रदेश	58.4	69.22	70.41	104.08	90.39	112.91	57.54
18	पश्चिम बंगाल	1171.67	1319.06	335.83	1763.21	1558.07	1600.39	2222.10
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	86.13	77.22	85.5	112.21	95.18	118.00	133.90
20	दमन एवं दीव	23.87	28.29	35.5	59.31	49.82	50.75	65.10
	योग	25000.00	29430.50	26500.00	33000.36	28575.38	32961.03	37999.00

अध्याय X

मुख्य सिफारिशों का सारांश

भिन्न भिन्न अध्यायो में विस्तृत सिफारिशें की गई है। प्रत्येक अध्याय में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है।

सं0	सिफारिश	पैरा सं0
	अध्याय III - सांविधानिक सुरक्षण	
1	आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रोन्नति में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-97 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों तक दिया जाना चाहिए । समाज के अत्यधिक दलित वर्ग को उसका हिस्सा दिलवाने तथा कार्य का अवसर प्रदान करने तथा प्रबन्धन में योगदान देना सुनिश्चित करने के लिए आयोग अपनी सिफारिश को दोहराता है ।	3.30
2	इसलिए आयोग अपनी चौथी रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दोहराता है कि आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाए और अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट इसके प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाए । अनुच्छेद 338 के खंडों में समुचित संशोधन करते हुए यह कार्रवाई की जाए ।	3.33
3	हालांकि आयोग को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं जिनमें न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य ही शामिल हैं, अपितु योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन सभी मुख्य नीतिगत मामलों में चपरामर्श देना भी शामिल है जिनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है, किन्तु इसे जो शक्तियां दी गई हैं, वे इन मुद्दों पर कारगर ढ़ग से कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । ये सुझाव स्वरूप में अनुशंसात्मक है और बाध्यकारी नहीं हैं । आयोग महसूस करता है कि इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अंतर्गत आयोग को और कारगर शक्तियां प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है ।	3.34
	अध्याय IV - पंचायती राज और विकेन्द्रित शासन	
1	परिभाषा द्वारा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों की प्रबलता रखते हैं और पंचायती राज निकायों में उन्हें स्थाई समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य बनाए जाने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। इस अपेक्षा को विधान में सुसाध्य बनाया जाना चाहिए। अन्यथा, विकास का मानकीकृत पैकेज इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए जारी रहेगा तथा पैकेज में स्कीमें हो सकती हैं, जिन्हें जनजाति के लोग न समझ सकते हैं और न ही उनके लिए अधिक उपयोगी हैं। यह स्थिति अनेक तरीकों के हस्तांतरण पैदा करेगी । दूसरी तरफ, पंचायती राज निकायों में अनुसूचित क्षेत्रों में पर्याप्त जनजातीय प्रतिनिधित्व नीति में अपेक्षित परिवर्तन और स्थानीय परिवर्तन	4.35 (i)

विकास का संतोष उत्पन्न कर सकता है तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में लोगों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।

2	पीआरआईज में बहु स्तरीय योजना की प्रक्रिया को गति प्रदान की जानी चाहिए।	4.35 (ii)
3	विद्यमान भू-राजस्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं।	4.35 (iii)
4	चूंकि सरकारी विभागों, में ग्रामीण तथा जनजातीय विकास से संबंधित योजनाएं पंचायतों को अंतरित कर दी हैं, इसलिए इन योजनाओं के पर्यवेक्षण, अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए स्पष्ट उपबंध होने चाहिएं।	4.35 (iv)
5	स्थानीय लोगों की कारगर भागीदारी की कमी के लिए समस्त अधिकारों का प्रयोग नौकरशाही द्वारा करना जारी है। संघर्ष मंत्रियों द्वारा गंभीर बनाया जाता है जो नौकरशाहों को अपनी मौज और रूचियों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करते हैं।	4.35 (v)
6	समस्या का मूल कारण यह है कि 11वीं अनुसूची निकाय के तीन स्तरों के कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं करती हैं।	4.35 (vi)
7	राज्य में स्वशासन की प्रक्रिया के बारे में पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अभी असंतोषजनक है और इसे अग्रता दी जानी चाहिए।	4.35 (vii)
8	अनेक महिला प्रतिनिधियों ने बताया है कि पंचायतों को दी गई शक्ति वास्तविक नहीं है तथा उनका, नौकरशाहों की दया पर बना रहना जारी है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को शक्ति हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं।	4.35 (viii)
9	संविधान का अनुच्छेद 243 छ राज्य के विधान मंडलों को विधि द्वारा, पंचायतों को ऐस शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रू में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी विधि म निम्नलिखित के संबंध में पंचायतों को उपर्युक्त स्तर पर शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध सम्मिलित हों,अर्थात (क) आर्थिक विकास औ सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना । (ख) ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीब मामलों सहित ऐसी योजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन करना जो उन्हें सौंपा जाए विकेन्द्रीकरण की समूची स्कीम का केंद्र बिंदु यही है । यद्यपि " स्वायत्तशासन की संस्थ " शब्दों का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया है, फिर भी इसका अर्थ स्पष्ट है केवल वे संस्थाएं जो तीन आधारभूत शर्तों को पूरा करती हैं अर्थात (क) संस्थागत सत्त अर्थात जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं (ख) संस्थागत क्षमता अर्थात संस्था को स्वतंत्र रूप से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और (ग) वित्तीय व्यवहार्यता अर्थात अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की पर्याप्त शक्ति है, वे ही " स्वायत्तशासी संस्थाएं " कहलाने के योग्य होती है। इस प्रयोजन से जिस कार्य को किसी विशेष स्तर पर किया जा सकता हो उसे केवल उसी स्तर पर ह किया जाना चाहिए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तर के कार्यों क सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अतः पंचायत के लिए काय की एक पृथक सूची बनाए जाने की आवश्यकता है जिसे स्थानीय सूची का नाम दिय जा सकता है । सौंपे गए कार्यो को कारगर ढंग से निभाने के लिए पंचायतों क	4.74 (i)

वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, विकास कार्यक्रम की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन के लिए उनके पास पर्याप्त वितीय संसाधन औ अपेक्षित कार्मिक होने चाहिएं।

10 ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करती है। यह, ग्राम पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने में भाग लेने और उनके कार्यान्वयन में मॉनिटरिंग करने का अवसर प्रदान करती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि ग्राम सभा को वास्तव में सौंपी गई शक्तियां अपर्याप्त एवं सीमान्त होने के कारण ग्राम सभा की बैठको में लोग उत्साह से भाग नही ले रहे हैं। यदि ग्रामवासियों की दृष्टि में ग्राम सभा की बैठकों को उपयोगी बनाना हो तो यह आवश्यक होगा कि ग्राम सभा की खुली बैठकों में लाभों की स्वीकृत और संवितरित करने और पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करने और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार दिए जाएं । ग्राम सभा की बैठकें ऐसे समय पर आयोजित की जाएं जब महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग घर के कार्यो में अथवा मजदूरी पर व्यस्त न हों। 4.74 (ii)

11 जैसा कि पहले बताया जा चुका है महिलाओं (लगभग 2.5 लाख) सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 7 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि इन वर्गों के हैं। अतः यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को पंचायत के कार्यो के प्रबंधन के लिए अपेक्षित ज्ञान और निपुणता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यक्रमों और विषयों के कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को भी सुग्राहीकरण और पुर्वाभिमुखीकरण की आवश्यकता है । केन्द्र में नोडल मंत्रालय के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं जिनमें अ0 जा0 और अ0 ज0 जा0 को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण भी शामिल हों । इस संबंध में राष्ट्रीय, राज्य और जिला व उपजिला स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उच्च्व जाति के अत्याचारों से अपनी सुरक्षा के प्रति संवैधानिक सुरक्षणों, विशेष रूप से पी0 ओ0 ए0 अधिनियम, 1989 और पी0 सी0 आर0 अधिनियम 1955 के बारे में भी जानकारी दी जानी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए विभिन्न-माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसेः- (क) स्व-अध्ययन के लिए आकर्षक रूप में छापी गई मुद्रित सामग्री तैयार करना, (ख) श्रृव्य और दृश्य कार्यक्रमों को तैयार करना, (ग) आपसी विचार-विमर्श के कार्यक्रमों को तैयार करना। 4.74 (iii)

12 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों के विकास और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तार अधिनियम को प्रभावित करने वाले वन संरक्षण अधिनियम, राज्य आबकारी अधिनियम, गौण खनिज अधिनियम, साहूकार अधिनियम आदि जैसे केन्द्र और राज्य के कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। 4.74 (iv)

13 महिलाओं (राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर) सहित अ0जा0, अ0ज0जा0 की संख्या, उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पंचायती राज संस्था के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उनके निष्पादन से संबंधित व्यापक "डाटा बेस" विकसित करना होगा । इस 4.74 (v)

"डाटा बेस " के आधार पर विकेन्द्रित शासन में उनके राजनैतिक आरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक नीति विकसित की जाए ।

14 प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण कैम्पों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि को संचालित करके अ0जा0 और अ0ज0जा0 के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, और अ0जा0 और अ0ज0जा0 के संगठनों को आगे आना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उदारतापूर्वक अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 4.74 (vi)

अध्याय V - न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था और उन तक पहुंच

1 अनुसूचित जाति की बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा उससे ऊपर के संबंध में जहां इन समुदायों के बच्चों में स्कूल छोड़ने वालों की दर अधिकतर है, विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस समस्या को सही करने के लिए बीच में स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दर के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति की बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों की सुविधाओं की उपलब्धता कम से कम अन्य समुदायों के बच्चों के लिए स्कूल की सुविधाओं के बराबर लाए जाने की आवश्यकता है। 5.80 (i)

2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों के बच्चों की पहुंच केवल सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों तक है, जिनका शैक्षणिक तथा आधारभूत स्तर बहुत खराब है। ऐसे स्कूलों के स्तर में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 5.80 (ii)

3 योग्य तथा प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाने के लिए आवासीय स्कूलों का एक नैटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, जो पब्लिक स्कूल के मॉडल पर हों। जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय/मार्ग छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिएं और जनजातीय बच्चों को इन मार्ग छात्रावासों में 3 से 4 माह की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए, जब उनके माता-पिता आजीविका की खोज में बाहर जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भोजन, सफाई तथा विद्यालय/छात्रावास भवनों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना चाहिए। 5.80 (iii)

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए समस्त छात्रवृत्तियां, शिक्षावृत्तियां, इंटर्नशिपस, भत्ते आदि उचित तरीके से बढ़ाए जाने चाहिएं तथा उसकी वृद्धि कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप की जाए। 5.80 (iv)

5 मध्याह्न भोजन योजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों में, बीच में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने में सहायक हुई है। कार्यक्रम का विस्तार बढ़ाया जाना चाहिए तथा उसका कार्यान्वयन सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। 5.80 (v)

6 सरकार, कमजोर वर्गों में महिला साक्षरता में सुधार लाने के लिए, कस्तूरबा गांधी स्वतन्त्र विद्यालय योजना के अंतर्गत, 1997-98 से 250 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित करती आ रही है। इस योजना को बिना किसी और देरी के चालू किया जाना चाहिए। 5.80 (vi)

7 प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाए जाने के लिए संविधान (83वां संशोधन) विधेयक 1997 को शीघ्र पारित किया जाए। 5.80 (vii)

8 विद्यमान पब्लिक स्कूलों में, प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को नामित करने के लिए, एक केन्द्रीय योजना तत्काल शुरू की जाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पब्लिक स्कूलों के बराबर गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए। 5.80 (viii)

9 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों, शहरी गन्दी बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में उप केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्यमान मानदंडों में उचित तरीके से संशोधन किए जाएं। 5.80 (ix)

10 जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाएं बिना योग्य कार्मिकों के कार्य करती हैं। राज्य सरकार को, प्रोत्साहनों के पैकेज की व्यवस्था के माध्यम से मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु स्पष्ट नीतियां तैयार करनी चाहिएं। ऐसे प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के लिए मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल कार्मिकों हेतु अलग संवर्ग का गठन करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में स्वेच्छा से कार्य करने वालों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। 5.80 (x)

11 स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभावशीलता और पहुंच से बाहर में सुधार लाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की विद्यमान देशी पद्धतियों को प्रशिक्षण और पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से औषधि की आधुनिक पद्धति के साथ उचित तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए। 5.80 (xi)

12 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्यों के निर्धारण तक बेहतर सुविधा देने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके लिए एक अलग घटक की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग, अधिकांश राज्यों में, पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं रहा है, जिसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। 5.80 (xii)

13 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ऋण एवं सहायता योजना को, विशेष रूप से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए, लक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में 20,000/ रुपए और पहाड़ी अथवा कठिन क्षेत्रों में 22,000/- रुपए की विद्यमान सीमा बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि एक परिवार के सदस्यों को बसाने के लिए उचित मकान निर्मित किया जा सके। आयोग सुझाव देता है कि भंवन सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण 20,000/- रूपए के स्थान पर प्रति मकान सहायता कम से कम 30,000/-रूपए की जानी चाहिए। 5.80 (xiii)

14 ग्रामीण आवास तथा विकास निगम का समदृष्टि आधार अपर्याप्त है और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इस निगम का विशेष ध्यान, पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को, आवास मुहैया करवाना होना चाहिए। 5.80 (xiv)

15 जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन में अगम्यता मुख्य समस्या है। अतः जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने और अन्य सुविधाएं देने के लिए भी उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। 5.80 (xv)

16 आईसीडीएस की लागत का अपना हिस्सा पूरा करने और अपने कार्यक्रमों का आगे विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए अधिकांश राज्य कठिनाई का अनुभव 5.80 (xvi)

कर रहे हैं। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां समाज का अधिकांश असुरक्षित वर्ग होने और उनमें कुपोषण का प्रभाव अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम को विशेष रूप से उन पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।

17 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और विकास अनुवीक्षण के क्षेत्र में अधिक सघनता से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 5.80 (xvii)

18 आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अस्पृश्यता के व्यवहार के मामले आयोग के ध्यान में आए हैं । संबंधित अधिकारियों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों और उसके कारगर कार्यान्वयन के लिए जानकारी दी जानी चाहिए। 5.80 (xviii)

19 योजना आयोग द्वारा 1995 में गठित राष्ट्रीय नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, प्रति परिवार प्रति माह खाद्यानों का दस किलोग्राम का विद्यमान मान बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पीडीएस गरीब वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केन्द्रित होना चाहिए। 5.80 (xix)

20 पंचायती राज संस्थाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के संचालन की देखरेख में तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए, भी शामिल किया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को एक कार्ड जारी करने की भी पहले से व्यवस्था है। इन कार्डों में जाति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 5.80 (xx)

21 बहुत से राशन कार्डों की संख्या सही नहीं है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित आपूर्तियों की बड़ी मात्रा काले बाजार में समाप्त हो जाती है। जब तक ये कमियां बनी रहती हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य कष्ट झेलते रहेंगे। अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के लिए आपूर्तियों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए काला बाजार और धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए। 5.80 (xxi)

22 अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित राशन की दुकानें उनके द्वारा ही चलाई जानी चाहिए तथा सरकार को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दुकानें अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के नाम से अन्यों द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, सभी आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। 5.80 (xxii)

23 स्वाधीनता के 50 वर्षो के बाद भी, देश के कुछ भागों में, सिर पर मल ढोने की पद्धति जारी है। मैला ढोने वालों को समयबद्ध तरीके से मल ले जाने के व्यवहार से मुक्ति दिलवाने के लिए, मल व्यवस्था, जल निकास, कूड़ा करकट निपटान, स्वच्छ शौचालयों आदि में, अतिरिक्त निवेश किया जाना चाहिए। 5.80 (xxiii)

24 मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए शहरी निम्न लागत की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच उचित तरीके से समन्वित और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। 5.80 (xxiv)

अध्याय VI - गरीबी उपशमन, रोज़गार और आय-सृजन

1 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा शहरी क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस बात जा जायज़ा लेने के लिए विस्तृत अध्ययन करें कि गरीबी उपशमन 6.8

के कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को कम करने के मामले में कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है।

2 यह सुझाव दिया जाता है कि कृषि मजदूरों को कुशलता प्राप्त मजदूरों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि इन श्रमिकों को कृषि के तरीकों का कुछ हद तक कौशल और ज्ञान प्राप्त होना जरूरी होता है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के कर्मकारों की एक श्रेणी सफाई करने वालों की है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कर्मकारों द्वारा जो काम किया जाता है वह समाज के किस अन्य वर्ग द्वारा हाथ में नहीं लिया जा सकता, इन कर्मकारों को भी कुशलता प्राप्त कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की मान्यता से उन्हें कार्य की वह गरिमा प्राप्त होगी, जो इस श्रेणी के श्रमिक को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। 6.12

3 देश में भू-सुधार विधान पर नए सिरे से विचार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इन कानूनों और अधिनियमों का कार्यान्वयन कठोर होना चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के लिए सख्त दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। गरीब अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के किसानों को अपनी अपर्याप्त भूमि जोतों को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक गरीब अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति किसान को, अपनी खेती को सफल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रशिक्षण सहित कृषि निवेषों का एक पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए। 6.16

4 आयोग की सिफारिश है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को धनराशि की अधिक आवश्यकता है, उन्हें अधिक धनराशि आबंटित की जाए, मंत्रालय को खंडों के बीच धनराशि आबंटित करने के अपने मानदंडों की समीक्षा करनी चाहिए। इसे यह भी देखना चाहिए कि क्या कुछ खंडों के पास खर्च न हुई काफी बड़ी रकमें बची हुई हैं, जबकि अन्य खंडों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की अपेक्षाकृत ऊंची मांग के कारण अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां वैकल्पिक रोजगार की गुंजाइश बहुत सीमित है और कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार का सृजन करने के लिए धनराशियों की अधिक आवश्यकता है। संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत दी जानी वाली सहायता राशि को जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर होने वाले व्यय के लिए समुचित रूप से बढ़ाना चाहिए। 6.29

5 आयोग का विचार है कि रोजगार आश्वासन स्कीम का पुनर्गठन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के हिस्से को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिए जाने से उसके कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के संसाधनों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अपना तुलनीय हिस्सा चुकाने से दबाव पड़ेगा। 6.30

6 यह चिंता का विषय है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग देश के गरीब लोगों में सबसे अधिक गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 6.31

7 एस.जी.एस.वाई. के मार्गनिर्देशों में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या इन समितियों में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व होगा या नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस कार्यक्रम में समूह- नीति पर जोर दिया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यान्वयन अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समूहों में अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। 6.36

8 यह सिफारिश की जाती है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के अनु0जाति/ जनजाति लाभभोगियों को पूरे देश में पहचान पत्र दिए जाने चाहिएं। 6.45

9 आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु परिव्यय, बिना काल्पनिक परिमाणन के, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए और इसका, नीचे पैरा 6.51 में उल्लिखित किए गए अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, कारगर ढंग से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया हे कि अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों को 9 राज्यों द्वारा दूसरे कामों में लगाया गया है। यह एक गम्भीर मामला है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधियां किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं लगाई जाएं, निवारक उपाय किए जाने चाहिएं। 6.49

10 राष्ट्रीय अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि सभी मंत्रालयों को अपने अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करनी चाहिएं और अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेष संघटक योजनाएं कार्यान्वित करनी चाहिएं। केन्द्रीय मंत्रालयों को विशेष संघटक योजना के लिए अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष खोलने चाहिएं, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है। मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्टों में विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त विवरण शामिल करें। 6.52

11 राज्य सरकारों द्वारा धन के उपयोग का प्रभावकारी मानीटरिंग किए जाने की भी आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन एजेंसियों की ढील के कारण अनुसूचित जातियों की प्रगति में बाधा न आए। 6.58

12 ये मानदंड बहुत कड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में राज्य सरकारों को अपना हिस्सा पहले जारी करने में कठिनाई हो सकती है। इससे विशेष रूप से उन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास निगम पहले ही यह सूचित कर चुके हैं कि लाभभोगियों को बैंक-ऋण जारी कराने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे एस.सी.डी. निगमों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे बैंकों से अतिरिक्त संसाधन जुटा पाएंगे। इसलिए इन मानदंडों में उचित छूट देनी चाहिए। 6.59

13 दुगुनी गरीबी रेखा मानदण्ड की आय की अधिकतम सीमा अवास्तविक प्रतीत होती है। चूंकि यह अत्यधिक असंभावनीय है कि उस वर्ग में व्यक्ति 30 लाख रूपए की लागत वाली परियोजना के साथ आगे आएंगे। अतः राशि के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। 6.60

14 दुगुनी गरीबी रेखा मानदण्ड की आय की अधिकतम सीमा अवास्तविक प्रतीत होती है। 6.65
चूंकि यह अत्यधिक असंभावनीय है कि उस वर्ग में व्यक्ति 30 लाख रूपए की लागत वाली परियोजना के साथ आगे आएंगे। अतः राशि के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

15 इन आई.टी.आईज के पाठ्यक्रमों को ऐसा बनाया जाए ताकि अनुसूचित जनजाति की 6.66
उत्पाद्नों को बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए कुशलता को बढ़ावा मिले और उनके द्वारा तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए जो अधिक रोजगार अवसर प्रदान करते हैं।

अध्याय VII - सेवा संबधी सुरक्षण

1 आयोग सिफारिश करता है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 7.3
जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी विभिन्न रिपोर्टों में 7.3
सिफारिशें करता रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुशिक्षण (कोचिंग), सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविधालयों, अनुदान सहायता प्राप्त निकायों इत्यादि में आरक्षण लागू करने के लिए केन्द्रीय विधान पारित करने जैसे उपाय करके इस कमी को पूरा करने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थाओं में अनु0 जाति और 7.9
अनु0 जनजाति के लिए नियुक्तियों अथवा पदों और सीटों में आरक्षण विधेयक 1996 का प्रारूप तैयार किया है। आयोग इस विधेयक पर पहले ही अपनी टिप्पणी भेज चुका है। परन्तु इस विधेयक पर अभी विचार किया जाना है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विधेयक को तत्काल कानून बना दिया जाए और सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविधालयों और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अन्य शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।

4 राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग पुनः सिफारिश करता है कि 7.12
अनु0 जाति /अनु0 जनजाति कर्मचारी कल्याण सघों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाए दी जानी चाहिए।

5 यह अनुभव किया गया कि यह बेहतर होगा यदि राज्य सरकारें राज्यों के भीतर 7.13
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास संपर्क प्रकोष्ठ गठित करें और उन्हें यह दायित्व सौंपे कि वे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा आयोग और इसके राज्य कार्यालयों को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें ।

6 यह सुनिश्चित करने का उददेश्य से कि अनारक्षण का केवल अन्तिम उपाय के 7.15
रूप में सहारा लिया जाता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूरे मुददे की पुनः जांच की जानी चाहिए और अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की सीधी भर्ती के लिए व्यवस्था की जाए जहां उनके लिए बनाया गया पद प्रोन्नति द्वारा नही भरा जा सकता है। अनेक मामलों में पुनः जांच के लिए नियमों में संशोधन अपेक्षित

होगा। यह अनुभव किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं कि पदोन्नति श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पद भी केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे जाएं और ऐसे पदों पर अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल कतिपय बाध्यकारी परिस्थितियों में ही की जाए।

7 अनेंक मंत्रालयों/विभागों से उनके भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए कहा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन कतिपय मामलों को छोड़कर जहाँ सीधी भर्ती करना संभव नहीं है, सभी स्तरों पर सीधी भर्ती की जा सके। 7.15 (i)

8 जहाँ भर्ती नियमों में, पदोन्नतियों, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा करने का प्रावधान है, वहां प्राधिकारियों को अनारक्षण का सहारा लेने से पूर्व अन्य संभावनाओं अर्थात प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती का उपयोग कर लेना चाहिए। 7.15 (ii)

9 यधपि प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण् के आधार पर भरे गए पदों में कोई आरक्षण नहीं है तथापि प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि फीडर ग्रेड में पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही है और सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है तो वे अन्य मंत्रालयों विभागों से समान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों से. आरक्षित अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के पदों को भरें। 7.15 (iii)

10 जहाँ भर्ती नियमों में 100 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है और प्राधिकारी के लिए उसमें सीधी भर्ती के प्रावधान को आरंभ करना संभव नहीं है, वहां सीधी भर्ती के माध्यम से अवर स्तर पर समान संख्या में पदों को भरना सुनिश्चत किया जाए। 7.15 (iv)

11 ऐसे पदों के मामले में जिन्हे आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, प्राधिकारियों को किसी भी स्थिति में पदोन्नति कोटा को सीधी भर्ती में अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फीडर संवर्गो में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। जहां ऐसे मामलों में भर्ती नियमों का उल्लघंन किया गया हो वहा अनारक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 7.15 (v)

12 जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार फीडर ग्रेड में उपलब्ध है किन्तु पदोन्नति के लिए पात्र नही हैं वहां ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जो पैनल अनिर्णीत पड़े रहने (लंबित रहने) के दौरान पात्र होने वाले हैं, पैनल में आरक्षित पदों पर शामिल कर लिया जाना चाहिए और जब वे पदोन्नति के लिए योग्य हो जाएं तो उसके बाद उन्हें पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए। तब तक प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो कार्य की तात्कालिक आवशकता को ध्यान में रखते हुए तदर्थ व्यवस्था कर सकते है। 7.15 (vi)

13 रेलवे, रक्षा अर्ध-सैनिक संगठन तथा अन्य संगठनों में, जहां समान अपेक्षाएं है, सुरक्षा श्रेणियों में वैज्ञानिक /तकनीकी पदों के मामले पर आयोग सहमत हो सकता है । 7.15 (vii)

14 अनारक्षण के प्रपत्र (प्रोफार्मा) को भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सीधी भर्ती के प्रावधान को, अनु0जाति/अनु0जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता 7.15 (viii)

के कारणों आदि को उसमें शामिल किया जा सके। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कुछ कालमों को शामिल करके अनारक्षण के प्रपत्र (प्रोफार्मा) को संशोधित किया है, जैसे स्वीकृत पद, भरे हुए पद, आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भरे जाने वाले पद एवं कमी, यदि कोई हो, 2.7.97 की स्थति के अनुसार अनु0 जाति/ अनु0जनजाति का प्रतिनिधित्व जिन पदों को अब भरने का प्रस्ताव है, वे कैसे सृजित हुए अर्थात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के या सामान्य उम्मीदवांरों की सेवानिवृत्ति द्वारा, या उनकी पदोन्नति द्वारा, तथा दिनांक 2.7.97 की स्थिति के अनुसार पद-धारित रोस्टर, परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों को लिखा है कि यदि उन्होंने अनारक्षण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं तो वे संशोधित फार्मेट में प्रस्ताव भेज दें।

15 आयोग का विचार है कि समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल राजस्व अधिकारियों को अधिकार दिए जाए। यदि, प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र अथवा दावा की गई सामाजिक हैसियत मिथ्या पाई जाती है, मिथ्या दावा करने के लिए माता पिता / अभिभावक/उम्मीदवार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नियुक्ति करने वाले शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से प्रभावी कार्यवाई करते हुए यथा शीघ्र नियुक्ति / प्रवेश रदद किया जाना चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि समुदाय प्रमाण पत्रों के नियंत्रण और जारी करने संबंधी विधेयक को संसद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। 7.43

अध्याय VIII - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और उन पर हुए अत्याचार

1 इसी प्रकार, 1998 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं (1547) हुई; इसके बाद राजस्थान(1132) का स्थान आता है। आन्ध्र प्रदेश (359), बिहार (144), गुजरात (406), केरल(138), महाराष्ट्र (153), उड़ीसा (282) और उत्तर प्रदेश (110), कर्नाटक(71), सिक्किम (33) और तमिलनाडु (31) ने भी अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की घटनाओं की रिपोर्ट भेजी है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की कोई घटना नहीं हुई अथवा उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य थी। यह भी देखा जा सकता है कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इन राज्यों की सरकारों को चाहिए कि वे गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाएं। 8.21

2 प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पुलिस कार्मिकों के लिए अपनी पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अथवा अन्य ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें सुग्राही बनाया जा सके। 8.118 (i)

3	केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों संबंधी रिपोर्ट राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से समय पर प्राप्त की जाती है, ताकि इन अधिनियमों में निहित उपबंधों के अनुसार संसद में प्रति वर्ष समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। जहां अनु0 जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार अनियंत्रित हैं, वहां राज्य सरकार गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर हुए अत्याचारों को रोकने और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।	8.118 (ii)
4	एक व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है उसे किसी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	8.118 (iii)
5	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनयम, 1955 के उपबंधों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अत्याचारों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिएं। सरकार को जागरूकता कार्यक्रम में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की संगोष्ठियां आयोजित करने पर विचार करना चाहिए।	8.118 (iv)
6	दण्डात्मक और बचाव संबंधी उपायों के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों एवं अत्याचारों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।	8.118 (v)
7	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन पर संस्थाओं द्वारा अब तक किए गए विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं की जाती है, सक्षम पुलिस प्राधिकारियों द्वारा 30 दिन के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है तथा चालान समय के भीतर विशेष अदालतों में दायर नहीं किए जाते हैं। आयोग सिफारिश करता है कि समय अनुसूची का पालन किया जाना चाहिए।	8.118 (vi)
8	**यदि संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर न करे, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक या विशेष जांच कक्ष अथवा न्यायालय के कहने से रजिस्टर की गई हो और आरोप-पत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया गया हो, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ मामले को समय पर पंजीयित न करने के लिए, यथास्थिति, अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई अथवा विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।**	8.133 (i)
9	अत्याचार के मामले की जांच पुलिस के किसी अनुभवी उप-अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए, चाहे वह स्थान सामान्य दिन-प्रति-दिन के कार्य के लिए उसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो।	8.133 (ii)

10	उप पुलिस अधीक्षक (जांच अधिकारी) को चाहिए कि वह 30 दिन के अन्दर जांच पूरी करे और आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे और उसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक को दे।	8.133 (iii)
11	विशेष सरकारी अभियोजकों (प्रासीक्यूटर) को पैनल एड्वोकेटों की अपेक्षा ऊंची दर पर फीस दी जानी चाहिए, जैसाकि नियमों में व्यवस्था है।	8.133 (iv)
12	अत्याचार के शिकार व्यक्ति को यात्रा और अनुरक्षण व्यय प्रदान करने, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करने, विशेष मेडिकल परामर्श फीस की प्रतिपूर्ति करने और उत्पीड़ित व्यक्ति को खून चढ़ाने आदि के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल किए जाने चाहिए।	8.133 (v)
13	संसद के आदेश (मैंडेट) को ध्यान में रखते हुए, अत्याचार के सभी मामलों में राहत, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए।	8.133 (vi)
14	राज्य सरकार को अभियोजन का पर्यवेक्षण करने, समितियों के गठन, अधिनियम के उपबंन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वधिक समीक्षा, अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने, जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और कार्यशालाओं के आयोजन, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, आदि से संबंधित आदेशात्मक उपबंधों को कार्यान्वित करना चाहिए।	8.133 (vii)
15	नियम, 1995 के नियम 8 के उपबंध के अन्तर्गत स्थापित विशेष जांच कक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयित करने और न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। कक्ष के लिए कम से कम प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे लेखन-सामग्री, टाइपराइटर, टेलीफोन और वाहनों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।	8.133 (viii)
16	राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए, नियम 15 के अन्तर्गत अपेक्षित संभाव्यना (कांटिन्जेंसी) योजना तैयार करनी चाहिए।	8.133 (ix)
17	राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों, विशेष सरकारी अभियोजकों और जिला प्रशासन को सदैव नियमित और कारगर प्रशिक्षण देना चाहिए।	8.133 (x)
18	विशेष अदालतों के बेहतर कार्यनिष्पादन और दोष-सिद्धि की दर में वृद्धि करने के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, वर्ष में कम से कम एक बार विशेष अदालतों के कार्यचालन और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का काम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपना चाहिए। इन न्यायिक समीक्षा से उन सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं/तथ्यों का पता चलेगा, जिनके कारण अभियुक्त बरी हो जाते हैं; इससे अभियोजन की कमजोरियों और निर्णयों की गुणवत्ता की जानकारी भी मिलेगी।	8.142 (i)
19	विशेष अदालतों को, यह सुनिश्चित करने के लिए मुकदमें के पक्ष अदालत में समय पर हाजिर हो, पुलिस प्रशासन की सहायता से समय पर सम्मन जारी करने चाहिएं।	8.142 (ii)
20	**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 के अनुसार अभियोजन के कारगर पर्यवेक्षण के लिए, निदेशक, अभियोजन के कार्यालय को मजबूत बनाया जाना चाहिए।**	8.142 (iii)

10 उप पुलिस अधीक्षक (जांच अधिकारी) को चाहिए कि वह 30 दिन के अन्दर जांच पूरी करे और आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे और उसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक को दे। 8.133 (iii)

11 विशेष सरकारी अभियोजकों (प्रासीक्यूटर) को पैनल एड्वोकेटों की अपेक्षा ऊंची दर पर फीस दी जानी चाहिए, जैसाकि नियमों में व्यवस्था है। 8.133 (iv)

12 अत्याचार के शिकार व्यक्ति को यात्रा और अनुरक्षण व्यय प्रदान करने, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करने, विशेष मेडिकल परामर्श फीस की प्रतिपूर्ति करने और उत्पीड़ित व्यक्ति को खून चढ़ाने आदि के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल किए जाने चाहिए। 8.133 (v)

13 संसद के आदेश (मैंडेट) को ध्यान में रखते हुए, अत्याचार के सभी मामलों में राहत, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। 8.133 (vi)

14 राज्य सरकार को अभियोजन का पर्यवेक्षण करने, समितियों के गठन, अधिनियम के उपबंन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वधिक समीक्षा, अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने, जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और कार्यशालाओं के आयोजन, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, आदि से संबंधित आदेशात्मक उपबंधों को कार्यान्वित करना चाहिए। 8.133 (vii)

15 नियम, 1995 के नियम 8 के उपबंध के अन्तर्गत स्थापित विशेष जांच कक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयित करने और न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। कक्ष के लिए कम से कम प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे लेखन-सामग्री, टाइपराइटर, टेलीफोन और वाहनों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। 8.133 (viii)

16 राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए, नियम 15 के अन्तर्गत अपेक्षित संभाव्यना (कांटिन्जेंसी) योजना तैयार करनी चाहिए। 8.133 (ix)

17 राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों, विशेष सरकारी अभियोजकों और जिला प्रशासन को सदैव नियमित और कारगर प्रशिक्षण देना चाहिए। 8.133 (x)

18 विशेष अदालतों के बेहतर कार्यनिष्पादन और दोष-सिद्धि की दर में वृद्धि करने के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, वर्ष में कम से कम एक बार विशेष अदालतों के कार्यचालन और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का काम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपना चाहिए। इन न्यायिक समीक्षा से उन सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं/तथ्यों का पता चलेगा, जिनके कारण अभियुक्त बरी हो जाते हैं; इससे अभियोजन की कमजोरियों और निर्णयों की गुणवत्ता की जानकारी भी मिलेगी। 8.142 (i)

19 विशेष अदालतों को, यह सुनिश्चित करने के लिए मुकदमें के पक्ष अदालत में समय पर हाजिर हो, पुलिस प्रशासन की सहायता से समय पर सम्मन जारी करने चाहिएं। 8.142 (ii)

20 **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 के अनुसार अभियोजन के कारगर पर्यवेक्षण के लिए, निदेशक, अभियोजन के कार्यालय को मजबूत बनाया जाना चाहिए।** 8.142 (iii)

21 **विशेष सरकारी अभियोजक की संस्था का मजबूत बनाया जाना चाहिए। विशेष सरकारी अभियोजक की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। विशेष अभियोजकों की फीस/पारिश्रमिक में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए; ताकि अनुभवी, अनुशासनबद्ध, प्रतिबद्ध और अपने विषय के जानकार एड्वोकेटों को आकर्षित किया जा सके। एड्वोकेटों का पेनल नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और उसकी सूचना विशेष न्यायाधीश को दी जानी चाहिए। अभियोजन को सुदृढ़ बनाने और उसे अपना काम सम्पन्न करने के योग्य बनाने के लिए एक अन्य कदम यह है कि विशेष अदालतों में अत्याचार के मामलों के बारे में कार्रवाई करने के लिए सहायक सरकारी अभियोजकों (ए.पी.पी.) को विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाए।** 8.142 (iv)

22 **यदि अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया जाए कि न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता की संगत धाराएं लागू नहीं की गई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक और निदेशक, अभियोजन पर डाली जानी चाहिए।** 8.142 (v)

23 **राज्य स्तर की सतर्कता और मानीटरिंग समिति को वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठक आयोजित करनी चाहिए और जिला सतर्कता और मानीटरिंग समितियों को अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए कड़े मार्गदर्शन देने चाहिएं।** 8.142 (vi)

24 **अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को यथोचित ध्यान के साथ अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए, चूंकि यह न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इसमें सारा अपेक्षित ब्यौरा दिया जाना चाहिए, ताकि अभियोजन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोष- सिद्धि की दर में वृद्धि की जा सके।** 8.142 (vii)

अध्याय IX - जनजातीय विकास के मुख्य मुददे

1 निधियों को व्यपगत होने से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उपयोग अन्य क्षेत्रकों में न किया जाए, राष्ट्रीयं जनजाति विकास कोष की स्थापना की जाए और विशेष केंद्रीय सहायता की एवं केंद्रीय मंत्रालयों की अन्य जनजातीय विकास स्कीमों की खर्च नहीं की गई राशि इस कोष में डाली जाए, जिसका उपयोग उनके विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जाए। राष्ट्रीय जनजाति विकास कोष की स्थापना करने की सिफारिश मूलतः 1961 में धेबर आयोग द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। 9.23 (i)

2 इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कारण, कार्यान्वयन अभिकरणों को उपयोग के लिए धनराशि उपलब्ध होने में काफी देर लग जाती है। इसलिए विलम्ब को कम करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को चाहिए कि विशेष केंद्रीय सहायता की राशि सीधे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को रिलीज कर दी जाए, जैसाकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डी.आर.डी.ए निधियों के बारे में किया जाता है । केवल बिखरी हुई जनजातीय आबादी की, जो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं आती, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि, संबंधित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की जानी चाहिए। 9.23 (ii)

3	जनजाति कार्य मंत्रालय अनुच्छेद 275 (1) की परिधि और उद्देश्य की जांच करने और इस व्यवस्था के अंतर्गत स्कीमें तैयार करने, उनके क्रियान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन के तंत्र सहित एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करे।	9.30 (i)
4	जनजाति कार्य मंत्रालय रिहायशी स्कूलों की स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रस्ताव मार्गनिर्देशों और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार और कार्यान्वित किए जाएं ; जिनके लिए यह स्कीम तैयार की गई है।	9.30 (ii)
5	इस समय जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एक विभाजित जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज संस्थाएं और गैर - सरकारी संगठन सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रणाली को दोषरहित बनाए जाने की जरूरत है और एक ऐसा केन्द्रीकृत समन्वय तंत्र होना चाहिए, जिससे जनजातियों के शिक्षा कार्यक्रमों का उपयुक्त मानीटरिंग सुनिश्चित किया जा सके।	9.61 (i)
6	बहुत से जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं/ बोलियां हैं और प्रायः वे उस मुख्य भाषा से बिल्कुल भिन्न होती हैं, जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए, यह जरूरी है कि शिक्षण सामग्री कम से कम प्राथमिक स्तर के लिए, उनकी अपनी भाषाओं में तैयार की जाए, ताकि जो कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है, उसे वह बेहतर तरीके से समझ सकें।	9.61 (ii)
7	जनजातीय लोग एक दूसरे से दूर छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचा हो जाता है और अध्यापकों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए मुख्य रूप से स्थानीय जनजातीय समुदायों के अध्यापकों को भर्ती करने के गम्भीर प्रयास करने चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सम्बन्धित नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए।	9.61 (iii)
8	उच्च कोटि की शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, ऐसे रिहायशी स्कूलों का जाल स्थापित करने की जरूरत है, जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मौजूदा सुप्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में गरीब और योग्य जनजातीय बच्चों की शिक्षा के वित्त पोषण की स्कीमें भी तैयार करनी चाहिएं। इन उपायों से जनजातीय लोग नौकरियों में आरक्षण की सरकारी नीति से अधिक कारगर और सार्थक तरीके से लाभ उठा सकेंगे।	9.61 (iv)
9	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 75 आदिकालीन जनजातीय समूहों में से प्रत्येक समूह विकास के किस स्तर पर पहुंचा है, इन समूहों की सूची को संशोधित करने का कार्य हाथ में लिया जाए और केवल उन समुदायों को इस सूची में बनाए रखा जाए, जिनके आर्थिक विकास के अत्यन्त निम्न स्तर को देखते हुए जिनकी ओर सचमुच विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, अथवा जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है।	9.82 (i)
10	विकास की कार्यनीति में उनकी परम्परागत जीवन-शैली को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति और परमपराओं को नष्ट किए बिना, जैसाकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट अंडमानियों और ओंग्स के मामले में हुआ है, अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।	9.82 (ii)
11	आदिकालीन जनजातीय समूहों के विकास की नई स्कीम को समुचित ध्यान से और उपयुक्त मानीटरिंग तंत्र के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि अगले दशक में कोई भी समुदाय आदिकालीन न रहे।	9.82 (iii)